अष्टम माला, खंड 9, अंक 26

गुरुवार, 29 अगस्त, 1985
7 भाद्र, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Acc. No. 55
Date 6/8/86

(खंड 9 में अंक 21 से 26 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 9 तीसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 26 गुरुवार, 29 अगस्त, 1985/7 भाद्र, 1907 (शक)

अल्प सूचना प्रश्न	1-9
सभा पटल पर रखे गए पत्र	9-12
राज्य सभा से सन्देश	13
लोक लेखा समिति	13-14
चौथा, बारहवां और पन्द्रहवां प्रतिवेदन	
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति	14
पहला और दूसरा प्रतिवेदन	
विधेयक पुरःस्थापित	14-17
(एक) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) विधेयक	14
(दो) डाक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विधेयक	15
(तीन) राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण विधेयक	15
नियम 377 के अधीन मामले	18-24
(एक) लोगों की आर्थिक दशा सुधारने के लिये पटना में एक इलैक्ट्रोनिक उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता	18
श्री सी० पी० ठाकुर	
(दो) मिर्जापुर जिले में वनों की कटाई के कारण उत्पन्न हुए प्रदूषण को रोकने के लिये निवारक कदम उठाने की आवश्यकता	18
श्री राम प्यारे पनिका	
(तीन) घाटकेसर स्थित एक बहुराष्ट्रिक कम्पनी मैसर्स बुक ब्रांड इण्डिया लिमिटेड के कर्मचारियों के मामले में हस्तक्षेप करने और मंजूरी बोर्ड के उपबन्ध लागू करके उन्हें शोषण से बचाने की आवश्यकता	18
डा० जी० विजय रामा राव	

(चार) जम्मू तथा कश्मीर स्थित रामनगर और चेनानी तहसीलों को देश के अन्य भागों के साथ मिलाने वाली सड़क का निर्माण करने की आवश्यकता 19

श्री गिरधारी लाल डोगरा

(पांच) लद्दाख क्षेत्र में कारगिल तक वायुदूत सेवा तुरन्त आरम्भ करने की आवश्यकता 19

श्री पी० नामग्याल

(छः) पूर्वी चम्पारन जिले में मोतीहारी में महात्मा गांधी के नाम पर एक विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता 19

श्रीमती प्रभावती गुप्ता

(सात) केरल में मानसून के दौरान बार-बार होने वाला नुकसान और छोटी तथा बड़ी नदियों के तलों में जमी गाद को साफ करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता 19

श्री आई० रामा राय

(आठ) दिल्ली में जूनियर नवयुग स्कूलों को सीनियर स्तर तक उन्नत करने की आवश्यकता 20

श्री जयप्रकाश अग्रवाल

(नौ) बम्बई में रेल विभाग की भूमि पर बने हुए अस्थायी मकानों को तोड़ने की योजना को समाप्त करने की आवश्यकता 20

श्री शरद दिघे

(दस) तालचेर और "इब" घाटी में सुपर ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने और निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का कार्य पूरा करने के लिए सातवीं योजना में पर्याप्त धनराशि आबंटित करने की आवश्यकता 21

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही

(ग्यारह) विन्ध्य क्षेत्र में सूखे से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को सहायता देने तथा केन्द्रीय सहायता से विन्ध्य विकास अभिकरण की स्थापना करने की आवश्यकता 21

श्री अजीज कुरैशी

(बारह) पूरे देश के लिए एक समान व्यवहार संहिता बनाने की आवश्यकता 22

श्री पी० कुलनदईवेलू

विषय	पृष्ठ
(तेरह) उड़ीसा के पिल्लाहारा क्षेत्र में समाकोई सिंचाई परियोजना को स्वीकृति देने और उसे सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने की आवश्यकता	23
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	
(चौदह) दिल्ली में बिजली की सप्लाई में कमी तथा उसकी सप्लाई बन्द हो जाने के बारे में बढ़ती हुई शिकायतें और उनके सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता	24
श्री भरत सिंह	
राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण विधेयक के सम्बन्ध में	25
संयुक्त राष्ट्र संघ की 40वीं वर्षगांठ के सम्बन्ध में संकल्प	25-28
कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन विधेयक	28-60
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री बसन्त साठे	28
श्री वी० शोभानाद्रीश्वर राव	30
श्री दामोदर पांडे	31
श्री जगन्नाथ राव	35
श्री बसुदेव आचार्य	38
श्री राम सिंह यादव	41
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह	44
श्री एस० तंगराजु	46
श्री हरीश रावत	48
श्री राजकुमार राय	50
श्री राम प्यारे पनिका	52
श्री राम बहादुर सिंह	55
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	57
हथकरघा वस्त्रों की बिक्री पर विशेष छूट के बारे में वक्तव्य	60-61
कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन विधेयक	61-95
श्रीमती जयन्ती पटनायक	61
श्री बनवारी लाल पुरोहित	64
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	66
श्री के० डी० सुल्तानपुरी	68

विषय	पृष्ठ
श्री सोमनाथ रथ	69
श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश	70
श्री काली प्रसाद पाण्डेय	73
डा० गौरी शंकर राजहंस	75
श्री एन० डेनिस	77
श्री सरफराज अहमद	78
श्री मनोज पांडे	80
डा० फूलरेणु गुहा	81
श्री सी० जंगा रेड्डी	83
श्री अजीज कुरेशी	84
श्री गिरधारी लाल व्यास	85
खण्ड 2, 3 और 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री बसंत साठे	94
बाट और माप मानक (प्रवर्तन) विधेयक	95-124
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
राव बीरेन्द्र सिंह	95
श्री ए० जे० बी० बी० महेश्वर राव	96
श्री बीरेन्द्र सिंह	97
श्री रेणुपद दास	101
श्री के० एम० प्रधान	102
श्रीमती बसव राजेश्वरी	104
डा० वी० वेंकटेश	105
श्री एन० टोम्बो सिंह	107
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	109
श्री गिरधारी लाल डोगरा	110
श्री चिन्ता मोहन	112
श्री शांति धारीवाल	114
श्री सी० जंगा रेड्डी	115
श्री मानकू राम सोढी	118
खण्ड 2 से 75 और 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
राव बीरेन्द्र सिंह	124
राज्य सभा से सन्देश	124-127

लोक सभा

गुरुवार, 29 अगस्त, 1985/7 भाद्र, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : कल एक संयुक्त समिति गठित करने का जो निर्णय लिया गया था, उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम सबने राज्य सभा के एक सदस्य श्री एच० आर० भारद्वाज का चयन करके विशेषाधिकार का हनन किया गया है । इसे ठीक किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : इसे ठीक कर दिया गया है । मेरे विचार से मन्त्री महोदय ने स्वयं इसे समय पर ठीक कर दिया था ।

प्रो० मधु दण्डवते : तब तो ठीक है ।

अल्प सूचना प्रश्न

[अनुवाद]

दूरदर्शन नेटवर्क का विस्तार

प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धन और साधनों की कमी के कारण सरकार द्वारा दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने के अनेक प्रस्ताव त्याग दिए जाने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भारत में दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने और उन्हें चलाने के लिए राज्य सरकारों, सहकारी संस्थाओं और गैर-सरकारी कम्पनियों से प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए सहमत है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे ट्रांसमीटर लगाने के लिए राज्य सरकारों, सहकारी

संस्थाओं और गैर-सरकारी कम्पनियों से प्रस्ताव आमन्त्रित करने के लिए कोई नीतिक निर्णय किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा देश में दूरदर्शन नेटवर्क का विस्तार करने के लिए क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ख) सातवीं योजना के लिए प्रत्याशित आबंटन के अन्य दूरदर्शन सेवा के विस्तार के लिए शुरू में प्रस्तावित की गई सभी स्कीमों को हाथ में लेना सम्भव नहीं हो सकेगा। इसको देखते हुए, सरकार, राज्य सरकारों, सहकारी संस्थाओं तथा गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटर स्थापित करने की लागत को वहन करने के लिए (1) दूरदर्शन ट्रांसमीटर का स्वामित्व दूरदर्शन में निहित होगा, (2) ट्रांसमीटर का प्रचालन और अनुरक्षण दूरदर्शन द्वारा किया जायेगा, और (3) इस प्रकार ट्रांसमीटरों से प्रेषित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में निर्णय अनन्य रूप से दूरदर्शन द्वारा लिया जायेगा, जैसी कतिपय शर्तों के अधीन सिद्धान्ततः विचार करने के लिए तैयार है।

प्रो० रामकृष्ण मोरे : सरकार राज्य सरकारों सहकारी संस्थाओं और निजी कम्पनियों से ये प्रस्ताव कब तक मंगाएगी ?

श्री वी० एन० गाडगिल : हम ये प्रस्ताव यथाशीघ्र मंगाएंगे ताकि योजना को तैयार किया जा सके।

प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या ट्रांसमीटर स्थापित करने के अधिकार देने के लिए राज्य सरकारों और सरकारी उपक्रमों को निजी कंपनियों की अपेक्षा वरीयता दी जाए ?

श्री वी० एन० गाडगिल : अभी तक योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। लेकिन सिद्धांततः हम इस सुझाव को स्वीकार करते हैं कि अगर ये तीनों संस्थान पहल करें और इस पर होने वाले खर्चे को वहन करें तो हम उन पर विचार करेंगे। प्राथमिकताओं पर हम बाद में विचार कर सकते हैं।

श्री विजय एन० पाटिल : आनंद डेरी में राष्ट्रीय डेरी विकास निगम द्वारा निजी तौर पर स्थापित एक टेलिविजन कनेक्शन है जिससे लगभग 50 व्यक्ति डायरेक्ट रिसीविंग सेट द्वारा टेलिविजन देख सकते हैं। इसमें वीडियो के लिए इन्टर कनेक्शन भी है। बहुत सी नगरपालिकाएं और सहकारी संस्थाएं शहर में उपभोक्ताओं के लिए इस किस्म का टी० वी० नेटवर्क स्थापित करना चाहती हैं। साथ ही मैंने विभिन्न राज्यों में देखा है कि वहाँ आदिवासी क्षेत्रों में स्थित स्कूलों को डायरेक्ट रिसीविंग सेट दिए गए हैं। लेकिन महाराष्ट्र में आदिवासी क्षेत्रों में स्थित स्कूलों को ऐसे सेट नहीं दिए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या इसका इस प्रश्न से संबंध है ?

श्री विजय एन० पाटिल : क्या ऐसे सेट आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि धूलिया में एक रिले स्टेशन है, लेकिन आदिवासी क्षेत्र में नहीं है ?

श्री वी० एन० गाडगिल : प्रत्यक्ष प्रसारण केन्द्रों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। ये 'स इट' कार्यक्रम सेटलाईट इन्स्ट्रक्शनल टेलीविजन ऐक्सपेरीमेंट के हिस्से है ।

प्रो० के० के० तिवारी : मंत्री जी का उत्तर सरकार के इस वायदे से मेल नहीं खाता कि निजी क्षेत्र या निजी कंपनियों को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्या अणु ऊर्जा जैसे मूल क्षेत्र में निजी कम्पनियों को काम न करने देने के लिए किए गए वायदे में भी, संसाधनों की कमी का बहाना करके मूलभूत संशोधन किया गया है ?

श्री वी० एन० गाडगिल : महोदय जहां तक अणु उर्जा का संबंध है, मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता। किंतु जहां तक मेरे मंत्रालय का संबंध है'''(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह दूसरे मंत्रालय से संबंधित प्रश्न का उत्तर क्यों दें ? कोई प्रासंगिक प्रश्न पूछिए ।

श्री वी० एन० गाडगिल : जहां तक मेरे मंत्रालय का संबंध है हम वायदे से नहीं मुकरे हैं। अगर माननीय सदस्य ने हमारे द्वारा उल्लिखित शर्तों को पढ़ा होगा तो उन्हें पता चला गया होगा कि स्वामित्व हमारा रहेगा ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

श्री बी० बी० स्वैल : महोदय, ऐसी आशंका है कि टी० वी ट्रांसमीटर स्थापित करने का निर्णय आकस्मिक ही लिया गया है तथा स्थिति के औचित्य पर विचार नहीं करके अन्य परिस्थितियों पर विचार किया गया था । 29-7-1985 को मैंने एक प्रश्न पूछा था :

"(क) क्या शिलांग में 1 किलोवाट का और तुरा में 10 किलोवाट का दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) क्या शिलांग मेघालय की राजधानी है, थलसेना और वायुसेना क्षेत्रीय कमान पूर्वोत्तर परिषद और एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय आदि का मुख्यालय है जबकि तुरा एक छोटा सा शहर है । मंत्री जो न उत्तर 'जी हां' में दिया और प्रश्न के भाग

(ग) "तुरा में 10 किलोवाट का केन्द्र स्थापित करने का क्या कारण है" का उत्तर था । तुरा में 10 किलोवाट शक्ति का टेलिविजन ट्रांसमीटर लगाने का निर्णय भौगोलिक, अवस्थिति स्थानीय भू-भाग को परिस्थितियों आदि जैसी बातों पर विचार करने के बाद, विकिरण शक्ति क अनुकूलतम उपयोग की दृष्टि से लिया गया था ।"

यदि कभी भी कोई कपटतापूर्ण बातें की गई हैं तो वह यही थी।'''(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसका इस प्रश्न से कोई संबंध नही है ।

श्री बी० बी० स्वैल : महोदय टी० बी० ट्रांसमीटर प्रश्न का हिस्सा है ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न प्राइवेट क्षेत्र सहकारी संस्थाओं आदि के बारे में है ;

श्री जी० जी० स्वैल : जी नहीं महोदय, प्रश्न यह है "क्या टेलिविजन ट्रांसमीटर स्थापित करने के अधिकांश प्रस्तावों को छोड़ दिये जाने की सम्भावना है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सहकारिता के आधार पर। आप बेमतलब बातों की चर्चा यहां क्यों कर रहे हैं?

श्री जी० जी० स्वैल : तो महोदय, मैं एक और प्रश्न पूछता हूं। तुरा समुद्र तट से 3000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है और इसकी जनसख्या 50,000 है जबकि राज्य का मुख्यालय शिलांग समुद्र तल से 5000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। क्या मंत्री महोदय स्पष्ट करेंगे कि विकिरण शक्ति के अनुकूलतम उपयोग तथा परिस्थितियों का क्या तात्पर्य है ?···(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह प्रासंगिक नहीं है। मेरे ख्याल से इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह एकदम अप्रासंगिक है।

श्री जी० जी० स्वैल : तब मैं बैठ जाता हूं। लेकिन महोदय आप यह मानिए कि यह कपट-पूर्ण बात के सिवाय और कुछ नहीं है।

श्री गिरिधर गोमांगो : बाकी 30 प्रतिशत क्षेत्र को, जोकि मुख्यतया पहाड़ी तथा आदि-वासी क्षेत्र है, टेलिविजन सेवा के अधीन किया जाना बाकी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या परिकल्पना के अनुसार वे इन क्षेत्रों को सहकारी समितियों या जिन्हे वे अच्छा समझें उसके द्वारा टेलिविजन केन्द्र स्थापित करने पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर वे दे चुके हैं। अगर कोई पहल करता है तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है।

श्री बी० शोभानाद्रीश्वर राव : महोदय, आंध्र प्रदेश के, खासकर कृष्णा, गुंटूर गोदावरी और नलगोंडा जिलों के लोग, समाचार पत्र में छपी इस खबर से बहुत क्षुब्ध हैं कि सातवीं योजना में प्रस्तावित टेलिविजन स्टूडियो के निर्माण का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है। यह बहुत चौंका देने वाली खबर है। हम आपके ध्यान में यह बात ला चुके हैं कि यह क्षेत्र स्टूडियो स्थापित करने के लिए सभी अपेक्षित मानदण्डों को पूरा करता है···(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, यह प्रश्न नहीं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : माननीय मंत्री जी ने अभी-अभी सभा में कहा है कि इस मुख्य नीति परिवर्तन के फलस्वरूप प्रस्तावित ट्रांसमीटर जो स्थापित किया जाएगा उसका स्वामित्व सरकार के पास रहेगा। लेकिन क्या मैं मंत्री जी से जान सकता हूं कि इस धारणा का क्या मतलब है। राज्य सरकारें, या निजी क्षेत्र के संगठन या सहकारी संस्थाएं—जैसा कि महाराष्ट्र में है, मेरे विचार से वे चीनी उत्पादन का काम छोड़कर टेलिविजन ट्रांसमीटर के क्षेत्र में आ जाएंगी—पैसा कैसे वसूल करेंगे। क्या वह उन्हें व्यावसायिक विज्ञापन देने की अनुमति देकर पैसा कमाने देंगे या सरकार उनको भुगतान करेगी ?

श्री वी० एन० गाडगिल : मुझे इसे स्पष्ट करने दिया जाए। इस बारे में कोई गलतफहमी न रहे। योजना में, जो भी धनराशि हमें आबंटित की जाएगी—मालूम नहीं हमें कितनी मिलेगी—उससे हम सारे देश को संतुष्ट नहीं कर सकते। हम योजना आयोग द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर काम करेंगे। फिर भी कुछ क्षेत्रों की ओर से दबाव डाला जाएगा। बहुत से सदस्य मेरे पास इस आशय का पत्र लेकर आते हैं कि उनके क्षेत्र में टेलिविजन केन्द्र स्थापित किया जाए। उन्हें मैं बता दूं कि योजना आयोग द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं में फेरबदल किए बिना अगर कोई सहकारी समिति राज्य सरकार या निजी कंपनी इस मामले में पहल करती है और ट्रांसमीटर स्थापित करने पर होने वाले व्ययों को वहन करने को तैयार है तो हम इस पर विचार करेंगे। और अगर हमें पर्याप्त संख्या में ऐसे प्रस्ताव मिल गए तो हम इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन को आर्डर दे सकेंगे।

प्रो० के० के० तिवारी : यह काम राज्य सरकारों तथा सहकारी संस्थाओं को करने दिया जाए। निजी कंपनियों को हम अनुमति क्यों दें?

अध्यक्ष महोदय : चर्चा समाप्त हुई। ठीक है।

———

11.11 म० पू०

[अनुवाद]

श्री माधव रेड्डी : महोदय, मैंने आंध्र बैंक में धोखाधड़ी के बारे में एक सूचना दी। इस मामले पर पिछले सत्र में विचार किया गया था और मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जांच की जाएगी। लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदय : समय नहीं बचा है। क्यों नहीं इस पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा की जाए? अगर और प्रश्न पूछने हैं या चर्चा करनी हो तो उसके लिए मैं तैयार हूं। इसे नियम 193 या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आदि के अन्तर्गत पूछा जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं। मैं केवल यही कह रहा हूं कि आज इसे नहीं लिया जा सकता क्योंकि आज सत्र का अन्तिम दिन है। अगले सत्र में आप पूछ सकते हैं। आप मुझे नोटिस दीजिएगा और मैं अनुमति दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : आप आज इस पर आधा घंटे की चर्चा की अनुमति दे सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बात यह है कि इसे बहुत अधिक प्रचार मिल गया है और इसने देश में संसदविज्ञों के बारे में बुरा प्रभाव उत्पन्न कर दिया है। कम से कम उन्हें हमें यह तो बताना चाहिए ....

अध्यक्ष महोदय : वह माननीय सदस्य भी इस चर्चा के खिलाफ नहीं है जिनका आपने

उल्लेख किया है। मैंने आपको बताया था कि इसमें कोई रोक नहीं है लेकिन समय ही नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानता हूं कि आज कोई चर्चा नहीं होगी। ऐसा करना संभव नहीं है। पिछली बार श्री पुजारीजी ने यहां आश्वासन दिया था कि जांच की जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस जांच से इसकी पुष्टि हुई या नहीं। स्थिति क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यह मैं पूछ सकता हूं। नवम्बर में हम जब भी मिलेंगे मैं आपको अनुमति दूंगा। कोई समस्या नहीं होगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे हमें कम से कम यह तो बता सकते हैं कि उन्होंने जांच करवाई या नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : यहां तक की लोकपाल विधेयक को चयन समिति के पास भेज दिया है। हम लोकपाल तक नहीं जा सकते। उन्होंने लोकपाल के क्षेत्राधिकार से संसद सदस्यों को भी निकाल दिया है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर अगली बार चर्चा कर सकते हैं। मैं इसके लिए अनुमति दे दूंगा। इसमें कोई समस्या नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जो कदम आप उठा रहे हैं उससे हम सबको तकलीफ हो रही है और प्रसन्नता उस पक्ष के केवल एक व्यक्ति को हो रही है, जो कि मुस्करा रहे हैं और खुश नजर आ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री के० एस० राव : कारण यह है कि मैं नहीं जानता था कि विपक्ष के सदस्य सदन को ऐसी गलत सूचना देने पर तुले हुए हैं। इन सालों के दौरान विपक्ष के कुछ सदस्या ऐसी सूचना देकर इससे बहुत सा फायदा उठा रहे होंगे। ऐसा वे राजनैतिक आधार पर कर रहे हैं, न कि तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर। वे अब भी ऐसा कर रहे हैं। मैंने सभी प्रकार के आंकड़ों सहित इस सदन के सभी सदस्यों को उत्तर दिया था इसके बावजूद वे इस मामले को उठा रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे दोनों पक्षों को यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा कहना यह है कि मैं किसी भी तरह की चर्चा पर रोक नहीं लगाऊंगा। मैं इस पर प्रतिबंध क्यों लगाऊं ? यदि कोई व्यक्ति दोषी है तो उसे दोषी ही कहा जाएगा; और यदि कोई व्यक्ति निर्दोष है तो उसे निर्दोष ही कहा जाएगा। मेरे सामने ऐसी कोई समस्या नहीं है। मैं किसी भी तरह की चर्चा पर प्रतिबंध नहीं लगा रहा हूं। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि आज मेरे लिए यह असम्भव है। आप अगले सत्र में आइए, मैं आपको चर्चा करने की अनुमति दूंगा। इसमें कोई समस्या नहीं है।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। महोदय, संयुक्त रूप से

इस सभा के एक सदस्य की निंदा करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया आप अपने वक्तव्य पर पुनः विचार करें कि आप इस पर चर्चा की अनुमति देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान तिवारी, आप मेरी बात का गलत अर्थ मत लगाइए। भगवान के लिए............

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, गुस्से में मत आइए। मैं एक निवेदन कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

प्रो० के० के० तिवारी : गुस्से में मत आइए। आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि आप बात नहीं सुनते हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : कृपया शांत हो जाइए।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए। मेरी बात का गलत अर्थ मत लगाइए। मेरा कहने का अभिप्राय: यह नहीं है कि मैं उनके मामले का जिक्र करने जा रहा हूं। मैं तो बैंक की धोखाधड़ी की बात कर रहा हूं। मैं इस बारे में कह रहा हूं।

प्रो० के० के० तिवारी : आप बैंक में धोखाधड़ी की बात कर सकते हैं। किंतु संयुक्त रूप से निंदा करने का प्रयास किया गया है। मैं तेलगूदेशम के सदस्यों से कहूंगा कि वे अपने गिरेबान में झांकें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सभा में किसी तरह की निन्दा करने की अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, इस सभा में तुलमोहन राम के मामले पर चर्चा की गई थी। यहां तक कि यह सभा सदस्यों के संबंध में चर्चा करने पर भी प्रतिबंध नहीं लगाती। तुलमोहन राम के लाइसेंस संबंधी मामले में इसी सभा में चर्चा की गई थी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई दोषी है, हर व्यक्ति का अपना मान होता है। मैं नहीं जानता कि आप इस सम्बन्ध में उत्तेजित क्यों हो रहे हैं। (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : यह बहुत गलत बात है। आप किसी सदस्य की निंदा नहीं कर सकते।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : आप बिना कुछ जाने ही शोर मचा रहे हैं। जांच होने दीजिए। आपको जांच कराने में क्या आपत्ति है ? जांच से सिद्ध हो जाएगा कि यह गलत है या सही। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाए जा सकते हैं (व्यवधान) श्री रंगा, क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे ? मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : आप कृपया अपने निर्णय पर और विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कहना चाहता हूं कि व्यक्ति का स्वाभिमान होता है। इस सम्मानित सदन का प्रत्येक सदस्य माननीय सदस्य है। जब तक कोई बात सिद्ध न हो जाए हमें किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। हम ऐसा करने नहीं जा रहे हैं (व्यवधान) कृपया सुनिए। मैं बचाव करने जा रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : यह अन्तिम दिन है। मैंने नोटिस रखा था······ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कहना चाहता हूं कि सर्वप्रथम हमें यह निर्णय ले लेना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। और तदानुसार ही मैं नियमानुसार किसी सम्बन्ध में चर्चा करने की अनुमति देने जा रहा हूं। अतः उसमें कोई कठिनाई नहीं है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वरा राव : हमारी एक समस्या है। (व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : श्रीलंका में तमिलों के संबंध में उन्होंने इस सदन में एक आश्वासन दिया है। सरकार······कदम नहीं उठा रही है।

श्री एन० वी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : सरकार को उनके निर्वासन सम्बन्धी आदेश रद्द करने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी सरकार से प्रतिदिन सम्पर्क बनाए हुए हूं।

श्री एन० वी० एन० सोमू : महोदय, उन्हें पहले कदम के तौर पर निर्वासन संबंधी आदेश रद्द करने चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसकी अनुमति नहीं है।

श्री गाडगिल : अब सभापटल पर पत्र रखे जायेंगे।

(व्यवधान)

11.16 म० पू०

तत्पश्चात् श्री इन्द्रजीत गुप्त और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से उठकर बाहर चले गए।

अध्यक्ष महोदय : शांति शांति। अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : दूर संचार विभाग के कर्मचारियों द्वारा काम बन्द हड़ताल करने के परिणाम केरल में बहुत गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है, यह हड़ताल कल ही वापिस ली गई है। लेकिन इसके कारण बड़ी गम्भीर समस्या पैदा हो गई है और वह यह कि······राज्य पुलिस का प्रवेश······।

अध्यक्ष महोदय : सरकार को इसका जवाब देने दीजिए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं चाहता हूं कि सरकार इसका जवाब दे। पिछले एक सप्ताह के दौरान कालीकट, केरल में क्या हुआ? राज्य पुलिस को टेलिफोन एक्सचेंज में प्रवेश करने की अनुमति क्यों दी गई?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न विधान सभा में उठाया जा सकता है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह मामला बहुत गम्भीर है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभापटल पर पत्र रखे जायेंगे श्री गाडगिल।

11.18 म० पू०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

भारतीय प्रेस परिषद्, नई दिल्ली का वर्ष 1984 का वार्षिक प्रतिवेदन

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : मैं प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 20 के अंतर्गत भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1984 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1421/85]

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 के अन्तर्गत अधिसूचनायें पेप्सू सड़क परिवहन निगम, पटियाला का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) वाणिज्य पोत परिवहन [वाणिज्य जहाजी बेड़ा (मर्चेन्ट नेवी) में इंजीनियरों की परीक्षा] संशोधन नियम, 1984 जो भारत के राजपत्र में 29 दिसम्बर, 1984 को अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1322 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वाणिज्य पोत परिवहन (ड्रेज मास्टरों तथा ड्रेज मेटों की परीक्षा) नियम, 1985, जो भारत के राजपत्र में 1 फरवरी, 1985 को अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 70(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1422/85]

(3) (एक) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पेप्सू सड़क परिवहन निगम, पटियाला, के वर्ष 1981-82 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

(दो) पेप्सू सड़क परिवहन निगम, पटियाला, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1423/85]

दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की समीक्षा

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं श्री आरिफ मोहम्मद खां की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम समिति, नई दिल्ली, के वर्ष 1980-1981 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) दिल्ली राज्य औद्योगिक निगम सीमित, नई दिल्ली, का वर्ष 1980-81 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षित की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1424/85]

ग्रामीण प्रौद्योगिक अभिवर्धन परिषद, नई दिल्ली का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं श्री चंदूलाल चंद्राकर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) ग्रामीण प्रौद्योगिक की अभिवर्धन परिषद नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1425/85)]

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, सीमा शुल्क, अधिनियम, 1962, तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(2) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (11) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) :—

(एक) का० आ० 625(अ) जो भारत के राजपत्र में 23 अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुआ था और जो लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली में केनरा बैंक में विलय की योजना के बारे में है।

(दो) का० आ० 622(अ) जो भारत के राजपत्र में 23 अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुआ था और जो बैंक आफ कोचीन लिमिटेड, कोचीन के भारतीय स्टेट बैंक में विलय की योजना के बारे में है।
[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1426/85]

(2) सीमा शुल्क टैरिफ (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1982 की धारा (1) की उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 668(अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र में 20 अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा उक्त अधि-

नियम के लागू होने की तारीख 2 सितम्बर, 1985 निर्धारित की गई है।[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1427/85]

(3) सीमा शुल्क, अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 677(अ), जो भारत के राजपत्र में 23 अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण, जिनके द्वारा 28 फरवरी 1982 की अधिसूचना संख्या 21/82-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि सफेद सीमेंट पर सीमा शुल्क की आंशिक छूट को हटाया जा सके।

(दो) सा० का० नि० 679(अ), जो भारत के राजपत्र में 23 अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो डेनमार्क के गिल्डरों को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को डेनमार्क के गिल्डरों में बदलने की संशोधित विनिमय दरों के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1428/85]

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 666(अ), की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र में 20 अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 29 दिसम्बर, 1962 की अधिसूचना संख्या 223/62-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 56क के अन्तर्गत उपलब्ध प्रोफार्मा क्रेडिट संबंधी सुविधा शक्ति और भाप की सहायता के बिना उत्पादित आर्गेनिक सर्फेस एक्टिव कारकों को भी दी जा सके। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1429/85]

तम्बाकू बोर्ड, गुन्टूर, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन के शुद्धि-पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं श्री पी० ए० संगमा की ओर से, तम्बाकू बोर्ड, गुन्टूर, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन के शुद्धि-पत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं ; [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०—1430/85]

———

11.19 म० पू०

राज्य सभा से सन्देश

[अनुवाद]

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :

"(1) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के अनुसरण में, मुझे सम्पदा-शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1985 जिसे लोकसभा द्वारा अपनी 23 अगस्त, 1985 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापिस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में लोक सभा से कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

"(2) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 28 अगस्त 1985 को हुई अपनी बैठक में, लोकसभा द्वारा 26 अगस्त, 1985 को पारित किये गये रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक 1985 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।"

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करता हूं कि नियम 377 के अन्तर्गत सभी सूचनाओं की अनुमति दें क्योंकि यह अधिवेशन का अन्तिम दिन है।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। यह असम्भव है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए। श्री अय्यप्पु रेड्डी अनपस्थित। श्री अमल दत्ता।

(व्यवधान)

11.20 म० पू०

लोक लेखा समिति

चौथा, बारहवां और पन्द्रहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(1) "काफी बोर्ड" के संबंध में समिति के 127वें प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) अन्तर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में चौथा प्रतिवेदन ।

(2) "किसी देश को आस्थिफि (आसीन) के निर्यात तथा रेल वैगनों के निर्यात के लिए नकद सहायता" के संबंध में समिति के 152वें प्रतिवेदन (7वीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 12वां प्रतिवेदन ।

(3) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, प्राप्तियां, बिक्री कर, सर्वेक्षण, पंजीकरण तथा घोषणा फार्मों के संबंध में समिति के 227वें प्रतिवेदन (7वीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 15वां प्रतिवेदन ।

प्रो० एन० जी० रंगा : यह सज्जन बाहर चले गए । हम प्रस्ताव कैसे कर सकते हैं ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह बाहर चले गए ।

अध्यक्ष महोदय : और अन्दर भी आ गए ।

(व्यवधान)

11.21 म० पू०

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

पहला और दूसरा प्रतिवेदन

श्री बी० के० गढ़वी (बनासकांठा) : मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का पहला और दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

11.22 म० पू०

विधेयक

(एक) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध विधेयक)*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोकहित में, औद्योगिक उपक्रमों का स्वामित्व रखने वाली रुग्ण कम्पनियों और संभाव्य रुग्ण कंपनियों का ठीक

---

* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित ।

समय पर पता लगाना, विशेषज्ञ बोर्ड द्वारा ऐसे निवारक, सुधारात्मक उपचारी और अन्य उपायों का, जिनका ऐसी कम्पनियों की बाबत किया जाना आवश्यक है, शीघ्र अवधारण और इस प्रकार अवधारित उपायों का शीघ्र प्रवर्तन सुनिश्चित कराने की दृष्टि से तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का विशेष उपबंध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि लोकहित में, औद्योगिक उपक्रमों का स्वामित्व रखने वाली रुग्ण कम्पनियों और संभाव्य रुग्ण कम्पनियों का ठीक समय पर पता लगाना, विशेषज्ञ बोर्ड द्वारा ऐसे निवारक, सुधारात्मक उपचारी और अन्य उपायों का, जिनका ऐसी कम्पनियों की बाबत किया जाना आवश्यक है, शीघ्र अवधारण और इस प्रकार अवधारित उपायों का शीघ्र प्रवर्तन सुनिश्चित करने की दृष्टि से तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का विशेष उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

11.23 म० पू०

(दो) डाक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विधेयक†

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि डॉक कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण के लिये तथा उससे संबंधित विषियों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि डॉक कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण के लिए तथा उससे संबंधित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री टी० अंजैया : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

11.24 म० पू०

(तीन) राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण विधेयक†

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : महोदय, मैं

---

† राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

प्रस्ताव करता हूं कि ऐसे विमान क्षेत्रों और सिविल अंत: क्षेत्रों के, जिन पर देशी वायु परिवहन सेवाएं चलाई जाती हैं या चलाई जाने के लिए आशयित हैं, और वैज्ञानिक संचार स्टेशनों के प्रबंध के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का तथा उससे सम्बन्धित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है···

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, मैंने आप की बात सुनी है, और मैं अनुरोध·········
(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह एक अविवाद्य विधेयक तथा अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है।

श्री वसुदेव आचार्य : आज वह इसे पुन:स्थापित करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि यह हवाई अड्डों के उत्थान तथा विकास के विचारण के लिए उचित होगा। इस में कोई बुराई नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि यह एक अच्छा उपाय है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि ऐसे विमान क्षेत्रों और सिविल अन्त: क्षेत्रों के, जिन पर देशी वायु परिवहन सेवाएं चलाई जाती हैं या चलाई जाने के लिए आशयित हैं, और वैज्ञानिक संचार स्टेशनों के प्रबंध के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का तथा उस से सम्बन्धित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री अशोक गहलोत : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें अधिक मतभेद नहीं है। यह हवाई अड्डों के विकास के लिए है।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : इसे आज राज्य सभा में कैसे पारित किया जा सकता है ? (व्यवधान)

श्री अमल दत्त : आज नहीं, किन्तु अगले अधिवेशन में।

अध्यक्ष महोदय : इससे किसी को भी कष्ट नहीं होगा। यह केवल हवाई अड्डों के विकास के लिए है।

श्री अमल दत्त : महोदय, जल्दी क्या है ? (व्यवधान)

श्री रेणुपद दास : इसे राज्य सभा में पारित किया जाना है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस से हवाई अड्डों के विकास में प्रगति होगी।

श्री रेणुपद दास : इसे राज्य सभा में आज पारित नहीं किया जा सकता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों इसका विरोध कर रहे हैं ?

श्री रेणुपद दास : यह राज्य सभा में आज पारित नहीं होगा। इसे यह आज पारित करने की क्या आवश्यकता है ?

श्री अमल दत्त : महोदय, इसे अगले अधिवेशन में उठाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अधीन मामले। श्री सी० पी० ठाकुर।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छी बात है।

श्री रेणुपद दास : यह क्या है, जी ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : गरम मत हो।

[अनुवाद]

श्री रेणुपद दास : कृपया स्पष्ट कीजिए कि यह क्या है ? इसके लिए कौन सी अत्यावश्यकता है।

श्री अमल दत्त : इस मामले में कोई जल्दी नहीं है। (व्यवधान)

श्री रेणुपद दास : क्या आप किसी विधेयक के इस प्रकार उठाये जाने की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, हम किसी भी विधेयक की अनुमति नहीं देंगे।

श्री रेणुपद दास : यह केवल लोकपाल विधेयक के लिए रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए है।

अध्यक्ष महोदय : गुस्सा मत कीजिए। हम कुछ कर रहे हैं।

(व्यवधान)

———

11. 25 म० पू०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) लोगों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए पटना में एक इलैक्ट्रानिक उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता

श्री सी० पी० ठाकुर (पटना) : औद्योगिक दृष्टि से बिहार एक पिछड़ा क्षेत्र है। यद्यपि पटना बिहार की राजधानी है फिर भी वहां पर नाम के लिए भीं कोई बड़ा उद्योग नहीं है। केंद्रीय सरकार का पटना में एक इलैक्ट्रानिक उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है। मेरा निवेदन है कि सरकार को पटना में उद्योग स्थापित करने के बारे में शीघ्र निर्णय लेना चाहिए जिससे उस क्षेत्र में व्याप्त भयंकर बेरोजगारी की समस्या को हल करने में और अन्य सहायक उद्योगों के विकास में इलैक्ट्रानिक में मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

(दो) मिर्जापुर जिले में वनों की कटाई के कारण उत्पन्न हुए प्रदूषण को रोकने के लिए निवारक कदम उठाने की आवश्यकता

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : अध्यक्ष महोदय, मिर्जापुर जनपद में विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी कारखानों के आ जाने एवं परिणामस्वरूप वनों के कटान के कारण तेजी से प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। यदि समय रहते पर्यावरण को शुद्ध करने की कार्यवाही नहीं की गई तो बड़ी गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी और परिणामस्वरूप जन-जीवन दूभर हो जाएगा।

अतः सरकार से पर्यावरण बनाये रखने के लिए अविलम्ब उपाय की मांग करता हूं।

[अनुवाद]

(तीन) घाटकेसर स्थित एक बहुराष्ट्रिक कंपनी मैसर्स ब्रुक बांड इण्डिया लिमिटेड के कर्मचारियों के मामले में हस्तक्षेप करने और मजूरी बोर्ड के उपबंध लागू करके उन्हें शोषण से बचाने की आवश्यकता

डा० जी० विजय रामा राव (सिद्दपेट) : महोदय, मैं श्रम मन्त्री का ध्यान एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी मैसर्स ब्रुक बांड इण्डिया लिमिटेड द्वारा, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है तथा दस शाखाएं देश के विभिन्न भागों में हैं, किये जा रहे अपने श्रमिकों के शोषण की तरफ दिलाना चाहता हूं। इस बहुराष्ट्रीय कम्पनी में कुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन केवल 800 रुपये प्रतिमाह है जबकि अन्य उद्योगों में यह 1200 रुपये प्रतिमाह है।

घाटकेसर, हैदराबाद स्थित ब्रुक बांड फैक्टरी के श्रमिकों का मांग-पत्र साढ़े तीन वर्ष पुराना है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए श्रमिक हड़ताल करने पर मजबूर हैं। अतः मैं सरकार से

घाटकेसर स्थित इस बहुराष्ट्रीय कम्पनी के कर्मचारियों के मामले में हस्तक्षेप करके और मजूरी बोर्ड के उपबन्धों को लागू करके उन्हें शोषण से बचाने का अनुरोध करता हूं।

(चार) जम्मू तथा कश्मीर स्थित रामनगर और चेनानी तहसीलों को देश के अन्य भागों के साथ मिलाने वाली सड़क का निर्माण करने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल डोगरा (ऊधमपुर) : महोदय, जम्मू-कश्मीर राज्य में रामनगर और चेनानी तहसीलें बहुत पिछड़ी हुई तथा पहाड़ी हैं। इन तहसीलों के अन्दरूनी भाग अभी भी दुर्गम हैं। इस क्षेत्र को सुगम बनाने के लिए मजोल्टा से चेनानी तक बरास्ता रामनगर, दुदुबसंतगढ़, लाटी और मनतलाई सड़क का निर्माण करना जरूरी है। राज्य सरकार के पास इस सड़क को बनाने के साधन नहीं हैं। देश के सभी वर्गों के लोगों में एकता, समन्वय तथा समान प्रगति के हित में केन्द्रीय सरकार को इस सड़क का निर्माण अवश्य कराना चाहिए।

(पांच) लद्दाख क्षेत्र में कारगिल तक वायुदूत सेवा तुरन्त आरम्भ करने की आवश्यकता

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : महोदय, पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय ने श्रीनगर, जम्मू, पुंछ, राजौरी तथा किश्तवार इत्यादि को वायुदूत सेवा से जोड़ने का निर्णय लिया है। लद्दाख क्षेत्र में, कारगिल को भी इस सेवा के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है। अब जैसे कि नवम्बर माह में श्रीनगर—कारगिल मार्ग बन्द होने वाला है, यह महत्वपूर्ण है कि सर्दी शुरू होने से पहले अभी से ही कारगिल के लिए वायुदूत सेवा शुरू करने संबंधी आवश्यक कदम उठाये जाएं।

[हिन्दी]

(छः) पूर्वी चम्पारन जिले में मोतीहारी में महात्मा गांधी के नाम पर एक विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता

श्रीमती प्रभावती गुप्ता (मोतीहारी) : अध्यक्ष महोदय, बिहार के दोनों चम्पारन जिले जो स्वतन्त्रता सेनानियों के गढ़ हैं, यहां के निवासियों ने भारत की स्वतन्त्रता के लिए बहुत योगदान दिया। अभी तक कोई भी महत्वपूर्ण शिक्षा अथवा कोई दूसरा महत्वपूर्ण उल्लेखनीय कार्य नहीं है। सरकार को चाहिए कि इन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य करे और स्वतन्त्रता के महान नेता और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना पू० चम्पारन जिले मुख्यालय मोतीहारी में करे।

[अनुवाद)

(सात) केरल में मानसून के दौरान बार-बार होने वाला नुकसान और छोटी तथा बड़ी नदियों के तलों में जमी गाद को साफ करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

श्री आई० रामा राय (कासरगोड) : महोदय, केरल में वर्षा ऋतु में प्रतिवर्ष होने वाली

क्षति को रोकने के लिए स्थाई उपाय करने होंगे। ऐसा केरल के कई नदी-नालों में पहले से ही जमी गाद को निकाल कर किया जा सकता है। इस गाद का प्रयोग नदी के समीप की दलदल भूमि को पाटने के लिए किया जा सकता है। बांध बनाकर इन सुधारी गयी जमीनों को नारियल के सुन्दर उद्यानों में बदला जा सकता है। बहुत मात्रा में नदी-नालों के तलों में गाद जमने से उनके तल ऊंचे हो गए हैं जिससे वर्षा के पानी की निकासी कम होने के कारण बार-बार बाढ़ आ जाती है। पश्चिमी घाटों तथा मैदानी क्षेत्रों में तेजी से वनों का सफाया किए जाने से भूमि कटाव और भू-स्खलन होता है। सरकार को इन प्राकृतिक विपदाओं से केरल को छुटकारा दिलाने के लिए एक दूरगामी योजना बनानी होगी। आवास योजना को क्रियान्वित करते समय बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर आवासीय स्थलों का चयन सावधानी से करना होगा।

(आठ) दिल्ली में जूनियर नवयुग स्कूलों को सीनियर स्तर तक उन्नत करने की आवश्यकता

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : महोदय, दिल्ली में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से सरकार ने नवयुग स्कूल खोले हैं। इस समय दिल्ली में चार जूनियर नवयुग स्कूल तथा केवल एक सीनियर नवयुग स्कूल है।

परन्तु नवयुग स्कूलों की प्राथमिक शाखाओं से पांचवीं कक्षा पास करने वाले बच्चों को आगे अपनी शिक्षा उसी पद्धति पर जारी रखने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सरोजनी नगर में केवल एक सीनियर नवयुग स्कूल है और वहां पर छठी कक्षा में स्थानों की संख्या सीमित है। दूसरे, जूनियर नवयुग स्कूलों के बच्चों को छठी कक्षा में प्रवेश के लिए अन्य बच्चों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है क्योंकि स्वतः प्रवेश केवल 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों तक सीमित है।

इसे दृष्टि में रखते हुए सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह जुनियर नवयुग स्कूलों को सीनियर स्तर में परिवर्तित करे ताकि जूनियर शाखाओं से पांचवीं कक्षा पास करने वाले बच्चों को सीनियर शाखा में सीधा दाखिला मिल सके और बेहतर किस्म की शिक्षा प्राप्त करते रहें।

(नौ) बम्बई में रेल विभाग की भूमि पर बने हुए अस्थायी मकानों को तोड़ने की योजना को समाप्त करने की आवश्यकता

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : महोदय, बम्बई में रेलवे भूमि पर झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले अनेक निवासियों को बड़े पैमाने पर अपनी झुग्गी-झोंपड़ियों को गिराये जाने के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे विभाग के अधिकारीगण स्थलों का दौरा कर रहे हैं तथा कालोनियों का सर्वेक्षण कर रहे है। ये झुग्गी-झोंपड़ी निवासी बहुत ही लम्बे समय से अपने परिवारों सहित इन रेलवे की भूमियों पर बसे हुए हैं जहां किसी रेलवे परियोजना के लिए अथवा वर्तमान रेलवे लाइनों को चौड़ा करने के लिऐ भूमि की आवश्यकता नहीं है, वहां पर इस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में इन झुग्गियों को गिराना अमानवीय होगा। मैं रेल मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि वे इस मामले पर पुनर्विचार करें तथा बम्बई में जहां पर किसी रेलवे परियोजना के लिए तुरंत भूमि

की आवश्यकता नहीं है वहां पर इन झुग्गी-झोपड़ी कालोनियों को गिराने की योजना को त्याग दे।

(दस) तालचेर और 'इब' घाटी में सुपर ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने और निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का कार्य पूरा करने के लिए सातवीं योजना में पर्याप्त धनराशि आबंटित करने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : महोदय, यह अनुमान लगाया गया है कि उड़ीसा में 6000-7000 मेगावाट बिजली, पन-बिजली स्रोतों से 8000-10000 मेगावाट तापीय बिजली इसके बड़े-बड़े कोयला भण्डारों से तथा लगभग 1000 मेगावाट परमाणु विद्युत तालचेर स्थिर भारी पानी संयंत्र से और गोपालपुर स्थित के ऐयर अर्थ से प्राप्त कच्चे माल से पैदा की जा सकती है। फिर भी, देश में उड़ीसा ही एक ऐसा राज्य है जहां गत 10 वर्षों में, अर्थात 1975 से 1985 तक एक भी मेगावाट जलविद्युत की वृद्धि नहीं की गई है तथा एक भी नयी विद्युत परियोजना छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू नहीं की गई जबकि राज्य में बिजली की मांग 298 मेगावाट से बढ़कर 1000 मेगावाट हो गई है जो लगभग 340 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बराबर है। इस प्रकार उड़ीसा में विद्युत संकट बहुत ही गम्भीर हो गया है।

इसके अतिरिक्त, अपर्याप्त धनराशि के कारण उड़ीसा की उन चालू विद्युत परियोजनाओं को जिन्हें चौथी तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं में शुरू किया गया था, छठी पंचवर्षीय योजना में भी पूरा नहीं किया जा सका और उनमें से एक को सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी पूरा नहीं किया जा सकेगा।

सातवीं योजना में उड़ीसा के लिए नई विद्युत परियोजनाओं के लिए मात्र 21 करोड़ रुपये की बहुत ही कम धनराशि आबंटित की गई है, इससे उड़ीसा में बिजली संकट और गम्भीर हो जाएगा और नई सदी के आरम्भ तक उड़ीसा में विद्युत का अकाल सा पड़ जाएगा जिससे उड़ीसा की आर्थिक दशा बहुत खराब हो जाएगी।

इस बढ़ते हुए गम्भीर विद्युत संकट को ध्यान में रखते हुए, मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि तालचेर और इब घाटी में सातवीं योजना में सुपर थर्मल प्लांट स्थापित करने का कार्य शुरू करे तथा रेंगाली प्रथम चरण, अपर कोलाब, हीराकुण्ड तृतीय चरण और इन्द्रावती जैसी चालू विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सातवीं योजना में पर्याप्त धनराशि आबंटित करे ताकि प्रस्तावित दो सुपर थर्मल पावर परियोजनाओं को सातवीं योजना के अन्त तक पूरा करने से पूर्व कम से कम 900 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पन्न की जा सके।

[हिन्दी]

(ग्यारह) विन्ध्य क्षेत्र में सूखे से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को सहायता देने तथा केन्द्रीय सहायता से विन्ध्य विकास करने की आवश्यकता

श्री अजीज कुरैशी (सतना) : सतना (म० प्र०) लोकसभा क्षेत्र की आठों विधान सभा

क्षेत्रों तथा पूरे विन्ध्य क्षेत्र में भयंकर सूखे के कारण हजारों मवेशी मर गए हैं और लोगों में बेरोजगारी फैल गई है। फसलों की खराबी की वजह से और पानी की कमी की वजह से खेती की जमीनें भी खराब हो गई हैं और बहुत जगहों पर बोनी तक नहीं हो पाई है। यहां तक कि सतना शहर में पीने के पानी का भयंकर संकट और समस्या के कारण नगरपालिका क्षेत्रों में भी लोगों को अभूतपूर्व कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। सतना में बिरला और दूसरे बड़े उद्योगपतियों द्वारा स्थानीय व्यक्तियों को नौकरी न देने की नीति और बाहर से लाकर लोगों को रोजगार देने की नीति की वजह से वहां भयंकर बेरोजगारी है और जनता के एक बड़े वर्ग को रोजी-रोटी तक नहीं मिल पा रही है। केन्द्र सरकार मध्यप्रदेश सरकार को कृपया निर्देश दे कि वह सतना लोकसभा क्षेत्र एवं पूरे विंध्य क्षेत्र में युद्ध स्तर पर राहत कार्य खोले और लोगों को रोजगार फराहम करे। साथ ही जिन लोगों की फसलें खराब हुई हैं और मवेशी मरे हैं उनकी उपयुक्त जांच करा कर उन्हें इसका पूरा-पूरा मुआवजा भी दें। नगरपालिका क्षेत्रों में पीने के पानी का पूरा-पूरा इन्तजाम कराएं।

म० प्र० का विन्ध्य क्षेत्र जिसे पूर्व में विन्ध्य प्रदेश कहा जाता था, प्राकृतिक साधनों से मालामाल एक ऐसा पिछड़ा हुआ क्षेत्र और गरीब क्षेत्र है जहां सदियों से वहां की गरीब और निर्धन जनता, हरिजन, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्गों का शोषण होता आया है। विन्ध्य क्षेत्र के विकास पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। वहां सिंचाई के बांधों और विद्युत निर्माण करने की बड़ी क्षमता है। सड़कों के निर्माण में भी यह क्षेत्र बहुत पीछे है। चित्रकूट और महियर जैसे धार्मिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थानों के क्षेत्र का भी पर्यटन की दृष्टि से कोई विशेष विकास नहीं किया गया है।

इसलिए आवश्यकता है कि केन्द्र सरकार मध्यप्रदेश सरकार को निर्देश दे कि इस क्षेत्र के विकास के लिए एक विन्ध्य डेवलपमेंट एजेंसी" की स्थापना की जाए। विन्ध्य क्षेत्र के समस्त सांसद और विधायक इस एजेंसी के मेम्बर हों। इस काम के लिए मध्य प्रदेश सरकार को विशेष वित्तीय सहायता भी दी जाए।

[अनुवाद]

(बारह) पूरे देश के लिए एक समान व्यवहार संहिता बनाने की आवश्यकता

श्री पी० कुलन्दईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, हाल के उच्चतम न्यायालय के निर्णय में, आपराधिक दंड संहिता की धारा 125 की व्याख्या करते समय यह कहा गया है कि इस कानून के अन्तर्गत मुस्लिम महिला तलाक के बाद भी अपने पति से भरण-पोषण भत्ता लेने की हकदार है। उच्चतम न्यायालय ने इच्छा व्यक्त की है कि संविधान के अनुच्छेद 44 के अन्तर्गत जो समान व्यवहार संहिता बनाने का विचार था सरकार ने काफी विलंब कर दिया है। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह समान व्यवहार संहिता तुरंत बनाए जो इस महान देश में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच एकता लाएगी। किसी समुदाय विशेष के डर या समर्थन के बिना समान व्यवहार संहिता को तुरंत बनायी जानी चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, श्री बनातवाला इसके विरोध में पहले ही चले गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह वक्तव्य देने से पहले ही बाहर चले गए है ?

(तेरह) उड़ीसा के पिल्लाहारा क्षेत्र में समाकोई सिंचाई परियोजना को स्वीकृति देने और उसे सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने की आवश्यकता

श्री बल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, उड़ीसा के पिल्लहारा क्षेत्र में ब्रह्माणी नदी की सहायक नदी समाकोई नदी पर समाकोई सिंचाई परियोजना को एक जलाशय परियोजना के रूप में बनाने की योजना है। क्योंझर जिले के मलयागिरी वन श्रृंखला में से नदी निकलती है और दक्षिण में बहती हुई ब्रह्माणी नदी में मिलती है जो लगभग रेंगाली बहुदेशीय परियोजना से 32 कि०मी० नीचे है। यह परियोजना स्थल तालचेर और पिल्लहारा को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग संख्या 23 के समीप स्थित पिल्लहारा उपमंडल में खमार से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर बोधर नामक स्थान पर स्थित है।

इस योजना में दो निकटवर्ती पहाड़ियों को जोड़कर समाकोई नदी पर पत्थर का एक बांध बनाने का प्रस्ताव है। जलाशय की रूपरेखा इस प्रकार की है एक अपेक्षित स्तर तक पानी को सुरक्षित करने के लिए मिट्टी का बांध बनाना उचित नहीं होगा। इस परियोजना से जलमग्न होने की कोई गम्भीर समस्या पैदा नहीं होगी और यह धेनकेनाल जिले के सूखाग्रस्त पिल्लहारा, तालचेर और कनाक्षनगर उपमण्डलों की लगभग 60,000 एकड़ भूमि की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी यह भी प्रस्ताव है कि कुछ जलमग्न गांवों के लोगों का परियोजना द्वारा सिंचित क्षेत्रों में पुनंवास किया जाएगा। रेंगाली जलाशय से विस्थापित परिवारों को, जो पहले ही समाकोई परियोजना के प्रस्तावित क्षेत्र में बसे हुए हैं, परियोजना से पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

पत्थर के बांध के निर्माण की लागत, नहर प्रणाली की लागत और जलाशय क्षेत्र के परिवारों के पुर्नवास की लागत सहित इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 43.179 करोड़ है।

तकनीकी और आर्थिक दोनों दृष्टियों से परियोजना ठोस होने के कारण भारत सरकार के केन्द्रीय जल आयोग तथा तकनीकी सलाहकार समिति ने उसे पहले ही स्वीकृति दे दी है। योजना आयोग की अनुमति मिलने की आशा में, राज्य सरकार ने इस पिछड़े और सूखे से प्रभावित क्षेत्र में जहांजनजातियों के लोगों की आबादी बहुत अधिक है अब तक परियोजना के लिए मूलभूत सुविधाएं जुटाने हेतु 1·5 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। अतः इस बारे में योजना आयोग द्वारा इस परियोजना को स्वीकृति देने और इसकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर उसे क्रियान्वित करने के लिए इसे सातवीं योजना में शामिल करने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

(चौदह) दिल्ली में बिजली की सप्लाई में कमी तथा उसकी सप्लाई के बन्द हो जाने के बारे में बढ़ती हुई शिकायतें और उनके सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता

श्री भरतसिंह (बाह्य दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, में नियम 377 के अन्तर्गत आपका ध्यान निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं।

बदरपुर में बिजली की कैपेसिटी 720 मेगावाट है लेकिन वहां केवल 350 मेगावाट बनती है।

इन्द्रप्रस्थ पावर स्टेशन, जो कार्पोरेशन के अन्दर आता है, उसमें 238 मेगावाट ही बिजली बनती है। कुल मिलाकर दोनों थर्मल पावर स्टेशनों में 588 मेगावाट बिजली बनती है, जबकि आज दिल्ली में बिजली की खपत प्रतिदिन 850 मेगावाट है। बाकी बिजली हम बाहर से लाकर सप्लाई करते हैं। सरकार को चाहिए कि बिजली का बड़े से बड़ा थर्मल पावर स्टेशन दिल्ली में लगाए जिससे 850 की बजाए, बढ़ती हुई आवादी को देखते हुए, 1500 मेगावाट बिजली बनाने का प्रबंध हो सके। ताकि दिल्ली के देहाती इलातों में, पुर्नवास कालोनियों में, बिजली की कमी रहती है और कम्पलेंट लिखाने जाते हैं तो कह दिया जाता है कि हमारा ट्रांसफार्मर छोटा था, ज्यादा लोड आने से जल गया है, केबल में फाल्ट आ गया है इसलिए इसको ठीक करने में दो-तीन दिन लग जाएंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो आपके कम्पलेंट आफिसेस हैं उनमें बड़े ट्रांसफार्मर्स, केबल तार और बिजली का सारा जमाव स्टाक में मौजूद होना चाहिए।

अप्रैल और मई, 1685 में रबी की फसल के टाइम पर लाइट बिल्कुल नहीं गई, हर वक्त किसानों को लाइट मिलती रहीं और हर वक्त लाइट मिलते रहने के कारण उन्होंने अपना अनाज बारिश से पहले खलिहानों से उठाकर बाजारों में बेच दिया या अपने घरों में ले आये। इसके लिए मैं मंत्री जी का और डेसू के स्टाफ का धन्यवाद करता हूं।

परन्तु अब सारे देहात में और पुर्नवास कालोनियों में स्ट्रीट लाइट और घरों की लाइट बहुत कम रहती है जिससे कि छोटी-छोटी फैक्टरी वालों को बहुत नुकसान होता है। इसलिए मन्त्री जी से अनुरोध है कि जब कम्पलेंट की जाती है तो उसके एक घण्टे के अन्दर-अन्दर सारा फाल्ट ठीक होना चाहिए और मैकेनिकों को वहां पहुंचकर लाइट शुरू करनी चाहिए। सातवी पंचवर्षीय योजना में इतना बड़ा थर्मल पावर स्टेशन लगाया जाए जिससे सारी दिल्ली को ठीक तरह से बिजली मिलती रहे।

———

11.40 म० पू०

राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण विधेयक के सम्बन्ध में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अमल दत्त जी आपने विधेयक के बारे में जो विचार अभी व्यक्त किए हैं, उन पर मैंने विचार किया है। यह एक अच्छा विधेयक है। इस विधेयक में विवादास्पद कुछ नहीं है फिर भी राज्य सभा द्वारा इसे इस सत्र में पारित नहीं किया जा सकता है। अत: इसमें कोई जल्दी नहीं है हम इसे अगले सत्र में लेंगे।

श्री एम० एस० भट्टम (विशाखापत्तनम) : कृपया मुझे नियम 377 के अन्तर्गत वक्तव्य देने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास बहुत से विषय हैं। ये लगभग 80 हैं। वास्तव में मेरे लिए समंजन करना संभव नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, आपने क्या घोषणा की है ? क्या आपने इसे चयन समिति को सौंपा है ?

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : सर मैं भी अपने विषय को सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगले सत्र की प्रतीक्षा कीजिए। यह बहुत जल्दी आ रहा है।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : उस वक्त तक कोई भरोसा नहीं······

अध्यक्ष महोदय : क्या बात करते हो, जवान आदमी हो आप······

11.42 म० पू०

संयुक्त राष्ट्र संघ की 40वीं वर्षगांठ के बारे में संकल्प

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जैसाकि माननीय सदस्यों को विदित है कि संयुक्त राष्ट्र संघ इस वर्ष 24 अक्तूबर को 40 वर्ष पूरे करने जा रहा है। दूसरे विश्वयुद्ध की तबाही के बाद युद्ध के दानव से

मानवजाति के भविष्य की पीढ़ी को बचाने की आशा में इसे स्थापित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस बीच कोई भी बड़ा संघर्ष न होने देने में सफलता प्राप्त की है। इसकी एक सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि विश्व में द्वेष और कटुता, हिंसा और विरोध के होते हुए भी यह अभी तक बना हुआ है। जहां इसकी उपलब्धियों के बारे में विवाद हो सकते हैं जो मानवजाति की आशा के लिए इसके घोषणा पत्र में बताए गए है, वहां इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह संगठन मानवजाति के लिए शांति, प्रगति और समृद्धि लाने की एक मात्र आशा है जबकि विश्व परमाणु विस्फोट के इतना अधिक निकट है। इस प्रकार की स्थिति में हमें संयुक्त राष्ट्र के प्रति अपनी आस्था को पुन: पुष्ट करना होगा और इसे इतना सबल बनाना होगा कि वह इसके संस्थापकों की आशाओं के अनुरूप बन सके। लोकसभा का यह सत्र आज समाप्त हो रहा है और हम 24 अक्तूबर को सत्र में नहीं होंगे जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी 40वीं वर्षगांठ मना रहा होगा। अत: यह उचित होगा कि हम पुन: संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों और उद्देश्यों के पालन की शपथ लें और अपने आपको विश्वशांति के काम में लगाए। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की 40वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में मैं आशा करता हूं कि सदन के सभी वर्ग निम्नलिखित प्रस्ताव को जो मैं पेश कर रहा हूं। सर्वसम्मति से समर्थन करेंगे :

"यह सभा द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप, आगामी पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए, विश्व की समस्याओं का समाधान करने तथा सहयोग पूर्ण कार्य के द्वारा मानवता के कल्याण हेतु एक मंच के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने के लिए विश्व के राष्ट्रों के निश्चय को याद करते हुए।

तृतीय विश्व युद्ध की विभीषिका को टालने में गत चार दशकों में इस विश्व संगठन द्वारा दिये गए अद्वितीय योगदान की सराहना करते हुए;

इस तथ्य को भी अनुभव करते हुए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों के बावजूद, विश्व में गम्भीर सशस्त्र संघर्ष हो रहे हैं, जिनसे क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध असमानता दूसरे, पर प्रभुत्व जमाने और शोषण करने के कृत्यों से लगातार प्रभावित होते रहे हैं;

इस बात की गम्भीरता पूर्वक चिंता करते हुए कि शस्त्रास्त्रों की बढ़ती हुई होड़, विशेषकर परमाणु हथियारों की ओर अन्तरिक्ष में इनके प्रसार से परमाणु विभीषिका के माध्यम से समस्त मानव जाति के सम्पूर्ण विनाश का खतरा बना हुआ है तथा विशाल संसाधनों का विकास कार्यों के लिए उपयोग किये जाने के बजाय उनका व्यर्थ विनाश किया जा रहा है;

यह विचार करते हुए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की चालीसवीं वर्षगांठ से विश्व की सरकारों और जातियों को चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के प्रति अपने आप को पुन:समर्पित करने का और समानता तथा न्याय के आधार पर सभी देशों के लोगों के लिए विश्व शान्ति, स्वतन्त्रता और प्रगति के नये युग का सूत्रपात करने की अपनी प्रतिज्ञा से प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का एक महत्वपूर्ण अवसर मिलता है।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि, विशेष कर समुद्र-विधि समझौता तथा अन्तरिक्ष सन्धि, के विकास और संहिताकरण में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए ;

(1) "बेहतर विश्व निर्माण हेतु संयुक्त राष्ट्रसंघ" के सिद्धांत को बढ़ावा देने में समुचित ढंग से चालीसवीं वर्षगांठ को मनाने के संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा के निर्णय का स्वागत करती है।

(2) इस बात पर बल देती है कि इस परमाणु युग में मानवता की रक्षा केवल सामान्य और सम्पूर्ण निरस्त्रीकरण, विशेषकर प्रभावी अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण के अधीन परमाणु निरस्त्रीकरण के द्वारा ही सुनिश्चित की जा सकती है, और मानव के आधारभूत सम्मान के लिए आदर की भावना और मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र के अनुरूप मानव अधिकारों तथा मूल स्वतंत्रताओं की रक्षा करना अनिवार्य है।

(3) उपनिवेशवादी तथा गैर-स्वशासी क्षेत्रों को आत्म-निर्णय तथा स्वतंत्रता प्रदान करने की प्रक्रिया को तेज करने में, और इस विश्व सगठन के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने में जिससे कि यह संगठन सार्वभौमिकता के लक्ष्य के समीप शीघ्र पहुंच सके, संयुक्त राष्ट्रसंघ की भूमिका की प्रशंसा करती है।

(4) उपनिवेशवादी प्रभुत्व के अधीनस्थ जातियों और क्षेत्रों, विशेषकर नामीबिया और फिलस्तीन के लोगों को आत्म-निर्णय, स्वतन्त्रता और स्वाधीनता से निरन्तर वंचित रखे जाने पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है।

(5) हिन्द महासागर क्षेत्र में महाशक्तियों की सैनिक उपस्थिति से उत्पन्न बढ़ते हुए खतरे पर, जिसका तटवर्ती तथा तटदूर के देशों में शान्ति, सुरक्षा एवं सहयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, गम्भीर चिन्ता व्यक्त करती है।

(6) संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन करके तथा सभ्य आचरण के सभी मानदंडों के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका की जातिवादी सरकार द्वारा अपनाई जा रही रंगभेद की नीति तथा विश्व के विभिन्न भागों में किये जा रहे सभी प्रकार के दमन और जातीय आतंकवाद का घोर विरोध करती है।

(7) अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों को नया रूप देने का आह्वान करती है, ताकि वह सभी देशों, विशेषकर विकासशील देशों की आवश्यकताओं को और अधिक अच्छे ढंग से समझ कर पूरा कर सके तथा राष्ट्रों की पारस्परिक निर्भरता को मान्यता देकर अधिक सार्थक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए और समानता के आधार पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी लाभों का उपयोग करने में सर्वजन के हित को बढ़ावा देते हुए योगदान कर सके।

(8) सभी प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों और लोगों तथा जातियों की सुरक्षा पर उनके घातक प्रभाव, विशेषकर निर्दोष मानव जीवन के विनाश, की भर्त्सना

करती है और सभी राज्यों का आह्वान करती है कि वे ऐसे कृत्यों का शीघ्र और मूल विनाश करने के लिए अविलम्ब और प्रभावी उपाय करें।

(9) संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरणों की, मानव के कष्टों को कम करने, रोगों, कुपोषण, भूख और दरिद्रता को दूर करने और राष्ट्रों के बीच व्यापक आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक समझौते और सहयोग को प्रोत्साहन देने में, सराहनीय उपलब्धियों की भूरि-भूरि प्रशंसा करती है।

(10) संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के सिद्धांतों और प्रयोजनों की प्राप्ति और सम्पूर्ण मानव-जाति की शान्ति और प्रगति के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसके विभिन्न अभिकरणों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता की पुष्टि करती है।"

क्या मैं इससे यह समझूं कि संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ?

माननीय सदस्यगण : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : संकल्प का सार संयुक्त राष्ट्र संघ को भेजा जाना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (बसीरहाट) : सार क्यों हमें इसे पूरा भेजना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जी हां मैं समझता हूं कि हमें इसको पूरा भेजना चाहिए। यदि वे चाहें तो अपने आप इसे इसका सार बना लें।

11.51 म० पू०

कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

इस्पात खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

विधेयक को विचारार्थ पेश करते हुए, मैं सभा को बताना चाहता हूं कि यह अपेक्षाकृत एक अहानिकर विधेयक है। इसका आशय अधिनियम के अन्तर्गत नियमों में उपबन्धों को शामिल करना मात्र है। कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 को कोयले के संरक्षण और कोयला खानों के विकास और इनसे संबंधित और आनुषंगिक मामलों के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम ने कोयला खान ने (संरक्षण और बचाव) अधिनियम, 1952 का स्थान लिया। अन्य

बातों के अलावा अधिनियम की धारा 6 में यह उपबंध है कि सभी प्रकार के कोयले और कोक के उत्पादन और उसे भिजवाने पर और भारत में सभी कोयला खानों से सारे कोयले और कोक के उत्पादन और उसे भिजवाने पर दस रुपये प्रति टन से अनधिक उत्पाद-शुल्क लगाया और वसूल किया जाएगा, जोकि केन्द्र सरकार समय-समय पर निश्चित करेगी।

11.52 म० पू०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

वर्तमान लेवी 9 फरवरी, 1983 से गैर-कोकिंग कोयले पर 3.50 रु० प्रति टन की दर से और कोकिंग कोयले पर 4.25 रु० प्रति टन की दर से वसूल की जा रही है। उस दिन से सभी प्रकार के कोयले पर उत्पाद शुल्क में 1.85 रु० प्रति टन की दर से वृद्धि की गई थी ताकि सड़कों के विकास के लिए धनराशि जुटाई जा सके। शुल्क से प्राप्त राशि का उपयोग संरक्षण उपायों और बचाव कार्यों के लिए तथा रेल व समुद्री रास्ते से कोयले भेजने के लिए राजसहायता देने आदि के लिए किया जाता है। इस आय के भाग का उपयोग धनबाद जिले के कोयला क्षेत्रों में सड़कों के विकास पर खर्च करने का विचार है।

इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पिछले वर्ष वसूल किया गया शुल्क और पिछली खर्च न की गई राशि एक वर्ष विशेष में अदा की जा सकती है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान की गई वसूली और खर्च की गई राशि का ब्योरा इस प्रकार है :—

कुल वसूली	: 20,833 लाख रुपए
संरक्षण के लिए खर्च की गई राजसहायता	: 12,969 लाख रुपए
रेलवे समुद्री रास्ते से कोयले के परिवहन के लिए दी गई सहायता	: 2,787 लाख रुपए

जैसा कि मैंने पहले कहा है, यह विधेयक मात्र एक औपचारिकता है। परन्तु इससे सभा को कोयले उद्योग के विकास, वैज्ञानिक खनन, कोयले के संरक्षण इसके उपयोग विशेषकर बिजली के उत्पादन और उपभोक्ताओं के सन्तोष, और देश में कोयले की समस्त अर्थ-व्यवस्था तथा श्रमिकों के कल्याण, और उनके लिए जुटाई गई सुविधाओं आदि के दृष्टिकोण से देश के कोयला उद्योग पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा।

मुझे आशा है कि सभा इस अवसर का लाभ उठाएगी और माननीय सदस्य सम्पूर्ण कोयला उद्योग के ढांचे के प्रति अपने महत्वपूर्ण सुझाव देंगे और सरकार इनसे लाभ उठाएगी।

इन शब्दों के साथ, मैं पुन: विधेयक पर चर्चा का प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"कि कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : जैसाकि माननीय मंत्री ने कहा है, इस संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य प्रशासन खर्च या खानों के मालिकों के लाभ के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य उपायों के लिए धनराशि जुटाना है। छठी लोक सभा की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की सिफारिशों के तहत, सरकार द्वारा यह संशोधन लाया गया है और हम इसका स्वागत करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन यही पर्याप्त नहीं है। लेकिन कोयला उद्योग को पेश आ रही विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए एक व्यापक विधान लाना पड़ेगा।

कोयला खानों का 1973 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन जिन उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीयकरण किया गया था, उनमें से कई उद्देश्यों को अभी प्राप्त करना बाकी है। अभी भी बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी हो रही है। कोयला क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर शक्तिशाली माफिया गिरोह सक्रिय हैं और कई दफा तो उन्हें राजनीतिज्ञों का सहयोग और आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और कोयला उद्योग में कार्य कर रहे लोगों से उनके घनिष्ठ सम्बन्ध होते हैं। इसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर अवैध रूप से कोयला निकाला जा रहा है और लगभग 300 करोड़ रुपए के कोयले की या तो चोरी हो जाती है या इसका अवैध खनन किया जाता है। देश को यह भारी हानि है। अत: सरकार को इस प्रकार हो रही कोयले की चोरी और गैर-कानूनी ढंग से कोयले के खनन को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। यह अत्यावश्यक है, क्योंकि देश में कोयले की काफी कमी है। वास्तव में कोयले की समय पर पर्याप्त सप्लाई न होने की वजह से देश के कई ताप विद्युत संयन्त्र पूरी तरह या आंशिक रूप से बन्द पड़े हैं। और कई दफा घटिया किस्म के कोयले के कारण बिजली पैदा करने में कठिनाई सामने आती है। इसके फलस्वरूप थर्मल संयंत्रों को कई दफा काम रोक या बन्द कर देना पड़ता है। इन सबके फलस्वरूप कई उद्योग बन्द हैं और मूल्यवान उत्पादन नहीं हो पा रहा और हजारों श्रमिकों को बेरोजगार होना पड़ रहा है।

महोदय, उत्पादन लक्ष्यों को अभी प्राप्त करना बाकी है, जबकि वितरण प्रणाली असन्तोष-जनक है। कोयला उद्योग का आरोप है कि रेलवे पर्याप्त संख्या में वेगन या खानों से उपभोक्ता तक कोयला सप्लाई करने के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रहा। जबकि रेल मंत्री कहते हैं कि, "नहीं, हम गलती पर नहीं हैं। हम पर्याप्त संख्या में वैगन और रेक सप्लाई कर रहे हैं। अत: गलती हमारी नहीं है, किसी दूसरे की होगी।" लेकिन आखिरकार, यह एक सत्य है कि भारी मेहनत और काफी लागत से खनन किया गया कोयला सही समय पर उपभोक्ता को उप-लब्ध नहीं होता। अत: रेल मन्त्रालय और कोयला मन्त्रालय में सही समन्वय होना चाहिए।

यह आश्चर्य की बात है कि एक ओर जहां देश में कोयले की भारी कमी है, वहीं दूसरी ओर 30 मिलियन टन कोयला खानों के मुहानों पर जमा है। पिछले वर्ष यह मात्रा 22 मिलियन टन थी, जबकि इस वर्ष यह 30 मिलियन टन है, जिसका मूल्य करीब 500 करोड़ रुपए है।

12.00 मध्याह्न

सरकार को खानों के मुहानों पर जमा इस कोयले की मात्रा को कम करने के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोयला ताप विद्युत संयन्त्रों, तथा अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं और देश के किसानों तक पहुंचे।

कोयला संरक्षण की बहुत बड़ी आवश्यकता है क्योंकि ऊर्जा के इस स्रोत की पुन: पूर्ति नहीं हो सकती। दुर्भाग्यवश हमें ऐसे समाचार मिलते रहते हैं कि कोयला खानों के पास महीनों तक कोयला जलाया जाता है। इस प्रकार करोड़ों रुपए का मूल्यवान कोयला बिना वजह जलाया जा रहा है। अत: कोयले को जलने से रोकने के लिए और शोध की जानी चाहिए और इसे बुझाने के भी प्रयास किये जाने चाहिए। वर्तमान में सरकार कोयले को बचाने के उद्देश्य से गोबर गैस संयंत्र स्थापित करने के लिए राज सहायता दे रही है। इसी प्रकार, अन्य क्षेत्र भी हैं जिनमें कोयला बचाया जा सकता है। मैं सरकार के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि हम सौर ऊर्जा का भी अच्छे ढंग से उपयोग कर सकते हैं। तम्बाकू पकाने के लिए पहले ही सौर ऊर्जा का उपयोग किये जाने के बारे में अनुसन्धान किये गए हैं। आजकल इस कार्य के लिए कोयला और जलाऊ लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इस तरह करीब 30% कोयले को बचाया जा सकता है, जोकि एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय बचत है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री पर इस बारे में जोर डाले जोकि हमारे कोयला क्षेत्र में कोयले की बचत के लिए सौर-भट्टी तैयार करने के लिए राजसहायता प्रदान करते हैं। मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह विजयवाड़ा में एक कोयला स्टाक यार्ड स्थापित करें। यह बहुत महत्व का स्थान है और दक्षिण भारत के केन्द्र में स्थित है। जैसाकि माननीय मन्त्री को जानकारी है कि वहां कई उद्योग स्थापित हैं। आंध्र प्रदेश में उत्पादित 90 प्रतिशत तम्बाकू हमारे घरेलू उपयोग में आता है और निर्यात किया जाता है। इस सारे तम्बाकू के लिए कोयले की आवश्यकता पड़ती है और यह एक बड़ी समस्या है। माननीय मन्त्री किसानों की इन मुश्किलों से अवगत हैं कि वे कैसे मोटरों और अन्य वाहनों द्वारा कोयले की ढुलाई करते हैं। अत: अगर विजयवाड़ा में कोयला स्टाक यार्ड स्थापित करके कोयला उपलब्ध कराया जाता है तो इससे उपभोक्ताओं को भी बहुत सहायता मिलेगी। हमें आशा है कि सरकार, इस बारे में सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

कोल इण्डिया को इस वर्ष 242 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, जबकि संचित घाटा 1,100 करोड़ रुपये का है। हम आशा करते हैं कि कम-से-कम भविष्य में इस घाटे में कमी आएगी ताकि कोयला खानें कुशलता से कार्य कर सकें। और देश की आवश्यकताओं को पूरा कर, महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें।

[हिन्दी]

श्री दामोदर पांडे (हजारीबाग): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि यह बिल यहां लाया गया है और खुशी की बात है कि विरोधी पक्ष के लोगों ने भी यह महसूस किया है कि यह बिल लाना उचित और स्वागत योग्य कदम था। इसलिए इसका कोई विरोध नहीं है।

जो बिल में व्यवस्था है वह स्वागत योग्य ही है। उसका कोई विरोध नहीं हो सकता। लेकिन जैसा मन्त्री जी ने कहा कि यह एक मौका है जब हम इस सम्बन्ध में बात कर सकते हैं और जो हमारी कोयला पैदा करने और जलाने की नीति है उसके सम्बन्ध में हम क्या विचार रखते हैं, वह

यहां रख सकते हैं। अपने देश में यों तो ऊर्जा का स्रोत बहुत है लेकिन बहुत वर्षों तक, आने वाले कई वर्षों तक हम को मुख्यत: कोयले पर निर्भर करना पड़ेगा। इसमें कोई दो मत नहीं हैं।

आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में दुनिया के 12 बड़े देशों के साथ-साथ हमारे देश में भी कोयले का बड़ा विशाल भण्डार है और कोयला उत्पादन में पांचवां सबसे बड़ा देश भारतवर्ष है। अभी भी हम काफी कोयला निकाल रहे हैं लेकिन हमारी जो आबादी है, उसके आधार पर यदि सोचें तो आज भी हमारा उत्पादन कम है। जितनी खपत होनी चाहिए उस आधार पर हमारा उत्पादन नहीं हो रहा है।

हमारे देश में कोयला उद्योग का जो राष्ट्रीयकरण किया गया उसका मुख्य उद्देश्य यही था, 1971 और 1973 में, कि निजी क्षेत्र के जो लोग हैं वे उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं जिससे कि कोयले का उचित उत्पादन हो सके तथा वे ढंग से उत्पादन नहीं कर सकते हैं जिससे कि देश की जो प्राकृतिक सम्पदा है, जोकि रेन्युएबल सोर्स नहीं हैं, समाप्त होने वाली सम्पदा है, उसके कन्जर्वेशन की तरफ उनका ध्यान नहीं रहेगा। अत: यह सोचा गया कि राष्ट्रीयकरण के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है और इसीलिए राष्ट्रीयकरण किया गया। हमको उसका कोई पछतावा भी नहीं है। बहुत से लोग राष्ट्रीयकरण को अनुचित बताते हैं लेकिन मैं कहता हूं अगर आज राष्ट्रीय-करण न हुआ होता तो हम बड़ी दुर्व्यवस्था में होते। आज हम उस अवस्था में नहीं होते जिसमें कि आज हैं। आप थर्मल और स्टील प्लान्ट्स को लीजिए, रेलवे को लीजिए या जो अन्य जनरल कंज्यूमर्स हैं, उनकी आवश्यकतायें आज पूरी नहीं हो पातीं यदि कोयला उद्योग आज निजी क्षेत्र में ही रहा होता। राष्ट्रीकरण के बाद बहुत कुछ हुआ है। राष्ट्रीयकरण के समय जो कोयले का उत्पादन 72 मिलियन टन होता था वह बढ़कर पिछले साल 147 मिलियन टन तक पहुंच गया। यदि सभी कुछ ठीक चलता तो जो हम उम्मीद करते थे कि 160 व 170 मिलियन टन तक जायेंगे, इस साल हमारी ऐसी इच्छा थी लेकिन उतना प्रोडक्शन करने की स्थिति में हम नहीं हैं—ऐसा नहीं है कि हम करना नहीं चाहते या कर नहीं सकते, कर तो सकते हैं, लेकिन उतने कोयले की खपत नहीं है। 147 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ लेकिन 29 मिलियन टन का स्टाक हमारे पिछ-हेड्स पर पड़ा हुआ है स्वाभाविक है कि हम यह बात समझ नहीं पाते कि एक तरफ तो कोयले का इतना स्टाक पिट्-हैड्स पर पड़ा हुआ है 29 मिलियन टन—और दूसरी तरफ कोयले की इतनी डिमाण्ड है, कोयला मिलता नहीं है। यह कैसी विडम्बना है, जैसाकि हमारे विरोध पक्ष के भाई ने कहा है कोयला पिट-हैड्स पर बचता रहता है तो यदि 29 मिलियन टन कोयला स्टाक पिट-हैड्स पर पड़ा रहेगा, उसको मूवमेण्ट नहीं होगा तो जैसी कि कोयले की प्रापर्टी है वह अपने आप जलने लगेगा, इन्टर्नल कम्बस्चन की वजह है और उसको बुझाने के लिए जितने पानी की आवश्यकता होती है वह मिल नहीं पाएगा इसलिए उसमें आग जली रहेगी और कोयला जलकर राख होता रहेगा।

मेरे कहने का मतलब यह है कि कोयले के प्रोडक्शन के लिए तो हमने सब कुछ किया परन्तु कंजम्शन के एन्ड तक उसको कैसे पहुंचाया जाये उसके सम्बन्ध में उचित व्यवस्था नहीं हो सकती। जहां तक कोयले की ढुलाई का सम्बन्ध है रेलवेज उसकी लाइफ लाइन है लेकिन यदि आप उसकी फीगर्स देखें तो 1972-73 में जो उनकी ढोने की कैपेसिटी थी उसमें आज कोई बहुत ज्यादा तरक्की

नहीं हुई है। कोयले को डीजल ट्रक्स ढोते हैं और इस प्रकार एक एनर्जी देने के लिए हम दूसरी एनर्जी को बरबाद करते हैं। कोयले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के सम्बन्ध में पूरी सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए, पता नहीं अकेली रेल में कहां तक क्या कर सकती है क्योंकि वे कहते हैं कि हमारे पास साधन नहीं हैं। लेकिन जब तक कोयले को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का उचित प्रबंध नहीं होगा तब तक हमारा भविष्य भी उज्ज्वल नजर नहीं आता।

श्री राम प्यारे पनिका : काले कोयले का भविष्य काला ही रहेगा।

श्री दामोदर पांडे : बिना काले कायले के आपको रोशनी नहीं मिलेगी, आप बिजली की रोशनी में नहीं बैठ पायेंगे। उसके भविष्य पर ही आपका भविष्य निर्भर है। कोयला काला होकर भी आपके भविष्य को उज्ज्वल करता है (व्यवधान) आपको सस्ता कोयला मिल सकता है · (व्यवधान) मेरा सुझाव यह था कि आपको ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी चाहिए। आजकल हम बहुत मैके-नाइजेशन कर रहे हैं। मन्त्री जी ने कहा है कि मैकेनाइजेशन करने के अलावा कोई चारा नहीं है। पहले 74 मिलियन टन कोयला पैदा होता था, लेकिन आज 147 मिलियन टन हम पैदा करते हैं। मन्त्री महोदय इस पर विचार करें कि जो हमारा इंवैस्टमेंट है, क्या वह वाजिब हुआ है और क्या उससे उचित मुनाफा हो रहा है? मेरे ख्याल से नहीं हो रहा है, उसमें थोड़ी कमी है। क्यों नहीं हो रहा है, इस बारे में हमसे ज्यादा मंत्री महोदय जानते हैं और वे ज्यादा विस्तार से इस बारे में बता पायेंगे।

खास कर बंगाल और बिहार में आजकल जो स्थिति है, वह बहुत ही खराब है। साल-दो-साल से वहां आठ-आठ घण्टे बिजली नहीं मिलती है। आठ घण्टे जिस कोयला खदान को बिजली न मिले और जो वहां पर 17 करोड़ रुपयों की जो मशीनें लगा रखी हैं, वे आठ घण्टे बेकार पड़ी रहें, तो उसकी डैप्रिसएशन का हिसाब आप लगा लें, इससे कितना नुकसान होता है। जब तक वहां बिजली का प्रबन्ध नहीं होगा, नुकसान चलता रहेगा। हम दूसरों को बिजली तैयार करने के लिए कोयला देते हैं, लेकिन अपने यहां बिजली तैयार नहीं कर पाते हैं। यह भी एक अजीब विडम्बना है कि इतना लॉस हो रहा है। कहा गया कि 1100 करोड़ रुपए कोल-इंडिया को लॉस हो रहा है, मुझे पता नहीं उनको इस बात की जानकारी है या नहीं। कोयला सिर्फ लॉस मेकिंग कंसर्न नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने सुना होगा सैन्ट्रल कोल-फील्ड-लि० है, जो हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी मुनाफा कमाने वाली कम्पनी है, जो अपना पांचवा स्थान रखती है। इसका मुनाफा 125 करोड़ रुपए हुआ है। इस बारे में कोई जिक्र नहीं होता है। एक वैस्टर्न कोल लि० है, इसका उससे भी ज्यादा मुनाफा हुआ है। इसका इन्वैस्टमैंट के लिहाज से प्रपोर्शनेट ज्यादा नहीं है। यह कम्पनी भी छठा और सातवां स्थान पूरे हिन्दुस्तान में मुनाफा कमाने वालों में रखती है। बी० सी० सी० एल० और ई० सी० एल० के घाटे का क्या कारण है, कारण यह है कि वैस्ट बंगाल की सरकार वहां सरकारी हड़ताल कराती है। वैस्ट बंगाल की सरकार वहां जमीन पर कब्जा नहीं होने देती है। वहां काम में जो लगे हुए हैं, उनको ठीक से डिम्लायमेंट नहीं होने देती है। अगर कोयला एक जगह से निकाल रहे हैं और वह खत्म होने वाला है, तो दूसरी जगह उनको नहीं लगाया जाएगा, तो कोयला नहीं निकल सकता है। लोगों का डिप्लायमेंट ठीक से नहीं होगा तो कोयले की खदानें नहीं

चल सकती हैं। यह चीज इस्टर्न कोल फिल्ड में नहीं है। वहां एक-दो हजार काम करने वाले हैं, इनको वहां पर काम में लगे रहना पड़ेगा, चाहे वे मिट्टी काटें, चाहे नाखून से कोयला काटें, लेकिन दूसरी जगह के लिए दो हजार की दूसरी बहाली होगी। ईस्टन कोल फील्ड और बी० सी०-सी० एल० में सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। ये दोनों सबसे पुरानी कोयला खदानें हैं। माइन बहुत डीप हो गए हैं। इसकी फीगर्स आपके पास हैं, वहां का प्रोडक्शन घटता जा रहा है। हम बात करते हैं मैकेनाइजेशन की ओर फर्दर इम्प्रूवमेंट की, लेकिन जब तक हम अन्डरग्राउन्ड कोयला नहीं निकालेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। हम एक तरफ यह कल्पना कर रहे हैं कि भविष्य में इस शताब्दी के अंत तक हमारा उत्पादन दुगुने से भी ज्यादा हो, तो दूसरी तरफ हमको अन्डर ग्राउण्ड उत्पादन पर भी ध्यान देना होगा।

एक बात में कंसर्वेशन के बारे में भी कहना चाहता हूं और इन्वायरनमेंट के बारे में भी कहना चाहता हूं। कन्जर्वेशन के बारे में बहुत कम विचार होता है। दुर्भाग्यवश स्थिति यह है कि जहां भी कोयला निकल जाते हैं वहां पर सबसे ज्यादा बरबादी एन्वायउनमेंट की करते हैं। वहां पर जंगल की कटाई करते हैं, जमीन की खुदाई करते हैं। दुनिया के हर देश का नियम है कि जहां जंगल की कटाई करते हैं वहां जंगल लगाना पड़ेगा, जमीन को समतल करना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहां ऐसा कानून नहीं है। क्या हम सब काम कानून के द्वारा ही करना चाहते हैं? क्या हम ऐसा महसूस नहीं करते हैं कि जंगल की कटाई से मौसम पर असर पड़ता है, एनवायरनमेन्ट पर असर पड़ता है? हमें इसके बारे में सोचना चाहिए और आपको कुछ कानून बनाना चाहिए।

यहां कहा गया है कि हमारे यहां सिर्फ लो-ग्रेड कोयला है···

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त : उन्हें सारा समय पश्चिम बंगाल की सरकार को कोसते हुए ही नष्ट नहीं कर देना चाहिए था। उन्होंने अपना सारा समय पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को कोसते हुए ही नष्ट कर दिया है।

[हिन्दी]

श्री दामोदर पांडे : अगर कोई वाजिब बात नहीं कही है तो उसको ठीक कर दीजिए।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त : आपको वहां की हालत की जानकर नहीं है।

श्री दामोदर पांडे : मैं समझता हूं कि खनन के बारे में मुझे आपसे बेहतर जानकारी है।

श्री मूलचन्द डागा : हम आप दोनों की जानकारी का निर्णय करेंगे।

श्री अमल दत्त : जब रोजगार नहीं दिया जा रहा है, तब रोजगार के नये अवसर पैदा किये जाने हैं, और यही नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री दामोदर पांडे : अब मैं कुछ शब्द क्वालिटी के बारे में कहना चाहता हूं। अभी जैसा मंत्री जी ने कहा कि कोयला तो है लेकिन थोड़ा लो-ग्रेड का है। ऐसी बात नहीं है, हाईग्रेड का कोयला भी देश में है और काफी मात्रा में है। हम लोग यूरोप के हाईग्रेड कोयले की बात करते हैं, उसमें चूंकि सल्फर कन्टेन्ट्स हैं इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हमारे यहां भी 7% ऐश वाला कोकिंग कोल आसाम में पड़ा हुआ है, लेकिन हम उसकी प्रोडक्शन नहीं करते हैं क्योंकि उसमें भी सल्फर है। मैं जानना चाहूंगा, क्या हम ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि उसमें से सल्फर निकाल कर उसका उपयोग करें। आज जर्मनी और दूसरे मुल्कों में कोयले के आधार अनेक उद्योग धन्धे खड़े किए जाते हैं। जर्मनी में सल्फर वाला कोयला है और लो-एश कन्टेन्ट का है, लेकिन उसके आधार पर 200 आइटम्स बनती हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं, जो सिर्फ कोयला प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं बल्कि उसके आधार पर उन्होंने अनेक उद्योग-धन्धे लगाए हुए हैं, लेकिन हमारे यहां हम कोयला प्रोड्यूस करते हैं और उसको जला देते हैं। कोयले का वास्तव में जो उपयोग होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इस पर ध्यान दें और जहां-जहां सम्भव हो वहां कोल-बेस्ड इन्डस्ट्रीज खड़ी करें। आज हम दुनिया से तरह-तरह की कोलाबोरेशन करके टेक्नोलॉजी हासिल कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके मशीनें मगा रहे हैं, अगर इस प्रकार की व्यवस्था हम अपने देश में ही करें तो उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी और रोजगार मिल सकता है।

अन्त में, मैं एक बात अपने क्षेत्र की कहना चाहता हूं। दस-पन्द्रह साल पहले इसी सदन में जब श्री देवकांत बरूआ यहां मिनिस्टर थे, उन्होंने घोषणा की थी कि कर्मपुरा में कोयले के आधार पर एक फर्टिलाइजर का कारखाना लगायेंगे, जगह का चयन कर लिया गया था, सर्वेक्षण भी हुआ, फर्टिलाइजर प्लांट लगाने के बारे में अन्तिम निर्णय भी हो गया, परन्तु उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई और सब कुछ ठप्प हो गया। अब उसके बारे में कोई सुनता नहीं है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय फिर से इस पर निगाह डालें और जो सम्बन्धित मंत्रालय है, उसको बतायें कि इस तरह का एलान इस सदन में किया गया था। उसको बहुत दिनों तक बन्द करके न रखा जाए बल्कि जल्द-से-जल्द उस पर अमल किया जाए। यह कोई नए प्रकार का उद्योग नहीं है। हमने रामगुण्डम में कोल बेसु फर्टिलाइजर प्लान्ट लगाया है, तालचेर में लगाया है तथा इस सम्बन्ध में हमारा अनुभव बुरा नहीं है। जितना प्रोफिट हम कमाना चाहते हैं, शायद उतना नहीं कमाते हैं, लेकिन फिर भी काम चल सकता है। इसीलिए मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर पुनः विचार करें।

[अनुवाद]

श्री जगन्नाथ राव (बरहामपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। यह अविवादास्पद विधेयक है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है इस विधेयक का उद्देश्य सातवीं लोक सभा की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करना है। इसमें यह सुझाव दिया गया है कि मुख्य धारा में केन्द्र सरकार को कोयले के संरक्षण तथा कोयला खानों के विकास पर

किए गए खर्च को वसूल करने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है। अधिनियम की धारा 4 केन्द्र सरकार को अधिकार देती है कि यह कोयला खान के मालिकों, एजेन्टों या प्रबन्धकों को यह निदेश या सलाह दे कि वे खानों में इस तरह काम करवाएं कि कोयला संरक्षित रहे वहां वैज्ञानिक तरीके से काम किया जायेतथा उसे धोवनशाला में परिष्कृत किया जाए, ताकि उसमें राख की मात्रा कम हो। खान-मालिक अगर ऐसा नहीं करते हैं तो केन्द्र सरकार स्वयं ऐसा करे और खर्च करे और इस पर होने वाले व्यय को पूर्णत: या अंशत: वसूल करने का अधिकार है। लेकिन इसे अधिनियम की धारा 4 में शामिल नहीं किया गया है। इसकी व्यवस्था नियम 6 में है। समिति का यह विचार था कि खर्च को पूर्णत: या अंशत: वसूल करने का यह अधिकार मूल अधिकार है और इसका उल्लेख अधिनियम में होना चाहिए न कि नियमों में। सरकार अब इस सिफारिश को लागू कर रही है।

दूसरी सिफारिश भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में उत्पादन शुल्क की वसूली के बारे में है। अत: ये दोनों अविवादास्पद हैं।

1973 में सभी कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1974 में कोयला संरक्षण तथा कोयला खान विकास अधिनियम पारित किया गया था।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या अभी भी कोयला खानें निजी क्षेत्र में हैं, अन्यथा "कोयला खान के स्वामी, एजेन्ट या प्रबन्धक" का कोई अर्थ नहीं रह जाता। संविधान के अनुच्छेद 297 के अन्तर्गत भारत सरकार देशकी सभी खानों तथा खनिजों, समुद्रतल, प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि तथा अनन्य आर्थिक क्षेत्र की मालिक है। अगर ऐसा है तो आप इन शब्दों को क्यों रख रहे हैं? अगर निजी क्षेत्र द्वारा निजी खानों में काम नहीं किया जा रहा है और आप कुछ भी धनराशि व्यय करते हैं। उसे पट्टेधारी से वसूल कर सकते हैं। चाहे यह भारत कोकिंग कोल लिमिटेड या कोल इण्डिया या राज्य सरकारों का खान विभाग हो वे सब आपके पट्टेधारी हैं। "पट्टेधारी" शब्द को शामिल न करके आपने मेरे मन में थोड़ा-सा भ्रम पैदा कर दिया है। मन्त्री जी को इसे स्पष्ट करना चाहिए।

यदि केन्द्र सरकार ने कोयले के संरक्षण या कोयला खानों के विकास के लिए कुछ व्यय किया है तो कृपया बताएं कि किन-किन खानों पर कितना व्यय किया गया।

जहां तक कोयले का सम्बन्ध है, कोककर कोयला इस्पात-उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें राख की मात्रा अपेक्षित मात्रा से अधिक होती है। इससे बचने के लिए हम आस्ट्रेलिया से कोयले का आयात कर रहे हैं जिसमें सल्फर की मात्रा अधिक होती है। इसमें से सल्फर को निकालने के लिए हम पैसा लगा रहे हैं ताकि इस कोयले को बायलरों में इस्तेमाल किया जा सके। ऐसा करने की बजाय हम अपने कोककर कोयले के किस्म में सुधार क्यों नहीं करते? उसमें से राख की मात्रा कम करने के प्रयास कीजिए। केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्थान, धनबाद या राज्यों के खनिज निगम, जिनके पास अपनी प्रयोगशालाएं हैं, कोककर कोयले का विश्लेषण करके इसकी किस्म सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते, ताकि बायलरों को अधिक नुकसान पहुंचाए बिना उनमें इनका इस्तेमाल किया जा सके? इस पहलू पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना होगा। अन्यथा अन्य विदेशों से कोयले का आयात हमारी आत्मनिर्भरता की घोषित नीति तथा आयात प्रतिस्थापन

के विरुद्ध होगा। हम आस्ट्रेलिया से कोयला आयातित करके उसमें से सल्फर निकालने का काम करने के लिए खर्च क्यों करें? मिश्रण या अन्य तरीकों द्वारा हम अपने कोयले में सुधार लाने के लिए अधिक खर्च कर सकते हैं। दो इस्पात संयंत्रों—राउरकेला और दुर्गापुर से ही शिकायतें आई है। सोवियत प्रौद्योगिकी की सहायता से स्थापित भिलाई और बोकारो संयंत्रों से कोई शिकायत नहीं मिली है। मामला क्या है? जब मैं वहां खान मन्त्री था तो उस दौरान हमने पोलैंड के सहयोग से सुदामडीह और मोनीडीह में दो कोयला खानें विकसित की थीं। मैं जानता हूं कि हमारी कोयला खानों में राख की मात्रा बहुत अधिक है। लेकिन हमें विदेशों से कोयला आयात करने की बजाय अपने यहां उपलब्ध कोयले का इस्तेमाल करने का प्रयास करना चाहिए। कोयला आयात से हमारी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर आंच आती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हमने इतनी उन्नति कर ली है तो क्या हम यह भी कर सकते? हमारे वैज्ञानिक इस पहलू की ओर पूरा ध्यान क्यों न दें। हम इतने सारे इस्पात संयंत्र स्थापित कर रहे हैं लेकिन अभी तक हमने यह निर्णय किया है कि कौनसी प्रौद्योगिकी अपनाई जाए। ऐसा करना हमारी आर्थिक नीति के लिए लाभकारी नहीं होगा।

गैर—कोककर कोयले का भी यही हाल है। हर राज्य में अब कोयला-खानें हैं। अभी ही में फरक्का के निकट कोयले का भंडार मिला है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में—सिंगरौली की छोड़कर गुजरात में और हर राज्य में कोयला-खानों का पता चला है। हर राज्य में खनिज विकास निगम है। उन्हें इन खानों से नमूने लेकर विश्लेषण करने दीजिए, ताकि वे जान सकें कि कोयला किस किस्म का है और वे उसमें सुधार के उपाय बता सकें, ताकि उसका सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके। रिपोर्ट रखी जानी चाहिए ताकि समय आने पर उस कोयले का उपयोग वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर किया जा सके अन्यथा, इसमें अधिक समय लगेगा। अतः हमें पहले से योजना तैयार कर लेनी चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है। अधिनियम को पारित किए 10 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन मुझे यह संदेह है कि देश में कहीं भी कोयले के संरक्षण या कोयला-खानों के विकास के लिए कोई गंभीर प्रयास किया गया है। हमें समय का इन्तजार नहीं करना चाहिए। हमें ईमानदारी से कोयला-खानों को वैज्ञानिक तरीके से विकसित करना चाहिए तथा मिश्रण करके या अन्य वैज्ञानिक तरीकों से, जिनका पता हमारे वैज्ञानिक आसानी से लगा सकते हैं। घटिया किस्म के कोयले से हमें बढ़िया किस्म का कोयला बनाने का प्रयास करना चाहिए।

जहां तक तापीय बिजली तैयार करने के लिए घटिया किस्म के कोयले का सम्बन्ध है, तालचेर एक उदाहरण है। तालचेर तापीय विद्युत केन्द्र के बारे में मैं पिछले 25 सालों से सुन रहा हूं। इसमें ऐसे कोयले का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें राख की मात्रा अधिक है जिसके कारण इसे सभी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन राज्य सरकार, राज्य विद्युत बोर्ड या केन्द्र सरकार इस समस्या के समाधान के लिए कोई गम्भीर प्रयास नहीं कर रही है। इस विद्युत यूनिट की स्थापना अमरीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत पांचवें दशक के अन्त में की गई थी और बायलर का डिजायन उपलब्ध कोयले के किस्म के अनुरूप तैयार किया गया था। मुझे बताया गया है कि अब "इलैक्ट्रो-स्टेटिक प्रेसिपिटेटर्स (ई० एस० पी०) की जरूरत है जो व्यर्थ की सामग्री को पृथक कर सकता है, ताकि बायलर अधिकतम ताप उत्पन्न कर सके। मैं समझता हूं कि ओ० एस० ई० एस० ने बोल्टास को ई० एस० पी० के आर्डर दिए हैं। पहला ई० एस० पी० 15 महीने में मिल जाएगा और बाकी तीन की सप्लाई छः महीने के अन्तराल में होगी। इसका मतलब

यह है कि सातवीं योजना के तीन वर्ष बीत जाएंगे। अतः समय का ही महत्व है। हमें बहुत तेजी से काम करना होगा, और देखना होगा कि देश में उपलब्ध समूचे कोयले का संरक्षण तथा सुधार किया जाए और उसकी किस्म में सुधार लाया जाए, ताकि कोयले से हम अधिकतम लाभ उठा सकें। हाल ही में रांची में, बोकारो के पास खुली कोककर कोयला खानें मिली हैं। कहा जाता है कि यह बहुत बढ़िया किस्म का कोयला है। केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद ने इसे उच्च ग्रेड का प्रमाणित किया है। असम में भी कोककर कोयला के भंडार मिले हैं। अतः हमें इन खानों का विकास करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे इस्पात संयंत्रों को बढ़िया किस्म का कोयला मिल सके। परिवहन व्यय अधिक होने दीजिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विदेशों से कोयला-आयात करने के खर्च की तुलना में यह खर्च कुछ भी नहीं है और फिर कोयले से सल्फर को निकालने का प्रयास करना चाहिए, ताकि बायलरों में सल्फर रहित कोयला इस्तेमाल किया जा सके। इस पहलू पर गंभीरतापूर्वक और शीघ्रता से विचार करने की जरूरत है।

कोयला उत्पादन बहुत महंगा पड़ता है। इसकी लागत बढ़ गई है। मालूम नहीं लागत किस कारण से बढ़ी है लेकिन यह उतनी नहीं हो सकती जितनी 1940 या 1950 से शुरू होने वाले दशक में थी, क्योंकि सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन हमें लागत कम करने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है चोरी अधिक हो। जरूरत से ज्यादा व्यक्तियों को रोजगार दिया गया हो। इन सभी पहलुओं पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए, ताकि कोयला-उद्योग संकट में नहीं रहे और इससे राजकोष को फायदा हो।

यह एक ऐसा उद्योग है जहां कोयले के भंडार पर्याप्त संख्या में हैं। हम हाल ही में देश में कोयले के और भंडारों का पता लगाने में सफल हुए हैं। इसलिए हमें इस ईश्वरीय देन का लाभ उठाना चाहिए और इसका अधिकतम उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारी अर्थ-व्यवस्था तेजी से प्रगति कर सके और हमें भारी विदेशी मुद्रा खर्च करके कोयले के आयात के लिए विदेशों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़े।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन विधेयक छठी लोक सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की सिफारिश पर लाया गया है।

हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कोयला खानों के महत्व को देखते हुए, भारत सरकार ने 1971 में कोककर कोयला खानों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया था। कोयला खानों का राष्ट्रीय-करण 1973 में किया गया था और कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में की गई। कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन अधिनियम 1974 में बना था।

हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य ऊर्जा के स्रोत के रूप में कोयले का संरक्षण करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोयला ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण तथा निश्शेष साधन है। समस्त विश्व में उपलब्ध कोयले का केवल 0·9 प्रतिशत ही भारत में उपलब्ध है। भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार हमारे देश में 1·2 मीटर मोटाई और 600 मीटर तक 86,4260 लाख टन कोयला का भंडार है। कोककर कोयला की स्थिति और भी कम है। उक्त संस्था के अनुसार कोककर कोयला सन् 2000 के बाद 3 वर्ष तक ही चलेगा तथा गैर कोककर

कोयला 20 साल तक चलेगा । इसीलिए कोयले का संरक्षण बहुत जरूरी है । लेकिन क्या हम इस बारे में गंभीर हैं ? लाखों टन कोयला चट्टान के रूप में इन खानों में जमीन में दबा पड़ा है । हमारे देश में खानों में गहरी खुदाई नहीं की जाती है । फलस्वरूप किसी एक खान से कोयला निकालने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है और बहुत सारा कोयला चट्टान के रूप में वहीं रह जाता है और खानों की गैर कानूनी ढंग से खुदाई की जाने लगती है ।कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद भी इस पद्धति का अभी भी खूब प्रयोग किया जाता है । खनन कार्य अभी भी भद्दे ढंग से होता है । अवैज्ञानिक खनन कार्य अभी भी चल रहा है । गैर-कानूनी खनन कार्य को रोका जाना चाहिये । राष्ट्रीयकरण के बाद कोयले का उत्पादन बढ़ा है । वर्ष 1974-75 में कोयला उत्पादन 884·1 लाख टन था । गतवर्ष उत्पादन 1470·5 टन था । कोयले का मूल्य भी लगभग 6 गुना बढ़ गया है । मूल्य 500% बढ़ गया है । राष्ट्रीयकरण के समय कोयले का औसत मूल्य 31·63 रुपये प्रति टन था और अब यह खान मुहानों पर 163 रुपये प्रति टन है । कुल घाटा भी बढ़ गया है । अर्थात् यह 1911.70 करोड़ रुपए है । इसमें शक नहीं है कि कोयले का उत्पादन बढ़ा है परन्तु हम कोककर कोयले का आयात कर रहे हैं क्योंकि इस कोयले की आवश्यकता हमारे इस्पात संयंत्रों में होती है । प्रतिवर्ष हम कोककर कोयले का आयात कर रहे हैं ।

महोदय, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था ने एक सर्वेक्षण किया है । उन्होंने एक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया है । उस प्रतिवेदन में कहा गया है कि पुरुलिया और बांकेरा जनपदों में कोककर कोयले के भारी भंडार हैं । एक नई परियोजना शुरू करने से हम कोयले का उत्पादन कर सकते हैं और हम आयात पर होने वाले करोड़ों रुपये का खर्च बचा सकते हैं । इस कोयले का हमारे देश में ही उत्पादन किया जा सकता है । न केवल पुरुलिया और बांकुरा में बल्कि राज्य के अन्य कुछ भागों में भी कोककर कोयले का पता लगाकर उसका उत्पादन किया जा सकता है । अगर ऐसा किया जाए तो हमें कोयले के आयात की जरूरत नहीं है ।

महोदय, दूसरा पहलू यह है, जिसकी कोयला उद्योग में उपेक्षा की जा रही है, और वह है, आर० एण्ड डी० (अनुसंधान तथा विकास) । हमें इस देश में उचित प्रौद्योगिकी का विकास करना चाहिए, क्योंकि जिस कोयले का उत्पादन किया जाता है उसमें राख का अंश बहुत होता है । हमें कोयले में राख के अंश को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना चाहिए । इससे कोयले में राख के अंश को कम किया जा सकेगा तथा हम इस्पात संयंत्रों की जरूरत के अनुसार कोयले का उत्पादन कर सकेंगे । हम अच्छी किस्म के कोयले की सप्लाई ताप बिजलीघरों को भी कर सकेंगे जो कोयले की खराब किस्म के कारण प्रभावित हुए हैं । इस सबके लिए, अनुसन्धान तथा विकास की बहुत आवश्यकता है ।

महोदय, रानीगंज कोयला क्षेत्र देश का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है । वहां कोयला निकालने का काम बहुत समय पहले वर्ष 1770 में शुरू किया गया था ! यह क्षेत्र सबसे बड़ा है, अर्थात्, 1530 वर्ग किलोमीटर । और रानीगन्ज कोयला क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण से पहले और बाद में भी कुछ खानों को छोड़ दिया गया था, बेपरवाही से छोड़ दिया गया तथा कोयला खानों को बंद करने जैसे सुरक्षा उपायों को नहीं किया गया था और इस प्रकार से ये कोयला खानें गैर-कानूनी खनन के अड्डे बन गए हैं ।

दूसरी समस्या जिसकी तरफ मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं, यह वह कोयला क्षेत्रों में धंसने की समस्या है। महोदय, बहुत सी समितियां गठित की गई थीं जिन्होंने धंसने के खतरों पर विचार किया। एक समिति चासनाली समिति थी जिसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और जिसमें उसने 10 सिफारिशें की हैं। और सबसे अन्तिम बागची उप-समिति है जिसने अपना प्रतिवेदन 1979 में दिया था परन्तु समिति की सिफारिशों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। इस समिति ने कोयला में धंसने की समस्या पर गम्भीरता से विचार किया था और इस समिति ने कहा है कि 166 खतरनाक स्थान हैं और जिसमें से 83 अधिक खतरनाक हैं और इन 83 में से 45 स्थान ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में हैं। इन क्षेत्रों को धंसने के खतरे से बचाने के लिए तुरन्त कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। मेरे अनुपूरक प्रश्न पर माननीय मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा है कि गैर-सरकारी पार्टियां इन खतरनाक स्थानों में भी अपने भवनों का निर्माण कर रही हैं। मैंने उस क्षेत्र का दौरा किया है और यह देखा है कि ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड क्वार्टरों तथा कार्यालय भवनों का निर्माण उन स्थानों में कर रहा है जिन्हें खतरनाक स्थल घोषित कर दिया गया है और जो धंस सकते हैं। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह कम से कम उस क्षेत्र का दौरा करें, क्योंकि समस्या बहुत ही गम्भीर है और उन्हें अधिकारियों तथा श्रमिकों से मिलकर यह देखना चाहिए कि किस प्रकार से खेती योग्य भूमि भी धंस गई है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री का ध्यान भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार की तरफ दिलाना चाहता हूं। एक बार मैं उनके पास गया था तथा इस सम्बन्ध में मैंने उन्हें एक पत्र भी लिखा था। जिन कर्मचारियों ने कुछ उच्च अधिकारियों के विरुद्ध यह आरोप लगाया था उन्हें दंडित किया गया, तीन या चार कर्मचारियों को निलम्बित भी रखा गया था। यह समाचार 21 जुलाई, 1985 को जमशेदपुर संस्करण की 'अमृत बाजार पत्रिका' में छपा था, और मैं उस समाचार से यह उद्धृत करता हूं :—

> "ऐसा प्रतीत होता है कि भारत कोकिंग कोल लि० के नागरिक निर्माण विभाग में सर्वत्र भ्रष्टाचार व्याप्त है......"
>
> "ठेकेदारों को अपना आबंटित कार्य पूरा किए बिना भुगतान मिल जाता है। रख-रखाव और ठेकों दोनों की अनुपस्थिति में, रख-रखाव व्यय से उन लोगों को पता चलता है जो अधिक दरों पर कार्य करते हैं।"
>
> "फर्म को मूली नगर में डी० ब्लाक के क्वार्टरों का मरम्मत कार्य पूरा करना था। माप-पुस्तक, जो श्री डी० एन० बनर्जी, नगर के ओवरसियर, के पास बतायी जाती है, इस कार्य को पूरा न करने की बात को साबित करती है।"

अत: कार्य पूरा करने से पहले भुगतान किया गया था। अधिकारी दोषी था, उत्तरदायी था, जिसके विरुद्ध आरोप लगाया गया था। उन कर्मचारियों को, जिन्होंने उसके विरुद्ध आरोप लगाया था, दंडित किया गया।

तीन वर्ष पूर्व, एक लेखा परीक्षक, फर्म के एक युवा लेखा परीक्षक की बड़े ही रहस्यमयी ढंग से हत्या की गई थी। उसकी हत्या की गई थी, क्योंकि उसने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के

लेखों में कुछ अनियमितताएं पायी थीं। उसकी हत्या कर दी गयी तथा उसके शव को रेलवे लाइन पर फेंक दिया गया था।

अत: भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में सर्वत्र भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसमें अभी भी यह भ्रष्टाचार चल रहा है।

मैं माननीय मन्त्री से इस मामले को देखने के लिए निवेदन करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे बहुत ही संक्षेप मे बोलें। प्रत्येक सदस्य केवल पांच मिनट बोले। हमें अन्य विधेयकों पर भी विचार करना है।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : महोदय, मैं माननीय मंत्री द्वारा पेश किए गए विधेयक का समर्थन करता हूं। विधेयक का उद्देश्य सरकार द्वारा किए गए खर्च वसूल करना तथा अभिकर्ताओं, मालिकों और खनिकों से उत्पादन शुल्क वसूल करना है।

परन्तु माननीय मन्त्री ने उन उद्देश्यों तथा कारणों को नहीं दिया है कि इन मालिकों, अभिकर्ताओं तथा खनिकों की तरफ कितनी धनराशि बकाया है। इस अधिनियम में उद्देश्यों तथा कारणों का बताया जाना परम अनिवार्य है कि सरकार को इस विधेयक को संसद में पेश करने के लिए बाध्य होने के पीछे क्या कारण थे और मेरे विचार में यह मंत्रालय की गलती है। मंत्रालय को इन्हें देना चाहिए था।

पूर्व वक्ता कोयले के संरक्षण की वकालत कर रहे थे। परन्तु मेरे विचार में···

एक माननीय सदस्य : यह विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित किया गया है।

श्री राम सिंह यादव : उद्देश्यों तथा कारणों को विधेयक में दिया जाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : वहां उल्लेख किया गया है :

"राज्य सभा द्वारा यथा पारित"।

श्री रामसिंह यादव : इस विधेयक में उद्देश्यों तथा कारणों को कहीं भी नहीं दिया गया है। यहां तक कि विधेयक के अन्त में भी नहीं। **(व्यवधान)**

अगला मुद्दा है कि माननीय मन्त्री को ऊर्जा सम्बन्धी सलाहकार बोर्ड के प्रतिवेदन का अध्ययन करना चाहिए था।

इस बोर्ड ने अपने नवीनतम प्रतिवेदन में सरकार से सिफारिश की है कि प्राथमिक कोयले और वाशरी ग्रेड एक और दो का उत्पादन किया जाना चाहिए और कोयले का आयात नहीं किया जाना चाहिए ताकि विदेशी मुद्रा की बचत की जा सके। क्या मैं माननीय मन्त्री से जान सकता हूं

कि राष्ट्रीय हित में दिये गये इस समिति के प्रतिवेदन पर कार्यवाही करने हेतु कौन से कदम उन्होंने उठाये हैं ?

ऊर्जा सम्बन्धी सलाहकार बोर्ड ने विशेषज्ञों की राय, कि इस्पात के लिए हमें आगामी वर्षों में इंधन की आवश्यकता होगी, की सिफारिश की है। अतः बढ़िया कोककर कोयले तथा वाशरी ग्रेड के एक और दो का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिये। 1974 से बढ़िया कोककर कोयला तथा वाशरी ग्रेड एक और दो का उत्पादन 12 प्रतिशत गिर गया है, यद्यपि ग्रेड तीन और चार के उत्पादन में 1974 से 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी कारण इस देश को करोड़ों रुपए के मूल्य का कोयला आयात करना पड़ रहा है। उस धन को बचाया जा सकता है अगर आप बढ़िया कोककर कोयला तथा वाशरी ग्रेड एक और दो का उत्पादन इतना बढ़ायें जिससे हमारे इस्पात संयंत्रों एवं देश की मांग को पूरा किया जा सके।

क्या मैं यह भी माननीय मन्त्री को बता सकता हूं ? इस्पात निर्माण के क्षेत्र में विशेषज्ञों के प्रतिवेदन को शायद उन्होंने पढ़ा होगा कि 2040 ई० के पश्चात् इस्पात निर्माण की वर्तमान प्रौद्योगिकी बिल्कुल बदल जायेगी। अतः, कोयले को सुरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। यह तर्क जो दूसरी ओर से दिया जा रहा है कि कोयला को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, बेबुनियादी तथा व्यर्थ है। नई प्रौद्योगिकी में कोयले की आवश्यकता कम होकर न के बराबर रह जायेगी। अतः, मेरे विचार में, माननीत मन्त्री महोदय हमारी आवश्यकतानुसार कोयले का उत्पादन करने के लिए ठोस कदम उठायेंगे, ताकि विदेशी मुद्रा की बचत की जा सके तथा आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जा सके।

अगला मुद्दा जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं यह है कि इस समय तीन मन्त्रालयों, कोयला विभाग, रेलवे विभाग तथा विद्युत विभाग के बीच कोई तालमेल नहीं है। इन तीन मन्त्रालयों के बीच तालमेल करने की आवश्यकता है। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि इस समय कोयला उद्योग भारी घाटे में चल रहा है क्योंकि इसने विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों से अपनी बकाया राशि वसूल नहीं की है। 31 मार्च, 1985 को बकाया राशि की स्थिति इस प्रकार थी। मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड बकाया राशि न देने वालों को सूची में सबसे ऊपर है। इस पर 28·78 करोड़ रुपये की धनराशि बकाया है। बिहार विद्युत बोर्ड पर 24·15 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा कोल इण्डिया को 12·89 करोड़ रुपये देने हैं। हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा कोल इण्डिया को 15·46 करोड़ रुपये देने हैं। महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा कोल इण्डिया को 14·74 करोड़ रुपए देने हैं। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को 7·71 करोड़ रुपए देने हैं। उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड को 6·95 करोड़ रुपये देने हैं। बदरपुर ताप विद्युत सयंत्र को 6·09 करोड़ रुपए देने हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि माननीय मन्त्री ने राज्य विद्युत बोर्डों से बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये हैं। मैं, निस्सन्देह माननीय मन्त्री को सभी महत्वपूर्ण ताप बिजलीघरों में एक माह के कोयले के भण्डार का प्रबन्ध करने के लिए बधाई देता हूं। यही उनकी उपलब्धि है······

उपाध्यक्ष महोदय : अगर विद्युत बोर्डों को अपनी बकाया राशि देनी है तो उनमें से अनेक बोर्डों को अपना काम बन्द करना पड़ेगा; वे पहले ही घाटे में चल रहे हैं।

श्री राम सिंह यादव : माननीय मन्त्री को इन निकायों से भी वसूली करने के लिए ठोस उपाय करने होंगे। यह विशेष संशोधन वसूली करने के लिए हैं। आप खानों के मालिकों तथा अधिकर्ताओं से वसूली करना चाहते हैं। आपको इन उपक्रमों तथा विद्युत बोर्डों से भी वसूली करनी है।

अन्तिम बात जो मैं महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं वह यह है।

आज लघु उद्योग सबसे अधिक कठिनाई में है क्योंकि रेल मन्त्रालय और कोयला मन्त्रालय के बीच कोई समन्वय नहीं है। इस समय रेल मन्त्रालय उपभोक्ताओं अथवा परेषितियों से जुर्माने के रूप में अतिरिक्त भाड़ा वसूल करता है क्योंकि वास्तविकता यह है कि रेलवे वैगन में अधिकतम मात्रा से अधिक कोयला भेजा जाता है। इसलिए परेषिती को भाड़ा का चौगुना धन दंड के रूप में अदा करना पड़ता है।

सरकार को लगातार और नियमित रूप से विशेषकर गुजरात और राजस्थान से शिकायतें भेजी जाती रही हैं। लघु उद्योग एसोसियेशन ने आपको एक ज्ञापन दिया है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि आप अपने व्यक्तियों से अधिकतम क्षमता से अधिक कोयला वैगन में न भरने के लिए न कहें। क्योंकि रेलवे वैगन में जहां उसकी क्षमता से अधिक भार भरा गया कि रेलवे परेषिती से चार गुणे भाड़े का जुर्माना वसूल कर लेती है। इसलिए मेरे विचार से रेल मन्त्री से परामर्श करके इस समस्या को सुलझाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री राम सिंह यादव : यह सम्भव है कि रेलवे वैगन में अधिक माल भरने का कोई प्रभाव बड़े उद्योगों पर न पड़ता हो। किन्तु वास्तविकता यह है कि इससे लघु उद्योगों में लगे हुए उद्यमी प्रभावित हो रहे हैं और उनके हितों की हानि हो रही है। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि कोयला खानों को यह आदेश जारी किये जायें कि वैगनों में उनकी क्षमता से अधिक कोयला न भरा जाये।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि आपकी तोलने की मशीन ढंग से कार्य नहीं कर रही है क्योंकि उन्हें बहुत पहले स्थापित किया गया था। और उन्हें अभी तक बढ़ाया नहीं गया है। कृपया 'वेटरो-मीटर' स्थापित कीजिए और 'वेटरो-मीटरों' की अनुमानित लागत लगभग 15 करोड़ रुपये है। कोयला खानों में 'वेटरो-मीटर' लगाये जायें और उसका व्यय भार रेल तथा कोयला विभाग मिल कर उठायें।

इन सुझावों के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और मुझे आशा है कि वह मेरे सुझाव पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सत्येन्द्र नारायणसिंह माननीय सदस्यगण कृपया संक्षेप में बोलें। प्रत्येक सदस्य को केवल पांच मिनट का समय आबंटित किया जाता है।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय। जैसाकि मंत्री महोदय ने स्वयं ही कहा है, यह बड़ा ही अहानिकारक विधेयक है। इसका प्रयोजन अधिनियम की धारा 4 और 8 में संशोधन करने का है क्योंकि इससे सरकार को भू-राजस्व के रूप में बकाया राशि को वसूल करने का प्राधिकार मिल जाएगा।

महोदय, कोयला एक समाप्त होने वाला संसाधन है और हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र यथा ऊर्जा इस्पात, सीमेंट, उर्वरक आदि इस पर निर्भर हैं। जैसा कि श्री बसुदेव आचार्य ने अभी-अभी बताया है कि हमारे देश में गैर-कोकिंग कोयले का भंडार 100 वर्ष तक और कोकिंग कोयले का भंडार 50 वर्षों तक के लिए पर्याप्त है बशर्ते कि कोयले का उत्पादन 7वीं और 8वीं योजना में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार किया जाय। मंत्री महोदय को यह जानकर प्रसंनता होगी कि हम लोग ऊर्जा के अन्य साधनों का उपयोग कर रहे हैं और केवल कोयला ही ऊर्जा पाने का संसाधन नहीं रह गया है। उदाहरण के तौर पर परमाणु ऊर्जा, बायो-गैस, सौर ऊर्जा आदि हैं। तथापि, महोदय, ऊर्जा के वैकल्पिक साधन होने के बावजूद, यह बहुत ही आवश्यक है कि कोयला उद्योग के सरक्षण और विकास के लिए कदम उठाये जायें।

सर्वप्रथम माननीय मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि खानों के कार्यकरण की पर्याप्त देख-भाल करने और सतर्कता रखने की आवश्यकता है। मेरा निवेदन है कि ऐसे मामले होते रहे हैं जहां कार्य करने के बाद खानों में पर्याप्त कोयला छोड़ दिया गया है और इसलिए उन खानों में अवैध रूप से खुदाई की जाती रही है क्योंकि उसमें पर्याप्त कोयला छोड़ दिया गया था और जो अनेक वर्षों में समाप्त हो पाया।

1.00 म० प०

और गत अनेक वर्षों से इन खानो में सुरक्षा सबंधी कोई भी उपाय नहीं किये गये हैं जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटनायें भी हुई हैं और श्रमिकों की जानें भी गई हैं। इसलिए, हमारी सरकार का यह दायित्व है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि खानों की अवैध खुदाई न की जाये। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यह कार्य बड़े पैमाने पर हो रहा है और कोयला उद्योग का अध्ययन करने वाले एक सम्वाददाता के अनुसार खानों की अवैध खुदाई से सरकारी राजकोष को वर्षभर में 300 करोड़ रुपए की हानि होती है। भारी खानें उनके नियन्त्रण में नहीं हैं किन्तु उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार के सामने ही—आपने समाचार पत्रों में अवश्य ही पढ़ा होगा—खानों की अवैध खुदाई करते समय अनेक खच्चर दब गए और अनेक व्यक्तियों को अपनी जान गवानी पड़ी। इसलिए मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि इस बारे में आवश्यक कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री महोदय ने इस सभा में हम लोगो को बताया था कि अवैध खनन कार्य रोकने के लिए अपेक्षित निदेश जारी कर दिये गए हैं। तो भी मुझे कहते हुए दुःख

है कि खानों का अवैध खनन कार्य अब भी जारी है। वस्तुतः यह स्वाभाविक ही है क्योंकि दिक्कत यह है कि इसमें कोल इण्डिया के कुछ कर्मचारियों की मिली भगत है और कुछ मामलों से इन खुदाई कराने वालों के साथ औद्योगिक सुरक्षा बल के कुछ कार्मिक भी मिले हुए हैं।

दूसरे, निजी ठेकेदारों का मामला भी चिंता का विषय बना हुआ है। निजी ठेकेदारी प्रणाली के कारण बहुत अधिक कदाचार, उठाईगिरी और चोरी व्याप्त है। किसी विशेष स्थान के लिए ट्रक भरे जाते हैं और उनमें से अनेक ट्रक किसी अन्य स्थान में भेज दिये जाते हैं और वहां खाली कर दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त वास्तव में आशा तो अच्छे किस्म के कोयले लदान की जाती है किन्तु उपभोक्ताओं को घटिया किस्म का कोयला सप्लाई किया जाता है। वस्तुत: कोयला उपभोक्ता एसोसियेशन ने एक ज्ञापन दिया था जिसमें यह शिकायत की गई थी कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने तथा घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई को रोकने के लिए कोई प्रभावशाली कदम अभी तक नहीं उठाय गए हैं। मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जायें। मन्त्री महोदय को इस तथ्य की जानकारी है कि विद्युत बोर्डों तथा तापीय विद्युत संयंत्रों से भी यह शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कोयले में 25 प्रतिशत से अधिक राख मिलाने के अलावा कोयले में पत्थर के टुकड़े भी मिलाये जाते रहे हैं जिसके परिणाम-स्वरूप मशीनों को नुकसान हुआ है। इस सभा में ही मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते हुए तत्कालीन मन्त्री श्री पी० शिवशंकर ने यह स्वीकार किया था कि इस प्रकार की प्रक्रिया विद्यमान है और इसे रोकने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि कोयले का लदान करते समय कड़ाई के साथ पर्यवेक्षण किया जाए जिससे कि इस प्रकार की मिलावट को रोका जा सके।

महोदय, 1980 की ऊर्जा नीति समिति ने दो सुझाव दिये थे। पहली सिफारिश यह थी कि कोयला खानों में प्रज्वलित आग को बुझाया जाय। मेरे विचार से अग्नि को बुझाने के उपाय किये जा रहे हैं। कुछ आग तो गत 30 से 40 वर्ष से भी अधिक समय से प्रज्वलित है। इसे मैंने स्वयं देखा है। ऐसा कहा जाता है कि आन्तरित दहन के आग स्वतः धधक उठती है। इसलिए, आग के और प्रज्वलन को रोकने के पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिये। गैस-युक्त खानों में इसका खतरा अधिक होता है और इसके बारे में बहुत अधिक सावधानी बरतनी होती है आग के आकस्मिक रूप से प्रज्वलित होने से रोकने तथा उससे होने वाली जीवन की क्षति को रोकने के सभी प्रकार के उपाचारात्मक उपाय किये जाने चाहिए।

महोदय, आस-पास रेत का अभाव होता है। भराई के लिये रेत की आवश्यकता पड़ती है। रेत के लिए ठेके गैर-सरकारी ठेकेदारों को दिये गए हैं। इसमें भी बड़ी हेरा-फेरी चल रही है। अधिक रुपयों का बिल बनाया जा रहा है। वे 100 ट्रक लाते हैं तो 200 ट्रकों का बिल प्रस्तुत करते हैं। इसकी जांच करने के लिये भेजे गए एक लेखा परीक्षक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इस सभा मे जिस माफिया दल का उल्लेख प्रायः किया जाता है वह वहां कार्यरत है और उसके विरुद्ध कोई कारगर कदम नहीं उठाये गए हैं।

कोल इंडिया के अध्यक्ष श्री गुजराल ने इन सब व्यक्तियों से निपटने के लिए कुछ कदम उठाये थे। वह कुछ कर सके थे। उनका कार्य चालू रखा जाय। वे लोग सभी प्रकार के ठेके ले

लेते हैं और किसी को भी उसमें प्रवेश नहीं करने देते। कम भार लदान करना, अधिक राशि का बिल बनाना आदि जैसे बहुत से कदाचार चल रहे हैं। जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयकरण के बाद से कोयले के मूल्य में पांच बार वृद्धि किये जाने के बावजूद कोयला उद्योग का कुल घाटा 1100 करोड़ रुपया हो गया है। यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है और इसके बारे में माननीय मंत्री महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है कि इन अवांछनीय असामाजिक तत्वों को जबरदस्ती ठेके लेने से कदाचारों में लिप्त होने से तथा कोयले की चोरी करने तथा अवैध कोयला खनन को रोकने के लिए कोयले उद्योग के कार्यकरण को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने की ओर ध्यान दिया जाय। अवैध ढग से खनन कार्य किया जा रहा है जिसके कारण पूरे क्षेत्र का वातावरण बिगड़ रहा है।

अतः मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे तथा इन अवैध कार्यों को रोकने के लिए हर सभव कदम उठायेगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि उपभोक्ताओं तथा राज्य विद्युत बोर्डों को अच्छे किस्म का कोयला प्राप्त हो सके। विद्युत बोर्डों को पत्थर मिला मिलाकर काला कोयला सप्लाई किया जा रहा है जिसके कारण जनरेटर तथा अन्य उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और बिगड़ जाते हैं। मेरे मित्र श्री दामोदर पांडे ने बताया था कि उत्तरी करणपुरा क्षेत्र में कोयले का भंडार सर्वाधिक है खानों के मुहानों से देश के विभिन्न भागों में कोयला ले जाने में रेल विभाग समर्थ नहीं है जिसके परिणामस्वरूप खानों के मुहानों पर बहुत भारी मात्रा में कोयला जमा हो गया है। उनका सुझाव है कि करणपुरा क्षेत्र में खानों के मुहानों के पास तापीय विद्युत केन्द्र स्थापित किए जायें। मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस विषय की जांच-पड़ताल करायें क्योंकि इससे परिवहन व्यय भी बचेगा।

महोदय, यह स्वीकार किया गया था कि खानों के मुहानों के पास लगभग 300 लाख टन कोयला जमा है और रेलवे उसकी ढुलाई में असमर्थ है। रेलवे की वर्तमान क्षमता लगभग 90 से 95 हजार टन तक ढोने की है। जम्बो गाड़ी चलाने के बारे में इस सभा में पूछे गये मेरे तारांकित प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कहा था कि रेलवे 1000 टन तक का वजन ढोने वाली रेलगाड़ी चलाने का प्रायोगिक परीक्षण कर रही है। यदि यह संभव हो सका तो मुझे आशा है कि बहुत ही कम समय मे एकत्र मुहानों पर एकत्र कोयले की ढुलाई हो जायेगी। इसलिए मुझे आशा है कि यह कार्य सम्पन्न होगा और साथ ही माननीय मंत्री महोदय श्री दामोदर पांडे के सुझाव पर भी विचार करेंगे। इन शब्दों के साथ में विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री एस० तंगराजु (पेरम्बलूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपनी पार्टी अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम की ओर से कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन विधेयक, 1985 पर कुछ शब्द कहने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने अपने प्रारंभिक भाषण में कहा था यह विधेयक एक अनपकारक विधेयक है और मैं इसका पूर्ण हृदय से समर्थन करता हूं। 1973 में देश की सभी कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और अब देश में कोयला खानों के संरक्षण और विकास का पूर्ण उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर है।

* तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

महोदय, यह बहुत अधिक चिन्ता का विषय है कि कोयला खानों के मुहानों पर लगभग 500 करोड़ रुपए का कोयले का भण्डार एकत्र है। आप मेरी इस बात से सहमत होंगे यदि मैं यह कहूं कि यह बड़े दुःख का विषय है कि इतना अधिक कोयला पास में होते हुए भी दक्षिणी राज्यों में कोयले की भारी कमी है। उदाहरण के तौर पर बिजली उत्पादन के लिए बहुत अधिक मात्रा में कोयले की आवश्यकता पड़ती है। तमिलनाडु में जितनी बिजली का उत्पादन होता है उसमें से 70 प्रतिशत बिजली तापीय केन्द्रों से और शेष 30 प्रतिशत पन बिद्युत परियोजनाओं तथा अन्य साधनों से प्राप्त होती है। तमिलनाडु के तापीय विद्युत केन्द्रों के लिए अपेक्षित कोयला उत्तरी राज्यों से प्राप्त होता है। तूतीकोरिक सुपर पावर स्टेशन के लिये कोयला उड़ीसा के तलचर से प्राप्त होता है। कोयला समुद्र के रास्ते से लाया जाता है। कोयला रेल द्वारा नहीं लाया जा सकता है क्योंकि सर्वप्रथम तो पर्याप्त वैगन ही नहीं है और दूसरे यह कि परिवहन पर अधिक लागत आती है।

केन्द्रीय सरकार इस्पात और सीमेंट के परिवहन पर रियायती भाड़ा दरें मुहैया कर रही है। ऐसी रियायती दरें कोयला ढोने पर उपलब्ध नहीं हैं। रेल के द्वारा कोयला लाने पर राज्य बिजली बोर्डों को भारी खर्चा उठाना पड़ेगा। तब राज्य बिजली बोर्डों को सस्ती दरों पर बिजली सप्लाई करना महंगा पड़ता है। मैं मांग करता हूं कि रेल से कोयला की ढुलाई के लिए रियायती भाड़ा दर होनी चाहिए।

मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री मेरे साथ सहमत होंगे—यदि मैं यह कहता हुं कि ताप बिजलीघरों के पास पर्याप्त मात्रा में कोयले का स्टाक होना चाहिए ताकि बिजली के उत्पादन में रुकावट न आए। बदकिस्मती से कभी-कभी ताप बिजलीघरों के पास दो दिन के लिए भी कोयले का स्टाक नहीं होता है। जैसाकि देश के एक भाग में बार-बार बाढ़ आती है और दूसरे भाग में बार-बार सूखा पड़ता है। उसी प्रकार एक तरफ तो हमारे पास कोयले की प्रचुरता है और दूसरी तरफ कोयले की बहुत कम सप्लाई है। कोयले की सप्लाई को निरन्तर सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र से तीन पोत लेने की अनुमति मांगी थी। केन्द्र सरकार ने केवल एक पोत लेने की अनुमति दी है। मैं इस अवसर पर यह मांग करता हूं कि केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु सरकार के दो ओर पोत खरीदने की अनुमति दे ताकि ताप बिजलीघरों के लिए कोयले की कमी न हो।

इसी तरह सप्लाई किए गए कोयले की किस्म बहुत घटिया है। तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड राज्य को सप्लाई किए गए कोयले में से 1000 टन पत्थर को निकाल रहा है। कोयले में राख का अंश भी बहुत अधिक होता है। इससे स्वाभिक है कि ताप बिजलीघरों के उपकरणों में खराबी उत्पन्न होना स्वाभाविक है। ताप बिजलीघर अधिकतम क्षमता पर बिजली पैदा नहीं कर सकते हैं। इसी कारण तमिलनाडु सरकार ने आस्ट्रेलिया से उच्च किस्म का 5 लाख टन कोयला आयात करने की अनुमति मांगी थी। केन्द्रीय सरकार ने आस्ट्रेलिया से केवल एक लाख टन कोयले के आयात करने की अनुमति दी है। मैं आस्ट्रेलिया से उच्च किस्म के कोयले के शेष 4 लाख टन के आयात करने के लिए केन्द्र की अनुमति के लिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं।

महोदय, हमारी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख क्षेत्र है वर्ष 1973 और 1985 के बीच की

अवधि में कोयले की कीमतों में 6 बार वृद्धि की गई है। इसकी कीमत 47·50 रुपए प्रति टन से बढ़कर 183 रुपए प्रति टन हो गयी है। इसके परिणामस्वरूप बिजली की दरें भी बढ़ानी पड़ी हैं। इससे अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य अनिवार्य रूप से बढ़ जाते हैं। कोयले के मूल्य को बढ़ाने से पहले मंत्री महोदय को इस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि माननीय मंत्री 500 करोड़ रुपए के मूल्य के कोयले के जमा स्टाक की सप्लाई जरूरत मंद स्थानों को सुनिश्चित करते हैं तो उन्हें कोयले के मूल्य बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी।

मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने कोयले की कीमतों में 47·50 रुपए प्रति टन से 183 रुपए प्रति टन तक की वृद्धि के बावजूद कोल इंडिया लिमिटेड के 1100 करोड़ रुपए से अधिक के संचित घाटे का उल्लेख किया था। उन्होंने गैर कानूनी ढंग से कोयला निकालने तथा भारी मात्रा में कोयले की चोरी का भी जिक्र किया था। मुझे विश्वास है कि मेरे मित्रों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर माननीय मंत्री ध्यान देंगे। भाषण समाप्त करने से पहले मैं उनसे तमिलनाडु में ताप बिजलीघरों में पर्याप्त मात्रा में कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं। केवल तभी तमिलनाडु सरकार राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी की समस्या का समाधान कर सकेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके प्रयत्नों से इस वर्ष रिकार्ड कोयले का उत्पादन हुआ है। 1952 में हमने 36 मिलियन टन से यात्रा प्रारम्भ की थी और आज लगभग हम 147 मिलियन टन कोयला उत्पादित कर रहे हैं। मैं समझता हूं, यह अपने आप में एक शानदार रिकार्ड है। इसके लिए जहां माननीय मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं, मैं कोयला क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों, आफिसरों और पूरी मशीनरी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं।

दूसरी बात, जिसके लिए माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं, पहली बार यह देखने को मिल रहा है, कोयला, पावर, स्टील और रेलवे विभागों में बहुत अच्छा कोआर्डिनेशन है। पहले यहां कई बार इस सम्बन्ध में शिकायत होती थी और यह उसी का परिणाम है कि आज थर्मल पावर प्लान्ट्स में उनकी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन बढ़ा है और क्षेत्रों की बात छोड़िए, उत्तर प्रदेश में जहां मिनिमम था, वहां भी इसमें बढ़ोतरी हुई है। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, इस कोआर्डिनेशन को और ज्यादा इफैक्टिव बनाने के लिए इसको लोअर-लैवल पर ले जाने की आवश्यता है। हायर लैवल पर मोनिटरिंग होना चाहिए कि कैसे उसको इफैक्टिव और पर्पजफुल बनाया जाए तथा इसके लिए लोअर लैवल पर मीटिंग्स होनी चाहिए। आप इस बात को अवश्य मानेंगे कि इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश है।

आज हमारे पिट-हैड्स पर करीब 31 मिलियन टन स्टाक पड़ा हुआ है। शायद इधर कुछ घटा है, लेकिन मैं जिस बात को निवेदन करना चाहता हूं, इससे काफी नुकसान हो रहा है। काफी पावर प्लान्ट्स की यह शिकायत है कि उनके पास एक महीने का स्टाक होना चाहिए, लेकिन

वास्तव में एक महीने का न होकर दो-पांच या दस दिन का है और जिसमें कभी भी कमी पैदा हो सकती है। दूसरी तरफ आपके पिट हैड्स पर स्टाक पड़ा रहे...तो इस के लिए रेलवे मिनिस्ट्री से बात करके इसको कैसे रिड्यूस किया जाए, कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं, उस विषय में आपको विचार करना चाहिए।

कोलमाइंस का कन्ज़र्वेशन और डेवलपमेंट हमारे जैसे देश के लिए बहुत जरूरी है। जिस प्रकार की हमारी डेवलपिंग एकोनामी है, इस एकोनामी में पापूलेशन का प्रेसर हमेशा बना रहेगा तो मैं यह समझता हूं कि जब तक हम इसके विषय में लॉग-टर्म प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग नहीं बनाएगें, तो काम नहीं चलेगा। यदि बराबर कोयले पर दबाव बनाए रखेंगें और जिस तरीके से स्टील प्लान्ट्स के लिए फर्टीलाइजर्स प्लान्ट्स के लिए और पावर प्लान्ट्स के लिए, बराबर इस पर जोर दे रहे हैं, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। हमारे कई सदस्यों ने इस बात को बराबर कहा है कि हमारे देश में जो कोयले का स्टाक है, वह 90 वर्ष तक चलने वाला है और मैं यह समझता हूं कि जो हमारे देश की एकोनामी है, उसमें 90 वर्ष तक नहीं बल्कि आगे आने वाले कई सौ वर्ष तक हमको कोयले की जरूरत पड़ेगी और जिस तरीके से हमें कोयले को एक्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है और सातवी पंचवर्षीय योजना में ही आपको 240 मिलयन टन कोयले की जरूरत पड़ेगी, उस हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि यह कोयला 90 साल भी चल पाएगा। सारे सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि दूसरे सोर्सेज को भी हमें देखना चाहिए और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितने सोर्सेज हो सकते हैं, उन सबका आर्डीनेशन होना चाहिए ताकि कोयले के ऊपर भार को कम किया जा सके। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस दिशा में उनको विचार करना चाहिए।

1.20 म० प०

[श्रीमती बसव राजेश्वरी पीठासीन हुई]

हमें सातवीं पंचवर्षीय योजना में जैसा मैंने पहले निवेदन किया 240 मिलियन टन कोयला चाहिए। पावर सैक्टर के लिए हमको 100 मिलियन टन कोयला चाहिए और स्टील सेक्टर के लिए 140 मिलयन टन कोयला चाहिए लेकिन स्टील सेक्टर के लिए हमें जितना कोयला चाहिए, वह हमको बाहर से मंगाना पड़ा रहा है। बाहर से कोयला मंगाने की जरूरत को कम करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। वायलर्स को बी० एच० ई० एल० ने जिस तरीके से इम्प्रूव किया है तो उसमें एश कन्टेंट वाले कोयले को भी हम खपा सकें, तो अच्छा होगा। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर बराबर रिसर्च होनी चाहिए। जिस प्रकार से बी० एच० ई० एल० ने थर्मल प्लान्ट के लिए नये टाइप के वायलर सप्लाई करने की बात कही है, उसी प्रकार से स्टील पावर प्लान्ट के लिए भी कोई नया तरीका निकाल सकते हैं ताकि अधिक सल्फर कन्टेंट वाले कोयले को भी हम अपने यहां यूटीलाइज कर सकें।

इस समय कोयले का सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है, वह आग लगने से हो रहा है और इस समय 90 मिलियन टन कोयला नष्ट हो रहा है और मैं नहीं समझ पाता कि राष्ट्रीयकरण से पहले जिस प्रकार की स्थिति थी उसमें बहुत ज्यादा सुधार आया हो। यह जरूरी है कि नये

कोलफील्ड्स में आग का प्रभाव उतना नहीं है मगर जो पुरानी कोलफील्ड्स हैं जो प्राइवेट माइनर्स के पास पहले थीं, उनमें आज भी आग लगती है और इससे बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश का हो रहा है। इसके लिए कोई लांग-टर्म प्लान होना चाहिए और एक टाइम बाऊण्ड प्रोग्राम होना चाहिए, जिससे कोयले में आग लगने को बचाया जा सके।

हमारे यहां इल्लीगल माइनिंग से जो नुकसान हो रहा है, उसकी तरफ मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 300 करोड़ रुपये का नुकसान इससे होता है। हमारे माननीय सदस्य श्री एस० एन० सिन्हा ने कोयले की चोरी के विषय में बड़ी डिटेल में बातें बताईं। मैं महज इतनी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि तुम क्या कोई प्रोटेक्टिव फोर्स अपनी कोलमाइन्स पर नहीं बना सकते और उस पर आपका पूरा कन्ट्रोल हो। वह इस बात को देख सके कि कोयले की चोरी न हो। माफिया गैंग और दूसरी बातें जो माननीय सदस्यों ने कही हैं उन सबमें न जाकर मुझे केवल इतना निवेदन करना है कि आपको इस विषय पर ध्यान देना चाहिए।

आपका करोड़ों रुपया इस समय अलग-अलग ग्राहकों के ऊपर बकाया है और अधिकांश ग्राहक आपके पब्लिक अण्डरटेकिंग्स के हैं चाहे वह स्टेट की हों या सेंट्रल गवर्नमेंट की। उनसे आप टाइम पर पैसा रियेलाइज नहीं कर पा रहे हैं। यह जो एमेंडिंग बिल आप लाए हैं, यह परपजफुल होता यदि आप अपने ग्राहकों को किस तरह से पैसा रियेलाइज करेंगे, उसके बारे में कुछ सुझाव ले कर आते। उन पर आपका काफी रुपया बाकी है और इससे आपको बहुत नुकसान हो रहा है। नुकसान को कम करने के लिए आप कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं। सातवीं योजना के वर्किंग ग्रुप ने कोल इंडस्ट्री के लिए 14,410 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की मांग की है और इतनी विशाल धनराशि आप खर्च करने जा रहे है और दूसरी तरफ नेशनल एक्सचेंकर को उसका रिटर्न कुछ नहीं देते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप जैसे मिनिस्टर, आप जैसे ताकतवर मिनिस्टर के लिए जो कि पब्लिक अण्डरटेकिंग्स का इतना बड़ा वकील है, एक चेलेन्ज है। अगर प्लानिंग कमीशन ने आपको इतना पैसा दे दिया और हमारी शुभकामनाएं हैं कि इतना पैसा दिया जाए तो क्या आप सातवीं योजना में रिटर्न के तौर पर 10 परसेंट या 11 परसेंट लेकर देंगे ? यह काम तभी हो सकता है जब आप क्षमता को बढ़ायेंगे, प्रोडक्शन को बढ़ायेंगे और अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे।

इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं।

श्री राज कुमार राय (घोसी) : सभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बिल का समर्थन करने का मौका दिया।

कोयला हमारे देश की इकोनोमी में इतना महत्वपूर्ण है कि इसे हम ब्लैक डायमण्ड कहते हैं। हमारे माननीय मंत्री, श्री साठे जी जो कि मन्त्रिमण्डल के अत्यधिक प्रभावशाली मन्त्रियों में से एक हैं, इस बिल को लेकर आये हैं। उन्होंने कोयले की बकाया की वसूली लैंड रेवेन्यू के तौर पर वसूल करने का जो एक उपक्रम रखा है वह बहुत ही सराहनीय है। इससे बहुत पैसा आ सकेगा। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि हमारी जो पब्लिक अण्डरटेकिंग्स हैं अगर उससे भी पैसे की वसूली समय पर हो सके और वे भी इस परख्यम में आ सकें तो इससे भी बहुत लाभ होगा। जो

बकाया राशि पड़ी हुई वह अगर समय पर प्राप्त होती रहे तो उससे काम करने में बहुत सफलता प्राप्त हो सकती है।

मान्यवर जहां मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मन्त्री जी के व्यक्तित्व और दक्षता की सराहना करता हूं वहां मैं अपने कुछ सुझाव भी देना चाहता हू।

कोल एक एग्जोस्टेबल आइटम है। जो कि आज है, कल रहे ना रहे, परसों रहे ना रहे। यह आगे खत्म होने वाली आइटम है। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि इसका उपयोग हम बहुत ही सावधानी के साथ करें। आजकल कोयले की खुदाई बहुत उत्साह के साथ हो रही है। कोयले की खुदाई होना अच्छी बात है लेकिन हमें कोयले का उतना ही उपयोग करना चाहिए जितनी कि आवश्यकता हो। जैसे कि हमें थरमल पावर के उत्पादन के लिए कोयले का उपयोग करना आवश्यक है, उसके लिए हमें करना चाहिए जिससे कि हमारी थरमल पावर जेनरेट हो सके। हमें इसका उपयोग करते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि आगे कोयले के स्रोत निरन्तर कम होते जायेंगे। अगर हम कोयले का उपयोग अन्य दूसरे अनावश्यक कामों में भी करने लगें तो ये स्रोत जल्दी खत्म हो जायेंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि इसको बिल्कुल जरूरी आइटम पर ही खर्च किया जाए। इसके लिए अगर कोई बिल आप ला सकें कि कोयले का खर्च जरूरी आइटम पर ही होगा तो अच्छा होगा।

कल को कोयले की भी दिक्कत हो सकती है, बिजली की भी दिक्कत हो सकती है। पता नहीं इनकी दिक्कत होने पर वैज्ञानिक क्या नई चीज खोज कर लाएं। लेकिन हमें देश के हित में अभी से काशस होकर चलना पड़ेगा और कोयले के उपयोग के मामले में सावधानी बरतनी होगी।

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि इस समय जो कोल इण्डिया के फंक्शन चल रहे हैं वे कोल बोर्ड के समान हैं। उनके पुनर्निरीक्षण की जरूरत है। इससे जितना लाभ देश को होना चाहिए था वह नहीं हो पा रहा है। इसमें बहुत सी माल-एडमिनिस्ट्रेशन है। एम्पलाएमेंट के मामल में इसमें परेशानी है। इसमें शैड्युल्ड कास्ट्स और शैड्युल्ड ट्राइबस को जितना एम्पलायमेंट मिलना चाहिए था उतना उसे नहीं मिलता है। जो लेबर रखी जाती है उसको साल-दो-साल के बाद हटा दिया जाता है। उन्हें कम मजदूरी दी जाती है। इसमें कम उम्र के बच्चों को भी रख लिया जाता है और जब चाहा, दो साल, चार साल के बाद उनको निकाल दिया गया। यह बड़ी द्विविधा की बात इसमें है कि पब्लिक सेक्टर की यह इतनी बड़ी अण्डरटेकिंग है और पब्लिक सेक्टर के मन्त्री जी इतने बड़े एडवोकेट हैं। उनके जमाने में कांट्रेक्ट लेबर कोल फील्ड्स में चल रही है। जमीदारी खत्म हो गई, रैयतवारी खत्म हो गई, बिचौलियों पर कांग्रेस ने सोशलिज्म का झंडा लेकर प्रहार किया, लेकिन यहां पर अभी तक कांट्रैक्ट लेबर प्रथा चल रही है। ठेकेदार के पास 10-5 या 8 रुपए मजदूरी उनको मिलती है और दो-चार साल में मजदूर अपनी लालटेन और छाता लेकर चला जाता है। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं, पनिकाजी के क्षेत्र में कोल फील्ड्स हैं, छिंदवाड़ा में भी मैंने देखा है, बच्चे जवान नहीं हो पाते और अगर जवान हुए भी तो पूरा जी नहीं पाते। उनको कभी रेगुलर नहीं किया जाता, साल-दो-साल में अपना हाड़-मांस गंवाकर जिस तरह से सूद पर

रुपया लेकर आते हैं, उसी तरह से वापिस चले जाते हैं। उनकी सेवा पक्की नहीं होती। इसी तरह से कोल-माइन्स में कई तरह की इरेंगुलरिटीज हो रही हैं। मैं समझता हूं कि मानवता को ध्यान में रखकर, उन बच्चों को ध्यान में रखकर हमें वहां कारगर कदम उठाने चाहिए, एजूकेशन की व्यवस्था करनी चाहिए, उनकी सेवा शर्तों में सुधार करना चाहिए और कोई न कोई रास्ता निकालकर कांट्रेक्ट लेबर को जल्दी से जल्दी समाप्त करें, इसके लिए कोई बिल सदन में लाएं। आप जैसे मंत्री के होते हुए सब लोग इस बात की उम्मीद लगाए हुए हैं।

अभी मैं पिछले सप्ताह का रविवार पढ़ रहा था, साप्ताहिक पत्रिका है जो वैस्ट-बंगाल से निकलती है, आनन्द प्रकाशन से, उसमें बर्दवान, रानीगन्ज और झरिया आदि जगहों पर इतना कोयला निकाला है, मैंने देखा है, लेकिन प्रापर लैंड फिलिंग न होने के कारण वहां हालत यह हैं कि लाखों-करोड़ों की ऊपर की आबादी के नीचे की जमीन पोली है, खोखली जमीन है, इसमें कुछ नहीं भरा गया है और वह दिन दूर नहीं है जब हम यहां पार्लियामेंट में बात करते रहेंगे, उसके सुधार की बात करते रहेंगे और हजारों, लाखों लोग जमीन में धंस जाएंगे।

इसी तरह ठेकेदारों ने और जमीदारों ने वहां जंगल और काट लिए हैं। वहां पर वानिकीकरण का कोई काम नहीं हो रहा है, वन नहीं लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से एन्वायरमेंट एकालाजी पर उल्टा असर पड़ रहा है। बहुत सारी चीजें कहने के लिए हैं, लेकिन चूंकि समय कम है, इसलिए अपनी बात समाप्त करता हूं। बाकी चीजें में अलग से लिखकर माननीय मन्त्री जी को दे दूंगा और मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री महोदय सारी चीजों के बारे में शीघ्र कदम उठाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं और माननीय मंत्री जी से आशा करता हूं कि इतने योग्य मंत्री के होते हुए कोई चीज बाकी नहीं रहेगी।

श्री राम प्यारे पनिका (रावर्टसगंज) : आदरणीय सभापति महोदया, कोयला खान संरक्षण और विकास विधेयक का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बहुत से साथियों ने कई बातें कही हैं, मेरा प्रयास होगा कि इन बातों को दोहराऊं नहीं।

इसमें कोई शक नहीं है कि कोयला मंत्रालय बधाई का पात्र है, खासकर 1980 के बाद कोयले के उत्पादन में जो उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, अभी भी कोयले का उत्पादन बहुत अधिक हो रहा है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को और मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं। मैं यह प्रयास करूंगा कि जो बातें कही जा चुकी हैं, वे फिर से न कहूं। सबसे पहली बात कोयला बोर्ड के बारे में कही गई, काफी रकम कोल इण्डिया की बकाया है, यह बड़ी चिंता की बात है। बहुत अच्छा होता अगर कंज्यूमर्स से वसूली के लिए यहां पर बिल लाया जाता। इसलिए मेरा कहना है कि एक कंप्रीहेंसिव बिल लाएं, जिसमें कोल इण्डिया को चलाने के लिए उसका जो करोड़ों रुपया बकाया है, वह वसूल हो सके। कंज्यूमर्स का यह कहना है कि सिम्पलिंग की व्यवस्था है लेकिन टैस्टिंग की व्यवस्था नहीं है। मैं सिंगरौली क्षेत्र से आता हूं। आपके जो बिल आते हैं, उसके अनुसार नहीं आते जो आपकी कोलियरी वैल्यु के होने चाहिए। इसलिए कंज्यूमर्स या बोर्ड इसकी आपत्ति करते हैं। आप यह तय करें कि जहां आपने सिम्पलिंग की व्यवस्था की हुई है वहां ज्वायंट टैस्टिंग की भी व्यवस्था हो ताकि

रिजल्ट सामने आ जाए और बिल में कोई कन्ट्रोवर्सी न रहे। सभी लोगों ने यह स्वीकार किया है कि कोयले में एश कन्टेन्ट भारी मात्रा में है। एश कंटेन्ट के साथ ही, जब हम इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को सप्लाई करते हैं तो उसमें बड़े-बड़े स्टोन्स और शैल्स आ जाते हैं। इसके लिए इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को काफी एतराज होता है। वाशरी लगाने की जो योजना थी, उससे कोल इण्डिया बहुत पीछे है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वाशरी लगाइए और अच्छी क्वालिटी का कोल दीजिए। इसमें कोई शक नहीं कि मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जो कोआर्डिनेशन कोल इण्डिया, रेलवे या इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का हुआ है, वह बहुत ही अच्छा है। ऐसा पहले कभी नहीं था। सन 80 से पहले यानी जनता सरकार का पीरियड मुझे याद आ रहा है। कई इलैक्ट्रिसिटी बोर्डस ने कोयले की कमी के कारण अपने प्लांटस बन्द कर दिए थे। अब आपने ऐसी स्थिति कर दी है जिसकी वजह से बड़े आराम से इलैक्ट्रिसिटी बोर्डस काम कर रहे हैं। उन पर जो बकाया है उसके लिए सहानुभूति बरतनी पड़ेगी। कोई भी इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ऐसा नहीं है जिसके पास प्लांट चलाने के लिए पन्द्रह दिन से कम का कोयला हो। इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। वर्कर्स के वैलफेयर के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं। वर्कर्स के क्वार्टर बनाने का काम ठेके पर दिया जाता है लेकिन कोई बना नहीं पाता है। मैंने पिछली बार सुझाव दिया था कि कोल इण्डिया में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का इंजीनियर्स का एक विंग होना चाहिए ताकि समय से बिल्डिंग बन जाए। उनके लिए दवा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। सेन्ट्रल अस्पताल की बड़ी कमी है। सिंगरौली कोल फील्ड में है लेकिन उत्तर प्रदेश का जो भाग है, उसमें वह नहीं है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर ग्यारह कोल माइन्स हैं। वहां पर न तो इन्टरमीडिएट, न डिग्री कालेज और न ही आई० टी० आई० है। वैलफेयर को ध्यान में रखते हुए यह सब आपको करना पड़ेगा। मजदूरों के लिए पीने के पानी की तथा कोयले की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि एफिशिएंसी बढ़े। इसमें कोई शक नहीं कि प्रोडक्टीविटी बढ़ी है। आपने सेफ्टी मेजर्स इन दिनों में बहुत लिए हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। एक्सीडेंट में कमी आई है और उत्पादकता बढ़ी है। यह भी खुशी की बात है। आपने कास्ट माइन्स में जो माइनिंग इंजीनियर्स हैं उनके प्रोमोशन बहुत देर के बाद होते हैं। मैनेजमेंट में साठ और चालीस का रेशो है। मैनेजमेंट में जो सिविल और मैकेनिकल इन्जीनियर्स हैं उनको कभी सी० एम० डी० या डायरेक्टर नहीं बनाया जाता है। इस भेदभाव को आप देखिए। वर्कर्स और मैनेजमेंट की स्थिति भी अच्छी है। कहीं-कहीं पर यूनियन हैं। मैनेजमेंट के लोग यूनियन पैदा करना चाहते हैं। यह नहीं होना चाहिए। जहां-जहां इनडिसीप्लीन है उसमें भी कमी आई है। आज हमारे यहां 29-30 मिलियन टन कोयला पड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी वह कंज्यूमर्स को उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको वितरण व्यवस्था को तेज करना होगा। कोल यार्डस की व्यवस्था की गई थी लेकिन उसमें हमारे अधिकारी लोग बड़े सुस्त हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं—वैस्टर्न कोस्ट का, जहां विश्रामपुर में पुराने इन्जीनियर लोगों ने एक सोसायटी बनाई, उसमें जी० एम० वगैरह लोग तक शामिल थे। उनका इरादा था कि इसमें कुछ काम किया जाए। चूंकि वह इन्जीनियर्स की सोसायटी थी, सबसे कम उसकी बोली है, साल भर हो गया, लेकिन उस कोल यार्ड का ठेका उसे नहीं दिया गया। इसलिए वितरण व्यवस्था में करप्शन को दूर करने की तरफ भी आपको देखना होगा। आपको उसे कन्ट्रोल करना होगा। आप देखें कि कोल यार्डस में कोयला क्यों नहीं पहुंच रहा है और एक व्यवस्था करें कि कोल माइंस के आसपास हमारे जितने कंज्यूमर्स हैं आप उनको कोल माइंस से

डायरेक्ट कोयला दें। आपको उससे क्या फर्क पड़ता है। उससे यह होगा कि कोयला सस्ता होगा। आज दिल्ली, हरियाणा या पंजाब में कोयला जिस भाव पर मिलना चाहिए, उस भाव पर नहीं मिलता है। उसका कारण यह है कि या तो कोयले के व्यापारियों के साथ अन्याय होता है, उसको कन्ट्रोल करने की जरूरत है, या जैसे यहां पर माफिया गैंग की बात की गई। जितनी हमारी नई कोल माइन्स आ रही हैं उनमें निश्जित रूप से पुलिस के अधिकारी भी उन लोगों से मिल जाते हैं। आप इसका पता लगायें कि कोल इण्डिया के अधिकारी उनसे मिल जाते हैं। आप देखें कि वे कैसे पैसा बनाते हैं। हमने कई जगह बहुत ही नजदीक से देखा है। वहां देखा है कि हमारे अधिकारी लोग वहां गलत तत्वों के साथ सम्बन्ध बना लेते हैं। इन सब चीजों को रोकने की दिशा में आपने कदम उठाने हैं।

मान्यवर, कोल फील्डस बनाने के लिए समझौता करके जो जमीन हम लोगों ने दी है, उससे विस्थापित होने वाले प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को आप नौकरी पर लें, यह भी मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। हमारे यू०पी० और बिहार में क्या हो रहा है कि जमीन पर कोई झगड़ा नहीं है, कोल माइन्स के लिए हमने सब समझौते के अंतर्गत दे दिया, और जो समझौता हमने किया वह पूरा होने की बजाए, मैं आपसे पिछली बार मिला भी था और आपने मेरे कहने पर 12-14 आदमियों पर काम पर रखने के आर्डर कर दिए, लेकिन बिहार के आदमियों को ट्रांसफर करके दूसरी जगह ले जाया जाता है। भरती किसी स्थान पर होती है और वहां दूसरी जगह के आदमी लाए जाते हैं और इस तरह लोकल आदमियों को कोई जगह नहीं मिल पाती। इसलिए एक मेरा अनुरोध यह है कि आप किसी भी कोल फील्ड में बाहर से लोगों को न लायें बल्कि लोकल आदिवासियों हरिजनों को रखें, जिन लोगों ने जमीन दी है, चाहे उसने एक एकड़ ही क्यों न दी हो, भूमिहीन हो, उनको नौकरी पर रखा जाना चाहिए।

दूसरी बात डीसेंट्रेलाइजेशन की है। सिंगरौली की स्थापना के वक्त यह कल्पना की गई थी, बल्कि यह तय हो गया था और यहां माननीय मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में भी इस बात को कहा कि एक कम्पनी बनाई जाएगी, लेकिन आज तक वह कम्पनी नहीं बनी। क्यों आप सारी पावर एक जगह इकट्ठा करना चाहते हैं। छोटे-छोटे निर्णयों के लिए उनको वाराणसी जाना पड़ता है, रांची जाना पड़ता है। आप सिंगरौली एरिया के लिए एक कम्पनी बनाइए। डायरेक्टर्स से काम नहीं चलेगा, डायरेक्टर के पास हर काम के लिए दौड़ना सम्भव नहीं है। उसका आफिस आप वाराणसी में रखें। यदि आप इस तरह से काम करेंगे तो निश्चित तौर से कोयले का उत्पादन बढ़ेगा, वितरण ठीक होगा और कोयला फील्ड में फैला भ्रष्टाचार कम होगा। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कोल इण्डिया के कम्पनी बनाने के जो नार्म्स हैं, एरिया बनाने के, उसके अनुसार काम करें। आप उत्तर प्रदेश का एक एरिया बना दीजिए, मध्य प्रदेश का दूसरा एरिया बना दीजिए और एक कम्पनी बनारस में बना दीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज वहां बढ़ेगी और आये दिन पैदा होने वाली समस्याओं से भी आपको मुक्ति मिल सकेगी।

इसके अलावा जो कोयला जल रहा है, उसको भी आप बचाइए। एक निवेदन मैं यह भी करना चाहता हूं कि प्रोडक्शन अधिक दिखाने के लिए कुछ कोल फील्ड के अधिकारी लोग फर्ज

कोयले का उत्पादन दिखा देते हैं। और गर्मी आने पर दिखा देंगे कि जल गया। मैं चाहता हूं कि इस कुप्रथा या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपके पास एक मशीनरी हो जो मौके पर जाकर देखे कि जितना कोयले का उत्पादन दिखाया गया है, क्या उतना कोयला मौके पर मौजूद है या नहीं। यह देखना बहुत जरूरी है।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और यह आशा रखता है कि कोयले जैसे की—सैक्टर में उत्तरोत्तर उत्पादन बढ़ेगा, उसी तरह से हमारे देश में अधिक बिजली पैदा होगी, उससे उद्योगों का विकास होगा और ये बुनियादी चीजें कम नहीं होंगी। कोयला बुनियादी आवश्यकता है। वैसे देखने में यह काला होता है लेकिन आज उस काले पदार्थ के भरोसे ही हमारे देश में उजाला हो रहा है। मुझे विश्वास है कि आप जैसे योग्य मंत्री के नेतृत्व में इसमें उत्तरोतर सुधार होता जाएगा। आप इसे आगे बढ़ाते रहेंगे।

श्री राम बहादुर सिंह (छपरा) : महोदया, जो बिल सदन में पेश है, यदि वह बिल पारित नहीं होता, तो कोयला खान के संरक्षण और विकास के ऊपर कोई आसमान नहीं टूट जाएगा और अगर पारित होता है, तो कोई चार चांद नहीं लग जाएंगे। लेकिन इस बिल के पेश होने से एक लाभ हुआ है कि कोयले से सम्बन्धित अन्य बिन्दुओं पर भी विचार करने का मौका मिला है।

महोदया, अपने देश में ऊर्जा के जितने भी उपलब्ध साधन हैं, उन तमाम साधनों में कोयला सर्वोपरि स्थान रखता है और कोयले के विकास और संरक्षण के मायने होते हैं कि उपभोक्ताओं तक कोयला उचित मात्रा में, उचित समय पर और उचित रेट से पहुंचाया जाए और यदि नहीं पहुंचता है तो आप लाखों कानून बनाते रहें, लाख संरक्षण करते रहें या विकास करते रहें, वह कोई मायने नहीं रखता है। उससे देश को कोई लाभ नहीं होगा।

गत वर्ष, हमारे यहां बिहार में, जहां सबसे ज्यादा कोयला मिलता है, कोयले के लिए हाहाकार मचा हुआ था, तो आपके कोल इण्डिया के चेयरमैन का बयान आया कि मेरे पास तो कोयले का अक्षय भण्डार है, लेकिन वैगनों की कमी की वजह से उपभोक्ताओं तक कोयला पहुंचाने मे कठिनाई आती है, इसके क्या मायने हैं कि वैगनों की कमी के कारण लोगों तक, तापबिजली घरों तक या इस्पात कारखानों तक नहीं पहुंच पाता है ? आप और रेल मंत्री जी साथ-साथ बैठते हैं और यह मन्त्रिमण्डल संयुक्त जिम्मेदारी की व्यवस्था पर काम करता है, तो इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन इससे मालूम होता है कि कहीं न कहीं कोआर्डिनेशन, समन्वय का अभाव है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि ठीक-ठीक तरह से यह उद्योग आगे बढ़े, तो आपको इसमें समन्वय करने की कोशिश करनी चाहिए।

जहां तक नाप-तौल का सवाल है, एक माननीय सदस्य ने कहा कि जितनी भी आपकी वेइंग मशीनें हैं, उन सभी में जंग लग गया है, यह बात भी ठीक है। यदि किसी को एक सौ टन कोयला लेना पड़े, तो उसको 110 टन कोयला खरीदना पड़ेगा तब जाकर उसको एक सौ टन कोयला मिलेगा। यदि उसने सौ टन खरीदने की गलती की, तो उसे सौ टन के बजाय 90 टन कोयला ही मिलेगा।

इसी तरह से गुणवत्ता का सवाल है। गुणवत्ता के बारे में अगर सबसे ज्यादा जानकारी किसी को है, तो देश के कोने-कोने में अवस्थित ताप बिजलीघरों को है। जब से कोयले का राष्ट्रीयकरण हुआ है, तब से कम से कम एक सौ हजार टन घटिया किस्म के कोयले की आपूर्ति की गई है। कोयले में पत्थर मिलाकर के, उसमें मिट्टी मिलाकर के सप्लाई की गई है और जिस ताप बिजलीघर या इस्पात कारखाने में घटिया किस्म का कोयला जाएगा उसका भट्टा बैठ जाएगा, बिजली का उत्पादन बन्द हो जाएगा और देश की आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी, यह तो इसका एक पहलू है। महोदया, इसका दूसरा पहलू यह है कि पिछले 50 वर्षों से कोयला अंचल झरिया में आग लगी हुई है और रोज हजारों टन जो सबसे बढ़िया किस्म का कोयला है, जलकर के खाक हो रहा है और जो कोयला यहां जलकर खाक हो रहा है, उसी कोयले के लिए बेशर्मी के साथ हमको दुनिया के ऐसे देशों के सामने हाथ पसारना पड़ता है अपने इस्पात के कारखानों को चलाने के लिए जिनकी कोई वक्त हमारे देश के सामने नहीं है। आस्ट्रेलिया के सामने, कनाडा के सामने हमें हाथ पसारना पड़ता है। जब हमारी सरकार यह चाहती है कि कोयला खान का संरक्षण हो, तो उसको सारी शक्ति ला लगाकर के, कोल अंचल में जो आग लगी हुई है उस आग पर काबू पाने की चेष्टा करनी चाहिए, यदि उस आग पर काबू पा लिया गया तो फिर हमको दूसरे देशों पर अवलम्ब नहीं रहना पड़ेगा और इससे हमारे इस्पात के कारखानों को चलाने के लिए सबसे बढ़िया किस्म का कोयला भी मिलेगा।

महोदया, इसी तरह से सबसे ज्यादा चर्चा कोयला अंचल में माफिया गिरोह के बारे में है और खासियत यह है कि बिहार की सबसे बड़ी कुर्सी पर, यानी मुख्य मंत्री की कुर्सी पर जो कोई भी व्यक्ति आता है, वह आते ही ऐलान करता है कि कोयला अंचल को माफिया लोगों से मुक्ति दिलाने का काम किया जाएगा! लेकिन आज तक किसी ने इस काम को नहीं किया। इस समय जो बिहार की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति है, जब वह मुख्य मंत्री बना तो उसने भी यही ऐलान किया, उनको कोयला अंचल की चप्पे-चप्पे की जानकारी है, उनकी सारी जिन्दगी कोयला अंचल में बीती हुई है, उन्होंने जब यह घोषणा की, तो लोगों को यह अहसास हुआ कि यह आदमी कुछ कर सकता है, लेकिन उनकी भी घोषणा टांय-टांय फिस्स होकर रह गई। इसमें मुझे कोई अश्चर्य नहीं क्योंकि किसी भी व्यक्ति की पहचान इससे नहीं होती कि वह क्या बोलता है, उसकी पहचान तो उसके कार्यों से होगी, जो वह करता है। मैं बहुत लम्बा-चौड़ा भाषण दे रहा हूं मेरा भाषण क्रांतिकारी हो सकता है, लेकिन मेरे भाषण से मेरी पहचान नहीं हो सकती है, मेरी पहचान तो जो काम मैं करूंगा, उससे ही होगी। हम लाख घोषणाएं करते रहें और बिहार की सबसे बड़ी कुर्सी या इससे भी बड़ी कुर्सी पर बैठकर माफिया गिरोह से कोयला अंचल को मुक्ति दिलाने की बात करते रहें, तो केवल घोषण करने से मुक्ति नहीं मिलेगी क्योंकि शाम को उसी माफिया गिरोह के लोगों के साथ बंद कमरे में बैठकर बैठकें होती रहेंगी, तो खाली ऐलान करने से कभी भी माफिया गिरोह से मुक्ति नहीं मिल सकती है।

मजदूरों का जहां तक सवाल है, मजदूर मेहनत-मशक्कत करता है और खून को पानी की तरह बहाकर के तीन सौ फीट से लेकर तीन हजार फीट नीचे तक जा करके खदान में से कोयला निकालता है और जब वह बाहर आता है, तो पहचान में नहीं आता है कि वह आदमी है या कोई

दूसरा हैं, और जब वह घर रहने के लिए जाता है, तो वह जहां रहता है वहां नरक की स्थिति कायम रहती है। पीने के पानी का इन्तजाम नहीं, शुद्ध वातावरण नहीं, रहने तक के लिए बढ़िया मकान नहीं और इसका नतीजा यह हो रहा है कि आए दिन कोयला खान में काम करने वाला मजदूर तपेदिक रोग का रोगी होकर मौत के घाट उतर जाता है। उसके लिए हस्पताल में कोई दवा नहीं मिलती। जितनी भी दवाएं आती हैं, वह बड़े-बड़े अधिकारियों के घर में जाती हैं। उनसे जो दवा बचती है वह बाजार में ब्लैक मार्केट में बेच दी जाती है, लेकिन कोयला खान का मजदूर दवा के अभाव में दम तोड़कर दुनिया से चला जाता है। यह बीमारी नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से है।

अगस्त, 1984 में कोयला खान से संबंधित लोगों का एक सम्मेलन रांची में हुआ था और आपके खान सचिव श्री एस० बी० लाल वहां गए थे। उन्होंने कहा कि कोयला उद्योग की छवि आम लोगों में अच्छी नहीं है। ठीक कहा, और इसका कारण उन्होंने बताया कि प्रबन्ध का दोष है।

मैं मानता हूं कि दुनिया में हर चीज की जड़ जमीन में होती है, लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ आसमान में होती है। यदि आप चाहते हैं कि कोयला खान का विकास हो, उसका संरक्षण हो तो आपको सबसे पहले कोयला अंचल में से भ्रष्टाचार को खत्म करना पड़ेगा और इसके लिए नीचे नहीं ऊपर देखना पड़ेगा। जब तक आप यह मानकर चलेंगे कि भ्रष्टाचार को नीचे के लोगों से खत्म किया जा सकता है, तो यह कभी खत्म नहीं हो सकता है। जब दिल्ली गन्दी रहेगी तो पटना और कलकत्ता साफ नहीं रह सकते। जब पटना और कलकत्ता साफ नहीं रहेंगे तो रानीगंज, झरिया और धनबाद भी साफ नहीं रह सकते हैं। इसलिए आप मजबूत दिल करके मजबूत कदम उठाइये।

मैंने सुन रखा है कि आप प्रगतिशील विचार के कर्मठ व्यक्ति हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्रगतिशीलता और कर्मठता का परिचय कोयला अंचल को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने में दीजिए ताकि कोयला खान का संरक्षण हो सके और विकास हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ इस आशा से कि आप मेरी बातों पर विचार करेंगे और जो कुछ आपसे हो सकेगा, करने की कोशिश करेंगे, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मैं कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। जैसाकि मंत्री जी ने खुद बताया है कि इस अहानिकारक विधेयक का उद्देश्य सांविधिक आवश्यकता को पूरा करना है। केवल कानूनी औपचारिकता का पालन करना है। छठी लोक सभा की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने कुछ उपबन्ध को नियमों में नहीं, बल्कि अधिनियम में शामिल करने की सिफारिश की थी और इसलिए यह संशोधन लाया गया है। मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं, जो कि इस समय उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में कोयला उद्योग के कार्यकरण और इसके कार्यों को किस प्रकार सुधारा जा सकता है, इस संबंध में सभा से सुझाव आमंत्रित किये थे कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण 1973 में किया गया था और यह एक ऐतिहासिक कदम था। उसके बाद कोयला उद्योग क्षेत्र में काफी विकास हुआ है और दो लाख लोगों को कोयला क्षेत्र में रोजगार दिया गया है। उनकी मजदूरी में भी पर्याप्त वृद्धि की गई है। राष्ट्रीयकरण का क्या उद्देश्य था? विविध उद्देश्य थे। सर्वप्रथम यह समझा गया था कि कोयले

जैसा मूल उद्योग ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, और यह ऊर्जा का युग है तथा ऊर्जा के स्रोत पर बिना नियन्त्रण के भारत जैसा कोई लोकतान्त्रिक समाजवाद का समर्थक राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता है। इसलिए देश को लोकतन्त्रीय समाजवाद के रास्ते पर कदम दर कदम आगे बढ़ने के लिए यह कदम उठाया गया था और इसके साथ-साथ इस क्षेत्र में लगे लाखों मजदूरों के शोषण और भ्रष्टाचार को समाप्त करने तथा कोयले का अत्यधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए यह कदम उठाया गया था और अन्त में एक स्थिर मूल्य पर उपभोक्ता को कोयले की निरन्तर सप्लाई सुनिश्चित करना था। 1973 में कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के ये उद्देश्य थे।

ऐसे बहुत से काम किये गए हैं जिनके लिए भारत को बधाई देनी चाहिए लेकिन मैं यह भी कहने के लिए बाध्य हूं कि आगे और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। आज चिन्ता की बात राष्ट्रीयकरण के बाद से लेकर अब तक कोयला उद्योग को होने वाला घाटा है। इस उद्योग को प्रतिवर्ष लगभग 24 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है और इस उद्योग का कुल घाटा एक हजार करोड़ रुपए से भी अधिक है। हम सभी का अपने देश के मामलों के बारे में चिन्तित है जो अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र में लगे हुए है। कपड़े में हानि हुई है, इस्पात में हानि हुई है। प्रत्येक इस्पात मिल को 100 करोड़ रुपए की हानि हो रही है। कोयले के क्षेत्र में भी हानि हो रही है। अतः इस समाजवादी अर्थव्यवस्था को क्या होगा जिसका देश में बहुत अच्छी तरह से पालन किये जाने का विचार था।

जिन कारणों से कोयला उद्योग को घाटा हो रहा है, उनकी जांच की जानी चाहिए और भविष्य में घाटे को रोकने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए।

अब इन घाटों के क्या कारण हैं ? मुझे लगता है कि इसके कारण हैं, पुरानी भूमिगत खानें, मजदूर और प्रबन्ध के बीच समन्वय की कमी, खानों के अवैज्ञानिक तरीके तथा अधिकारियों के बीच प्रचलित भ्रष्टाचार। वे अपने आपको नवाब समझते हैं। वे किसी की परवाह नहीं करते हैं। इसलिए कोयला क्षेत्र में इन अधिकारियों और प्रशासन को चुस्त बनाया जाना चाहिए। इस उद्योग को श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच अच्छे सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है। प्रबन्ध में श्रमिकों की उचित भागीदारी भी होनी चाहिए। श्री बसंत साठे अक्सर प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी की बात करते हैं। यह उनको और उनके मंत्रालय को चुनौती है। यह उनकी योग्यता को भी चुनौती है। मैं जानता हूं कि वह समाजवादी विचारों और प्रगतिशील मन्त्री हैं। उन्होंने इस विषय पर एक पुस्तक लिखी है परन्तु उन्हें अपने क्षेत्र से शुरू करने देना चाहिए वे प्रबन्ध में श्रमिकों को शामिल करें और इस क्षेत्र में उन्हें भागीदारी बनायें।

मेरे वे दोस्त जो मुझसे पहले बोले हैं, उन्होंने चोरी, गैरकानूनी तरीके से कोयला निकालने तथा इस क्षेत्र में माफिया ग्रुप के सक्रिय होने की विस्तार से चर्चा की है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि इतना अधिक समय नहीं है, परन्तु मैं माननीय मंत्री को कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

मेरा पहला सुझाव यह है कि ऊर्जा नीति समिति के प्रतिवेदन को नियम पूर्वक लागू किया जाना चाहिए। फजल समिति के इस सुझाव को भी कार्यान्वित किया जाना चाहिए कि खानों के

क्षेत्र में ही रक्षित विद्युत संयंत्र होने चाहिए। कोयला को काला हीरा कहा जाता है। कई लोगों ने सही कहा है कि कोयला रंग में काला है परन्तु अर्थव्यवस्था में समृद्धि लाने का यह अच्छा साधन है। हमारे विकास में कोयला एक मूल तत्व है लेकिन देश में जिस प्रकार कोयले का प्रबन्ध किया जा रहा है वह अत्यन्त चिन्ताजनक है।

कोयला मन्त्रालय का भार सभालने के बाद से ही वर्तमान मन्त्री जी ने अपने मन्त्रालय तथा रेल मन्त्रालय और ऊर्जा मन्त्रालय के बीच कोयले को खानों से निकालकर ताप बिजली स्टेशनों को तुरन्त सप्लाई करने हेतु समन्वय लाने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। हमें ये चीजें राजनीति के दायरे में नहीं रखनी चाहिए। राजनैतिक लाभ से ऊपर रखना चाहिए। अर्थव्यवस्था को राजनैतिक लाभ के ऊपर रखना चाहिए। मैं आपको चीन का एक उदाहरण देता हूं। आजकल चीन 780 मिलियन टन कोयला और 44 मिलियन टन इस्पात पैदा कर रहा है। हमारे देश ने उसी समय विकास करना आरम्भ किया था जब चीन ने किया था लेकिन हमने केवल लगभग 10 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन और 147 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में कोयला का उत्पादन 240 मिलियन टन और आठवीं योजना में 325 मिलियन टन तक बढ़ाया जाएगा।

2.00 म० प०

इसके लिए अभी से ही अग्रिम योजना बनाना आवश्यक है। वैज्ञानिक विकास अपेक्षित है। कार्यकारी दल ने योजना आयोग के समक्ष 14,400 करोड़ रुपये मांग रखी हैं। मुझे नहीं पता कि उसके बारे में अन्तिम निर्णय लिया जा चुका है अथवा नहीं। किन्तु इस वर्ष चर्चा के दौरान उन्हें केवल 1400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। केवल 50% राशि आबंटित की गई है। श्रमिकों में अपनत्व की भावना पैदा करनी चाहिए। भागीदारी की भावना पैदा करनी होगी। उन्हें भागीदार समझा जाना चाहिए जिससे भ्रष्टाचार समाप्त होगा और उठाई गिरी समाप्त होगी। अधिकारियों की जवाबदेही होनी चाहिए। अधिकारों के साथ उत्तरदायित्व भी होना चाहिए। उत्तरदायित्व के बिना केवल अधिकार की बात करने से प्रगति और विकास संभव नहीं है।

उड़ीसा तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। तलचर से लेकर रैरखोल तक बीच की ईब घाटी सहित एक कोयला-पट्टी है। यह बहुत बड़ा कोयला क्षेत्र है। यह केवल देश का ही अपितु पूरे विश्व का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। किन्तु महोदया, दुर्भाग्यवश इस कोयला क्षेत्र की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम वहां दो उच्च तापीय संयन्त्र आसानी से स्थापित कर सकते हैं—एक तलचर में और दूसरा ईब घाटी में।

कुछ समय पूर्व मैंने चीन की अर्थव्यवस्था की बात कही थी। चीन में राजनैतिक विचार से बात नहीं की जाती है अपितु वहां व्यावहारिक बुद्धि से मार्ग निर्देश लिया जाता है। वहां कोयला खानों के मुहानों पर ही विद्युत संयन्त्र स्थापित किये जाते हैं। हम लोगों को भी खानों के मुहानों पर ही उच्च तापीय विद्युत संयन्त्र स्थापित करने चाहिए अन्यथा हमारे लिए बड़ी भारी समस्या खड़ी हो जायेगी। परिवहन की; रेल की समस्या होगी। आज करोड़ों रुपये का कोयला जला दिया

जाता है। इस मामले में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हमें अपनी सहायता आप करनी चाहिए। उड़ीसा राज्य ऐतिहासिक तथा परम्परागत तौर से बहुत पिछड़ा राज्य है। यहां कोयले का बहुत बड़ा भंडार है। यह कोयला अच्छा है, उच्च कोटि का है और इसमें अधिक राख का अंश नहीं है। कोयले की मात्रा के बारे में चर्चा चल रही थी। इस देश में बहुत अधिक कोयला है; तो भी हम आस्ट्रेलिया से आयात कर रहे हैं। उस कोयले में क्या है? उस कोयले में बहुत अधिक गन्धक है। यूरोपीय देशों और आस्ट्रेलिया के कोयले में गंधक की मात्रा अधिक है जबकि अपने देश के कोयले में गंधक का अंश नहीं है और यही हमारे देश के कोयले का गुण है। राख के अंश को अलग करने के लिए हम अनुसंधान कर सकते हैं तथा अपने विद्युत संयंत्रों के बायलरों का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। तब हमारी आवश्यकता स्वदेशी कोयले से ही पूरी हो जायेगी। हमें आयात नहीं करना पड़ेगा।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि उड़ीसा में एक कोयला कम्पनी स्थापित की जाये जिससे उड़ीस में कोयला उद्योग के विकास पर पूरा ध्यान रखा जा सके। उड़ीसा में यह कम्पनी चालू करने के लिए हमें तुरन्त ही एक पृथक कोयला खण्ड मिल सकता है।

इन शब्दों के साथ महोदया, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

अनपकारक होते हुए भी यह विधेयक बड़ा महत्वपूर्ण है जिसपर हमारे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में इस सभा में इस पर सदस्यों को चर्चा करने का अवसर देने तथा कोयला उद्योगों कि बेहतर कार्यकरण के बारे में सुझाव देने का अवसर देने के लिए मैं मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

2.04 म० प०

हथकरघा वस्त्रों की बिक्री पर विशेष छूट के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह): हथकरघा सहकारी समितियों और निगमों के पास जमा हो चुके वस्त्र भंडारों को समाप्त करने में उनकी सहायता करने की दृष्टि से भारत सरकार की 20 प्रतिशत की विशेष छूट देने सम्बन्धी योजना है। इस छूट में केन्द्र और राज्य सरकार का बराबर का हिस्सा होता है।

वर्ष 1983-84 और 1984-85 में विशेष छूट की अवधि 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दी गई थी। 1983-84 से पहले विशेष छूट वर्ष में 30 दिन दी जाती थी और यह छूट हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनियों में होने वाली बिक्री पर भी उपलब्ध रहती थी। छूट की अवधि 60 दिन किये जाने पर केवल राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनियों को दी जाने वाली विशेष छूट को वापस ले लिया गया था।

तथापि 1985-86 के लिए उस पुरानी प्रणाली को फिर से लागू किया गया था जिसके अंतर्गत विशेष छूट की अवधि 30 दिन रहती थी किन्तु साथ ही यह छूट राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनियों के लिए भी उपलब्ध रहती थी। इस सम्बन्ध में कुछ राज्य सरकारों ने अनेक अभ्यावेदन भेजे हैं कि 1984-85 की उस नीति को पुनः लागू किया जाए जिसके अन्तर्गत विशेष छूट 60 दिनों के लिए उपलब्ध रहती थी।

मामले पर फिर से विचार करने के बाद सरकार ने निर्णय किया है कि वर्ष 1985-86 के दौरान विशेष छूट की अवधि पहले घोषित 30 दिनों के बजाय 45 दिन हो जायेगी। छूट सुविधाएं सरकार द्वारा आयोजित या अनुमोदित हथकरघा प्रदर्शनियों के लिए भी उपलब्ध रहेगी। यह निर्णय पहले की कुल 60 दिन के लिए उपलब्ध छूट सम्बन्धी नीति, जिसमें उपरोक्त प्रदर्शनियां भी शामिल थीं, के मुकाबले अधिक लाभकारी होगा। इस प्रकार वर्तमान निर्णय के अन्तर्गत विशेष छूट सुविधा सभी बिक्री के लिए 45 दिन के लिए उपलब्ध होगी और प्रदर्शनियों में लगभग 120 दिन की बिक्री के लिए छूट इससे अलग होगी।

सरकार के इस निर्णय से हथकरघा क्षेत्र को आगामी मौसम में हथकरघा वस्त्र की बिक्री बढ़ाने और जमा हुए वस्त्र भंडारों को समाप्त करने में अत्यधिक सहायता मिलेगी।

2.06 म० प०

कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन विधेयक—जारी

[अनुवाद]

श्रीमती जयंती पटनायक (कटक) : महोदया, इस संशोधन विधेयक में यह सुझाव दिया गया है कि कोयला-खान मालिकों के हित के लिए सरकार द्वारा जो कार्य अथवा उपाय किये जायें, उसके लागत को वसूल करने का अधिकार इसी अधिनियम में होना चाहिए न कि नियमों में। इसीलिए यह संशोधन लाया गया है। हम इस संशोधन का स्वागत करते हैं क्योंकि यह संशोधन 1973 में कोयला-खानों के राष्ट्रीयकरण किये जाने के अनुकूल है।

महोदया, कोयला खानों का संरक्षण और विकास राष्ट्र के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि कोयला ऊर्जा का मुख्य स्रोत है अतः इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, रेल, विद्युत शक्ति और अनेक उद्योगों से इसका गहरा सम्बन्ध है। इसीलिए 1974 में यह अधिनियम बनाया गया था। इस संशोधन विधेयक में खान मालिकों, एजेन्टों अथवा प्रबन्धकों से शुल्क और कर की वह राशि वसूल करने के लिए सरकार को कुछ अधिकार दिया है जो राशि सरकार कोयला खानों के संरक्षण और विकास के लिए तथा किन्हीं कारणों के प्रति सुरक्षा और निवारण उपाय करती है जो कोयले के संरक्षण तथा कोयला खानों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं तथा कोयले में राख के तत्व को कम करते हैं। महोदया, इन शक्तियों का उपयोग कोयला खान नियम, 1975 के नियम 6 के अन्तर्गत किया

गया था । अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के सुझाव और सिफारिश के अनुसार इसे अधिनियम के रूप में समाविष्ट किया जा रहा है ।

महोदया, 1978 में भारतीय भूसर्वेक्षण ने कहा था कि हमारे देश में 86,4280 लाख टन कोयले का भंडार है जिसकी दरार 1.2 मीटर मोटी है तथा 600 मीटर गहरी है। ऊर्जा नीति समिति के 1980 के प्रतिवेदन के अनुसार यदि यह मान लिया जाय कि शताब्दी के अन्त तक कोयले का उत्पादन 4000 लाख टन हो जाएगा तो भी उपलब्ध कोयले का भंडार लगभग 100 वर्ष तक के लिये पर्याप्त होगा । महोदया, कोयले के संरक्षण के बारे में ऊर्जा समिति ने अनेक सुझाव दिए हैं । मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोयले के संरक्षण के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और क्या-क्या मुख्य सुझाव दिये गए हैं ।

महोदया, इस विधान की महत्वपूर्ण बात कोयले के उत्पादन से सम्बन्धित है जिसके लिए कोयला खानों का विकास करने की आवश्यकता है । आज क्या देखने में आता है ?सरकार के विस्तृत आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल-जून, 1985 में कोयले का उत्पादन 322·99 लाख टन हुआ है जो 1984 की उसी अवधि के दौरान 331.77 लाख टन कोयले के उत्पादन से 2·6 प्रतिशत कम है । तथा इस तिमाही में जो 361.63 लाख टन कोयले का लक्ष्य निर्धारित किया गया था उससे 10.7 प्रतिशत कम रहा है । महोदया, वर्ष 1985-86 के पूरे वर्ष के दौरान 158 लाख टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था अथवा वर्ष 1984-85 के पूरे वर्ष के दौरान जो 1470 लाख टन का उत्पादन निर्धारित किया गया था उससे 110 लाख टन अधिक था । वर्ष 1985-86 में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वह वर्ष 1983-84 के 1530 लाख टन के लक्ष्य से केवल 50 लाख टन अधिक है।

सातवीं पंच वर्षीया योजना में खानों के विकास के लिए मंत्रालय ने योजना आयोग से 44,000 करोड़ रुपये से अधिक की मांग की थी । किन्तु वर्ष 1985-86 के लिए केवल 1350 करोड़ रुपए का नियतन किया गया था । इतनी कम राशि से खानों का विकास करना कैसे संभव हो सकता है ? यह भी नहीं पता है कि इस वर्तमान संशोधन से कितना रुपया मिलने की सम्भावना है ।

कोल इंडिया का उत्पादन संभवत: पर्याप्त अधिक हो सकती है किन्तु मुहानों पर जो इतना अधिक भंडार इकट्ठा हो गया है, वह रेलवे वैगन की कमी के कारण है । मुहानों पर जमा होने वाले कोयले को कम करने के लिए ही जानबूझ कर उत्पादन कम करने की नीति बनायी गई है । खानों के मुहानों पर अप्रैल में जो लगभग, 300 लाख टन कोयला जमा था वह अब घटकर 22.7 लाख के लगभग हो गया है । इससे यह भी स्पष्ट होता है कि कोल इण्डिया ने चालू वर्ष के लिए अपना उत्पादन लक्ष्य 1370 लाख टन से घटाकर 1530 लाख टन क्यों किया है ।

वैगन की निकासी अच्छी होनी चाहिए और प्रत्येक तापीय केन्द्र स्टेशन के पास कम से कम 45 दिन का कोयले का भंडार होना चाहिए । कोयले की सप्लाई समय पर भी नहीं होती है । अनेक उद्योगों की शिकायत है कि कोयला कम सप्लाई किया जाता है । कोल इण्डिया तथा राज्य

विद्युत बोर्ड के बीच हुए समझौते पर हस्ताक्षर सहित फजल समिति की सिफारिश पर गम्भीरता-पूर्वक ध्यान दिया जाये ।

जहां तक कोयले की किस्म का प्रश्न है, उत्पादित कोयले और उपभोक्ताओं को स्वीकार्य कोयले की किस्म में अंतर रहा है । दूसरे शब्दों में, गत वर्ष के दौरान कोयले की मांग असन्तोष-जनक रही थी किन्तु घटिया किस्म के कोयले का उत्पादन अधिक हुआ है । यदि ऐसी बात है तो, इस वर्ष के दौरान बढ़ाये जाने वाले अतिरिक्त कोयले सहित, कोयले की किस्म अच्छी होनी चाहिए जिससे कि उपभोक्ताओं को सप्लाई किये जाने वाले न बिके कोयले के भण्डार में घटिया किस्म के कोयले का भंडार मिलाकर न सप्लाई किया जा सके । संतोष की बात यह है कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये गए हैं कि उपभोक्ताओं विशेषकर तापीय संयन्त्रों को प्राप्त होने वाले कोयले की किस्म के बारे में अथवा सप्लाई किये गए कोयले के मूल्य के बारे में जो वे सप्लाई किये गए कोयले की किस्म के सम्बन्ध में अदा करते हैं, के सम्बन्ध में उन्हें कुछ कहने का अधिकार है । कोल इण्डिया लिमिटेड ने खुली खानों से कोयले के उत्पादन को कम करने तथा अति-रिक्त कोयला प्राप्त करने के लिए खानों की गहरी खुदाई करने का जो निर्णय लिया है उसका मुख्य कारण यही है । यह कदम सही दिशा में उठाया गया है । प्रश्न यह है कि क्या कोयला खानों के मुहानों से एक बार प्रबंधकीय अनुपातों तक नीचे ले जाते समय कोयले की किस्में निर्धारित की जायेंगी ? कोयला उपभोक्ता, जिन्हें अब तक घटिया किस्म का कोयला सप्लाई किया जाता रहा है, गहन यांत्रिक की प्रगति खनन पर विशेष ध्यान देंगे ।

कुछ कारणवश कोयला इंडिया के लिए सामान्य मांग की ओर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है ।

सर्वप्रथम, कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन कार्यरत कुछ कम्पनियों ने आदर्श परिचाल-नात्मक दक्षता की ओर ध्यान देना आरम्भ किया है । विशेषकर खनन प्रौद्योगिकी और मशीनों की सहायता से खनन कार्य का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता को कठिनता से ही अति महत्व दिया जा सकता है । प्राधिकारियों ने यह बताया है कि उपकरणों के बेहतर इस्तेमाल से खानों के कार्यकरण से अधिक उत्पादन किया जा सकता है । अनेक खानों में कम अनुपात मे इनके उपयोग को ध्यान में रखते हुए जो कि कुछ मामलों में 30 प्रतिशत से भी कम है, खनन प्रौद्योगिकी की आव-श्यकता है और वस्तुओं का पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए । कोयले की उतराई के लिए तथा खत्तों से कोयला उठाने के लिए सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए । इस क्षेत्र में और अधिक योजना बनाने तथा समन्वय करना अत्यन्त अनिवार्य तथा आवश्यक है ।

मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य श्री जगन्नाथ राव ने तलचेर कोयला क्षेत्रों के बारे में जो कुछ कहा है, वह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किया जाये । उन्होंने कहा था कि तलचेर कोयला क्षेत्रों में खराब कोयला है और इन क्षेत्रों के मालिकों को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और इन परिस्थितियों को सुधारने के लिए गत कई वर्षों से कुछ भी नहीं किया गया है और अब समय आ गया है जबकि प्राकृतिक ससाधनों के दोहन के लिए कुछ आधुनिक प्रौद्योगिकी को विकसित किया जाना चाहिए ।

एक दूसरे माननीय सदस्य ने कहा है कि उड़ीसा में कोयला खनन के विकास के लिये उचित ध्यान नहीं दिया गया है।

महोदया, उड़ीसा कोयला क्षेत्रों के विकास पर पर्याप्त ध्यान न दिये जाने का कारण यह है कि तलचेर कोयला क्षेत्रों और ईब घाटी कोयला क्षेत्रों का कार्यकरण दो विभिन्न कोयला प्राधिकरणों के हाथ में हैं। राज्य के इन दोनों कोयला-उत्पादक क्षेत्रों को कोल इंडिया की एक पृथक सहायक कम्पनी के प्रशासनिक नियन्त्रण में रखा जाय जिसका मुख्यालय उड़ीसा में हो।

उड़ीसा में उपलब्ध कोयला अनिवार्यतः तापीय श्रेणी का है। इसलिए कोयला भण्डार के विकास और उपयोग पर उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राज्य के तलचेर और ईब घाटी कोयला क्षेत्रा में कुल लगभग 3000 वर्ग कि०मी० में कोयले का भंडार फैला हुआ है। जिसमें से अब तक केवल दस प्रतिशत क्षेत्र में से कोयले का दोहन करने से कोयला प्रतिष्ठानों में कुल भंडार 5800 मीट्रिक टन हो गया है। देश भर में कोयले का कुल जितना उत्पादन होता है उसका 3 प्रतिशत उत्पादन उड़ीसा में होता है।

हाल ही में इस क्षेत्र की खुदाई से तलचेर क्षेत्र के वर्तमान खनन क्षेत्र के पश्चिम में कोयले की गहरी पर्त होने का पता चला है। सुन्दरगढ़ जिले में गोपालपुर के आस-पास कोयले का भारी भन्डार होने की निश्चित संभावना हो गई है। यह कहा जाता है कि यह कोयला तापीय श्रेणी का सर्वोत्तम कोयला है जिसमें राख की मात्रा और खुरदरापन कम होता है। इसलिए, महोदया, इस क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए और उड़ीसा के कोयला-बहुल क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि यहां कोयले का भारी भंडार है। उड़ीसा आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य है और उसे विकसित किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : सभापति महोदया, माननीय मंत्री जी जो कोल डवेलपमेंट एण्ड कन्जरवेशन एक्ट में एमेंडिंग बिल लाए हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं।

चूंकि इस अवसर पर मुझे बोलने का मौका मिला है इस लिए मैं कुछ सुझाव मन्त्री जी के सामने रखना चाहता हूं। मुझे पुराने जमाने की याद आती है, जब तमाम कोल माइन्स प्राइवेट सैक्टर के हाथ में थी। उस समय 32-33 रु० टन का भाव था और मुझे याद है प्राइवेट सैक्टर में दो रुपए टन की वृद्धि मांगी थी, लेकिन हमारी सरकार ने वह वृद्धि नहीं दी थी। नेशनलाइजेशन के बाद अभी आपने आठ जनवरी, 1984 को 25 प्रतिशत भाव बढ़ाए हैं और जो अभी रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार वैस्टर्न-कोल-फील्ड को सौ करोड़ रुपए से ऊपर का फायदा हुआ है। आपने 25 प्रतिशत भाव बढ़ाए हैं, इसलिए आपको मुनाफा हुआ है। यदि आप एफिशियेंसी पैदा करके या बचत करके प्रोफिट करते तो मैं उसको सही मायनों में प्रोफिट मानता।

मैं मंत्री जी के ध्यान में एक बात जरूर लाना चाहता हूं। इस समय कोल माइन्स के उद्योग

में बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश है। आज तो वेस्टर्न कोल फील्ड्स हैं, उनकी छवि बहुत अच्छी नहीं है। हमारा प्रोडक्शन कितना बढ़ा है, 138 मिलियन टन से बढ़कर 147 मिलियन टन हो गया है। हम बहुत खुश हैं कि हमारी प्रोग्रैस हो रही है, परन्तु किस तरह से प्रोग्रैस हो रही है या ये आंकड़े कैसे दिये जाते हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं अभी नागपुर गया था। वहां पर जो स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज का सैक्टर है, उनको बहुत ज्यादा शिकायत है कि कोयले में पत्थर आता है। यह बिल्कुल सही बात है। मैंने स्वयं 15-20 छोटे कारखानों को विजिट किया और देखा कि 10-12 परसेंट पत्थर कोयले में मिला हुआ है, जिसका उनको कोयले का भाव देना पड़ता है। वे कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं होती है। इसकी जांच होनी चाहिए।

जहां तक क्वालिटी का सवाल है, आपके यहां क्वालिट्री का कोई हिसाब-किताब नहीं है। मेरे यहां काम्पटी माइन्स हैं। जहां बी-ग्रेड और सी-ग्रेड के कोयले में 35 से 40 रु० का भाव में अन्तर है। बी और सी ग्रेड के सेम्पल मैंने स्वयं निकाले हैं। दोनों की क्वालिटी एक है परन्तु दोनों के भावों में 40 रुपये का फर्क आप ने कर रखा है। इन्डस्ट्री वाले बोलते हैं कि आप हमको सी ग्रेड का ही कोयला दो, हम 40 रुपए ज्यादा क्यों दें, तो आप के अधिकारी बोलते हैं कि बी ग्रेड का लेना पड़ेगा, सी ग्रेड का आप को नहीं मिलेगा। यह वस्तु-स्थिति चल रही है। इससे कोई छवि सुधरती नहीं है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। आप अपने यहां ही देखिए। कम से कम सैकड़ों, करोड़ों रुपये की आप के यहां मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं। कौन अधिकारी हैं जिन्होंने इनको खरीदा है जबकि इनकी जरूरत नहीं थी और इन का कोई उपयोग नहीं है। मशीनें जंग खा रही हैं और बेकार हो जाएंगी। यह पैसा किसका है। यह जनता का पैसा है और उसका अपव्यय नहीं होना चाहिए। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिन अधिकारियों ने इन मशीनों को खरीदा है, वे आज भी आप के यहां ऊंचे पदों पर मजा कर रहे होंगे। आप उनके खिलाफ कार्यवाही कीजिए। जिन अधिकारियों ने गलत तरीके से मशीनरी खरीद कर सैंकड़ों करोड़ों रुपयों का सरकार को नुकसान पहुंचाया है, उन पर आप कार्यवाही कीजिए। यह समय की आवश्यकता है।

मैं माननीय मंत्री महोदय को यह भी बताऊंगा कि जैसे वाशरी का सवाल है। अभी छींदवाड़ा में, जो श्री कमल नाथ का एरिया है, उसमें आपने 50 करोड़ रुपया खर्च करके इसको खोला और 25 पर सेन्ट कैपेसिटी पर चल रही है। क्यों नहीं उसको 100 पर सेन्ट कैपेसिटी पर चलाते हो। ऐसा करने की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

अभी बिहार के कई सदस्यों ने कहा कि इल्लीगल माइनिंग होती है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपके विदर्भ क्षेत्र में भी माफिया गैंग सक्रिय होता जा रहा है। आज वहां पर जो एक ट्रक कोयला लेता है हालांकि कोयला डम्पर से सीधे ट्रक के अन्दर जाता है और लोडिंग का कोई सवाल नहीं है परन्तु 7 रुपये टन से ले कर 15 रुपये टन जबर्दस्ती उनसे पैसा वसूल किया किया जा रहा है। यह तो शुरुआत हुई है और कहां तक आगे बढ़ेगा, कहा नहीं जा सकता। इसलिए समय रहते इसको रोकना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री जी को एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि रेलवे के अन्दर प्रोटेक्शनफोर्स

है । वहां यदि कोई वैगन ब्रेक करता है, तो उसको गोली से उड़ा दिया जाता है । आप कोलमाइन्स के अन्दर भी इन्डिपेडेंट प्रोटेक्शन फोर्स का निर्माण क्यों नहीं करते । जब तक आप इसका निर्माण नहीं करेंगे, तब तक आप माफिया गैंग और ऐसे दूसरे लोगों से नहीं निपट सकते ।

एक बात यह और कहना चाहता हूं कि पिटहैड्स पर बहुत ज्यादा स्टाक एकूमूलेट होने से आग लगती है । हमारे चन्द्रपुर के अन्दर लाखों रुपये का कोयला जल गया क्योंकि समय पर आपने उसको डिस्पैच नहीं किया । आप समय पर उसको डिस्पैच कराइए ।

मैं एक बात की ओर और मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । आपने बड़े बाक्स वैगन इन्ट्रोड्यूस किये हैं । बाक्स वैगन में तोलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । वे कभी कम देते हैं और कभी ज्यादा देते हैं और उसमें बहुत बड़ा झमेला होता है और लोगों के साथ न्याय नहीं हो सकता । यह दो साल के करीब से हुआ है । इसको एन० एन० बाक्स वैगन कहते हैं । उनके तोलने की आप व्यवस्था करें जिससे उचित पैसे देकर लोगों को उचित माल मिले । कम देने से लोगों को बड़ी तकलीफ होती है ।

कई माननीय सदस्यों ने पावर हाऊसेज की तरफ जो पैसा बकाया है, उसके बारे में कड़ी कार्यवाही करने के लिए कहा है । हमारी जहां तक जानकारी है, यह झगड़ा क्वालिटी की वजह से है । उसमें एश कन्टेन्ट ज्यादा होती है और वे बोलते हैं कि आपने जिस तरह का माल सप्लाई करना चाहिए था, वैसा नहीं किया है । इस तरह से बहुत सारा पैसा बकाया है । जितना पैसा पावर हाऊसेज की तरफ या स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्डस की तरफ बकाया है, उसके बारे में माननीय मंत्री जी स्वयं वहां के मुख्य मन्त्रियों को बुलाकर फैसला कर लें और इस चीज का निपटारा हो जाए, जिससे लोगों में जो गलतफहमी है, वह दूर हो । कम या ज्यादा करके इसका सैटिलमेंट हो जाए ।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि आप नई प्रणाली के हिसाब से काम कीजिए और यह बिल जो मंत्री महोदय लाए हैं, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और यह आशा रखता हूं कि जो थोड़े बहुत सुझाव मैंने दिए हैं, उन पर वे गम्भीरता से विचार करेंगे ।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक का समर्थन करते हुए मुझे यह कहना है कि कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण से देश को बहुत लाभ हुआ है और इस क्षेत्र में देश ने निश्चित रूप से बहुत प्रगति की है लेकिन इस राष्ट्रीयकरण के बावजूद हमारे सामने कुछ समस्याएं हैं और वे काफी विकट हैं । अभी भी झरिया खान में जो आग लगी हुई है उसमें खरबों रुपए का राष्ट्रीय नुकसान हुआ है और इसी आग को बुझाने में हम कभी भी सफल नहीं हुए हैं और हम समझते हैं कि अभी वह दिन दूर है जब हम इस आग को बुझा सकेंगे । इस तरफ उचित ध्यान भी नहीं दिया गया है ।

गिरीडीह कोयला खदान से आप बिना वाशिंग किये उस ग्रेड का कोयला ले सकते हैं जो आप आस्ट्रेलिया से मंगाते हैं । सी० एम० डी० पी० आई० आर्गेनाइजेशन ने इस बारे में स्कीम

बनाकर दी है लेकिन अभी तक हम उसको लागू नहीं कर सके हैं। सरकार को इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए।

आपके अधिकारियों में यह प्रवृत्ति देखी गई है कि वे उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए खानों का ऊपर का कोयला निकाल लेते हैं और नीचे वाले कोयले को छोड़ देते हैं। इस प्रकार से वे तो तरक्की कर जाते हैं और चले जाते हैं लेकिन इससे राष्ट्रीय सम्पत्ति को बहुत नुकसान हो जाता है।

साथ ही साथ खदान में गैर कानूनी तरीके से कोयला निकालने वाले लोग माफिया गिरोह के कहे जाते हैं, जिन पर दुनिया का कोई कानून लागू नहीं होता, वे लोग अवैध रूप से कोयले का खनन करते हैं और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। बगैर किसी रुकावट के उसे बेच देते हैं। उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। यह माफिया गिरोह भी आपके कोयले को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके बारे में आवाज शुरू से ही उठाई जा रही है जब से कि कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। उस वक्त से यह सिलसिला चल रहा है और आज भी जारी है।

इसी प्रसंग में मैं कुछ माइन्स के नामों को लेकर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जहां द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वक्त में जो योजना बनाई गई थी, सर्वे किया गया था, अब वह सर्वे करके कोयला खत्म हो गया है और जो नीचे वाला कोयला है उसके लिए कोई दूसरी योजना अभी तक नहीं बनाई गई है जिसके चलते करोड़ों-करोड़ों रुपये की सम्पत्ति बर्बाद होती जा रही है और सब लोग इस पद्धति को अपनाये हुए हैं। उन्हें इस । ज्यादा फायदा होता है। वे कह देते हैं कि काम पूरा हो गया। मैं ऐसी खदानों के नाम जानता हूं—गारकोंडा कोलियरी, सिरका-सोनडा और गिरीडीह कोलियरी। ये माइन्स बन्द हो गई हैं, इनमें खनना कार्य बंद हो गया है। बहुत से मजदूरों को बिठा कर पैसा दे रहे हैं। इस तरह से राष्ट्रीय सम्पत्ति की बर्बादी हो रही है। हय एक सही राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना होगा जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा कोयला निकाल सकें।

चौथी बात यह है कि बिहार में खनन कार्य केन्द्रीय सरकार के आदेशों से ही चलता है। फिर भी जो अधिकारी वहां काम करते हैं वे बिहार सरकार के हैं। केन्द्रीय सरकार का उन पर कोई भी नियन्त्रण नहीं है। इन अधिकारियों की सांठगांठ से कोयला बेचा जाता है और उसमें उनका हिस्सा होता है। वे अपने पद को लाखों-लाखों रुपए में खरीदते हैं।

कोयला क्षेत्रों में काम करने वाले आदिवासियों को वहां से हटा दिया गया है। उनका नाम लिस्ट में है लेकिन उनके नाम से दूसरे आदमी तैनात कर लिये गए हैं। आदिवासी लोग विरोध भी प्रकट नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों की संख्या 40 से 50 हजार के बीच है। इन लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। जब यह असन्तोष भयंकर रूप से फूट पड़ेगा तो हमारी सरकार और हमारे मन्त्री जी कहेंगे कि विघटनकारी तत्व सिर उठा रहे हैं। लेकिन वहां जो विघटनकारी तत्व काम कर रहे हैं उनको आप बदल नहीं सकते। आज 45 हजार लोगों के नाम पर दूसरे लोग पैसा ले रहे हैं और वे लोग चुपचाप हैं। उनके साथ कोई इन्साफ नहीं हो रहा है। इसलिए इस पर आप ध्यान दें। इसी तरह से खानों में जो कोयला जमा हो रहा है, उससे भी बड़ी कठिनाई है। उठाने वाले कहते हैं कि

रेलवे का दोष है, रेलवे कहता है कि लदान करने वाले का दोष है, लदान कहता है कि बिजली का दोष है, इस तरह से कोयला जमा हो रहा है। इससे सरकार का बहुत नुकसान हो रहा है। इस लिए मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि सरकार इस तरह के कुप्रबंध को समाप्त करे और कोयला यहां से वहां लाने-ले जाने का प्रबंध ठीक हो।

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय सभापति महोदय, कोयला खान संरक्षण और विकास संशोधन विधेयक का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी जो यह छोटा-सा बिल लाए हैं, इसका सारे माननीय सदन ने समर्थन किया है।

हमारे देश में जहां तक बुनियादी जरूरतों का ताल्लुक है, इसमें रेलवे, हमारे उद्योग और हमारी योजनाएं, उन सबमें कोयले का अधिक मात्रा में उपयोग होता है। जिस ढंग से इसमें राख मिलाई जाती है, उसके बारे में सभी सदस्यों ने मंत्री जी को बताया है। जितने हमारे थर्मल पावर प्रोजेक्ट बने हुए हैं, यह हमारी सबसे बड़ी दौलत है। हमें अपनी कोयले की खानों को महफूज रखना चाहिए ताकि कभी भी मुसीबत आने पर हम उसका मुकाबला कर सकें।

जहां तक कोयले की खानों का ताल्लुक है, इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि जहां पर खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, वहीं पर प्राइवेट लोग भी कोयला निकाल रहे हैं। वे जंगलों का नुकसान करते हैं, उनका काम बगैर किसी परमिट के जारी है। जो सरकार का प्रोडक्शन होता है वह उनके खाते में चला जाता है, मेल-मिलाप से सारे काम हो जाते हैं। जहां पर सरकार कोयला निकालती है। वहीं पर प्राइवेट लोग भी कोयला निकालते हैं। लंबी लीज सरकार से ले लेते हैं और उनका प्रोडक्शन अधिक होता है, हमारा प्रोडक्शन कम होता है। माननीय मन्त्री जी के आने से काफी सुधार हुआ है, साठे साहब बड़े एक्टिव आदमी हैं। जब ये ब्रांडकास्टिंग मिनिस्टर थे, तब भी इन्होंने बड़ा नाम कमाया था, आज भी मैं समझता हूं कि खान मन्त्रालय में उन्होंने जो काम किया है, वह बहुत उत्साहवर्द्धक है मेरा कहना यह है कि रेलवे का, उद्योग और ऊर्जा मन्त्रालय का आपस में ओआर्डिनेशन होना चाहिए, यह बहुत ही लाजमी है। मैं पहाड़ से, हिमाचल प्रदेश से आता हूं, वहां पर कलकत्ता और बिहार से कोयला आता है। उसमें राख होती है और कोयले की चोरी वैगन से ही शुरू हो जाती है, लोगों को राख मिलती है। कई दफा तो ऐसा होता है कि कोयला रास्ते में ही गुम हो जाता है। कोई पता ही नहीं चलता कि कोयला कहां चला गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कई केस रजिस्टर कराए हैं कि कोयला गुम हो गया है। पता नहीं चलता कि कोयला रास्ते में उतार लिया गया था राजस्थान वगैरा के रास्ते में ही लोग गायब कर देते हैं और जिन लोगों के पास कोयला पहुंचना चाहिए, उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। इसके लिए आपके विभाग में और रेलवे-विभाग में तालमेल होना जरूरी है।

प्राइवेट लोगों का जो प्रोडक्शन होता है, उसके बारे में मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। हमारे यहां कई चीजों पर, फारेस्ट की चीजों पर पाबन्दी लगा रखी है कि वह बाहर नहीं जाएगा। जैसे पौधों में खोखा निकलता है, वह बाहर नहीं जाएगा। फिर क्या होता है कि प्राइवेट जमींदार

उस जगह को ले लेते हैं और हमारी पैदावार कम होती है, प्राइवेट लोगों की ज्यादा होती है। इस तरह से आपको वहां फारेस्ट रखना पड़ेगा ताकि कोयले का दुरुपयोग कोई न कर सके। यह जो देश की दौलत है वह बची रहनी चाहिए। अभी हाल ही में मैं पंजाब गया था। रोपड़ में मैंने पूछा कि थर्मल प्रोजेक्ट चलाने के लिए कितने दिनों का स्टाक है। उन्होंने कहा कि 23 दिन से ज्यादा नहीं है। ज्यादा माल पड़ा रहेगा तो वह खराब हो जाएगा। उसमें आग लगने की भी सम्भावना रहती है और इस तरह से हमारा धन भी नष्ट हो सकता है। जो कोयला खानों से निकाला गया है, उसको जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए तीनों मंत्रालय इकट्ठे बैठकर यह विचार करें कि जहां-जहां जरूरत हो उसको भेजा जाए ताकि समस्या दूर हो सके। अगर हम अपने देश का और बच्चों का भविष्य उज्ज्वल करना चाहते हैं तो हमें पन-बिजली की तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा। इससे हमारे पहाड़ी क्षेत्र में भी ज्यादा बिजली पैदा हो सकेगी। उसके लिए थोड़ा कोयला इस्तेमाल होगा और ऊर्जा के दूसरे साधन इस्तेमाल किए जाएं।

जिससे देश भी तरक्की करेगा। सदस्यों ने यह भी चिंता व्यक्त की है कि जहां कोयले की खदान होती है वहां बहुत पेड़ काटे जा रहे हैं। इसके लिए आपको गाइडलाइन्स इश्यू करनी चाहिए हमारे यहां सीमेंट की खानें हैं। वहां पर चूना और पत्थर आता है। प्राइवेट लोग जियोलाजिस्ट डिपार्टमेंट से लीज ले लेते हैं। जैसा मंसूरी में हो रहा है वैसा ही हमारे हिमाचल प्रदेश में भी हो रहा है। आप इसके भी मंत्री हैं इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसकी ओर भी ध्यान दें। अगर हमारे यहां पेड़ों का कटाव होता रहा तो हमेशा के लिए हमारी सम्पत्ति नष्ट हो जाएगी। यह बहुत ही उचित बिल है इसका सारे सदन ने समर्थन किया है। मैं भी इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : सभापति महोदया, मैं विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मंत्री और उनके मंत्रालय को बधाई देनी होगी क्योंकि उन्होंने कोयले के अवैध खनन और कोयले की चोरी को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं। उन्होने यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए हैं कि उपभोक्ताओं को अपेक्षित अच्छी किस्म और सही मात्रा में कोयले की सप्लाई हो। उन्होंने कोयला क्षेत्रों में अतिरिक्त कोयला संचालन संयंत्र और धोवनशालाएं स्थापित की हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात की छानबीन करें कि कोल इंडिया को इतना भारी घाटा क्यों हो रहा है। सभा में यह कहा गया है कि श्रम-संविदा से श्रमिकों के हितों के लिए हानिकर होगा। कोल इंडिया को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इस सम्बन्ध में एक वैज्ञानिक जांच आवश्यक है। माननी मंत्री भी एक समिति का गठन कर सकते हैं, जो ऐसे मार्गोपायों का पता लगाएगी कि इस घाटे को कैसे अच्छी प्रकार से समाप्त किया जा सकता है।

श्रीमन्, मैं सभा का ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि कई माननीय सदस्यों ने कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण और इसके कार्यकरण के बारे में पहले ही काफी कह दिया है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने सभा में कहा था कि उड़ीसा में अच्छी

किस्म का कोयला उपलब्ध है। उड़ीसा में विपुल सम्पदा होते हुए भी बहुत गरीबी है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि राज्य में गरीबी दूर करने में सहायता करें।

श्रीमन्, तालचेर में, ताप विद्युत केन्द्रों को सही किस्म के कोयले की पूरी सप्लाई की जानी चाहिए और कोयले के भंडारण की भी पूरी सुविधा होनी चाहिए। मुझे पता चला है कि विभाग ने पहले ही इसके लिए धन स्वीकृत किया है और इसे जल्द किया जाना चाहिए। इसी प्रकार कोयला विभाग में प्रयोगशाला सुविधाएं होनी चाहिए और कोयले की जाच का कार्य किया जाना चाहिए ताकि वे फैसला कर सकें कि किस प्रकार के कोयले का प्रयोग कहां करना है, और उन्हें खपत के लिए कहां भेजा जाना है। जांच करने के बाद इन सारे आंकड़ों को इकट्ठा कर प्रेषित किया जाना चाहिए।

श्रीमन्, राज्य में औद्योगिक खपत के लिए आवश्यक 'क' और 'ख' ग्रेड के कोयले की भारी कमी है। राज्य की कोयले की दैनिक आवश्यकता 82 वैगन है जोकि प्रतिमाह करीब 2500 वैगन बैठती है। यह मांग कोल इण्डिया लि० की तालचेर कोयला खानों द्वारा पूरी की जानी है जिनका 'क' और 'ख' किस्म के कोयले की प्रति दिन का उत्पादन 45 वैगन या 15,00-1600 वैगन प्रति-माह बैठता है। इसके परिणामस्वरूप राज्य के अधिकांश उद्योगों को अपने उत्पादन में भारी कमी करनी पड़ी है। कई उद्योगों को बन्द होने की नौबत आ गई है। इससे औद्योगिक उत्पादन की भी भारी क्षति हुई है। यह उपयुक्त समय है कि स्थिति में सुधार लाया जाए।

अब, एस० एस० आई० इकाइयों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु कोल इण्डिया लिमिटेड की सहायक कम्पनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से हार्ड कोयला प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड नये एककों को कोयले की नियमित रूप से सप्लाई करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं कर पाई है। उसने माह-दर-माह के आधार पर कार्य-क्रम बनाया है। जिससे अनिश्चितता की स्थिति पैदा होती है और इस योजना में कमियों की भी गुंजाइश रह जाती है। यह आवश्यक है कि नये एस० एस० आई० एककों को कोयले की नियमित रूप से सप्लाई की जाए। मुझे विश्वास है कि हमारे कुशल मन्त्री महोदय के नेतृत्व में कोयला उद्योग और कोल इण्डिया लिमिटेड प्रगति करेंगे और विधेयक पर्याप्त हो जाने के बाद उद्योग आने वाले वर्षों में लाभ कमाएगा।

[हिन्दी]

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा) : सभापति महोदया, माननीय मंत्री जी द्वारा इस सदन में उपस्थापित कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन विधेयक की मैं प्रशंसा करता हूं क्योंकि इस बिल को उपस्थापित करके माननीय मन्त्री जी ने कोयले के संरक्षण, कन्जर्वेशन और विकास को सुनिश्चित करने के लिए अपनी माकूल चिन्ता व्यक्त की है। उनको कोयला इंडस्ट्री और कोयले के उत्पादन दोनों के विकास की चिन्ता है और यह बिल उनके डायनामिज्म का परिचायक है। इस सम्बन्ध में मैं उनके सामने, आपके माध्यम से कुछ ठोस सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं क्योंकि मैं भी उस धरती का व्यक्ति हूं और उन सारी बातों की मुझे जानकारी है।

अभी इस सदन में, साधारणतः सारे सदस्यों ने इस विषय पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है कि कोयला खदानों के अन्दर, माफिया गिरोह के कारण तथा अन्य कई भ्रष्टाचार फैले होने के कारण, वांछित प्रगति नहीं हो पा रही है। मैं आपसे सुझाव के तौर पर कुछ निवेदन करना चाहता हूं जिनसे माननीय मन्त्री जी को काफी सहायता मिलेगी। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि कोयला संरक्षण के जहां कुछ माध्यम हैं—जैसे स्टोरिंग, टिम्बरिंग, स्टौपिंग ऑफ इल्लीगल माइनिंग, फायर फाइटिंग, आदि और ये सारे ऐसे माध्यम हैं जिनकी वजह से कोयले के संरक्षण की पूरी तरह से गारन्टी दी जा सकती है। ये सारे एसे जो माध्यम हैं, जिनकी वजह से कोयले को पूरी तरह से संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। कोयला खानों में हम साधारणतः देखते हैं कि स्टोइंग के लिए जितनी बालू की आवश्यकता पड़ती है, वह सही रूप में प्रयोग नहीं होती है। कोयले को निकालने के बाद में जो void बच जाता है उस void को बालू से भर देने के बाद में जो बगल में पिलर होते हैं, वे सुरक्षित रहते हैं और बाद में फिर कोयला निकाला जा सकता है, किन्तु साधारणतः हम देखते हैं कि बालू को ठीक तरह से नहीं भरा जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि यह बालू भरने की सारी जिम्मेदारी माफिया लोगों के हाथ में है। बालू की ढोने की जिम्मेदारी पूरी माफिया गिरोह के हाथ में है। माननीय मन्त्री महोदय को मैं बतलाना चाहता हूं कि अभी हाल में बालू को ट्रांसपोर्ट करने वाले जितने ठेकेदार हैं, उन्होंने स्ट्राइक कर दी और भारत कोकिंग कोल को परेलाइज कर दिया, उन लोगों को नाकों चने चबवा दिए और घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और भारत कोकिंग कोल के लोगों को उन ठेरेदारों की टर्म्स एंड कंडीशंस पर समझौता करना पड़ा। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी कमजोरी है और इतनी बड़ी कमजोरी रहते हुए हम माफिया गिरोह पर कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि स्टोरिंग के लिए जितने ट्रक आने चाहिएं उतने नहीं आते हैं, मान लिया कि दस ट्रक स्टोइंग करने के लिए बालू के आए, और रिकार्ड में दर्ज हो गए 50 ट्रक, कभी कभी तो सौ ट्रक आते हैं और रिकार्ड में दर्ज हजार ट्रक हो जाते हैं, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वहां पर काम चल रहा है। अभी हाल ही में अलकुणा कोयलरी में स्टोइंग ठीक ढंग से न होने के कारण एक-दो हफ्ते पहले पूरी की पूरी खदान बैठ गई और उसमें मजदूरों के भी कुछ क्वार्टर आ गए। इसी प्रकार से एक और मीरा कोयलरी में भी स्टोइंग ठीक न होने के कारण इतना बड़ा डिजास्टर होता कि शायद इतिहास में इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई होती, दो-तीन वर्ष पहले की बात है कि पूरी की पूरी माइन नीचे धंस गई। तो इस तरह से यह स्टोइंग का मामला है। यह स्टोइंग होनी बहुत जरूरी है क्योंकि यह कोयले को आग से बचाती है और उसको सुरक्षित रखती है। बाद में कोयले को निकालने में सुविधाजनक बनाती है अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर कोयले का एक्सट्रेक्शन असम्भव है।

महोदया, कोयले की खूबसूरती की बात कही जा रही थी मैं कहना चाहता हूं कि कोकिंग कोल इतना खूबसूरत होता है कि उसकी खूबसूरती का कोई अंदाज नहीं है, वह कोकिंग कोल आज लाखों लाख टन बिलकुल दबा पड़ा हुआ है, सरकार को और उसके अधिकारियों को उसकी जानकारी नहीं है अगर उसकी जानकारी की जाए, तो उसको निकाला जा सकता है।

दूसरी बात मैं टिम्बरिंग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। टिम्बरिंग में जो लकड़ी सप्लाई

की जाती है वह ठीक नहीं होती है और उसका रिकार्ड भी गलत रखा जाता है। एक कोयलरी में एक ट्रक आया तो, दर्ज दस ट्रक हो जाते हैं और वही ट्रक दूसरी कोयलरी में जाता है और वहां भी दर्ज हो जाता है और घूम फिर कर एक ही ट्रक कई जगह दर्ज हो जाता है। टिम्बरिंग के अभाव में कोयला खदानों से नहीं निकल सकता है और दुर्घटना होने की सम्भावना नहीं रह जाती है।

महोदया, अन्त में, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं और वह यह कि आप स्टोइंग को सॉलिड करने के लिए डिहरी में आप एक कोयला भंडार केन्द्र बनाइये और वैगन से आप कोयला भेजिए और उधर से सोन से आप बालू लाइए और यह काम आप अपने हाथ में लीजिए जो आपका एकमात्र सोर्स बालू लाने का है, वह दामोदर है, लेकिन दामोदर में अब बालू रह ही नहीं गया है, वहां से ठेकेदार मिट्टी भरकर ला रहे हैं और अपना बिल बना रहे हैं। तो इस तरह की तमाम धांधलियां वहां पर चल रही हैं जिनका सभी का जिक्र यहां पर नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सबसे बड़ा रास्ता यह है कि आप धनबाद से लेकर बारबाडी होकर डिहरी और सोन में एक केन्द्र बनाइए जिससे अपर कन्ट्री में, तथा हिमालय तक जिस कोयले के जलावन की चिन्ता व्यक्त की गई है, वह भी दूर हो सके। इसके लिए आप सोन नदी से बालू लाइए वहां पर बालू के अक्षय भंडार हैं, वहां पर हजारों वर्ष तक बालू के भंडार खत्म नहीं होंगे। वहां पर बड़ा केन्द्र बनाइए उसमें आप कोयला स्टाक कीजिए।

अन्त में, मैं टिम्बरिंग के बारे में यह कहना चाहता हूं कि इसकी वजह से वहां पर हजारों तथा करोड़ रुपयों का सरकार को घाटा हो रहा है, उसको रोकिए।

इन शब्दों के साथ महोदया, अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि कोयला खदानों में जो माफिया पनप रहा है और जिसकी वजह से आप उनके प्राणों में इनर्जी भर रहे हैं, उसे वह नहीं दिया गया तो परिणाम खतरनाक होगा। मैं एक इंस्टांस देना चाहता हूं, जो मुझे मालूम है सुदामडी वाशरी से 70 हजार रुपए प्रतिदिन की आमदनी वे लोग कर रहे हैं। आप क्यों इतनी बड़ी आमदनी अपने हाथ में नहीं रखना चाहते हैं, क्यों इस रुपये से डिपार्टमेंट को वंचित रखना चाहते हैं? इतने घाटे के बावजूद इस पैसे को अपने हाथ में क्यों नहीं रखते हैं? इन स्लरीज से करोड़ों अरबों रुपए का माल निकलता है, क्यों नहीं आप उसे अपने हाथ में रखते हैं? आप ब्रिकिटिंग की फैक्टरी बनाइए, आप उसे सप्लाई कीजिए जो फ्यूल के परपज में काम आएगा। इस तरह से जो कोयला वहां से माफिया के हाथ में चला जाता है, उसकी बचत होगी हजारों शिक्षित बेरोजगारों की समस्या का समाधान निकल आयेगा।

यह बड़े शर्म की बात है जिस कोयला खदान से कंट्रेक्टर और माफिया को हटाकर मजदूरों की जिन्दगी में एक नई रोशनी हमारी श्रीमती इन्दिरा गांधी लाई थीं, आज सैंट्रल कोल फील्ड के अन्दर करोड़ों रुपए प्राइवेट कन्ट्रेक्टर के माध्यम से Pay Loader द्वारा कोयले की लदाई पर खर्च होता है और हजारों की संख्या में हमारे मजदूर बैठे हैं, उनसे काम नहीं लिया जाता है। अधिकारियों से लेकर माफिया ग्रुप और पुलिस अधिकारियों तक सारे लोगों का गिरोह बना हुआ है। मैं समझता हूं कि इस कठिन परिस्थिति को तोड़ने के लिए हमारे साठे साहब जैसे डायनैमिक मिनिस्टर अवश्य सक्षम हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कठोर कदम उठाना होगा।

मैं बहुत सारी बातों के ठोस उदाहरण यहां रख सकता हूं, लेकिन मैं दूसरे के समय में दखल नहीं देना चाहता हूं, उन सबको लिखकर मैं मंत्री महोदय को भिजवा दूंगा।

मुझे पूरा विश्वास है कि स्टोइंग, टिम्बरिंग और इल्लीगल माइनिंग की तरफ आप पूरा ध्यान देंगे। हमारे भारत कोकिंग कोल में मुकुन्दा प्रोजेक्ट रूस के कालीब्रेशन से फायर को कन्फाइन करने के लिए चल रहा है। जितनी गहराई में कोल माइनिंग का काम हमारे यहां हो रहा है, उतनी गहराइ से दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है। नई माइनिंग के प्रयोग हमारे देश में हमारे खर्च से हो रहा है।

रघुनी के चाउर (चावल),
रघुनी के चुरा,
तौल रघुनी पूरे-पूरा।

दूसरे देशों में कहीं भी इतनी गहराई में माइनिंग नहीं हो रहा है। जब यह आपके देश में हो रहा है तो दूसरे देश से एग्रीमेंट करके जो इतना बड़ा खर्चा किया है, यह ठीक है अगर बहुत बड़ा रास्ता है, ठीक है, लेकिन इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है।

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपालगंज) : सभापति महोदया, जो कोयला खान (संरक्षण और विकास) सशोधन विधेयक यहां लाया गया है, मैं निर्दलीय सदस्य होने के नाते निष्पक्ष भावना से इस विधेयक की सराहना करता हूं। मंत्री जी की निश्चित रूप से मंशा है कि इस विधेयक के उद्देश्य के माध्यम से हम इस कोयले के क्षेत्र को आगे बढ़ायें। मैं इसका हार्दिक अभिनन्दन करता हूं।

प्रश्न यह पैदा होता है, अनेकों माननीय सदस्यों ने इस सदन में एक अहम प्रश्न उठाया है, कि एक समय आयेगा, वह दिन दिन 75 साल का होगा या 100 साल का होगा, जब कोयले की कमी इस हिन्दुस्तान में होगी। मैं दावे के साथ एक बात, साठे जी, यहां कहना चाहूंगा कि बहुत स्टाक हम कोयले का विदेशों से आयात करते हैं, लेकिन भारतवर्ष में हम इस स्टाक को कैसे सुरक्षित रख सकेंगे, यह मुख्य भूमिका है ?

आप किसी जमाने में सुना करते थे कि यहां राजेन्द्र बाबू जैसे लोग पैदा हुए वहां अब बहुत से नटवरलाल भी पैदा हुए थे। दूसरी जगहों पर नहीं, इस कोयले की अवैध रूप से लूट के लिए सारी जगहों पर नटवरलाल नहीं, बल्कि सिर्फ दिल्ली में मौजूद हैं। आप सभी सदस्यों से हृदय पर हाथ रखकर पूछें कि निश्चित रूप से छोटे-छोटे उद्योगों का लाइसेंस लेकर हर एम० पी० के पास कोई न कोई नटवरलाल नहीं पहुंचता है ? वह कहता है कि चलिए माननीय मंत्री जी से मुझे कोयले का एलाटमेंट करा दीजिए। यह बंगलिंग हिन्दुस्तान में किसी कोने में नहीं होती है, बल्कि दिल्ली में होती है।

माफिया के बारे में इस सदन में एक बार प्रश्न किया था, उम्मीद थी कि उस पर काबू पाया जायेगा, लेकिन पाया यह है कि वही रफ्तार बढ़ेगी जो पहले थी वह अब भी है। दो लफ्जों में—

इन कोयला लुटेरों की एकही कहानी है कि

जम जाये तो खून समझो, बह जाये तो पानी है।

माफिया गिरोह की यह कहानी है और प्राधिकारियों की यह कहानी है कि—

पहली सीख यही जीवन की,
अपने को आबाद करो।
बस न सके दिल की बस्ती,
तो आग लगाकर बर्बाद करो।

धनबाद में एक समय था, बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री अब्दुल गफूर हुआ करते थे। वहां एक सक्सेना कलेक्टर था। साठे साहब उस कलेक्टर की रिपोर्ट देखें। धनबाद के रेलवे स्टेशन जहां सारे माफिया गिरोह का फोटो टंगा था, कोयले की अवैध खुदाई माफिया गिरोह द्वारा धनबाद में बिल्कुल बन्द थी। गफूर के समय में माफिया द्वारा कोशिश की गई कि कलेक्टर का स्थानांतरण हो लेकिन गफूर ने स्थानांतरण नहीं किया गफूर के हटते ही सक्सेना का स्थानातरण हुआ। माफिया गिरोह ने लाखों नहीं करोड़ों रुपये उनके स्थानांतरण पर खर्च कर जश्न मनाया अगर आप इस माफिया गिरोह पर काबू पाना चाहते हैं तो सारी व्यवस्था को अपने हाथ में लेना होगा तथा सक्सेना कलक्टर की रिपोर्ट को देखना होगा कि कौन लोग माफिया की लिस्ट में थे। बिहार सरकार का शासन पदाधिकारी और राजनेता नहीं चलाते बल्कि माफिया चलाते हैं जिसके चलते 300 करोड़ रुपये का अवैध ढंग से कोयला प्रतिवर्ष माफिया गिरोह द्वारा निकाला जाता है जिससे 1100 करोड़ रुपए की हानि उठानी पड़ती है।

आगजनी की घटनाओं पर बहुत से माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला। झरिया के सम्बन्ध में लोगों ने कहा कि कोयला खदान में आगजनी की घटनायें बहुत दिनों से हैं। जब आप देखते हैं कि अवैध कोयले की भारतवर्ष में कमी है और विश्व में पांचवां स्थान भारत का है तो एक अध्ययन दल बनाया जाता। जो रा-मैट्रियल है इसका अन्य जगह उपयोग किया जा सके रिपोर्ट दे जिससे करोड़ों रुपए का मुनाफा हो सके क्योंकि प्राइवेट फैक्ट्री टाटा तथा अन्य जगहों पर रा-मैटिरियल से करोड़ों रुपए बनाया जाता है। इस रा-मैटीरियल से सरकार को भी बड़े पैमाने पर आय हो सकती है।

जहां तक बिजलीघरों का प्रश्न है, आपका स्टेशन वैगन रेलवे का होता है। जब वह जाता है तो उसमें एक नम्बर का कोयला बिजली घरों के लिये होता है, रास्ते में माफिया गिरोह द्वारा एक नम्बर का कोयला उठाकर दो नम्बर का कोयला लोड कर दिया जाता है जिससे बिहार के सारे ताप घरों की उत्पादन क्षमता बढ़ने की बजाय घट गई है।

हमारे मंत्री महोदय एक अनुभवी व्यक्ति हैं, इसलिए मैं उनके सामने फरियाद पेश कर रहा हूं। फरियाद वही सुनता है जिसके पास ताकत हो। जब 1977 में साठे साहब विरोध पक्ष में बैठते थे और हम लोग यहां मेम्बर नहीं थे तो पत्रिकाओं में आपके साहसगिरी कदम सुनने को मिलते थे आज कोल डैम द्वारा उपभोक्ताओं को कोयला नहीं दिया जाता है और उस परमिट को रानीगंज

या धनबाद में लाखों रुपए में बेच दिया जाता है, इसलिए डैम की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले जिससे हिन्दुस्तान का आवाम और उपभोक्ता यह समझें कि मुझे जो सामान भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा दिया जाता है वह उसे उपलब्ध हो रहा है। इसी प्रकार कोयला खदान का जो ताप घरों के पास बकाया रुपया है वह भी वसूल किया जाए जिससे हमारा जो लक्ष्य है व: ।िश्चित रूप से पूरा हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ में निर्दलीय सदस्य होने के नाते निष्पक्ष भावना से यह उम्मीद रखता हूं कि आप माफिया गिरोह जिसकी विश्व में चर्चा है, पर काबू पा सकेंगे। भारत सरकार जहां पंजाब और असम की समस्या का समाधान कर सकती है, वहां का माफिया गिरोह पर भी अवश्य काबू पा सकेगी। आपके पदाधिकारी जो थोड़ा सा साहस करके माफिया गिरोह का विरोध करते हैं उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है, उन्हें धमकी दी जाती है कि आपको गोलियों से भून दिया जाएगा, आप ऐसे पदाधिकारियों की सुरक्षा की व्यवस्था अवश्य करें जिससे कि वह माफिया गिरोह के खिलाफ कार्यवाही करने की हिम्मत करें। अन्त में मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इस पर विचार अवश्य करेंगे।

3.00 म० प०

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदया, मैं केवल दो तीन बातें कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। कोयले के बारे में बहुत-सी बातें कहीं गई। अभी हमारे दोस्त जो बिहार से आते हैं उन्होंने भी बहुत-सी बातें कहीं। मुझे एक कहावत याद आती है—वाटर वाटर एवेरी व्हेयर, नाट ए ड्राप टु ड्रिंक। आप जब कोयले का नाम लेते हैं तो आपको बिहार याद आता है और जब बिहार का नाम लेते हैं तो माफिया याद आता है। मैं कोयले का इतिहास पढ़ रहा था, बिहार के कोयले को पहले ईस्ट इण्डिया कंपनी ने लूटा। फिर अंग्रेजों ने लूटा, प्राइवेट कोल ओनर्स ने लूटा। राहत हुई सेवेन्टीज में जब कि कोयले का राष्ट्रीयकरण हुआ और हमने समझा कि अब कोल इण्डस्ट्री के लिए स्वर्णिम दिन, गोल्डन एज आ गया है। लेकिन हालत नेशनलाइजेशन के बाद बदत्तर हो गई और अब कोयले के उद्योग को लूट रहा है माफिया। कितनी कहानी कहूं ? उसकी कहानी कहने लगूं तो कही अन्त न होगा। यह माफिया का गिरोह आप सोच सकते हैं कि लोगों को कांट्रैक्ट नहीं लेने देता है, टेंडर नहीं देने देता है। माननीय मंत्री जी भी जानते हैं। मैं इस बात को मान नहीं सकता हूं कि वह नहीं जानते हैं। कोयले की खान में बालू देने के लिए कांट्रैक्ट होता है। कांटैक्ट सौ दो सौ आदमी देते हैं। माफिया का आदमी कहता है कि तुम टेंडर नहीं दे सकते हो। यदि तुमने टेंडर दिया तो कल की सुबह नहीं देखोगे और ऐसे केसेज हुए हैं जिसमें वे कल की सुबह नहीं देख पाए हैं।

दूसरी बात लेबर कांट्रैक्ट होता है। मजदूर काम करता है। शाम को जब मजदूरी लेने पहुंचता है तो 15 रुपए मजदूरी के बदले में उसे 8 रुपए दिए जाते हैं। वह कहता है 7 रुपया कहां गया तो कहते हैं इसकी बात मत करो, यह यूनियन में गया। वह पूछता है—कौन-सी यूनियन ? मैं तो किसी यूनियन का सदस्य नहीं हूं। कहते हैं इसकी बात मत करो। जिसने विरोध किया उसको इस दुनिया से उठ जाना पड़ा। यह एक ऐसा विशस सर्किल वहां चल रहा है। यह इस देश

के अन्दर ऐसी मन्दगी है, ऐसा गिरोह है जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। यह सही है कि वर्तमान मुख्य मंत्री बिन्देश्वरी दुबे जी पूरी चेष्टा कर रहे हैं और उन्हें सफलता भी मिली है, परन्तु इसके बारे में बहुत कुछ करना अभी बाकी है।

मैं जर्मनी की बात आपसे कहता हूं। आपने कभी सुना होगा कि कोयले के पिट हैड्स पर 23 मिलियन टन कोयला पड़ा हुआ है।

3.03 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

कोई कहता है 30 मिलियन टन पड़ा हुआ है, कोई कहता है साढ़े सत्ताइस मिलियन टन पड़ा हुआ है। रेल विभाग कहता है कि उसके पास वैगन नहीं है कि और जगह वह कोयला पहुंचा सके। मैं कहता हू आपको बिहार में थर्मल पावर स्टेशन और अधिक बनाने में क्या दिक्कत है और जहां थर्मल पावर स्टेशन हैं वहां कोयला पहुंचाने में क्या दिक्कत है ? उसके लिए तो बहुत ज्यादा वैगन्स की भी आवश्यकता नहीं है। उसे तो ट्रक से भी आप पहुंचा सकते हैं। मैं जर्मनी की बात कर रहा था। जर्मनी में रूड़ एक जगह है जो कि इण्डस्ट्री का खास अड्डा है।

वहां पर यह किया गया जहां पिट-हैड्स पर कोयला था। वहां पर थर्मल पावर स्टेशंस बना दिए गए तो उस एरिये का इण्डस्ट्रियलाइजेशन हो गया। उसी प्रकार से आप बिहार में भी अनेक थर्मल पावर स्टेशंस क्यों नहीं बना देते हैं, क्यों नहीं आप उस एरिया को इण्डस्ट्रियलाइज कर देते हैं ? यह और कोई बात नहीं है, केवल पूअर मैनेजमेंट की बात है, एक इमैजिनेशन की कमी है। आपका सारा कोयला जल जाता है, बेकार चला जाता है। वह कोयला काम में आ सकता है। थर्मल पावर स्टेशंस बनाकर आप बिजली पैदा कर सकते है और वह नेशनल ग्रिड में दे सकते हैं। वह बिजली यू० पी०, बिहार, बंगाल की इण्डस्ट्रीज में काम में आ सकती है। आप यहां हाऊस में जवाब देते हैं कि आपके पास कोयला है लेकिन वह मिल नहीं पाता है। मैं इण्डस्ट्रीज की बात नहीं करता, थर्मल पावर स्टेशंस की बात नहीं करता लेकिन साधारण कंज्यूमर्स को भी अपने घर में खाना पकाने के लिए कोयला नहीं मिलता है। बिहार में धनबाद से कोयला चलता है दरभंगा के लिए लेकिन पहुंच जाता है दार्जीलिंग। कोयला चलता है पटना के लिए लेकिन पहुंच जाता है पंजाब। सरकार सभी जगह अन्धी है, हर जगह सभी के शेयर बटे हुए हैं। मैंने सुना है कि कोयले के बिजनेस में दलाली बहुत है और कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं। केवल हाथ ही नहीं, मैं तो समझता हूं मुंह भी काला हो गया है। अब तो ऐसा समय आ गया है यदि सरकार ने कोयले की इण्डस्ट्री पर पूरा ध्यान नहीं दिया तो इस देश की सारी इण्डस्ट्री ठप्प हो जायेगी। पावर हाउसेज में दो-तीन दिन का कोयला रहता है और दूसरी मिलो में एक दिन का कोयला रहता है। ऐसी स्थिति किस प्रकार चलेगी ? और यह आज की नहीं, 5-6 साल की स्थिति है। इसलिए आपको मैनेजमेंट को चुस्त करना होगा जिससे कि प्राइवेट कंज्यूमर्स को भी कोयला मिले, पावर स्टेशंस को भी कोयला मिले और देश के दूसरे भाग के लोगों को भी कोयला मिले।

इसी सिलसिले में मैं आपका ध्यान एक बात की ओर और आकर्षित करना चाहूंगा। यद्यपि

इस विषय का सम्बन्ध मन्त्री जी से नहीं है, वे कहेंगे कि यह श्रम मन्त्री का काम है लेकिन मैं कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी में विश्वास करते हुए कहना चाहूंगा कि कोयले की खानों के मजदूरों को विशेष तौर से दो तरह की बीमारियां होती हैं—एक तो टी बी और दूसरे सिलीकोसिस। इस बीमारी को ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते हैं क्योंकि यह टी बी की तरह की ही है। इसमें परेशानी का पता नहीं चलता है कि क्या बीमारी है और लोग घुट-घुटकर मर जाते हैं। हजारों लोग इस बीमारी से मर जाते हैं लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं है।

एक तीसरी समस्या इल्लीगल माइनिंग की है। बहुत-सी माइन्स अबैंडन्ड हैं, छोड़ दी गई हैं वहां पर रात को माफिया गिरोह के लोग छोटे-छोटे बच्चों से कोयला निकलवाते हैं और ट्रक्स में भरकर चले जाते हैं। आजकल बरसात के दिनों में खदानें गिर जाती हैं जिसमें सैकड़ों हजारों मजदूर दबकर मर जाते हैं। मैं आपको यह अनुभव की बात बता रहा हूं क्योंकि मैंने कोयला खान में काम किया है। चूंकि उस मजदूर का कहीं पर कोई रिकार्ड नहीं होता है इसलिए उसके मां-बाप तक को पता नहीं चलता कि उसका लड़का मर गया।

इस प्रकार से आप देखेंगे कि कोल इण्डस्ट्री की जो बीमारी है वह बहुत कठिन है और यदि आपने इसको कन्ट्रोल नहीं किया तो सारे देश का मुंह यह काला कर देगी। मैंने सुना है कि माफिया गिरोह बिहार के धनबाद में जो काम कर रहा है वह दिल्ली तक पहुंच गया है। माफिया वाले किसी को टेंडर नहीं भरने देते हैं, कहते हैं हमारे रेट पर टेंडर होगा और यदि तुमने टेंडर भरा तो गोली मार दी जायेगी। यह बीमारी यदि दिल्ली तक आ गई है तो यह जीने नहीं देगी। इसलिए यह समस्या बहुत ही गम्भीर है। मैं एक बार पुनः जोर देकर कहूंगा, इन आल सीरियसनेस आप इस गम्भीर समस्या पर विचार कीजिए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एन० डेनिस (नागरकोइल) : श्रीमन्, विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। इस विधेयक का उद्देश्य अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति (छठी लोक सभा) के दसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के अनुसरण में कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 4 और 8 में संशोधन करना है।

यह संशोधन बहुत पहले हो जाना चाहिए था और मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। जैसाकि कई माननीय सदस्यों ने कहा है यह अहानिकार विधेयक है। यह विधेयक तकनीकी प्रकार का है और इस पर चर्चा का क्षेत्र सीमित है। लेकिन कोयले और उसकी उपयोगिता पर चर्चा की जा सकती है। कोयला एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत है और ऊर्जा का मूल स्रोत है। आजकल कोयले की भारी मांग है और विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। कोयला की महत्ता को पूरी तरह समझते हुए सरकार ने कोयले के विकास और संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाये और 1973 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और 1974 में कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम पारित किया गया। इसके बाद 1975 में कोल इण्डिया की स्थापना की गई।

तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य अधिकांशतः ताप बिजली घरों पर निर्भर हैं। जहां तक

तमिलनाडु का सम्बन्ध है, 70 प्रतिशत विद्युत उत्पादन ताप बिजली घरों पर निर्भर है और केवल 30% जल और अन्य स्रोतों पर निर्भर है। अतः ताप बिजली घरों को कोयले की पर्याप्त और नियमित सप्लाई दी जानी चाहिए, क्योंकि यह एक दूरस्थ प्रदेश है। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि दक्षिण में किसी एक केन्द्रीय स्थल पर कोयले का भंडार बनाया जाना चाहिए, जहां से इसे अन्य स्थानों पर वितरित किया जा सके। तमिलनाडु जैसे दूरस्थ राज्यों को प्रथम चरण में कोयला सप्लाई किया जाना चाहिए। एक तरफ तो कोयले का भण्डार उपलब्ध है, दूसरी ओर कोयले की भारी कमी है। इसका यह अर्थ नहीं है कि कोयले का उत्पादन बन्द करना पड़ेगा बल्कि बिजली घरों को कोयले की सप्लाई के लिए प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे। अगर इन बिजली घरों को घटिया किस्म का कोयला दिया जायेगा तो इनके सुचारू रूप से काम करने में बाधा पड़ेगी। कोयला सप्लाई करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा।

कोल इण्डिया ने कोयले के उत्पादन में भारी वृद्धि की है। 1951 में जहां इसका उत्पादन 33 मिलियन टन था, 1984-85 में यह बढ़कर 145.45 मिलियन टन हो गया। इसके साथ ही इसके दामों में भी भारी वृद्धि हुई है। राष्ट्रीयकरण के बाद कोयले की दरों में छः गुणा वृद्धि हुई है। मूल्य 48 रुपये प्रति टन से बढ़कर 183 रुपये प्रति टन हो गया है। हालांकि पिछले उत्पादन में वृद्धि हुई है, इसके दामों में भी वृद्धि हुई है। दामों में वृद्धि के बावजूद इसे पिछले वर्ष घाटा हुआ है। इस विरोधाभासी स्थिति पर विचार कर उपचारात्मक कदम उठाये जाने होंगे ताकि इसके मूल्यों में कमी लाई जा सके और इसका उत्पादन बढ़ाया जा सके।

जहां तक अवैध खनन का सम्बन्ध है, कई सदस्यों ने इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किए हैं और कोयले की चोरी भी हो रही है। इसे केन्द्र और राज्य सरकारों एवं सुपरवाइजरी प्राधिकारियों को रोकना होगा। कोल इण्डिया को अपना प्रशासन चुस्त करना होगा और कुशलता बढ़ानी होगी और उत्पादन-लागत में कमी करनी होगी और ज्यादा लाभ कमाना होगा। उत्पादित कोयले की किस्म, में सुधार करना होगा। स्रोतों का उपयोग करने लिए गम्भीर, उपाय करने होंगे।

· जहां तक हमारे कोयले का सम्बन्ध है, इसमें राख की मात्रा अधिक होती है। बिजली बोर्डों और रेलवे विभाग से इस बारे में शिकायतें मिली हैं। इसमें अनुपयोगी पदार्थों को हटाना होगा और राख की मात्रा कम करनी होगी। इसके लिए धोवनशाएं स्थापित करनी होंगी और वर्तमान धोवनशालाओं को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है धोवनशालाओं की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। कोयला खानों का योजनाबद्ध तरीके से विकास करना होगा। तकनीकी उपाय अपनाने से राख की मात्रा कम हो जाएगी।

जहां तक श्रमिकों का सम्बन्ध है, उन्हें खानों में होने वाली दुर्घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करनी होगी। उन्हें अच्छी आवास सुविधाएं देनी होंगी।

[हिन्दी]

श्री सरफराज अहमद (गिरिडीह) : सभापति महोदय, जो कोल डवेलपमेंट एण्ड कन्जर्वेशन

बिल आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारे खदानों में काम करने वाले मजदूर हैं, जिनका बहुत बड़ा त्याग और परिश्रम हमारे देश के विकास में है और आज जो हमारा देश तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसमें इन मजदूरों का बहुत बड़ा हाथ है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आज जो मजदूर देश को आगे ले जा रहे हैं, क्या उनके घरों में बिजली है? उनके रहने के जो साधन हैं या जहां वे रहते हैं, क्या कोई उसे देखने वाला है? उनके बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल, कालेज या अस्पतालों की व्यवस्था है? यदि हम चाहते हैं कि उनके अन्दर ऐफिशियेंसी लाई जाए, यदि हम चाहते हैं कि वे दिल से अच्छा काम करें, तो आप जरा उनके घरों में जाकर उनकी स्थिति को देखिए। बरसात के दिनों में चारों तरफ उनके घरों में पानी गिरता है। उनके घरों में लगे हुए नलों को यदि खोला जाता है, तो उसमें पानी नहीं निकलता है। न जाने कितने सालों से बी० सी० सी० एल०, ई० सी० एल० के क्वार्टरों में सफेदी नहीं हुई है। एक एग्रीमेंट हुआ था—फर्स्ट कोल-वेज एग्रीमेंट—जिसमें 4500 क्वार्टर्स बनाने की बात थी। मैं नहीं समझता हूं कि आज तक इस दिशा में कोई काम किया गया है। जो दूसरा एग्रीमेंट हुआ, उसमें 12000 क्वार्टर बनाने की बात थी, लेकिन उसमें भी कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाई है। यह बात सही है कि 1973 में कोयले का राष्ट्रीयकरण करके श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कोयले के मजदूरों को मालिकों से मुक्ति दिलाई और उसके बाद उत्पादन बढ़ा, लेकिन उनकी हालत में जो सुधार होना चाहिए था, वह सुधार आज तक नहीं हो पाया है। मंत्री महोदय काफी सूझ-बूझ रखते हैं और अपने विभाग में काफी इन्टरैस्ट लेते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि कोल बेस्ड इन्डस्ट्रीज पिट-हैड्स पर स्थापित होनी चाहिए। जहां कोयला निकलता है, वहीं पर कोल बेस्ड इन्डस्ट्रीज हों। इसलिए कि आज रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के मामले में फेल हो चुकी है। वह सही ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाती है। मैं चाहता हूं कि हजारीबाग के कर्णपुरा में सुपर-थर्मल-पावर प्लांट होना चाहिए। बिहार में जो छोटे उद्योग धन्धे वाले हैं, उनको कोयला नहीं मिल पाता है, जबकि बिहार भारत में सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट है।

दामोदर नदी जो बेरमां के अन्दर पड़ती है, उस दामोदर नदी में बहुत अधिक मात्रा में कोयला खानें हैं और दामोदर नदी को डाइवर्ट करने की बात भी सुनी गई थी लेकिन अभी तक उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाई है।

कोलरी क्षेत्र की सड़कों की जो हालत है, वह बहुत खराब है। आप यदि उस क्षेत्र में जाएं तो वहां पर सड़कों की हालत देखकर ही यह अन्दाजा लगा लेगें कि आप कोल बेल्ट में पहुंच गये हैं। वेलफेयर डेवलमेंट का सारा पैसा कहां जाता है, इस को कोई देखने वाला नहीं है। जो मजदूर इतनी मेहनत करके इस धरती का सीना चीरता है और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता है, उसके रहने की व्यवस्था सही नहीं है, उसके चलने फिरने के लिए सड़कें नहीं हैं और न ही पानी की व्यवस्था हैं और न अस्पतालों की व्यवस्था है। इनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए।

माफिया की बात लोग करते हैं लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है। पदाधिकारियों के अन्दर भी माफिया छिपे हुए हैं और उन पर भी अंकुश लगाना चाहिए।

एक और निवेदन करना चाहता हूं। कोल इण्डिया का जो चैयरमैन है, इनको कुछ समय

रांची एवं धनबाद में भी देना चाहिए। हफ्ते में या महीने में एक दो बार इनको वहां का दौरा करना चाहिए और देखना चाहिए कि डवलपमेंट का क्या काम हो रहा है और यह जो वेलफेयर फंड का पैसा है, यह पैसा कहां खर्च हो रहा है।

इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मनोज पांडे (बेतिया) : सभापति महोदय, यह जो कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन विधेयक है, इसका मैं समर्थन करता हूं।

हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कन्जर्वेशन और डवलपमेंट, दोनों के बारे में प्रकाश डाला है। मैं इन दोनों से हट कर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के विषय में मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि जिन माइन्स से हम कोयला निकाल लेते हैं और उसके बाद स्टोइंग करके उसको वैसे ही छोड़ दिया करते हैं, उस भूमि को हम किस तरह से खेती के उपयोग में ला सकते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश में कोयले की बहुत बड़ी-बड़ी डिपोजिट्स आज भी हैं, जिनको हम इस्तेमाल करना चाहेंगे। बहुत बड़े एरिया में हम माइन्स से कोयला निकालते हैं और कोयले का निकाला जाना हमारी एकोनामी का मूलभूत अधिकार है लेकिन जो जमीन कोयला निकालने के बाद स्टोइंग करने के बाद बच जाती है, क्या उस जमीन को कृषि के उपयोग में ला सकते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे कृषि मंत्रालय का रिसर्च विंग भी है स्वायल कन्जर्वेशन का और मैं मंत्री महोदय से आप के माध्यम से यह आग्रह करना चाहूंगा कि वे कृषि मंत्रालय से इस बारे में सम्पर्क स्थापित करें और कम से कम यह देखें कि क्या हम उन इलाकों में फिर से वापस हरियाली ला सकते हैं और कृषि की जो भूमि घटती है, उसको वह वापस मिल सकती है या नहीं।

दूसरी बात में पर्यावरण के बारे में कहना चाहूंगा, जिसके विषय में कुछ चर्चा की गई है। कोल बेल्ट में हम सभी जानते हैं और मंत्री जी ने भी इसको कहा है कि अन्दर ही अन्दर बहुत भीषण आग लगी हुई है, सुलगी हुई है और इससे पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो यह भी एक बहुत ही नाजुक मुद्दा है और पर्यावरण को दूषित न होने दें, इसके लिए हमारे पास एफोरेस्टेशन का प्रोग्राम हैं और सोशल फोरेस्टरी का प्रोग्राम है और अन्य कई प्रोग्राम हैं, जिनकी बदौलत हम पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकते हैं।

तीसरी चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह यह है कि हमारे यहां बिहार में एक औरंगा नदी है और उस नदी के किनारे बहुत बड़ी मात्रा में कोल डिपोजिट्स मिले हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे इस नदी के किनारे को, इस बेल्ट को खान के रूप में इस्तेमाल करना चाहेंगे।

चौथा मेरा सुझाव यह है कि वासरीज में जो स्लरी बच जाती है। वह स्लरीज आप अनएम्पलाएड यूथ्स या ऐसे और यूथ्स को जिनके पास कोई काम न हो, को अलाट करें ताकि वे अपनी कोई इंडस्ट्री बिठा सकें।

इस बिल पर बोलते हुए सबसे बड़ी चीज में यह कहना चाहता हूं कि कोयला खदानों में

कांट्रेक्ट सिस्टम आज भी व्यापत है जिससे लाखों मजदूरों का शोषण हो रहा है। इसको आप कब खत्म करेंगे ?

जो भी सुझाव मैंने यहां पर रखे हैं उन सब पर मैं मंत्री महोदय के विचार जानना चाहूंगा।

इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डा० फूलरेणु गुहा (कन्टई) : मैं विधेयक का समर्थन करती हूं। हमारे देश में कोयला खानों का विकास एक अत्यन्त अवैज्ञानिक ढंग से किया गया है। कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व इसके मालिकों ने कोयला खानों में सुधार करने की कभी परवाह नहीं की तथा उन्होंने श्रमिकों के हितों की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने धन कमाने के लिए जहां तक हो सकता था श्रमिकों का शोषण किया। समाचार पत्रों में एक खबर छपी है। मुझे नहीं मालूम कि यह कहां तक ठीक है—कि खानों को निजी क्षेत्र को दिए जाने का एक प्रस्ताव है, मैं इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध करती हूं।

मैं वहां पर श्रमिकों की आवास व्यवस्था के बारे में उल्लेख करना चाहूंगी। राष्ट्रीयकरण के बाद भी श्रमिक बहुत दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगी कि वह स्वयं जाकर देखें कि उनकी दशा में कैसे सुधार किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि उन्होंने उनकी दशा देखी होगी परन्तु उन्हे वहां के श्रममिकों के लिये कुछ करना चाहिए। उनके लिए पानी नहीं है, उनके लिए उचित शौचालय नहीं है और उनके पास रहने को उपयुक्त घर नहीं हैं। कोयले की हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी उपयोगिता है।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (हावड़ा) : लेकिन अधिकारियों के पास अच्छे मकान हैं।

डा० फूलरेणु गुहा : अरे हां, उनके पास शानदार घर हैं उनके अधिकांश घर पांच सितारा होटलों की तरह हैं।

हमें अपनी अधिकतम क्षमता के अनुसार कोयले का संरक्षण करना है। मैं यह कहना चाहूंगी कि कोयले का संरक्षण करना सरकार का उत्तरदायित्व है।

दूसरा मुद्दा कोयले को धोने का है। रेलवे या विद्युत संयंत्रों को भेजने से पूर्व कोयले को धोया जाना चाहिए। इसलिए आपको धोवनशालाओं का सुधार करना है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगी कि हमें इस विषय में अपनी अनुसन्धान का विकास करना चाहिए। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कोयले के सम्बन्ध में हमारे यहां अधिक अनुसन्धान नहीं किया गया है।

बिजली के उत्पादन के लिए कोयला बड़ा आवश्यक है, हालांकि हम जानते हैं कि आने वाले वर्षों में ऊर्जा के अन्य स्रोत भी होंगे लेकिन तब तक तो हमें मुख्य रूप से कोयले पर ही निर्भर करना पड़ेगा।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : बंगाल में कोयला है लेकिन बिजली नहीं है।

प्रो मधु दण्डवते (राजापुर) : हां, आप कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं।

डा० फूलरेणु गुहा : मैं यहां पश्चिम बंगाल या किसी अन्य राज्य को नहीं ला रहीं हूं, मैं किसी राज्य का उल्लेख नहीं कर रही हूं।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : लेकिन मेरा कथन सही है, कोयला है लेकिन बिजली नहीं है।

डा० फूलरेणु गुहा : हमें ऊर्जा के लिए कोयले पर निर्भर करना है। सौर ऊर्जा के विकास के लिये अनुसंधान कार्य चल रहा है। मुझे आशा है कि एक समय आएगा जब कि हम सौर ऊर्जा से बिजली प्राप्त कर सकेंगे।

बायो-गैस आदि की तरह कुछ अन्य साधन भी हैं और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें इन साधनों का भी विकास करना है।

उर्वरकों के उत्पादन में भी कोयले का प्रयोग होता है। विभिन्न प्रयोगों में कोयले की उपयोगिता को देखते हुए मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या ऊर्जा नीति समिति के सुझाव के अनुसार कोयले के संरक्षण के लिए पर्याप्त कदम उठाए गये हैं।

यह सर्वविदित है कि केवल विद्युत क्षेत्र ही नहीं वरन् साधारण उपभोक्ता और लघु उद्योग भी कोयले की अपर्याप्त सप्लाई के कारण परेशान हैं। हमारे देश में कोयले की मांग और अधिक बढ़ने की सम्भावना है।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कोयले की खानों के महत्व, एवं उनके संरक्षण एवं विकास की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने 1971 के कोयला खानों के प्रबन्ध को अपने हाथ में ले लिया और इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। कोयला खानों का संरक्षण और विकास राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोयला सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है और यह हमारे देश में ऊर्जा का एक प्राथमिक स्रोत भी है।

महोदय, राष्ट्रीयकरण से पहले कोयला खानों के मालिक क्षेत्र के बादशाह थे। मैं यह कहना चाहूंगी कि राष्ट्रीयकरण के बाद कोयले की कीमत 6 गुना बढ़ा दी गयी है, राष्ट्रीयकरण के बाद भी शक्तिशाली कोयला माफिया समूह अभी भी इस उद्योग में हैं, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इस माफिया गिरोह को उखाड़ फेंकने के लिए कठोर कदम उठाये जायें।

हम सब चाहते हैं कि चीजों को उचित परिप्रेक्ष्य में रखा जाय। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से निवेदन करती हूं कि वह इस माफिया धन्धे को पूरी तरह समाप्त करने के लिए कुछ कठोर कदम उठायें।

महोदय, इन अवैध कोयला खानों में बहुत बड़ी संख्या में बच्चे भी रोजगार में लगाए गए हैं, यह बात कब से और कहां तक सरकार की जानकारी में है मैं नहीं जानती, मैं आपके माध्यम से

मंत्री जी से निवेदन करती हूं इस पहलू की भी जांच करें और इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करें।

कृपया मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें कि ये खण्डशः संशोधन ज्यादा कामयाब नहीं होंगे। एक व्यापक विधेयक सदन में लाया जाना चाहिए ताकि उन सारे मुद्दों पर विचार हो सके जो देश में अच्छे कोयले, पर्याप्त कोयले और सस्ते कोयले के उत्पादन के लिये आवश्यक हैं।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करती हूं।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : सभापति जी, आंध्र प्रदेश उन राज्यों में से एक है जो जहां पर कोयले का बहुत बड़ा भंडार है। पुरानी हैदराबाद की निजाम सरकार ने सिंगरैनी कोलियरीज शुरू की थी जो आजकल पब्लिक अंडरटेकिंग में चल रही है। उसमें प्राणियता नदी से लेकर गोदावरी कृष्णा तक पूरी जमीन में कोयला भरा हुआ है। इसको निकालने के लिए पैसे की जरूरत है। स्टेट गवर्नमेंट के पास पर्याप्त पैसा न होने के कारण कोयला नहीं निकाला जा रहा है। साठे जी कोथाकुड़म जाकर आए हैं। कोथाकुड़म से एक रोड जो तैयार किया जा रहा है, रामकृष्णपुरम बेलमपेली से लेकर कोथाकुड़म तक, पूरा कोल बैल्ट रोड बनाया जा रहा है। वहां पर मेरे क्षेत्र भूपालपेली में ओपन माइन कास्ट हो सकती है। सातवीं योजना में इसके लिए पैसा रखा गया है, लेकिन पैसा कम होने के कारण भूपालपेली में नए पिट्स नहीं बनाए जा रहे हैं। सिंगरैनी कोलियरीज के इंप्रूवमेंट के लिए 80 करोड़ रुपया सालाना केन्द्र सरकार की ओर से दिया जा रहा है, मगर यह पर्याप्त नहीं है और राज्य सरकार केन्द्र सरकार की तरफ सहायता के लिए देख रही है। उनके लिए केन्द्र सरकार को अनुदान देना होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर रोज एक हत्या हो रही है। उसका क्या कारण है। वहां पर बेरोजगार लोग बहुत है। रोजगार होते हुए भी लोग बेरोजगार है। इसकी वजह से हमारे युवक फस्ट्रेट हो रहे हैं। गोदावरी बैल्ट में एक्स्ट्रीमिस्ट एक्टीविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कांस्टेबल या होम गार्ड हैं उनको भी मारा जा रहा है। वे लोग कोयले को बंद करने की योजना बना रहे हैं। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि जितना जल्दी हो सके कोयला निकालने के लिए पैसा देना चाहिए ताकि कुछ लोगों को नोकरी भी मिल सके। मनहूर में सातवीं पंचवर्षीय योजना में सुपर थर्मल प्रोजेक्ट बनने वाला है। मैं यह कहना चाहता हूं कि भोपालपेल्ली में भी ऐसा ही प्रोजेक्ट इस योजना में बनाया जाए। हम जानते हैं कि बिजली की आवश्यकता बहुत है। उसको आप कोयले से तैयार कर सकते हैं। फर्टिलाइजर फैक्टरी रामागुन्डम में है, भोपालपेल्ली में भी बना सकते हैं। सोलर एनर्जी और एटोमिक एनर्जी की तरफ हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसकी वजह से कोयला बिल्कुल बेकार हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी कोयला निकालकर इस्तेमाल करें। कोयला निकालने के बाद वह जगह मिट्टी या रेत से भर दी जाए। जब भी कभी भूकम्प आता है तो उसमें कुछ लोग मर जाते हैं। कोल माइन्स सेफ्टी एक्ट के तहत जितना कोयला निकाला जाता है, उसको मिट्टी से भर देना चाहिए। मैं यह अनुरोध करूंगा कि राज्य सरकार को यह आदेश दिया जाए कि जितनी भी कोल माइन्स हैं, उनमें कोयला निकालने के बाद मिट्टी भर दी जाए। इसके लिए पैसा भी दिया जाए। वहां पर 1300

से लेकर 1500 रुपए तक की नौकरी लोगों को मिल जाती है। लेकिन पानी और स्वास्थ्य की देखभाल का प्रबन्ध ठीक न होने से वे लोग हड़ताल कर देते हैं। इसके लिए आपको इन्तजाम करना चाहिए। लेबर एक्ट के तहत जो आपने वर्किंग आवर्स आपने फिक्स किए हैं उसको बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को आदेश दिया जाना चाहिए। वारांगल जिले के भोपालपेल्ली में पैसे की कमी के कारण कोयला नहीं निकाला जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि स्पेशल केस ट्रीट करके ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाए ताकि कोयले का इंतजाम हो सके।

श्री अजीज कुरैशी (सतना) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बिल का समर्थन करते हुए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल यह कहना चाहूंगा कि कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद शासन ने पोलिटिकल लेवल से बहुत कुछ उनके कल्याण की बात की है। यह बिल भी आप वैसे ही लाए हैं जैसे कि और बिल इससे पहले लाए गए हैं। मैं समझता हूं भविष्य में ऐसे ही और भी प्रस्ताव आप लाएंगे। यदि कोई कोयला खान में काम करने वाला मजदूर माननीय मन्त्री जो से यह पूछे कि आप बतायें : आजादी का सूरज निकलने के बाद उसकी कौन सी किरण मेरी झोंपड़ी में, मेरी कुटी में या मेरे जीवन में आई है तो माननीय मन्त्री जी आप को खामोश रहना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कोयला खान मजदूरों का जहां पहले ठेकेदारों के द्वारा शोषण किया जाता था, एक्सप्लायटेशन होता था, खानों के मालिक उनका शोषण करते थे, आज वही शोषण किसी और रूप में, किसी और नाम से, किसी और रूल्स और रेगुलेशन्स के अंतर्गत आपके अधिकारी, आपके कर्मचारी और आपके ब्यूरोक्रेटस कर रहे हैं। इसलिए इस बिल को लाने से कोई मतलब सिद्ध नहीं होता जब तक कि आप इन अधिकारियों को, इन ब्यूरोक्रेटस को कन्ट्रोल करने के लिए, उनका मेजर ऑपरेशन करने हेतु कोई दूसरा बिल नहीं लाते। तब तक आपका उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र सतना की ओर दिलाना चाहता हूं जहां सतना और पूरे विन्ध्य प्रदेश में एक ओर कोयले की खानें हैं और उन्हीं के बराबर लाइम स्टोन की खानें हैं, सीमेंट की फैक्टरियां हैं, कारखाने हैं और उनके लिए पत्थर भी वहीं निकलता है। वे सब टाटा, बिड़ला और बड़े-बड़े उद्योगपतियों के कारखाने हैं लेकिन सभापति जी, क्या आप यकीन करेंगे कि उन लाइम स्टोन की खानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं है। उन खानों में वे मजदूर मर जाते हैं, उनकी लाश दबा दी जाती है ताकि उसकी कोई जिम्मेदारी न हो सके, उनके परिवार वालों को कोई कम्पेन्सेशन न देना पड़े और दूसरे मजदूरों में उसको लेकर असन्तोष की ज्वाला न फैलने पाये, वे कोई आन्दोलन न कर दें। उन मजदूरों के लिए कोई आंसू बहाने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि वहां की तमाम सीमेंट की फैक्टरियों में, माननीय मन्त्री जी स्वयं जाकर देखें कि उनके कारण बीस-बीस मील तक, उस पूरे इलाके में, लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं, उनके घर, उनके चेहरे, उनकी जिन्दगी, उन सब को हमने मौत के मुंह में झोंक दिया है। उनकी और कोई देखने वाला नहीं, उनके लिए कोई आंसू बहाने वाला नहीं है। उसका कारण यह है कि उन कारखानों के मालिक बिड़ला, टाटा जैसे बड़े उद्योगपति हैं। मैंने लोकसभा में इन बिड़ला के

कारखानों के सम्बन्ध में एक प्रश्न भी किया था कि इन कारखानों में डस्ट कन्ट्रोल करने का आपने क्या तरीका अपनाया है, मेरे चुनाव क्षेत्र में क्या कदम उठाए गए हैं तो उसके उत्तर में मुझे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजा गया जवाब दिया गया है कि उन्होने मजदूरों की सुरक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए पूरे तरीके अपनाये हैं लेकिन मैं कहता हूं कि इससे बड़ा धोखा और अन्याय कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये अधिकारी और कर्मचारी बिड़ला जैसे उद्योगपतियों के हाथों अपने आप को मोर्टगेज कर चुके हैं, बड़े उद्योगपतियों के हाथों गुलाम हो गए हैं और जब तक इनके खिलाफ आप कड़ी कार्यवाही नहीं करते, तब तक हमारे जितने दावे हैं, वे सब खोखले हैं। इतना ही नहीं, भविष्य का इतिहासकार हमें मुजरिमों के कटघरे में खड़ा करेगा और हमें उसका जवाब देना पड़ेगा।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि जहां आप कोयला खानों की बात करते हैं, वहीं आप चूने भट्टों में काम करने वाले, सतना, माहयर और कैमोर इलाकों में, विन्ध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में लाइम स्टोन का काम करने वाले, सीमेंट की फैक्टरियों में काम करने वाले मजदूरों की ओर भी देखें। आप उन्हें किसी सिविलाइज्ड सोसायटी का मजदूर नहीं कह सकते। उनके लिए आज तक आपने बेसिक अमेंनिटीज आफ लाइफ प्रोवाइड नहीं कराई हैं और हम सब खामोश तमाशाई बनकर देखते रहे हैं, कुछ कर नही पाए हैं इसलिए जहां आप उनके हित में यह बिल लेकर आये हैं, उसके साथ मेरा यह भी निवेदन है कि आप एक बिल और लाइयें जिसमें लाइम स्टोन की खानों में काम करने वाले, चूने भट्टों में काम करने वाले मजदूरों को प्रोटेक्शन मिल सके और उन लोगों को भी आजाद हिन्दुस्तान की आजाद फिजा में सांस लेने का अवसर मिल सके। उसके साथ-साथ इन फैक्टरियों से जो धुंआ निकलकर उस इलाके के सारे एन्वायरनमेंट को नष्ट किए हुए हैं, सारे वातावरण को दूषित कर दिया है, नष्ट कर दिया है, उसको रोकने के लिए भी आप कोई उपाय सोचें और इन फैक्टरियों पर कोई अंकुश लगायें, प्रतिबन्ध लगाएं, मिल-मालिकों से कहें कि वे इस इलाके के वातावरण को और ज्यादा दूषित होने से रोकें।

इसलिए मैं मंत्री जी से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सतना, माहयर और कैमोर जैसे इलाके के गरीब मजदूरों के उत्थान, उस इलाके के पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए और मजदूरों के जीवन को बेहतर दर्जा देने की ओर ध्यान दिया जाए और मुनासिब कदम उठाए जाएं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, कोल माइंस (कन्जर्वेशन एण्ड डेवलपमेंट) बिल, 1985 का मैं समर्थन करता हूं। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब से आपने कोल माइन्स का नेशनेलाइजेशन किया है, तब से आपका सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान प्रतिवर्ष हो रहा है जब कि उससे पहले जब ये माइन्स प्राइवेट लोगों के हाथों में थी, तो हमेशा मुनाफे में चला करती थीं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि हम विचार करें और देखें कि नेशनेलाइजेशन का क्या प्रभाव इन पर पड़ा क्योंकि नेशनेलाइजेशन केवल नुकसान उठाने के लिए नहीं किया जाता...

नेशनलाइजेशन इसलिए किया जाता है कि उसकी बैटर परफॉरमेंस हो, उसमें ज्यादा

उत्पादन हो। उसके साथ-साथ माइन्स को भी ठीक प्रकार से मेनटेन किया जाए और लेबर को भी सभी प्रकार की सहूलियतें मिलें और उसमें वेलफेयर और अमेनिटीज के सम्बन्ध में भी पूरा ध्यान रखा जाए। नेशनलाइजेशन का मुख्य मकसद यही है। लेकिन नेशनलाइजेशन हो जाने के बाद भी आज हजारों मजदूर कांट्रैक्ट लेबर के वहां पर काम कर रहे हैं। कांट्रैक्टर्स मजदूरों को कोई भी अमेनिटीज और कोई भी फेसिलिटीज अवेलेबल नहीं करते हैं और इस तरीके से जो नेशनलाइजेशन आपने किया है जिसका कि मकसद मजदूरों को सहूलियतें देना था, उनके साथ इन्सानियत का ट्रीटमेंट दिया जाना था, इन सबका आज वहां नितांत अभाव है। इसलिए इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय, आप निश्चित तरीके से कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करें जिसके जरिए से कांट्रैक्ट लेबर जो नेशनलाइज कोल माइंस में काम कर रही है, वह समाप्त हो और इन मजदूरों को तमाम अमेनिटीज और फेसिलिटीज उपलब्ध हों।

आज जो प्रोडक्शन हो रहा है जिससे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है। जिस प्रकार की व्यवस्था कोल के डिस्ट्रीब्यूशन की है, वह भी ठीक नहीं है। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन वहां से होता है अलग-अलग उद्योगों को और इलैक्ट्रीसिटी बोर्डस के लिए और पावर हाउसेस के लिए या दूसरे संस्थानों के लिए जो कोयला आप निरन्तर भेजते हैं, उसमें होता क्या है कि जिन संस्थानों में वह कोयला पहुंचाना चाहिए वह कोयला वहां नहीं पहुंच पाता है और रास्ते में ही उसका दुरुपयोग हो जाता है या दूसरों को बेच दिया जाता है। इस कारण आज इन्डस्ट्रीज को और हमारे जितने भी पावर हाउसेस और इस प्रकार की तमाम चीजें हैं, वे बहुत बड़ी कठिनाई में आ जाती हैं और उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ-साथ आप जो कोयला स्माल कोल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन को इसलिए देते हैं कि वह इन तमाम इंडस्ट्रीज को कोयला सप्लाई करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे देखने में यह आता है कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन को जितना कोयला आप देते हैं वह कोयला पता नहीं कहां चला जाता है और किसी तरीके से उसका दुरुपयोग किया जाता है। इसके सम्बन्ध में आज तक कोई तवज्जुह नहीं दी गई है जिसके कारण आज स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को बहुत बड़ी तकलीफ उठानी पड़ रही है और उनको समय पर कोयला उपलब्ध नहीं होता है इसलिए उनकी आउटपुट जितनी होनी चाहिए उसमें भी बड़ी भारी कमी है। इसलिए इस व्यवस्था को आप निश्चित तरीके से ऐसी बनाइए कि जितना भी कोयला आपके द्वारा स्माल स्केल इण्डीस्ट्रीज कार्पोरेशन को सप्लाई किया जाए वह कोयला इन इण्डस्ट्रीज को उपलब्ध हो सके और जो बिचौलिए लोग स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के अन्दर बैठे हुए हैं और जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं तथा अपनी जेबें भर रहे हैं और इसके साथ-साथ नेशन के साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ आपको सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि यह व्यवस्था ठीक प्रकार से बैठे।

महोदय, मैं आपके सामने एक नजीर पेश करना चाहता हूं वह जयपुर की है। वहां पर स्माल स्केल इण्डीस्ट्रीज को आप जितना कोयला सप्लाई करते हैं, वह कोयला जिन लोगों को मिलना चाहिए वह उनको समय पर नहीं मिलता है और इसकी वजह से उन लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। इसके लिए कई बार शिकायतें की गई हैं, स्टेट असेंबली में कई बार इसके बारे में चर्चा हुई, मगर अभी तक इस बारे में वहां पर कोई ठीक व्यवस्था नहीं हुई है। इसलिए आपको

ठीक तरह से वहां कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे लोगों को ठीक प्रकार से कोयला उपलब्ध हो सके। मेरा एक निवेदन यह भी है और मैंने पिछली लोक सभा में भी इस बारे में कहा था कि बड़े-बड़े ट्रेड यूनियन के लीडर हैं, जो इन बड़े-बड़े माफिया गिरोहों को आर्गेनाइज करते हैं, ये लोग भी इन खदानों में जो कोल का प्रोडक्शन होता है, उसका दुरुपयोग करते हैं और बहुत सारा कोयला स्मगल दूसरी जगहों के लिए कर दिया जाता है, वेस्ट बंगाल से बंगला देश को चला जाता है, इसी प्रकार से नेपाल को भी चला जाता है। कई स्थानों से इस प्रकार से कोयला चोरी छिपे स्मगल किया जाता है और इसमें बड़े-बड़े लोगों का हाथ है। इस प्रकार से 50 लाख टन के आसपास कोयला स्मगल हो जाता है और उसकी एक बहुत बड़ी हानि इन इण्डस्ट्रीज को उठानी पड़ती है जिसके कारण हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसी कारण से हमारी कोल इण्डस्ट्रीज को दो सौ करोड़ रुपये से अधिक का घाटा उठाना पड़ रहा है, इसके साथ-साथ जो खास बात है वह यह है कि जो चोरी होती है, उसको भी रोकना आवश्यक है। आपकी प्रोटेक्शन फोर्स जो आप वहां लगाते हैं, वह भी उनसे मिली हुई होती है। ये लोग आपके कोयले को वहां से उठा लेते हैं और उसका दुरुपयोग करके निजी जगह पर व्यवसाय करते हैं। इस सम्बन्ध में भी ध्यान रखने की जरूरत है।

रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के सम्बन्ध में यहां एक अमेंडमेंट बिल आया था, उसको आर्म्ड फोर्स की परिभाषा में लाने की कोशिश की गई। इसी तरीके से जो इंडस्ट्रियल फोर्स आपने कायम की है जो तमाम इण्डस्ट्रीज में इनकी व्यवस्थाओं को देखते हैं, उनको अगर आप चोरी रोकने के लिए इस तरह की पावर दें, ऐसे अधिकार दें ताकि उस स्थान पर ऐसे लोगों को पकड़ लिया जाये जो स्मगल करते हैं तो आपको इससे बहुत बड़ी बचत हो सकतीं है और हमारी माइन्स का डेवलपमेंट ज्यादा हो सकता है।

हमारे पावर हाउसेज को दिया जा रहा कोयला भी समय पर नहीं पहुंचता है। पिछली बार जब कोयले पर बहस हुई थी तो कई बार इस तरह की बात आई कि पूरी-पूरी वैगन ट्रेन किसी स्थान के लिए लोट की लोट की गई और वह पूरी गाड़ी कहीं गायब हो गई और उसका आज तक पता नहीं। जो भी वैगन कोयले के होते हैं, वह उपयुक्त स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं और बीच में ही वह गायब हो जाते हैं इस पर विशेष तौर से तवज्जह देने की आवश्यकता है। इससे हमारे देश के कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो सकेगा और उससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ सकेगा और हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकेगी इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : सभापति महोदय, श्रीमान मैं समझता हूं कि यह अच्छा होगा कि मैं हिन्दी में बोलूं क्योंकि यह सभी सदस्यों के लिए सुविधाजनक है।

[हिन्दी]

मैं सबसे पहले सब सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव इस बिल की चर्चा में दिये। हालांकि जैसा मैंने शुरू में कहा, यह बिल एक औपचारिक बिल था, जिसमें जो नियमों में प्रावधान किया था, उसे कानून में मूल बिल में ही लाना आवश्यक था और वह कदम

उठाया जा रहा है, लेकिन इस बिल की चर्चा के दौरान काफी बुनियादी मुद्दों के बारे में सदस्यों ने बात उठाई और मैं उनका आभारी हूं।

यह बात ठीक है कि अपने देश में जो कुछ बेसिक इण्डस्ट्रीज हम लगाना चाहते हैं, इन्फ्रा-स्ट्रक्चर इण्डस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, बुनियादी उद्योगों में कोयले का बहुत बड़ा स्थान है। इसलिए कोयले के आधार पर हमारी ऊर्जा शक्ति, जो देश में है, वह निर्भर है।

ऊर्जा शक्ति इस देश में या तो पन-बिजली की होगी या उसके बाद नम्बर आता है कोयले की शक्ति पर आधारित ऊर्जा का, क्योंकि अन्य जो शक्तियां हैं, वह अभी भी प्रयोग में हैं, अभी भी सौर-ऊर्जा हम पूरी तरह से काम में नहीं ला पा रहे हैं, उसका संसधान अभी उस स्थिति में नहीं आ पाया है।

अणु शक्ति की भी अपनी एक मर्यादा है। इसलिये इस देश में जो कोयले के भंडार उपलब्ध हैं, हालांकि कोयला भी ऐसी चीज है, कि वह अनन्त काल तक नहीं रहेगा, वह आज या कल समाप्त हो सकता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस कोयले का इस ढंग से उपयोग किया जाये कि उससे ज्यादा से ज्यादा लाभ इस देश को हो इसी उद्देश्य से कोयले के क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया। जब राष्ट्रीयकरण किया गया था तो 2, 3 मुख्य उद्देश्य थे। एक तो यह था कि कोयला क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों का भयानक शोषण हो रहा था। सोचा यह गया कि कोयले का उत्पादन इस ढंग से यानि कि आधुनिक, तान्त्रिक और शुद्ध दृष्टि से होना चाहिए जिसे सलाठर माइनिंग कहते हैं। अनाप-शनाप कोयले को खोदकर और उन खानों का और भंडार का बिनाश किया जा रहा था वह हो न पाये, इस दृष्टि से यह आवश्यक था कि राष्ट्रीयकरण किया जाये।

तीसरा उद्देश्य यह था कि राष्ट्रीयकरण करें तो कोयला इकोनमिकली हम प्रोड्यूस कर सकें, उत्पादित कर सकें।

(व्यवधान)

उद्देश्य क्या थे, कितने सफल हुए, उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। उद्देश्य यह था कि कीमतें न बढ़ने पायें, मजदूरों का वेतन बढ़े, उनका शोषण न हो और देश में ऐसी अर्थव्यवस्था हम बना पायें कि जिससे कोयले पर उत्पादित ऊर्जा बढ़ाकर देश में, गांव-गांव में उद्योग बन सकें, लेकिन देखना यह है कि क्या यह उद्देश्त हमारा सफल हुआ।

महोदय, मैं बड़ी नम्रता से और खुलकर जो तथ्य सदस्य हमारे सामने लाये, उसके बारे में यहां चर्चा करना चाहता हूं। वह यह है कि जब हमने राष्ट्रीयकरण किया तो कुल लागत कोयले के उद्योग में करीबन 48 करोड़ रुपये की थी और आज केवल इन 12 सालों में इस देश ने 5 हजार करोड़ रुपये की लागत पहुंची। 5 हजार करोड़ किस का पैसा था? यह राष्ट्र का पैसा, देश की जनता का पैसा हमने कोयले उद्योग में लगाया। पहले हम 74 मिलियन टन प्रोड्यूस करते थे, आज 147 मिलियन टन हम प्रोड्यूस करते है। एक मोटे तौर पर समझ लिया जाये कि दुगना उत्पादन हुआ। उस वक्त हमारे मजदूरों का मिनिमम वेज करीबन 1971 में 185 रुपया था वह आज

बताइये आप इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे ? कैसे आप मैन-पावर घटायेंगे ? कैसे इसको एकोनोमाइज करेंगे और कैसे स्टील और कोल आप सस्ता और अच्छा दे सकेंगे ? (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जिसकी जमीन ली है उससे उसको कुल कितनी आमदनी होती थी यह देखकर सरकार गारन्टी करे कि उतनी कमाई उस कुटुम्ब को आ जायेगी-—चाहे उद्योग के रूप में और चाहे एलाउंस के रूप में लेकिन यह मत कहिए कि हरएक घर का एक आदमी कारखाने में लगाया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपका कोई भी कारखाना हो—-चाहे स्टील का, चाहे कोल माइन्स, वह कभी भी एकोनामिक नहीं हो सकता। यह एक बुनियादी बात है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : आपने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नहीं, ज्यादातर लोगों को स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज में लगाया जाना चाहिए लेकिन आपकी जो पालिसी है उसमें हैंडलूम पावरलूम इण्डस्ट्री तो मर रही है—वहां भी आप उनको एन्करेजमेन्ट नहीं दिलाना चाहते और यहां से भी उनको हटाना चाहते हैं तो दोनों बातें एक साथ कैसे चलेंगी ?

श्री बसन्त साठे : वहां पर उनको एन्करेजमेन्ट देना चाहिए। हम सभी को मिलकर यह बात सोचना है कि एम्पलायमेन्ट कहां देना है। इसमें पार्टीबाजी का कोई सवाल नहीं है। हम सभी मिलकर विचार करके एक राय बना सकते हैं।

यहां पर माफिया की बात चल रही थी। खासकर बिहार के सम्बन्ध में इसकी बहुत चर्चा होती है। लेकिन यह क्या है और क्यों ऐसा होता है ? मेरी तो ऐसी नम्र मान्यता है कि जब तक हम मजदूरों को, कर्मचारियों को उद्योगों के मैनेजमेन्ट में सही रूप में सहभागी नहीं बनायेंगे तब तक ये माफिया की बदमाशियां बन्द नहीं होंगी। इन बुराइयों को सबसे ज्यादा कौन जानता है ? वे लोग जो वहां पर काम करते हैं। (व्यवधान) वे लोग जानते हैं कि चोरी कौन करता है। इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूं कि सारे उद्योगों में उसके मैनेजमेन्ट में लेबर का, केवल नाम के लिए नहीं, बल्कि एफेक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। यदि उनके चुने हुए नुमाइन्दे मैनेजमेन्ट में रहेंगे तो आप देखेंगे कि ओवर-नाइट एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो जायेगा और आपकी जितनी भी शिकायतें हैं वह सारी दूर हो जायेंगी। आप इसको करके देखिए। सदन इसको अपनी मान्यता दे। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आप कोल इंडिया में इसकी शुरुआत कीजिए।

(व्यवधान)

श्री बसन्त साठे : ट्रेड यूनियन के लोग तैयार हो जायें, तो कल ही कर दूंगा···। (व्यवधान)

राजीव गांधी जी ने तो जाहिर तौर पर कह दिया है कि वह मजदूरों द्वारा भाग लेने में विश्वास रखते हैं।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : कम्प्यूटरों द्वारा भाग लेने में।

श्री वसन्त साठे : कम्प्यूटर भी आवश्यक हैं यदि आप आधुनिक विश्व के साथ रहना चाहते हैं और उसके साथ-साथ चलना चाहते हैं।

प्रो० दण्डवते जी, आप जैसा वैज्ञानिक व्यक्ति इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

मैं अर्ज कर रहा था कि पार्टिसिपेशन आफलेबर टोटल वर्क फोर्स की एकाउन्टेबिलिटी होनी चाहिए। सबसे ज्यादा आवश्यकता किस बात की है ? जनता का पैसा है, सरकार का पैसा है। मैंने जैसा अभी कहा पहले पांच हजार करोड़ रुपया लगाया और अब सातवीं पंचवर्षीय योजना में आठ हजार करोड़ रुपया लगाने जा रहे हैं। सिंगरौनी आन्ध्र प्रदेश में हम सात सौ करोड़ रुपया सातवीं पंचवर्षीय योजना में लगाने जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मजदूरों पर मेरा पूरा विश्वास है। यह विश्वास थियोरेटिकल नहीं है। यह विश्वान सिंगरौनी में हमने देख लिया है। पिछले साल सिंगरौनी कोल फील्ड की हालत क्या थी, काम के दिन होते थे तीन सौ और स्ट्राइक चार सौ से ज्यादा होती थी।

एक माननीय सदस्य : 440।

श्री वसन्त साठे : यह वस्तु स्थिति पिछले तीन साल थी। यही मजदूर जिनको कंडेम किया जा रहा था, नक्सलाइट कहकर, एक्स्ट्रीमिस्ट कहकर। वहां की स्थिति को मैंने स्वयं जाकर देखा है। वहां मैं मुख्यमंत्री जी से मिला और रामागुडूम व कोत्तगुडूम में मजदूरों से मैं स्वयं मिला। मैंने उनसे कहा कि आपका झगड़ा किस बात पर है। कोई बात संघर्ष की हो या शिकायत की हो तो उस पर झगड़ा होता है। हमने उनसे कहा ग्रिवेंसेज काउन्सिल आफ मैनेजमेंट टुगेदर विद रिप्रजेंन्टेटिव्ज आफ-दि यूनियन बना लेते हैं। लेकिन देखिए स्टाइक बन्द होनी चाहिए। मैं इस बात को नम्रता से कहना चाहता हूं कि तीन महीने के अन्दर क्रान्तिकारी बदलाव आ गया। वहां का प्रोडेक्शन 20 प्रतिशत बढ़ गया। मैन-डेज लास जो कि दो लाख था, वह सात हजार तक नीचे उतर आया। स्ट्राइक्स प्रैक्टिकली बन्द हो गए। कहीं इक्का-दुक्का चल रही हो तो दूसरी बात है। यह जो फर्क आया वहां, यह किसने किया ? वहां के मजदूरों ने किया। वहां के मजदूरों में फीलींग आफ दी बिलोंगिंग पैदा कीजिए, तो यही देश मजदूर आपको क्रांतिकारी परिवर्तन करके दिखलाएगा—ऐसा मेरा विश्वास है और उनको अनुभव है।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : आपको मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।

श्री वसन्त साठे : मैं इस बात के पक्ष में दलील देता रहा हूं। मैंने इस विषय में लिखा है। मैंने इस विषय में अपनी किताब में लिखा है···(व्यवधान)

लेकिन जब तक इस देश में मजदूर-संघ आन्दोलन के नेता वास्तविक भागीदारी के इस विचार से सहमत नहीं होते, हम कुछ नहीं कर सकते। उन्हें ऐसा कहने दीजिए, मैं कल ही सदन के समर्थन से ऐसा कर दूंगा।

801 रुपया हो गया है। इसके अलावा जो भत्ते और एलाऊंस मिलते हैं, उसे मिलाकर लिया जाये तो करीब 1200 रुपया वेतन प्रति माह मिलता है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद जहां तक वैलफेयर का सवाल है, चाहे उसमें मकान, पानी, अस्पताल या डिस्पेंसरी की बात हो 6 करोड़ रुपया जब राष्ट्रीयकरण किया तब खर्चा किया जाता था, आज 100 करोड़ रुपया खर्चा किया जा रहा है।

अब मैं आपके माध्यम से इस सदन के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि व्यवहार में क्या हुआ। उत्पादन तो दुगना हो गया, लागत इतनी हुई कि कोयले के दाम 37 रुपया या 32 रुपया टन अभी कुछ सदस्य भाइयों ने बताया, उसे लेकर आज औसत 183 रुपया टन तक चले गये। कुछ कोयले ज्यादा महंगे हैं, कुछ सब सप्लाइज कर रहे हैं। 175 रुपये में सापट कोल देते हैं और वह भी पिट-हेड़ 175 रुपये में देते हैं, वह बाजार में 500-600 रुपये के भाव में मिलते हैं। मैं यह सारे तथ्य इसलिए दे रहा हूं कि कहीं न कहीं हमारी प्लैनिंग में, मैं मानता हूं कि बड़ी भयानक स्थिति है, इसलिए उसको हमको देखना चाहिए। यह मैं किसी की टिका करने की दृष्टि से या किसी का दोष दिखलाने की दृष्टि से या किसी का दोष दिखलाने की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। यह आत्मनिरीक्षण करने की बात है, हम सब लोगों को इस पर विचार करना है कि हमारा जो उद्देश्य था वह सफल हुआ है या नहीं।

4.00 म० प०

यदि नहीं हुआ तो कहां गलती हुई और कैसे उस गलती को अब सुधारा जाय, इस दृष्टि से मैं यह बात कह रहा हूं। अपने देश में कुछ न कुछ माप होते हैं, जिसे पैरामीटर कहते हैं। दुनियां में किसी भी चीज का उत्पादन आप करेंगे तो अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य नाम की कोई एक चीज होती है। आप अपना कोयला क्या इंटरनेशनल प्राइस के लेवल पर पैदा कर रहे हैं ? यदि नहीं कर रहे हैं तो उसका वार्ड आउटपुटमैनशिप जिसे कहते हैं वह अपने देश में क्या है ? इतना सारा पैसा लगाने के बाद आप देखेंगे कि हमारे देश में आउटपुट मैनशिप अंडर ग्राउन्ड माइन्स में एक टन से कम है और ओपन कास्ट माइन्स का करीबन डेढ़ दो टन के अन्दाज में है, दुनिया में सब से कम यह आउटपुट मैनशिप हमारा है। यह क्या है ? मैं माननीय सदस्यों से बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं कि आप यह देखिए कि क्या उद्देश्य था हमारा ? क्या यह उद्देश्य था कि सारे के सारे लोग ये जो इन्फ्रा-स्ट्रक्चर उद्योग थे वहां लगाने थे ? एम्पलायमेंट पोटेंशियल इस में लगाना था ? स्टील पैकिंग में लगाना था जहां ढाई लाख लोग हम लगा रहे हैं। कोल माइन्स में लगाना था जहां पांच लाख लोगों की जगह 7 लाख लोग कर दिए ? क्या उद्देश्य था हमारा ? उद्देश्य मेरे ख्याल से यह था कि इन्फ्रा-स्ट्रक्चर प्रोडक्शन हम सस्ता करें, कोल सस्ता पैदा करें, मेकेनाइज्ड करें, एकोनामिकल करें, चीप लेबर का ऐडवांटेज लें और गांव-गांव में ऊर्जा के आधार पर उद्योग लगा दें। उत्पादन वहां बढ़े। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में वहां एम्पलायमेंट अपार्च्युनिटीज मिलें जिससे देश का सन्तुलित विकास हो सके। यह था न हमारा उद्देश्य ? स्टील के क्षेत्र में यही हुआ। पांच मिलियन टन के ऊपर हमारे स्टील का उत्पादन 100 मिलियन टन हो जाना चाहिए था। सब से अच्छा आयरन ओर आज हमारे यहां का है ? आप समझते हैं हमारे यहां का कोल हिन्दुस्तान का खराब है क्या ?

हमारे यहां का कोल यूरोप या दुनिया के दूसरे देशों के मान से जहां उनमें सल्फर कन्टैन्ट ज्यादा होता है, हमारे यहां के कोल में कम सल्फर कन्टैन्ट होता है। अच्छा कोल है। यह पावर ग्रेड कोल कहलाता है। ज्यादा से ज्यादा पावर हम इससे पैदाकर सकते हैं। ऐश कन्टेन्ट की बात कही गई। लेकिन मैं यह कहूं कि ऐश कन्टैन्ट ज्यादा हो तो ज्यादा ऐश कन्टेन्ट वाले ब्वायलर का इन्तजाम अलग ढंग से किया जाय। ऐश कन्टेन्ट ज्यादा होने से डरने की जरूरत नहीं है। इसी ऐश कन्टेन्ट के कोल से आप बढ़िया से बढ़िया पावर पैदा कर सकते हैं और ऐश को कम करने के भी तरीके हैं, वाशरी से, कोल हैंडलिंग प्लान्ट से यह कम किया जा सकता है।

मैं कहना यह चाहता था कि ऊर्जा सस्ती करनी चाहिए। स्टील प्रोडक्शन सस्ता करना चाहिए। आप को मालूम है कि देनिया में साउथ कोरिया एक छोटा सा देश है। हमारे बाद 1971 में उसने फौलाद का निर्माण शुरू किया। उसके पहले 1 लाख 80 हजार टन फौलाद वह बनाते थे कूड मैथड से। लेकिन 71 से लेकर 84 तक अब नौ मिलियन टन स्टील वह पैदा करते हैं। वही टेक्नोलाजी है जो हमारे यहां है। वही टेक्नालाजी जो हमारे यहां राउरकेला या दूसरी जगहों में है उसी से 9 मिलियन टन वह उत्पादन करते हैं और उस प्लान्ट में आदमी कितने लगाए हैं—14500। हम पांच लाख टन स्टील पैदा करने के लिए पब्लिक सैक्टर में 2 लाख 25 हजार लोगों को लगाएं तो आप बताइए कैसे हमारा स्टील प्रोडक्शन सस्ता हो सकता है दुनिया के माप-दण्ड से? कहां एम्पलाय करना था लोगों को? सवा दो लाख यहां लगा दिए और 7 लाख कोल माइनिंग में लगा दिए, तो फिर स्टील सस्ता कैसे पैदा हो सकता है? स्टील सस्ता बना करके 100 मिलियन टन पैदा करना हमारा उद्देश्य था। वह पैदा करके गांव-गांव में स्टील बेस्ड इंडस्ट्री लगानी चाहिए थी। स्माल स्केल बेसिस पर और काटेज इंडस्ट्री की बेसिस पर वहां एम्पलायमेंट जेनरेट होना चाहिए था। सारा स्ट्रक्चर बदलना था हमारे देश का। क्या यह संभव है कि बेकारी गांव में हो और हम उम्मीद यह करें कि गांव के नौजवान सारे के सारे कलकत्ता और बम्बई में, दुर्गापुर में, राउरकेला में या दिल्ली में आएं और इनको यहां जबाव मिले? यह संभव है क्या?

यह सम्भव है क्या? मैं सदन से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आज भी समय है, हम लेबर क्षेत्र में काम करने वाले हैं, हमने अपनी जिन्दगी-दण्डवते जी जानते हैं—साथ मिलकर इसी लेबर फील्ड में बिताई है पिछले 30-35 साल से, मैं पूछना चाहता हूं अगर एम्पलायमेंट ओरिएन्टेड एकोनामी चाहिए तो एम्पलायमेन्ट कहां जेनोट होना चाहिए: वह इन्फा स्ट्रक्चर में नहीं बल्कि इण्डस्ट्रीज बेस्ड आन स्टील···

श्री विनेश सिंह (प्रतापगढ़): करेगा कौन?

श्री बसन्त साठे: हमें करना है। राजा साहब इसी क्षेत्र में थे यानी सरकार में थे। मैं यह बात दोषारोपण की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। मैं तो सारे सदन से पूछना चाहता हूं क्या इस बात को मानेंगे कि बुनियादी इन्फा-स्ट्रक्चर क्षेत्र में जो आज ऐग्रीमेन्ट होते हैं, मांगें उठती हैं मजदूरों की तरफ से और एक-एक डिसप्लेस्ड परसन जिसकी जमीन ली गई उसकी फेमिली के एक आदमी को नौकरी मिलनी चाहिए, कोई रेटायर हो तो उसकी जगह पर कुटुम्ब का एक आदमी लगना चाहिए, कोई मर जाता है तो उसकी जगह पर एक आदमी लेना चाहिए—इसके बाद आप मुझे

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.20 म० प०

बाट और माप मानक (प्रवर्तन) विधेयक

सभापति महोदय : अब सदन बाट और माप मानक (प्रवर्तन) विधेयक को लेता है। श्री राव बीरेन्द्र सिंह जी अब विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करें।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 द्वारा या उसके अधीन स्थापित बाटों और मापों के मानकों के प्रवर्तन का और उससे सम्बन्धित या उसके आनुसंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : सभापति महोदय, मैं सूचना देना चाहता हूं कि श्रीलंका में रहने वाले तमिलों को वहां से निकालने जाने के प्रश्न को हम पिछले तीन दिनों से उठा रहे हैं। हमें खुशी है कि आज उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका पर सुनवाई किये जाने पर सरकार ने अन्ततः तमिलों के लिए जारी निर्वासन आदेशों को वापिस लेने की घोषणा की है जिससे उनके अधिकारों की रक्षा हुई है। हमें खुशी है कि अन्ततः सुबुद्धि तो आई।

श्री राव बिरेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, मुझे आशा है कि सदन बाट और माप मानक (प्रवर्तन) विधेयक का स्वागत करेगा जिसकी बहुत समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। राज्य सभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। विगत में हम विभिन्न किस्म के बाट और माप इस्तेमाल कर रहे थे। आधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास के साथ यह महसूस किया गया कि भारत में भी बाट और माप का समान प्रणाली होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1956 में इस संसद ने बाट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1956 पारित किया था। उस समय बाट और माप मानक निर्धारित करने की जिम्मेदारी संविधान के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की थी। लेकिन इसका प्रवर्तन राज्य सूची के अन्तर्गत आता था। इसलिए राज्य सरकारों से कहा गया कि वे 1956 के अधिनियम के अन्तर्गत इन बाट और माप मानकों के प्रवर्तन के लिए अपने-अपने यहां कानून बनाए। इसके बाद अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस दिशा में कुछ सुधार हुए वे भारत द्वारा अपनाई गई मीट्रिक प्रणाली में और सुधार किया गया तथा कुछ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर निर्धारित किए गये और उनमें सुधार किया गया।

1976 में संसद ने एक और अधिनियम पारित किया जिसने 1956 के अधिनियम का स्थान ले लिया। उस समय भी प्रवर्तन राज्य सूची के अन्तर्गत आता था। लेकिन कुछ समय बाद

संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा प्रवर्तन भी समवर्ती सूची के अन्तर्गत ले आया गया हमने राज्यों को लिखा कि वे 1976 के अधिनियम में दिए उपायों के प्रवर्तन के लिए अपने यहां अधिनियम बनाएं। कुछ राज्यों ने कार्यवाही की लेकिन अधिकांश राज्यों ने इन प्रवर्तन अधिनियमों को पारित नहीं किया। इसलिए यह जरूरी समझा गया कि 1976 के अधिनियम में दिए गए बाट और माप मानकों का सारे देश में प्रवर्तन करने के लिए संसद स्वयं एक समान कानून बनाए। इसी निर्णय के कारण मैं इन उपायों के साथ इस सदन में उपस्थित हुआ हूं।

यह एक बहुत व्यापक विधेयक है। इसमें मानव जीवन, जन स्वास्थ्य की सुरक्षा, बेहतर औद्योगिक विकास, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्यिक लेन-देन नवीनतम बाट और माप तथा औद्योगिक उत्पादन कार्य प्रणाली के बारे में विस्तृत उपायों की व्यवस्था की गई है। विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए दण्ड का भी प्रावधान है। अधिनिमय के अन्तर्गत एक पूरा अध्याय अर्थात 31 धाराओं में विभिन्न तरह के अपराधों के लिए भिन्न-भिन्न सजाओं की सूची दी गई है।

इसी तरह यह व्यवस्था की गई है कि इनके प्रवर्तन के लिए राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा सरकारी तन्त्र का गठन किया जाएगा तथा संघ राज्य क्षेत्रों में इसके गठन की जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकार की होगी।

4.23 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

आशा है सदन मेरी इस बात से सहमत होगा कि सदन के समक्ष यह जो विधेयक अब प्रस्तुत किया जा रहा है उसकी लम्बे समय से प्रतीक्षा थी और माननीय सदस्यगण इसे सर्वसम्मति से पारित करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को सदन के समक्ष रखता हूं और अब माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट करें।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 द्वारा या उसके अधीन स्थापित बाटों और मापों के मानकों के प्रवर्तन का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव (अमालापुरम) : महोदय, उपभोक्ता को उसके पैसे की पूरी कीमत दिलाने के लिए जरूरी है कि विभिन्न वस्तुओं के लिए बाट और माप मानक स्तर के हों। ये मानक एक विशिष्ट स्तर के होने चाहिए चाहे उनका इस्तेमाल तरल पदार्थों, वस्तुओं या सोने आदि जैसी कीमती धातुओं को तोलने या मापने के लिये किया जाए।

1973 में नकली माप-तोल की बुराइयों का पता लगाने के लिए मैत्री समिति का गठन किया गया था। समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं। लेकिन इन सब समितियों से कोई फायदा नहीं

श्री ए० चार्ल्स : पूरा सदन आपका समर्थन कर रहा है ।

श्री बसन्त साठे : मैं सदन का आभारी हूं । मुझे विश्वास है कि सरकार तथा साथ ही श्रम मंत्रालय भी इस बात को ध्यान में रखेगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : उपरि सदन भी आपके साथ है ।

श्री बसन्त साठे : हां, यह विधेयक वहां सर्वसम्मति से पारित कर लिया गया है और उन्होंने इस सिद्धांत का समर्थन किया है । मैं उनका आभारी हूं ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं सर्वोच्च सदन की बात नहीं कर रहा हूं ।

श्री बसन्त साठे : वहां जाने पर हम पता लगायेंगे, जहां तक कोयला उत्पादन या इस्पात उत्पादन के लिए आवश्यक मूलभूत चीजों का प्रश्न है, हम इस देश में इस मामले में भाग्यशाली हैं हमारे पास लोह-अयस्क, बोक्साइट, अलमूमिनियम, जस्ता, डोलोमाइट, लिग्नाइट और कोयला जैसे उत्कृष्ट संसाधन हैं । हमें इनका प्रयोग किफायती ढंग से करना चाहिए । हमें अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में सस्ती-से-सस्ती लागत पर उत्पादन करना चाहिये और दुनिया को उसी की बाजी में हटा देना चाहिए ।

मुझे यह कहने में शर्म आती है, मैं इससे अधिक मुलायम शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, कि हमारे देश को 250 लाख टन लोह अयस्क का निर्यात करना पड़ता है और केवल 240 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा देश कमाता है । बस इतना ही है । जबकि यदि इसे यदि इस्पात में बदला जाये तो यह हमें 120 लाख टन इस्पात देगा और आज की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत पर हम 4000 करोड़ रुपये मूल्य से भी अधिक की विदेशी मुद्रा कमायेंगे ।

श्री बसुदेव आचार्य : और अब हम इस्पात का आयात कर रहे हैं ।

श्री बसन्त साठे : लेकिन सबसे अधिक दुःख का विषय तो यह है कि दक्षिण कोरिया जैसा देश लोह अयस्क, चूना पत्थर, कोककर कोयले का आयात करता है और फिर भी दुनियां के किसी भी देश की तुलना में सस्ते इस्पात का उत्पादन करता है और दुनिया को उसे बेचता है और यहां मेरा देश भी है जहां हमारे पास उत्कृष्ट लोह अयस्क और फिर भी हम सरकारी क्षेत्र में 50 लाख टन उत्पादन और कुल 90 लाख टन उत्पादन पर अटके पड़े हैं जबकि आज तक हमें 1000 लाख टन इस्पात का उत्पादन करना चाहिये था । सवाल यह है कि हमारी समस्त अर्थव्यवस्था तथा विचारधारा जनतांत्रिक है । मैं एक उदाहरण देता हूं । हमने 2,95,000 लोगों को रोजगार देकर काम शुरू किया । आप किफायती ढंग से इस्पात का उत्पादन कैसे कर सकते हैं ? मैं आपको बता दूं कि 90 लाख टन की क्षमता के इस्पात संयंत्र में उन्होंने केवल 14,000 व्यक्तियों को रोजगार दिया हुआ है । चीन 440 लाख टन इस्पात का उत्पादन कर रहा है और उनकी योजना शताब्दी के अन्त तक अर्थात् अगले 15 सालों में 900 लाख टन इस्पात उत्पादन करने की है । आप किसके साथ प्रतियोगिता करेंगे ? मेरा अभी भी विचार है कि अगर यह देश अर्थव्यवस्था की नवीनतम प्रणाली ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के नवीनतम तरीके तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी ही नहीं बल्कि नवीनतम प्रबन्ध-प्रणालियों को अपनाए तो मुझे विश्वास है कि हम इस्पात का और

अधिक उत्पादन कर सकेंगे। इस्पात के बिना ग्रामीण भारत का औद्योगिकीकरण कैसे हो सकता है। कोयले के बिना बिजली और ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जा सकती है? ऊर्जा के बिना आप औद्योगिक और कृषि विकास कैसे कर सकते हैं? मुझे दुख इसी बात का है और इसीलिए मैंने कुछ प्रस्ताव रखे हैं। सर्वप्रथम उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए। सत्ता और उत्तरदायित्व अधिकार और उत्तरदायित्व, सभी काम करने वाले पूर्ण निष्ठा से काम करें और जनता के पैसे के उपयोग के प्रति पूरा उत्तरदायित्व निभाएं। वैसे भी सरकारी उपक्रमों आदि में इस्तेमाल किया जाने वाला पैसा 70 करोड़ जनता का ही है। इसीलिए हमने इस सदन के आशीर्वाद और समर्थन से नई विचारधारा को अपनाया है? इसमें मुझे कोई संदेह नहीं कि हम अपने आन्तरिक ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं।

मैं उन सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने सुझाव दिए और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी (कुरनूल) : क्या यह सच है कि कोल इण्डिया लिमिटेड कोयले की कीमतों में 200 रुपए प्रति टन की दर से वृद्धि करने पर विचार कर रही है? क्या यह मामला अब सरकार के विचाराधीन है?

सभापति महोदय : यह एक अलग प्रश्न है। अब, प्रश्न यह है :

"कि कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सदन विधेयक पर खंडवार विचार करेगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री बसन्त साठे : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : वह मेरे प्रश्न का जवाब दे सकते हैं।

श्री बसन्त साठे : अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव या विचार नहीं है।

है अगर कुछ कड़े उपाय नहीं किए जाते और माप-तोल के नकली साधनों का प्रयोग करने वाले व्यापारियों के लिए कानून में कठोर सजा की व्यवस्था नहीं की जाती।

व्यापारी माप-तोल के नकली पैमाने इस्तेमाल करके ग्राहकों को धोखा देते हैं। मेरा सुझाव है कि घटिया मानक या माप-तोल के नकली पैमाने इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को अगर पकड़ा जाता है तो उसका चालान ही नहीं किया जाए बल्कि उस पर 5000 रुपए तक का भारी जुर्माना और कम से कम एक साल की कड़ी सजा दी जाए। इस प्रकार की कठोर सजा से व्यापारियों को अपराध न करने देने में सहायता मिलेगी।

यही नहीं अगर पता चले कि बाट और माप के पैमानों का निरीक्षण करने वाले अधिकारी अपने कर्त्तव्यों की उपेक्षा कर रहे हैं तो उन्हें भी इसी तरह की कड़ी सजा दी जानी चाहिए।

यह कहना व्यर्थ है कि भारत जैसे विशाल देश में व्यापारी सरकार और जनता को लाखों करोड़ों रुपए का जरूर धोखा दे रहे होंगे और इस प्रकार करोड़ों रुपए का काला धन पैदा करने में उनका योगदान है।

अतः मैं सरकार द्वारा किए गए इस उपाय का स्वागत करता हूं। लेकिन मेरा विचार है कि यह उपाय अधूरा है। इस बुराई को खत्म करने के लिए और अधिक कड़े उपाय करने की जरूरत है।

[हिन्दी]

श्री बीरेन्द्र सिंह (हिसार) : माननीय सभापति महोदय, मैं स्टैंडर्ड आफ वेट एण्ड मैजर एन्फोर्समेंट बिल 1985 का समर्थन करने और माननीय मंत्री महोदय को इस कार्यक्रम के लिए बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूं। बाट, वेट जिसको कहते हैं और नाप, मैयर, इनके द्वारा समाज के गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी का, गांव में रहने वाले का बहुत लंबे समय तक साहूकार, उद्योग-पति ने शोषण किया है। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी भी गांव से आते हैं, इनको पता होगा कि किस प्रकार का शोषण आज तक देहात में प्रचलित है। आप स्टैंडर्ड वेट्स की बात छोड़िए, पत्थर के बाट से सामान लिया जाता है और दिया जाता है और यह भी छोड़िए, गांव में एक छोटा सा दुकानदार अगर आप गेहूं ले जाते हैं तो एक पलड़े में गेहूं रखता है और दूसरे में सब्जी तोलकर आपको देता है और अगर आप सरसों ले जाते हैं तो एक पलड़े में सरसों रखता है और दूसरे में सब्जी तोलकर आपको देता है। 157 रुपए क्विंटल की गेहूं और 400 रुपए प्रति क्विंटल की सरसों में उसे कोई फर्क नजर नहीं आता। इस तरह का शोषण आज भी हमारे समाज में मौजूद है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय को मुबारकबाद पेश करता हूं और यह भी कहना चाहता हूं कि जो हमारी सोच है, वह अभी भी नहीं बनी, जैसे कि विदेशों में खासकर एडल्ट्रेशन के बारे में और कम नाप तोल के बारे में है। विदेशों में एडल्ट्रेशन पर और कम नाप-तोल पर उतनी ही बड़ी सजा दी जाती है, जितनी किसी को कत्ल करने की सजा है, लेकिन इसमें जो पनिशमेंट की क्लाज है एक्ट के सेक्शन 36 से 65 तक, उसमें डेट्रन्ट पनिशमेंट कहीं भी है तो वह अफेंस जब रिपीट होता है, उस समय दी गई है। पहले अफेंस पर पनिशमेंट इतना हार्ड, स्वीयर नहीं है जितना कि होना चाहिए, जिससे भय या डर उस व्यापारी के मन में बढ़े और वह माप-तोल में गड़बड़ न कर सके।

सभापति महोदय, यह जो एन्फोर्समेंट 1976 के एक्ट को एन्फोर्स करने के लिए एक्ट लाया गया है, यह कोई नया नहीं है। 1871 में भी कोशिश की गई थी एक्ट लाने की, उस समय की सरकार ने, क्वीन ने उसको टर्न डाउन कर दिया। मेयर्स आफ लेंग्थ एक्ट 1889 और फिर आजादी से पहले 1939 में भी एक एक्ट आया। मतलब यह कि कोशिश होती रही कि किसी तरीके से इस लूट-खसोट को जो कि नाप-तौल के जरिये गरीब आदमी की होती है, उससे उनको छुटकारा मिल सके। मंत्री महोदय ने इस एक्ट में एक प्रावधान किया है कि एन्फोर्समेंट की जो एजेंसी है वह राज्य सरकारों के नीचे काम करेगी। राज्य सरकार उसका रिक्रूटमेन्ट करेगी, लेकिन आप जानते हैं कि वेट एण्ड मैयर का इंस्पेक्टर शायद ही कोई ऐसा माई का लाल हो जिसको रिश्वत लेने से गुरेज हो। मैं माननीय मंत्री महोदय को सलाह देना चाहता हूं कि जहां राज्य सरकारों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसके साथ-साथ इस काडर में कम से कम ऊपर एक या दो अधिकारी कलेक्टर और एडीशनल कलेक्टर रैंक के ऐसे हों जो आल इण्डिया सर्विस के आदमी हों, जिससे कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार में एक तो लायजन बना रहे और दूसरा जो नीचे के अधिकारी हैं, उनको भय हो।

पहले ऐसा समझा जाता था कि जो सरकारी एजेन्सी हैं, उसमें नाप-तौल में कम से कम गड़बड़ नहीं होगी। मैं, माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया भारत सरकार से ग्यारह सौ करोड़ रुपया सब सिडी का लेती है, कंज्युमर को फैसिलिटी और सस्ता अनाज देने के लिये। किसान से माल खरीदने के तोल में फर्क और कंज्यूमर्स के लिए गोदाम से माल बाहर निकालने के लिये भी फार्क होता है। फूड और सप्लाई डिपार्टमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भिन्न-भिन्न एजेंसीज या इंडीविजुअल आदमी को भी डिपो अलाट किया जाता है। अगर वह डिपो होल्डर इस बात को उठाता है कि मेरे को दस बोरी गेहूं या चीनी जो दी गई है, उसमें कमी है तो उसको धमकी दी जाती है कि ले जाना है तो ले जाओ नहीं तो तुम्हारा डिपो कैन्सिल हो जायेगा। एफ० सी० आई० में साठ करोड़ साल का तोल में गड़बड़ी और वहां से जो पिलफ्रेज होता है उसमें इतना पैसा आया जाता है। आपने यह प्रावधान किया है कि अगर गलत तोल हुआ है तो इसका काग्नीजेंस तभी होगा जबकि वेट्स एंड मेजर्स का इन्सपेक्टर या और कोई अधिकारी रिपोर्ट दर्ज कराये। आप पिछली फीगर्स को उठाकर देख लीजिए। दुकानदार या साहूकार से इन्सपेक्टर की नहीं बनी तो वहां पर बेशक केस रजिस्टर हो गया हो लेकिन कोई भी बड़ा उद्योगपति या व्यापारी इस एक्ट के तहत नहीं आया। इन्सपेक्टर ही कभी रिपोर्ट लिखवाए तो लिखी जायेगी। वह न लिखवायेगा और न ही कोई पकड़ा जायेगा। जो वालेन्टरी एजेंसीज है या कंज्युमर सोसायटीज हैं, वे अगर कोई स्पेसिफिक शिकायत करती है तो उसमें जरूर काग्नीजेंस का प्रावधान हो। मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां शुगर इण्डस्ट्रीज है वहां भी किसान के साथ नाप-तौल में धोखाधड़ी होती है। जब वेइंग सेन्टर में गन्ना जाता है तो एक-एक गाड़ी में दस-दस किलो का फर्क हो जाता है। नाप-तौल करने वाला आदमी बीस क्विंटल गन्ना किसी किसान के नाम से पर्ची बनाकर अपने हक में कर लेता है। इस तरह से पांच सौ रुपया रोज एक आदमी वेइंग सेन्टर पर कमा लेता है। वैसे शुगर मिल्स अपना इन्तजाम करती है जिससे ऐसी बात न हो सके। लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि इन्सपेक्टर वेट्स एण्ड मेजर्स के पद पर उन आदमियों को लगाए जिसमें

देश, जनता या समाज के प्रति कमिटमेंट तथा अनुशासन हो। यह आदमी वही हो सकता है जो फौज में रहा हो। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि आप ऐसा प्रावधान कीजिए जो आर्मी आफिसर्स हैं या शार्ट सर्विस कमीशन से आए हैं उनको इसमें प्राथमिकता दी जाए।

इसके आलावा मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा। आपने सैक्शन 62 के अन्दर यह प्रावधान किया है कि चाहे कोई भी कार्पोरेशन हो अथवा कार्पोरेट बौडी हो या कोई कम्पनी इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो, उसमें आप किस आदमी को सजा देंगे, जहां कोई बड़ा अदारा है और वहां किसी ने साहस कर भी दिया, किसी इन्सपेक्टर ने किसी सरमायेदार को काबू करने के लिए, उसकी धांधली को पकड़ने के लिये, हिम्मत दिखला भी दी तो केस उस सरमायेदार पर नहीं बनेगा। केस उस पर बनेगा जिसको उसने काम करने के लिये औथोराइज किया हुआ है। मैं आपको सैक्शन 62 पढ़कर सुनाना चाहता हूं और उससे साफ झलकता है कि आप कभी भी किसी सरमायेदार को, जो नाप-तौल में गड़बड़ करता है, हेरा फेरी करता है, गिरफ्तार नहीं करेंगे और न कर सकते हैं, जब तक कि आप इस सैक्शन में संशोधन नहीं करते हैं। सैक्शन 62 में लिखा हुआ है :

[अनुवाद]

"यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी है तो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जो उस अपराध के लिये किए जाने के समय उस कम्पनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भार साधक और उसके प्रति उत्तरदायी थी और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही की जाने के भागी होंगे।"

[हिन्दी]

लेकिन उसमें जो आपने प्रोवीजो दिया है, उसमें लिखा हुआ है :

[अनुवाद]

"परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिये सब सम्यक् तत्परता बरती थी।"

[हिन्दी]

हर व्यक्ति यह मैनीपुलेट कर सकता है कि उसने तो पूरी कोशिश की थी लेकिन उसका नौकर नालायक था और उसी ने सारी गड़बड़ कर दी, इसलिए मेरा कोई कसूर नहीं है। उसका नौकर बेशक 5-6 महीने के लिये या साल दो साल के लिए जेल में जाए, इससे उसे कोई सारोकार नहीं। इसके अन्दर आपको हर महीने रिपोर्ट लेनी होगी कि जिस समय किसी आदमी का चालान हुआ, उसके एक महीना पहले वह कम्पनी लिखकर बताये कि हमने इस महीने फला आदमी को इन्चार्ज बनाया है। यदि बाद में कोई चेंज होती है, तो यह उस कम्पनी की जिम्मेदारी होनी

चाहिए कि वह लिखकर सूचित करे। यदि बिना किसी चेंज के वह कोई ऐसी दलील लेकर आये तो मैं सोचता हूं कि उन लोगों को हम इस सैक्सन के तहत रियायत दे रहे हैं और उसको छोड़ रहे हैं।

दूसरी बात में सैक्सन 59 के बारे में कहना चाहता हूं। इसमें आपने लिखा है कि :

[अनुवाद]

"जो कोई इस अधिनियम के किसी ऐसे उपबंध का उल्लंघन करेगा जिसके उल्लंघन के लिए इस अधिनियम में किसी दंड का पृथकतः उपबंध नहीं किया गया है, उसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।"

[हिन्दी]

यानी इन तीनों सैक्शन्स के तहत जो पनिशमेंट प्रैसक्राइब्ड नहीं है, वह इस सैक्शन के तहत आयेगा। मंत्री महोदय, जो व्यापारी हमारे देश के साथ आज के युग में इस तरह की अन्यायपूर्ण बातें करते हैं, जो दूसरे देशों से माल सप्लाई करने का समझौता तो करते हैं, लेकिन उनको अण्डर-वेट माल भेजते हैं, क्वालिटी में कमी लाकर माल भेजते हैं, वे ही आदमी इस सैक्शन के तहत आ सकते हैं, क्योंकि दूसरा कोई सैक्शन उन पर लागू नहीं होता। इसमें कहीं फौरेन ट्रेड का जिक्र नहीं आया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में जहां देश की इज्जत का सवाल हो, देश की प्रैस्टिज का सवाल हो, देश के बढ़ते हुए ट्रेड को धक्का लगने का सवाल हो, उसमें यदि कोई व्यापारी किसी कोताही करता है, वहां आपने जो रिपीट करने पर 5 साल की सजा का प्रावधान रखा है, मैं चाहता हूं कि उससे भी ज्यादा 7 साल की सजा कम से कम, इस एक्ट के तहत, उस व्यापारी को मिलनी चाहिये जो विदेशों से इकरार करके अन्डरवेट यहां से सामान भेजता है और पकड़ा जाता है। ऐसे कई मामले हकीकत में यहां हुए हैं जिनके कारण विदेशों में हमारा नाम बदनाम हुआ है।

इन शब्दों के साथ, मैं मंत्री जी से तवक्को करूंगा कि वे सारे के सारे ढांचे को फिर से देखेंगे। इसके अलावा मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा। मंत्री महोदय, कई जगह आपने भी देखा होगा कि जब हम स्वेटर के लिए ऊन खरीदने जाते हैं तो दुकानदार पौंड में सौदा करता है और आज तक यह प्रथा है...

आपने 1956 में नया सिस्टम इंट्रोड्यूज किया, 1976 में आप एक्ट लेकर आए और यह इन्फोर्समेंट एक्ट है, लेकिन उसका सौदा आज भी पौंड में और औंस में होता है। इसके लिए आपने जो सजा का प्रावधान किया है, वह कम है। ऐसे गरीब आदमी को अनपढ़ आदमी को आज भी पौंड में और औंस में या दूसरे जो मैजरमेंट हैं, उनमें सामान देते हैं, वे सबसे बड़े अपराधी हैं।

इन शब्दों के साथ में जहां इस एक्ट का स्वागत करता हूं वहां मंत्री महोदय से ये इल्तजा जरूर करूंगा कि आने वाले समय में अगर आप इसका सही इनफोर्समेंट चाहते हैं तो इसमें ऐसा प्रावधान कीजिए और लोगों को कुछ लिटरेचर सप्लाई करें या गांवों में जाकर रेडियो या टेलीविजन पर इसको बताएं, ताकि इसका इन्फोर्समेंट इफेक्टिव हो सके।

[अनुवाद]

श्री रेणुपद दास (कृष्णनगर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा विचार है कि इस विषय पर यह एक सर्वोत्तम कानून है जो महारानी विक्टोरिया के समय से लेकर अब तक इस सदन के सामने लाया गया है। अतः मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

वर्ष 1956 में सरकार ने महसूस किया कि देश भर में बाट और माप के मानक समान हों और पुरानी प्रणाली के स्थान पर मीट्रिक प्रणाली का उपयोग हो। उससे पूर्व देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रणालियां जारी थी। अतः मीट्रिक प्रणाली आरंभ की गई। तत्पश्चात व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग के विस्तार से, सरकार ने महसूस किया कि इस प्रणाली में और सुधार किया जाए, अतः अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुरूप वर्ष 1976 में इसमें अतिरिक्त सुधार किया गया। 1976 का अधिनियम अच्छा था किन्तु सरकार अधिनियम के उपबंध पूरे देश में प्रवर्तन नहीं कर सकी क्योंकि अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन करने का यह काम राज्यों को दिया गया था। केवल छः छोटे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों जैसे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर आदि। अपने-अपने राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कुछ उपबंधों का प्रवर्तन कर सके, किन्तु सभी बड़े राज्यों के अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन करने को उपेक्षित किया। अतः इसे पूरे देश में प्रभावशाली नहीं बनाया गया। अब इस विधेयक को इस अधिनियम के प्रवर्तन करने के सम्बन्ध में कुछ उपबंधों सहित इस सदन के सामने लाया गया है। इसे अब समवर्ती सूची में रखा गया है, अतः केन्द्रीय सरकार के लिए इस अधिनियम के उपबंधों को पूरे देश में प्रवर्तन करना संभव होगा। मैं मंत्री महोदय से सहमत हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए और मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं जो पूरे देश में बाट तथा माप के समान मानक की मांग करता है। किंतु मुझे इस विधेयक के उपबंधों को प्रवर्तन करने में कुछ आशंका है क्योंकि भारत एक विशाल देश है। भारत की अर्थव्यवस्था का 80 प्रतिशत कृषि पर आधारित है और केवल 20 प्रतिशत ही उद्योग और व्यापार तथा वाणिज्य, आन्तरिक अथवा बाह्य पर आधारित है। इस प्रकार के मानक केवल तेजी से विकसित हो रहे उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्य पर लागू होंगे। यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा वाणिज्य में भी लागू हो सकता है। यह मानक बाट तथा माप इस प्रकार के हैं कि यह अनेक आधुनिकतम उपकरणों पर निर्भर करते हैं। अतः इस देश में किसी सूक्ष्म उपकरण का प्रयोग किया जाना है। यह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रभावशाली हो सकता है और इसे उन क्षेत्रों में प्रयोग में लाना संभव नहीं है जहां की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है और वह लगभग पुरानी प्रथा का ही अनुसरण कर रही है। तुला को न्याय का एक प्रतीक या मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में ही चलता रहा। अतः मैं नहीं जानता कि क्या सरकार के लिए इसे देश के दूर-दराज क्षेत्रों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करना सम्भव है।

यह राज्यों पर भी निर्भर है कि क्या वे इस अधिनियम के उपबंधों को लागू कर सकेंगे। राज्यों में सदा धन का अभाव होता है। केन्द्रीय सरकार इन उपबन्धों को लागू करना चाहेगी, किंतु यह उन राज्यों पर भी निर्भर है जिन्हें वास्तव में इन्हें लागू करना है। राज्यों के पास इस उद्देश्य के लिए उचित संगठन नहीं है। राज्य पूरे देश में ऐसे विशाल संगठन की स्थापना नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास अधिक राशि नहीं है जिससे वह इस प्रकार के संगठन की स्थापना कर सकते

हैं। अतः मैं यह सुझाव दूंगा कि केन्द्रीय सरकार राज्यों को राशि उपलब्ध करे ताकि वह अपने क्षेत्रों में इन संगठनों की स्थापना कर सकें।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : वे ऐसा पंचायतों के माध्यम से कर सकते हैं।

श्री रेणुपद दास : पंचायतों के पास उतना पैसा नहीं है। दूसरे आप, को एक अच्छा संगठन चाहिए ऐसा संगठन प्रायः प्रशिक्षित कर्मचारियों पर निर्भर करता है। अतः केन्द्र को इन उपबन्धों को उचित ढंग से लागू करने के लिए कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या को प्रशिक्षण देने के लिए दो या तीन केन्द्र स्थापित करने चाहिए विशेषकर मीट्रिक प्रणाली में इन उपबंधों को लागू करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों की आवश्यकता है। शोर प्रदूषण अथवा दूर-संचार आवृत्ति तथा ऐसी अन्य बातों को ही लीजिए। इन्हें अत्यन्त आधुनिकतम उपकरणों द्वारा मापा जाना है। केवल प्रशिक्षित व्यक्ति ऐसे आधुनिकतम उपकरणों का प्रयोग कर सकते है। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि इन लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए एक केन्द्रीय संस्थान होना चाहिए ताकि वह इन उपकरणों का प्रयोग कर सके।

साथ ही यदि सरकार इन उपबंधों को समस्त देश में लागू करना चाहती है तो इसे इन उपबन्धों का जनसंचार माध्यमों तथा प्रेस द्वारा समस्त देश में प्रचार करना है यदि सरकार के पास इस विधेयक के उपबंधों के प्रचार के लिए जिसे अब लागू किया जा रहा है व्यापक तंत्र नहीं हैं, तो इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब तक जनता इन उपबन्धो के संबंध में जागरूक नहीं है तब तक इन्हें लागू नहीं किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में इन्हें लागू करने के मामले में उन्हें भी भाग लेना होगा। अतः लोगों को इसमे सम्बद्ध करना चाहिए और ऐसा केन्द्रीय सरकार के प्रयास द्वारा ही किया जा सकता है। यदि केन्द्रीय सरकार का विचार हैं कि यह पूरे देश में स्वतः ही लागू हो जायेगा। तो यह केवल उनकी भ्रान्ति है। यह इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता है। अतः उन्हें इस विधेयक के उपबन्धों को लागू करने की दिशा में अत्यन्त प्रभावशाली उपाय करने होंगे। इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल) : सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन और स्वागत करता हूं और निश्चय ही यह ऐसा बिल है जिस पर किसी को न कोई आपत्ति हो सकती है और न कोई मतभेद हो सकता है। इस बिल की एक विशेषता यह है कि हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने जिन उद्देश्यों की घोषणा की है, उनमें भी यह बिल बहुत मददगार होने वाला है। एक तो इससे भ्रष्टाचार को हम रोक सकेंगे और जो कालेधन की उत्पत्ति होती है, उन पर भी हम नियंत्रण कर सकेंगे। अगर सही प्रणाली हमने अपनायी तो निश्चिय ही प्रगति की जो गति है, उसको हम सुनिश्चित कर सकेंगे।

अभी तक जितनी भी जांच हुई उनसे यह बात बिल्कुल सिद्ध हुई है कि हमारे देश में 60 प्रतिशत से ज्यादा गलत मापों और बांटों का प्रयोग होता रहा है। इस देश में कम से कम 2 हजार करोड़ रुपया काले धन के रूप में केवल इस माध्यम से पैदा होता रहा है। इसके दो

आस्पेक्ट्स हैं, एक तो गलत बांटों का प्रयोग करना। जैसा अभी हमारे सदस्यों ने बताया कि कई तरह से गलत बाट और पैमाने वह इस्तेमाल करते हैं। देहातों में आज भी कम से कम हमारे क्षेत्र में जो गरीब मजदूर और खेतिहर किसान हैं, उनको पाई और कोड़ा की शक्ल में अनाज दिया जाता है जिससे कि उनको वह वस्तु कम मिलती है।

आज मीटर के साथ-साथ गज, फुट का इस्तेमाल होता है। किलो के साथ सेर, पाव, छटांक इस्तेमाल होते हैं। हम करेंसी में चवन्नी का इस्तेमाल करते हैं। यह दो चीजों को जब तक नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार इसको पूरे देश में एक साथ लागू करना चाहिए। निश्चिय ही इसमें वित्तीय भार आने वाला है और यह भी हो सकता है, जैसा कि अभी संकेत भी मिला कि कुछ राज्य यह कह सकते हैं कि हम यह भार उठाने को तैयार नहीं हैं। उसमें अगर हम उन राज्यों को वित्तीय सहायता देते हैं तो वह भी न्यायोचित नहीं होगा, इसलिये यह ज्यादा अच्छा है कि इस पूरे वित्तीय भार को केन्द्र सरकार ही वहन करे। इसमें जो सजाओं का प्रावीजन है, उनको रोकने में जो दंड इसमें सुझाये गये हैं, निश्चय ही वे होने चाहिए। इसमें इस बात की आवश्यकता है कि डिटरेंट पनिशमेंट हो।

हमने देखा है कि मिलावट के कानून को लागू करने में जहां-जहां अदालतों ने सजायें दी हैं, जेल में लोगों को भेजा है, वहां पर मिलावट में कमी हुई है, जहां-जहां अदालतों ने नरमी दिखलाई है, केवल थोड़ा बहुत जुर्माना किया है, वहां मिलावट का असर नहीं पड़ा है। यह इतनी बुरी बीमारी है कि मेरा मत है कि इसमें भी कम से कम मैंनसेरिया की शर्त नहीं रहनी चाहिए और इसको रखने की आवश्यकता भी नहीं है। जहां पर यह सिद्ध हो कि गलत उसका प्रयोग किया गया है, उसको सजा का पात्र बना देना चाहिए। यह हमारे कानून में प्राविजन होना चाहिए।

5.00 म॰ प॰

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इसी प्रकार से एक बात और माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि आपने फेरी वालों को तो छूट दी है लेकिन ये छोटे-छोटे माली, काछी, छोटे-छोटे किसान जब अपना पन्द्रह-पन्द्रह किलो अनाज ले कर जाते हैं और अपना बाट लेकर जाते हैं तो वहां पर इंसपेक्टर पचास-पचास रुपया उनसे वसूल कर लेते हैं। तो इन फेरी वालों के साथ-साथ ये माली, काछी और छोटे किसान जो हैं इनको भी इससे छूट देनी चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा निश्चित ही यह बिल बहुत स्वागत योग्य है और मैं पुनः इसका स्वागत करते हुए यही कहूंगा कि इसका जितना जल्दी हो सके प्रमाणीकरण होना चाहिए और प्रमाणीकरण के साथ-साथ यह भी निश्चित होना चाहिए कि सही ढंग से इनका उपयोग हो। वरना आज भी हम बड़े-बड़े शहरों में देखते हैं, आप देख लीजिए टैक्सी हो, थ्री व्हीलर हो इनमें हम ने मीटर का सिस्टम कर रखा है लेकिन हम देखते हैं कि शायद ही देश के किसी भाग में इनका मीटर ठीक चलता हो जबकि मोहर भी लगाते हैं और उनकी प्रामाणिकता भी करते हैं, यह सब कुछ होता है। तो इनमें यह भी देखने की आवश्यकता है कि सही प्रमाणीकरण के साथ-साथ प्रभावी ढंग से इनका पूरे तरीके से उपयोग हो सके।

● श्रीमती बसव राजेश्वरी (बेल्लारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बाट और माप मानक (प्रवर्तक) विधेयक, 1984 का हार्दिक स्वागत करती हूं। विधेयक का समर्थन करते हुए मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर संकेत करना चाहूंगी। यह एक व्यापक विधेयक है जैसा कि हमारे माननीय मंत्री महोदय ने विधेयक को पुरःस्थापित करते हुए कहा है। मुझे विश्वास है कि यह विधेयक लोगों के लिए विशेषकर कृषकों तथा ग्रामीण जनता के लिए एक वरदान होगा। यद्यपि अनेक नियम हैं फिर भी उन्हें उचित ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। अत: वर्तमान विधेयक अत्यन्त प्रशंसनीय है। मुझे आशा है कि इस कानून के लागू होने से पूरे देश के लोगों को लाभ होगा।

कम तोलने की प्रथा हमारे समाज में एक बीमारी की तरह फैल गई है। ऐसा हम पेट्रोल तहखानों बंक्स में देखते हैं। पेट्रोल को उचित ढंग से मापा नहीं जाता है। यूरिया उचित ढंग से नहीं तोला जाता है। खाद तोलने का ढंग भी त्रुटिपूर्ण है। कम तोलने का यह कारण अन्त में सामान्य व्यक्ति निर्धन किसान को ही जो इस देश का आधार है प्रभावित करता है।

अधिकांशतया खाद रेलवे वैगनों द्वारा ही एक स्थान ही दूसरे स्थान को भेजी जा रही है। यहां रेल अधिकारी व्यापारियों के साथ सांठ-गांठ करेंगे और खाद चोरी ही जाएगी। खाद के प्रत्येक थैले से कम से कम 5 किलोग्राम खाद निकाल ली जाएगी। मेरी इच्छा है कि माननीय मन्त्री गंभीरता से इस मामले की जांच करें। एक बार खाद कर्नाटक से आंध्र प्रदेश रेल द्वारा भेजी गई। वहां देखा गया कि प्रत्येक थैले का वजन 5 किलोग्राम कम था। इसे दोनों राज्यों के नोटिस में लाया गया था। उस मामले में उचित कार्यवाही नहीं की गई थी। वास्तव में उठाईगीरी के ऐसे मामलों में एक बड़ा गिरोह सम्बद्ध है। रेलवे स्टेशनों में खाद के थैले उतारे जाते हैं। वहां से थैलों का लदान किया जाता है। इन दो स्थानों के बीच खाद की चोरी होती है। इस प्रथा को नियंत्रित किया जाना चाहिए और इसे पूरी तरह रोका जाना चाहिए।

इस कारण के अतिरिक्त मिलावट सारा वातावरण दूषित करती है। पेट्रोल, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, खाद्यानों सभी में मिलावट होती है। यहां तक कि औषधियों को भी नहीं छोड़ा जाता है। बहुत से बच्चे भी जीवन-रक्षक औषधियों में मिलावट के शिकार हुए हैं। कीटमारक औषधियों में भी मिलावट होती है। अत: मैं माननीय मंत्री महोदय को कम तोल तथा मिलावट दोनों समस्याओं का समाधान करने पर जोर देता हूं।

हमने पूरे देश में बाजारों को नियंत्रण में रखा है। किन्तु मेरा मूल प्रश्न यह है कि यह नियन्त्रित बाजार कहां तक उचित ढंग से कार्य कर रहे हैं? मेरे चुनाव-क्षेत्र में करोड़ों रुपयों की कपास का उत्पादन होता है। जब यह बाजार में भेजा जाता है तो इसे उचित ढंग से नहीं तोला जाता है। कभी-कभी बाजारों में जब कपास खरीदी जाती है इसे बिलकुल तोला नहीं जाता है। कपास की मात्रा का मोटे तौर पर अनुमान लगाया जाता है। फिर कपास कुछ महीनों के लिए बाजार में रखा जाता है। फिर हम देखते हैं कि कपास के प्रत्येक खंड (थक) से लगभग 10 से 20

● कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

किलोग्राम कपास कम होगी। नियंत्रित बाजारों में एजेंट चोरी करते हैं। गोदामों में से भी खाद्यान्नों को चुराया जाता है। यहां तक कि सीमेंट के मामले में भी चोरी होती है। थैलों में से सीमेंट चुराकर उनमें रेत भरी जाती है। इस प्रकार सीमेंट के मामले में भी चोरी होती है। सरकारी गोदामों में से भी सीमेंट चुराया जाता है। मैंने सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया था किन्तु उचित कार्यवाही नहीं की गई। गन्ने के मामले में भी इसी प्रकार की धोखाधड़ी चल रही है। गन्ने से लादे हुए ट्रक, लारियां, बैलगाड़ियां तोल ली जाती हैं और फिर गाड़ी का वजन घटाया जाता है। किन्तु यह कार्य उचित ढंग से नहीं किया जाता है। अनेक दूसरे मामलों में भी बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की जा रही है।

विभिन्न राज्यों में विभिन्न मापन यूनिट हैं। पुराने यूनिटों को समाप्त करते समय तथा नये यूनिटों को लागू करते समय यह सरकार का कर्तव्य है कि वह जनता को अग्रिम सूचना दे। उपभोक्ताओं को भी उचित रूप में सूचित किया जाना चाहिए। विशेषकर सीधे-साधे ग्रामीण लोग हानिकर स्थिति में पड़ जाएंगे यदि उन्हें नये माप यूनिटों के लागू किए जाने के सम्बन्ध में उचित ढंग से सूचित नहीं किया जाता है यदि वह नयी प्रणाली को नहीं अपनायेंगे तो उन्हें विभिन्न दण्ड झेलने पड़ेंगे। अतः दण्ड निर्धारित करते समय विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में हमें काफी सतर्क रहना चाहिए। दण्ड देते समय एक समान पद्धति नहीं अपनायी जानी चाहिए। ग्रामीण जनता को दण्ड में छूट और राहत दी जानी चाहिए क्योंकि वह आधुनिक प्रगति से पूर्णरूप से परिचित नहीं हैं।

कुछ दूर-दराज के गांवों में लोग पारम्परिक यूनिटों के सम्बन्ध में अत्यन्त सावधानी बरतते हैं। वह परिवर्तन नहीं चाहते हैं। वह भावुक हैं और वह अपनी पारम्परिक प्रणाली को ही अपनाये रखना चाहते हैं। उनके अपने प्रयोग के लिए, उनके अपने खाद्यानों को तोलने के लिए वह बाट और माप के पुराने तरीकों का प्रयोग करना चाहते हैं। अतः यदि दण्ड कठोरता से दिया जाता है तो यह इन लोगों के लिए बहुत ही कठिन होगा।

चीनी कारखानों, सीमेंट कारखानों आदि में चोरी को रोकने के लिए सरकार के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह कार्यकुशल चौकसी रखें। इस चौकसी दल को भारतीय खाद्य निगम, नियंत्रित बाजारों, पेट्रोल पम्पों आदि पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। वह गुप्त रूप में कार्य करने और अपराधियों का पता लगाने के योग्य होने चाहिए। अन्त में इन धोखेबाजों को कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए अन्यथा इस देश की सामान्य जनता को धोखा देने की इस प्रक्रिया का कोई अन्त नहीं होगा।

यह विधेयक जिसके प्रशंसनीय लक्ष्य हैं कंपनियों पर भी लागू होता है। मुझे आशा है कि हमारी सरकार इस विधेयक को लागू करते समय हमारे निर्धन कृषकों, ग्रामीण लोगों का विशेष ध्यान रखेगी। मैं फिर एक बार इस विधेयक की सराहना करती हूं और माननीय मंत्री को बधाई देती हूं। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आप को धन्यवाद देती हू और इन्हीं शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

डा० वी० वेंकटेश (कोलार) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी

तथा वाणिज्य के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है किन्तु माप विज्ञान के क्षेत्र में यह पिछड़ा हुआ है। इस विधेयक के विगत इतिहास को देखने से पता चलता है कि वर्ष 1956 में संसद द्वारा बाट और माप मानक अधिनियम पारित किया गया था। उस समय यह विषय राज्य सूची के अन्तर्गत था। बाद में मानकों में परिवर्तन कर दिया गया और अन्तर्राष्ट्रीय यूनिट अपनाये गये थे। 1976 में एक दूसरा अधिनियम पारित किया गया जिसमें बाट और माप मानक निर्धारित किये गये थे। यह संशोधित मीट्रिक यूनिट प्रणाली थी। उस समय तक भी इस विषय को समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन किये जाने के पश्चात् इस विषय को समवर्ती सूची में अन्तरित कर दिया गया था। उस समय से इस देश में बाट और माप मानक के प्रवर्तन के लिए एक समान अधिनियम की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। इस समय इन वस्तुओं के निर्माण पर नियंत्रण रखने के लिये कोई कानून नहीं है। व्यापार के मामले में भी हम उन्नत देशों के उत्पादों की तुलना में निर्मित वस्तुओं में स्वयं को घाटे में पाते हैं। अपने उद्योग और वाणिज्य में हम अन्तर्राष्ट्रीय मानक यूनिटों का कड़ाई से पालन नहीं कर रहे हैं।

हमारे देश में बेचारा उत्पादनकर्त्ता और अनपढ़ किसान गलत बाट और माप के कारण तथा गैर मानक बाट और माप के कारण दोहरे रूप से ठगे जाते हैं। जब वह बिक्री करता है तो गलत माप के कारण उसे कम मूल्य मिलता है और जब वह खरीद करता है तब भी वह ठगा जाता है। इस प्रकार वह दोनों तरफ से ठगा जाता है।

इस विधेयक का कोई विरोध नहीं है। किन्तु मुद्दा यह है कि 35 वर्ष के बाद भी इन अधिनियमों को देश भर में कार्यान्वित और लागू क्यों नहीं किया गया। इसका कारण है कि गांव की 80 प्रतिशत आबादी अशिक्षित है। गांवों में बाट और माप की मानक प्रणाली के लिए निर्धन किसानों को तत्काल शिक्षित करने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश सरकार ने इस पर जोर नहीं दिया। यदि बाट और माप की मानक प्रणाली में गांव के निर्धन किसानों को शिक्षित नहीं किया जायेगा, तो यह कानून भी अपने देश के किसी भी अन्य कानून के समान केवल कागज पर लागू रहेंगे।

90 प्रतिशत खुदरा सौदों में परम्परागत तराजू की सहायता ली जाती है जिसमें एक लम्बी नली के साथ दो पल्ले जुड़े होते हैं। कदाचार का मुख्य कारण यह है और यह कदाचार का प्रतीक है। दुर्भाग्यवश हमारे पूरे देश के न्यायालयों में यह प्रतीक विद्यमान है।

गलत बाट और माप के खतरे की जांच करने के लिये गठित मंत्री समिति के अनुसार 70 प्रतिशत बाट और माप गलत हैं। इससे उपभोक्ताओं को भारी हानि होती है। इसी समिति ने यह भी अनुमान लगाया था कि उपभोक्ता की एक प्रतिशत गलती से खुदरा बिक्री का 300 करोड़ रुपया का वार्षिक नुकसान होता है। समिति ने यह भी बताया कि गलत माप से राज्य के राजस्व को बहुत भारी हानि होती है और समिति का अनुमान था कि गलत माप बाट के कारण अनुमानत: 100 करोड़ रुपये की हानि होती है।

इस कानून में देखने में आता है कि दण्ड प्रावधान बहुत हल्के हैं। इसलिये, मेरा सरकार से

अनुरोध है कि दण्ड अधिक कठोर बनाया जाये। कम से कम वर्तमान दंड दुगुना कर दिया जाये। माननीय मंत्री महोदय से दृढ़तापूर्वक अनुरोध है कि अपने देश में इस कानून को प्रभावशाली बनाने के लिए सहायक तथा समानान्तर कार्यवाही की व्यवस्था की जाये। कम मात्रा के बाट तथा गलत माप रखने वाले व्यापारी जनता को ठग रहे हैं। कम तौलने और कम मापने की मुख्य बुराई से बड़ी मात्रा में काला धन पैदा हो रहा है जिसका हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अतः यह कम से कम एक उपचारी उपाय तो है। इन कदाचारों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में हमारा सम्मान गिरता जा रहा है।

बाटों और मानकों से लिप्त कदाचारों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की गिरती हुई स्थिति को बचाने के लिए यह विधेयक शत-प्रतिशत प्रभावशाली कार्य करेगा।

महोदय, इस कानून में मुझे एक कमी नजर आती है। अतिरिक्त उत्तरदायित्व राज्यों में प्रवर्तन तन्त्र पर डाला जायेगा। अतः उचित प्रवर्तन के लिए अधिकाधिक अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किये जायेंगे। प्रवर्तन तन्त्र के मामले में वित्तीय भार राज्यों को वहन करना होगा। इसलिए भारत सरकार से मेरा जोरदार निवेदन है कि वह सुनिश्चित करे कि राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान दी जाए। अन्यथा इस कानून के प्रवर्तन में राज्यों की वर्तमान आर्थिक स्थिति रुकावट बन सकती है।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि नियन्त्रक तथा अन्य कर्मचारी सदस्यों की नियुक्ति करते समय भारत सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए यह उत्तरदायित्व राज्यों पर डाला जाये। इसका सशक्त प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र के पास एक निगरानी करने वाली एजेन्सी होनी चाहिए जैसा कि श्रमिक कानूनों के मामले में मुख्य श्रम आयुक्त आदि हैं।

धन्यवाद।

श्री एन. टोम्बी सिंह (आन्तरिक मणिपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का समर्थन करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता है। यह प्रसन्नता की बात है कि यह शानदार सत्र अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग में लाये जाने वाले बाट और माप के नियन्त्रण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सुसंगत उपाय करने के साथ सम्पन्न हो रहा है।

महोदय, गलत बाट और माप के कारण अपने जीवन के अधिकांश महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संघर्ष चल रहा है। स्कूटरों और टेक्सियों में मीटर आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। मुझे नहीं पता कि यह इस विधेयक में शामिल होगा अथवा नहीं यात्री विशेषकर किसी नगर में पहली बार आने वाले पर्यटकों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ती है। टैक्सी वालों और स्कूटर वालों का अपने मीटरों पर अपना नियन्त्रण होता है और अन्ततोगत्वा मानवीय दुर्भावना ही देखने को मिलती है। वे लोग मीटरों में हेरा-फेरी करते हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि इन मीटरों पर नियन्त्रण रखने का बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है विशेषकर ऐसी स्थिति में जब कि दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसे महानगरों में टैक्सियों और स्कूटरों की भरमार है।

इस विधेयक के सभी उपबंधों के बारे में मैं नहीं कहना चाहूंगा। यह बहुत अच्छा विधेयक है और ठीक प्रकार से प्रारूपित किया गया है।

मैं यहां कुछ ही बातों का उल्लेख करूंगा। मैं विशेषकर खण्ड 34 का उल्लेख करना चाहूंगा जिसमें रूढ़ि, प्रथा, चलन या रीति का उल्लेख किया गया है जहां व्यक्ति एक मुश्त या अनुमान के आधार पर कार्य करते है और वस्तुओं की बिक्री राशियों से केवल अनुमान के आधार पर करते हैं। उदाहरण के तौर पर इस देश के हमारे क्षेत्र में, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों धान की बिक्री संगबाई नाम के एक माप से की जाती जिसका तात्पर्य एक बड़ी टोकरी से है। जब खरीदार को बताया जाता है कि धान का मूल्य इतने रुपये प्रति संगबाई होगा तब कोई बात तय नहीं की जाती है क्योंकि विक्रेता, जो अधिकांशतः धनी व्यक्ति होते है, संगबाई का आकार निर्धारित करते हैं। एक स्थानीय परम्परा के अनुसार कुछ टीन, जिसे उत्तोंग कहा जाता है के भार को एक संगबाई के बराबर माना जाता है। उदाहरण स्वरूप यह कहा जा सकता है कि 64 उत्तोंग बराबर एक संगबाई। किन्तु वास्तविक माप में, उत्तोंग की संख्या कहीं भी परिलक्षित नहीं होती है और उन्हें कभी भी सही नहीं पाया जा सकता है जबकि विक्रेता का हमेशा दावा रहता है कि उत्तोंगों की संख्या सही है; तदनुरूप उत्तोंग छोटा कर दिया जाता है। इस प्रकार अनेक वस्तुओं, विशेषकर धान तथा अन्य वस्तुओं जैसी फसलों की बिक्री का मुख्य सिद्धांत अनुमान पर आधारित है। इसलिए ऐसे मामलों में, जब तक कि राज्य सरकारें कानून के उपबंधों का बहुत ही दृढ़तापूर्वक नियन्त्रण रखने तथा प्रवर्तन करने में रुचि नहीं लेंगी, मेरे विचार से तब तक कोई भी अच्छे कानून का कोई लाभ नहीं हो सकता है।

राशि वस्तुओं की बिक्री के संबंध में खण्ड 35 में उल्लेख किया गया है। इस खण्ड में कहा गया है :—

"जहां किसी वस्तु का राशियों से विक्रय किया जाता है वहां प्रत्येक राशि में अन्तर्विष्ट वस्तुओं के लगभग तोल, नाप या संख्या को विक्रेता या उसके अभिकर्त्ता द्वारा, यदि कोई हो या तो उच्चरित शब्द द्वारा या प्रत्येक राशि पर लगाई गई लिखित सूचना द्वारा सुस्पष्टतः घोषित किया जायगा।"

इसके बाद यह उपबंध है :

"परन्तु ऐसी राशि की दशा में जिसकी कीमत जहां ऐसी राशि में अन्तर्विष्ट वस्तु की कुल कीमत दो रुपये से अधिक नहीं है ऐसी कोई घोषणा आवश्यक नहीं होगी।"

यह ठीक है। इसके अतिरिक्त खण्ड 35 के उपखंड (2) में कहा गया है :—

"जहां राशि से विक्रय की गई किसी वस्तु के तोलने नापने या गिनती पर यह पाया जाता है कि ऐसी तोल, नाप या गिनती द्वारा अवधारित तोल, नाप, संख्या विक्रेता या उसके अभिकर्त्ता द्वारा घोषित लगभग तोल, नाप या संख्या से कम है तथा ऐसी कमी ऐसी

घोषित तौल या नाप या संख्या से पांच प्रतिशत से अधिक है तो विक्रेता के बारे में यह समझा जायेगा कि उसने मिथ्या बाट या माप का प्रयोग किया है ।"

यहां जबकि यह विशेष खंड 35 खंड 52 से संबद्ध है जिसमें दंड की व्यवस्था की गई है, यह अत्यन्त निष्फल है । इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मेरा सुझाव है कि वह इस पर विचार करें । यहां यह पाठ है—"खंड 35 के उपबंधों का पालन किये बिना जो कोई भी वस्तु का राशियों से विक्रय करता है ।" खण्ड 35 में केवल लगभग घोषणा का प्रावधान है । इसलिए उस खंड के अन्तर्गत किसी भी अपराधी को कोई भी न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में दंड नहीं दे सकेगा क्योंकि इस खंड में लगभग संख्या अथवा लगभग तोल का उल्लेख किया गया है ।

श्री राव बीरेन्द्र सिंह : इसमें 5 प्रतिशत की छूट का प्रावधान है ।

श्री एन० टोम्बी सिंह : मैं आपकी बात से सहमत हूं । इस खंड के अन्तर्गत जो 'लगभग' का उल्लेख किया गया है; उससे कोई भी अपराधी आसानी से बच सकता है । किसी अच्छे कानून को कार्यान्वित करने के लिए अच्छे अभिकरण की आवश्यकता पड़ती है ।

1966 में बने बाट और माप मानक अधिनियम के बाद से अब तक किसी भी राज्य सरकार ने इस कानून को गंभीरतापूर्वक लागू नहीं किया है । इस बात का उल्लेख मंत्री महोदय ने अपने आरम्भिक भाषण में स्वयं किया है । क्या वह यह बताने की कृपा करेंगे कि वह ऐसे क्या उपाय करेंगे जिससे कि राज्य सरकारें इस अधिनियम के उपबंधों को सत्यनिष्ठा पूर्वक और गंभीरतापूर्वक कार्यान्वित करें । बड़े-बड़े व्यापारीगण हमारी जनता के दलित वर्गों की अज्ञानता, निर्धनता और असुविधाओं से लाभ उठा रहे हैं । यह बात न केवल दलित वर्ग के लोगों पर ही लागू होती है अपितु सभी खरीददारों पर भी लागू होती है क्योंकि बुद्धिमान और सुविज्ञ होने के बावजूद हर खरीददार के पास समय का अभाव होता है । राज्य सरकारों के पास एक पूर्णतः प्रमाणित तन्त्र होना चाहिए जिससे कि सामान्य नागरिक को, चाहे वह गरीब हो अथवा अमीर और चाहे एक व्यस्त धनी व्यक्ति हो, रक्षा गलत माप और बाट से की जा सके जिनका झगड़ा जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देश भर में चल रहा है ।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का मैं स्वागत करता हूं । हमारे देश में 5-7 तरह के भिन्न-भिन्न बाट और माप रहे हैं । इनके माध्यम से लोगों का दोहरा शोषण होता है । एक शोषण तो तब होता है जब सामान बेचते हैं । दूसरा शोषण तब होता जब सामान बेचकर हम अपने लिए तेल, नमक आदि सामान खरीदते हैं । इस तरह से दोहरा शोषण इनके माध्यम से देश में होता है ।

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह जो कानून आप बना रहे हैं क्या यह व्यापारी वर्ग पर ही लागू होगा या गांव के किसानों पर भी लागू होगा जो कि प्रतिदिन गांव के मजदूरों का बाट के जरिये से शोषण करते हैं ? इसकी सफाई आपको देनी है । जब यह कानून बन रहा है तो

सभी पर लागू होना चाहिए। राज्यों में इनके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके लिए आपको एक व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे कि राज्यों में इनके माध्यम से शोषण करने वालों की भी धर पकड़ हो सके।

हमारे क्षेत्र में एक आन्दोलन चल रहा है कि पुराने बाट वापस करो और नये बाट लागू करो। आपको यह बताना चाहिए कि यह गांवों में लागू होगा या नहीं। हम भागलपुर गये। वहां एक कोसी प्रखण्ड है। वहां पर बाजार लगता है। उस बाजार में दुकानदार लोग लकड़ी का बना बाट इस्तेमाल करते हैं। उन दुकानदारों से गरीब लोग चावल, गेहूं आदि खरीदते हैं। वे उसी लकड़ी के बाट से तौल कर देते हैं। इस तरह से उन गरीबों का शोषण होता है। इस चीज को आपको दूर करना चाहिए।

आपकी एफ० सी० आई० इतनी बड़ी संस्था है। उसके चीनी के गोदाम हैं। वहां के लोग उन चीनी के बोरों में दो किलो चीनी निकाल लेते हैं। उसके बाद होल सेलर हर बोरे में से तीन किलो चीनी निकाल लेता है। इस तरह से हर बोरे में पांच किलो चीनी कम हो जाती है। मैंने देखा है कि चन्द दिनों में ही होल सेलर लखपति हो जाता है। एक होल सेलर को एक महीने में सात सौ बोरे चीनी मिलती है। आप हिसाब लगाइये की इन सात सौ बोरों में से प्रति मास कितनी चीनी निकल जाती है। ऐसी स्थिति में इसकी धरपकड़ जब तक नहीं होगी, कानून बनाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। हमारे यहां सीमेंट से मिलती-जुलती एक मिट्टी होती है, जिसको सीमेंट की बोरी में भरकर सीमेंट के रेट पर बेचा जाता है। लोग उससे मकान बनाते हैं और मकान धराशायी होने पर परिवारों का विनाश हो जाता है। इस तरह से राष्ट्र द्रोही लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। आपने यह अच्छा कदम उठाया है, लेकिन यह व्यवहार में उतरना चाहिए, तभी इस कदम को सराहनीय कहा जाएगा। आपको यह भी बताना होगा कि देहाती क्षेत्र में यह लागू करेंगे या नहीं और जो मजदूरों का शोषण हो रहा है और हमारे यहां जो आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में आपको बताना होगा।

[अनुवाद]

श्री गिरधारी लाल डोगरा (ऊधमपुर) : महोदय, यह एक स्वतःपूर्ण विधेयक नहीं है और मानक अधिनियम की परिभाषाएं इस विधेयक के अंग बनाये गए हैं। महोदय, जब हम यह देखते हैं कि यह विधेयक स्वतः पूर्ण नहीं है जिसे सदन द्वारा सामने लाया गया है, हम यह भी महसूस करते हैं कि इस अधिनियम को सभी राज्यों में लागू करने में एक प्रकार की सर्वसम्मति होनी चाहिए। किन्तु यहां हम देखते हैं कि विभिन्न राज्यों को इसे लागू करने अथवा न करने का विकल्प और उन्हें इसे पूरे राज्य में अथवा इसके किसी भाग में लागू करने का विकल्प भी किया गया है इसे केवल किसी उद्योग अथवा किसी उद्योग के भाग के मामले में लागू करने का विकल्प भी दिया गया है। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों किया गया है। इस कानून की क्या आवश्यकता थी।

महोदय, प्रत्येक विधेयक में उद्देश्यों और कारणों का विवरण होता था ताकि सदस्य यह जान सकें कि विधेयक को क्यों लाया जा रहा है। किन्तु दुर्भाग्यवश यह विधेयक राज्य सभा में

पहले ही पारित किया जा चुका है, यही कारण है कि इसमें "उद्देश्यों और कारणों का विवरण" नहीं है। मैं नहीं जानता कि इस सदन को उद्देश्यों और कारणों के विवरण का अध्ययन का अवसर क्यों नहीं दिया गया।

महोदय, हम सभी जानते हैं कि हमारा देश ऐसा है जहां लोगों के जीवन का मुख्य आधार कृषि है। दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोग कृषि में लगे हुए हैं और पिछड़े क्षेत्रों के लोग पुराने ढंग से रहते हैं। उन भागों में रहने वाले लोगों ने अधिकतर कृषि भूमि का उत्तराधिकार प्राप्त किया है और वह अपनी भूमि मापने की वर्तमान माप प्रणाली नहीं जानते हैं। अतः "सेरों" के हिसाब से भी वह यह नहीं जानते हैं कि इन्हें किलोग्राम में कैसे बदल दिया जा सकता है। अधिकतर लोगों को यह बात समझ में नहीं आती कि दूरी किलोमीटरों में मापी जाती है वह अभी मीलों और फरलांगों की बात करते हैं। वह यह नहीं जानते कि मीलों को किलोमीटरों में कैसे बदल दिया जा सकता है। हम माप प्रणाली तथा अन्य प्रक्रियाओं को बदलने के अत्यन्त इच्छुक हैं। हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि कुछ प्रगतिशाली देशों के पास मापने की यह प्रणालियां हैं। मेरा विचार है कि यह आवश्यक नहीं है कि हम किलोग्राम तथा किलोमीटर की दशमिक प्रणाली अपना लें। किंतु अब हमने दशमिक प्रणाली अपनायी है, हम वर्तमान कानून से संतुष्ट होंगे, किंतु हम पूरे देश के लिए इस विधेयक को सामने ला रहे हैं। मैं नहीं जानता कि राज्यों को इसे अपनाने अथवा न अपनाने का विकल्प दिया गया है। मैं इस मुद्दे को समझने में असमर्थ। यदि कोई खंड 9, 10, 11, 18 और 24 का अध्ययन करे वह यह महसूस करेगा कि लोगों, विशेषकर गांवों तथा अन्य दूर-दराज के क्षेत्रों में लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यदि माप यन्त्र में खराबी होती है अथवा तोलने का तराजू टूट जाता है तो यह संबन्धित व्यक्तियों द्वारा स्थानीय तौर पर ठीक नहीं किया जा सकता है। केवल लाइसेंसधारी ही माप यन्त्र तथा बाट ठीक कर सकता है।

यदि कोई बाट अथवा माप कट जाता है अथवा टूट जाता है तो आप केवल एक लाइसेंस से इसे ठीक नहीं करवा सकते हैं आप लोगों की कठिनाइयों का अनुमान लगा सकते हैं; उदाहरणतः मेरे चुनाव क्षेत्र में उन्हें इसके लिए 500 अथवा 600 किलोमीटर यात्रा करनी पड़े। मेरी समझ में नहीं आता कि इससे क्या मिलेगा ? किंतु इस उपाय के पीछे भी कोई कारण होना चाहिए। यह देश के उन भागों में लाभदायक हो सकता है जो अत्यन्त औद्योगिकी अथवा व्यापार तथा वाणिज्य में अधिक आगे हैं। किंतु यदि हम उनके लिए अलग से कानून बनाएंगे तो वह अलग बात है। किंतु जब हम पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं तो हमें लोगों की उस बृहद् संख्या का भी ध्यान रखना है जो दूर-दराज तथा पिछड़े क्षेत्रों में रहते हैं। जैसा विभिन्न वक्ताओं ने उल्लेख किया है यदि कोई व्यक्ति गन्ने के लिए तराजू में गड़बड़ करता है, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। इस उपाय के अन्तर्गत निरीक्षकों तथा अधिकारियों के जो पद बनाये जाने वाले हैं, वास्तव में वह पहले से ही कार्य कर रहे हैं, कभी कभार ही जाते हैं, वह इन लोगों से मासिक पारिश्रमिक निर्धारित करते हैं जो माप तौल के संबंध में सभी प्रकार की अनियमिततायें बरतते हैं। वास्तव में इस विधेयक के पारित किए जाने के पश्चात् काले धन की अधिक उत्पत्ति होगी। व्यक्ति जितना सीधा-साधा होगा उतना ही उसे दबाकर काम लिया जाएगा। मेरे मन में यह आशंका है और मैंने यह माननीय मंत्री

महोदय के सामने रखी। किंतु मुझे आशा है कि उन्होंने इस संबंध में विचार किया होगा क्योंकि उनका ग्रामीण क्षेत्र तथा कृषक समुदाय से इतना ही सम्बन्ध है जितना मुझसे है।

यह ठीक है कि उपाय शीघ्र लागू नहीं किया जा रहा है और मेरे विचार में यह राज्यों को सौंपा गया है और मेरे विचार में कुछ ही राज्य ऐसे हैं जो इसे लागू करेंगे। मेरा विचार है कि इन परिस्थितियों में अधिक राज्य ऐसा करने में समर्थ नहीं होंगे क्योंकि इससे सीधे-साधे लोगों का भयादोहन होगा।

इस विधेयक के खण्ड 63 से 66 बहुत ही अच्छे खण्ड हैं क्योंकि इन खण्डों द्वारा अन्य कानूनों के अनेक कठोर खण्ड इसमें से अलग किए गए हैं। अपराधों को छिपाने की भी व्यवस्था है। यह बहुत अच्छे हैं। किंतु जैसा मैंने कहा, मुझे आशंका है कि लोगों को अधिक कठिनाइयां होंगी।

श्री चिन्ता मोहन (तिरुपति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया।

जब मैं पीछे की ओर नजर डालता हूं तो मैं यह देखता हूं कि इस उपाय का एक बार 1955 में, फिर 1976 में और अब अर्थात् तीसरी बार संशोधन हो रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उन सभी पूर्व संशोधनों में से, इस विधेयक द्वारा सामान्य व्यक्ति तथा कृषकों का सन्तुलित ढंग से ध्यान रखा गया है। मुझे इस बात की आशंका है कि सामान्य लोग गांव के कृषि मजदूर तथा अन्य गरीब लोगों को माप तोल के संबंध में व्यापरियों द्वारा काफी धोखा दिया जाएगा।

जब इस विधान के लागू करने का प्रश्न उठता है तो प्रत्येक व्यक्ति यह कहेगा कि हमें मानव शक्ति का अभाव है और हमें अनेक वित्तीय कठिनाइयां हैं। ये सभी वित्तीय कठिनाइयां उसी स्थिति में दूर होंगी जब हम अपनी समस्त अर्थव्यवस्था का सुधार करेंगे। यदि हम गम्भीरता से कार्य करना आरम्भ करेंगे तो हम अपनी अर्थव्यवस्था का सुधार कर सकेंगे हमें अपने प्रिय नेता, श्री एन० टी० रामा राव से सीखना चाहिए। जो निरंतर इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उनसे शिक्षा लेनी है। केवल उसी स्थिति में हम अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार कर सकते हैं।

मुझे नहीं मालूम कि देश में कौन-सा नेता वह कार्य करता है जो हमारे मुख्य मन्त्री, हमारे प्रिय नेता श्री एन० टी० रामा राव कर रहे हैं। उनका हम अभिवादन करते हैं।

अब बाट और माप विधेयक की ओर आते हुए स्वतन्त्रता के 38 वर्ष पश्चात् भी हमारे ग्रामीण लोग अभी भी मानक बाट के स्थान पर ईंट के छोटे टुकड़ों तथा पत्थरों का प्रयोग करते हैं। कभी-कभी वह मापने के लिए बांह की लम्बाई का भी प्रयोग करते हैं।

कृषकों के सम्बन्ध में, हम उन्हें खाद, उर्वरक कीटनाशक दवाइयों तथा अन्य वस्तुएं देते हैं। उन्हें पूरी मात्रा में चीजें नहीं मिलती हैं और कभी-कभी इनमें मिलावट भी होती है। इस प्रकार,

अधिकतर हमारे गरीब किसानों को धोखा दिया जाता है। यदि आप किसी पेट्रोल पंप (बंक) पर चले जाएंगे तो एक लीटर डीजल के स्थान पर आपको केवल 100 मि०ली० मिलेंगे। वह उसमें भी मिलावट करते हैं। इस प्रकार की प्रथा आजकल चल रही है। मैं नहीं जानता उनको कौन-सा नियम बचा सकता है।

जीवन रक्षक औषधियों भी चर्चा करते हुए मैं हृदय औषधियों की एक मिसाल देता हूं। हृदय रोगियों को "डिगोक्सीन" नमक एक औषधि दी जाती है और एक डाक्टर डिगोक्सीन के 0'02 मिलीग्राम देता है। किन्तु कोई भी उचित मात्रा नहीं देता है। लोग कभी अधिक और कभी कम मात्रा में देते हैं जिसके परिणाम स्वरूप बेचारे रोगियों को कष्ट उठाना पड़ता है। जो लोग बड़े अस्पतालों में जाने में समर्थ हैं उन्हें उचित चीज मिल जाएगी, किन्तु सामान्य लोगों की देखभाल नहीं होती है। अब मैं रक्त चाप यन्त्र की बात करता हूं। इनमें से अनेक उपकरण सही पाठ्यांक दर्शाने के बदले 300/150 दिखाते हैं। थर्मामीटरों का भी यही हाल है जो 200° एफ० भी दिखाते हैं। यह हमारे देश में एक दुखद स्थिति है। मैं नहीं जानता कि कौन-सा विधेयक अथवा कौन-सा कानून हमें इन सब चीजों से बचा सकता है।

राव बीरेन्द्र सिंह : स्वतः यही विधेयक।

श्री चिन्ता मोहन : केवल ईश्वर इन सब बातों से बचा सकता है। मेरा विचार है कि यह सभी विधेयक आपको नहीं बचा सकते हैं। सामान्य व्यक्ति की बात करते हुए एक सामान्य व्यक्ति कृषि खेत में चला जाता है और प्रति दिन पांच रुपए कमाता है। यह पैसे लेकर वह बाजार चावल और दाल खरीदने जाता है। एक किलो चावल के स्थान पर वह 900 ग्राम लेता है और 200 ग्राम दाल के स्थान पर उसे केवल 150 ग्राम दाल मिलती है। इस प्रकार इन खेती मजदूरों को धोखा दिया जाता है। मैं हैरान हूं कि कौन-सा कानून इन लोगों को बचा सकता है। मैं जानता हूं कि आपका इरादा सामान्य व्यक्ति तथा व्यापारी को भी बचाना है। मुझे प्रसन्नता है कि आपने यह कानून लागू किए हैं। किन्तु वास्तव में जब आप इन सभी बातों की पूरी तरह जांच करेंगे तो कोई भी विधेयक और कोई भी कानून नहीं बचा सकता है। इसको शामिल करते हुए इन नियमों का पहले भी तीन बार संशोधनहुआ है। लेकिन इससे केवल माप-तोल निरीक्षक को ही सहायता मिल रही है और वह पूरे अधिकार से दण्ड देते हुए वह प्रति महीने 20000 रुपए और 30,000 रुपये से अधिक कमा सकता है। मैं निश्चित् रूप से कह सकता हूं। कि कोई भी सदस्य यहां इतना नहीं कमा सकता है। अतः इन सभी तरीकों पर रोक लगाने के लिए विधेयक होना चाहिए।

अन्त में मैं यह सुझाव दूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नैतिक शिक्षा होनी चाहिए। हमें कुछ वृत्त चित्रों का निर्माण करना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूगा कि किसी प्रकार का उपभोक्ता संरक्षण आन्दोलन होना चाहिए। हम यह वृत्त-चित्र सिनेमा थियेटरों में दिखा सकते हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति फिल्म देखने जाता है। इस प्रकार लोग कुछ चीजें देख और जान भी सकते हैं। सरकार को इस पहलू को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमें इस प्रकार विधेयक प्रस्तुत करने तथा उन्हें एक, दो तथा तीन बार संशोधन करने के बदले सलाहकार परिषदें अथवा सलाहकार बोर्ड आरम्भ करने चाहिएं स्वतंत्रता से चर्चा की जा सकती है और अनेक बातें सीखी जा सकती हैं।

इन सुझावों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं ।

[हिन्दी]

श्री शान्ति धारीवाल (कोटा) : सभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और मैं मन्त्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि इस बिल को बहुत पहले ले आना चाहिए था मगर बाद में आया है । खैर देर आयद दुरुस्त आयद । लेकिन यह मोटा पोथा जो आपने हमें थमा दिया है, समर्थन के लिए, पास करने के लिए, यह केवल किताब बनकर न रह जाए, जैसा माननीय डोगरा साहब ने कहा था कि राज्य सरकारों को छूट दे दी गई है कि चाहे इसमें से कोई भी धारा उठा लें और पास कर लें, वह हालत नहीं होनी चाहिए । सन् 1976 में भी पार्लियामेंट ने यह कानून पास किया था और राज्यों से कहा कि वे भी इसी तरह का कानून बनाएं, लेकिन सिर्फ छः राज्य सामने आए और यूनियन टैरीटरीज आईं और बाकी किसी ने अडाप्ट नहीं किया । तो मेहरबानी करके मंत्री महोदय, इस बिल को आप अपने प्रभाव को काम में लाते हुए सब राज्य सरकारों से किसी भी तरीके से पास करवाएं और उनसे कहें कि वे इसे अपनाने का प्रयत्न करें ।

दूसरी अर्ज मैं यह करना चाहता हूं चूंकि यह बिल आवश्यक हो चुका था, हालात जो कुछ हैं, वे आपको दीगर सदस्यों के भाषणों से पता लग गये होंगे, राज्य सरकारों का सिर्फ एक ही यह महकमा है जिसका पूरा स्टाफ जितने गैरजिम्मेदाराना तरीके से काम करता है, उतना शायद कोई नहीं करता होगा । गांवों की हालत क्या है, चूंकि आप भी गांवों से आते हैं और मैं भी गांव से ही आया हूं, गांव वालों को आप जानते होंगे, चाहें दूध ले लीजिए, चाहे कपड़ा ले लीजिए, आज भी गांवों में कपड़ा मीटर से नहीं नापते बल्कि गज से नापते हैं । इसकी सैकड़ों शिकायतें करके देख लीं, कोई नतीजा नहीं निकलता है । उसी प्रकार से दूध को ले लीजिए, घी को ले लीजिए । सब चीजें पुराने बाटों और पुराने तरीके से नप-तुल रही हैं । एक बर्तन होता है, जो लीटर का न होकर एक सेर का होता है, आधा सेर का होता है, पाव का होता है और आधा पाव का होता है । इसलिए अगर आप इस सब स्थिति को जानते हैं, तो इस कानून को बनाने से कोई फायदा नहीं होगा इसलिए आप इसको इन्फोर्स सख्ती से करिए । अगर जानकर भी कुछ करने की स्थिति में आप नहीं हैं, तो इस कानून को लाने से क्या फायदा होगा । इसलिए अगर आप इन्फोर्समेंट सख्ती से नहीं कराते, तो फिर इस नए कानून को लाने का कोई फायदा नहीं है ।

मैं, आपको एक-दो एग्जाम्पल देना चाहता हूं । जैसे आप पेट्रोल पम्प पर अपनी गाड़ी में डीजल भरवाने के लिए या स्कूटर में पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हैं, जब आप या कोई आदमी पेट्रोल या डीजल ले रहा होता है, तो उसको यह मन में होता है कि ये कम नाप रहा है, लेकिन वे लोग चुपचाप डीजल या पेट्रोल भरवाकर चले आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कहने का, शिकायत करने का कोई फायदा है नहीं, शिकायतें की भी जाती हैं, तो उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है । आप एक माचिस को ही लीजिए—हर माचिस पर लिखा होता है कि इसके अन्दर 60 तीलियां हैं, लेकिन कोई भी ऐसी माचिस आप मुझे बता दीजिए, जिसमें 60 तीलियां हों, ऐसी आपको कोई भी माचिस नहीं मिलेगी । उसी प्रकार से केरोसीन को लीजिए । केरोसीन ज्यादातर गांव वाले यूज करते हैं और नाप-तौल के मामले आपको पता है कि वे बहुत कम जानते हैं क्योंकि नाप-तौल की

प्रक्रिया उनके लिए बहुत जटिल लगती है। एक हजार लीटर की टंकी को बारह सौ लीटर में बेच दिया जाता है। यह सब हो रहा है, इसको आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसी प्रकार से सीमेंट को आप ले लीजिए। सीमेंट के बारे में जब उनको शिकायत की जाती है, तो वे कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में एक-दो किलो सीमेंट कम हो गया होगा, अरे भाई आपने तो कह दिया, लेकिन लेने वाला तो मर गया। उसे तो एक-दो किलो सीमेंट का कम होना बहुत मेंहगा पड़ा। इसी प्रकार फर्टिलाइजर को लीजिए, चीनी को लीजिए, कपड़े के बारे में मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं। इन्फोर्समेंट के लिए जितने भी आफिसर्स स्टेट में लगाए हैं, यह सब उनकी इनएफीशिएंसी है। उनके काम नहीं करने का और उनकी नाकामयाबी का यह परिणाम है तथा इसके साथ एक और चीज है वह है उनकी बंधी हुई माहवारी। जब तक आप इसको नहीं रोकेंगे, तब तक कानून लाने से कोई फायदा नहीं होगा।

महोदय, जैसा मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि आप अपने व्यक्तिगत प्रभाव को काम में लेकर के इस कानून को तेजी और मुस्तैदी से और प्रभावकारी ढंग से जब तक आप नहीं अपनाएंगे तब तक कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं एक सुझाव यह और देना चाहता हूं जितने भी आपके स्टेट के मिनिस्टर हैं, उनकी आप एक बैठक बुलाकर इसको अर्लिएस्ट, क्योंकि इस मामले में पहले ही काफी विलम्ब हो चुका है, इसलिए अर्लिएस्ट इसको आप इम्पलीमेंट करवाने का प्रयत्न करें। क्योंकि इसमें देरी होने से आप जानते हैं चीटिंग होती है, गलत और झूठे बाट रखे जाते हैं और गलत तरीके से नाप-तौल की जाती है, मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं। बम्बई में आम दर्जन से बिकते हैं, भई दर्जन से बेचने का कौन-सा फायदा है, किलो से बेचो यार। लेकिन अगर उनसे यह कहो, तो वे कहते हैं कि लेना है, तो लो नहीं तो चलते बनो। इसलिए इस पर अब अविलम्ब और जल्दी से जल्दी पाबन्दी लगनी चाहिए। इस सम्बन्ध में जो भी शिकायत झूठे बाट और माप की आपके पास आए, फौरन उसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। इस बिल में आपने बहुत बड़ी और साफिस्टीकेटेड चीजें परव्यू में ले ली है, इसके लिए तो आपको धन्यवाद। धन्यवाद तो आप खूब लीजिए, लेकिन काम कायदे से होना चाहिए। एक अर्ज और है, एक बात चौधरी साहब आपने अपने भाषण में कही थी। इसके लिए एक्स सर्विसमैन की सर्विसेज आपको लेनी चाहिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : मेरी सर्विसेज हैं।

श्री शान्ति धारीवाल : आप भी सर्विसेज नहीं लेंगे तो कौन लेगा? मेरा मुकाबला साहब से वायदा हो गया था, मैं कह रहा हूं कि एक्स-सर्विसमैन को बहुत ज्यादा आप रखें।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं एक्स-सर्विसमैन सर्विस कर रहा हूं।

श्री शांति धारीवाल : आप अपने कारिन्दे भी ऐसे ही रखें तो इसका एन्फोर्समेंट तेजी से होगा।

[अनुवाद]

†**श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं बाट और माप मानक

† तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

(प्रवर्तन) विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक को अधिनियम बनाने से पूर्व हमें यह जरूर देखना चाहिए कि सरकार के अधीन काम करने वाले कतिपय संगठन किस प्रकार काम कर रहे हैं। जरा अपने टेलिफोन के मीटरों के बारे में सोचिए। अक्सर सदस्य यहां टेलिफोन-बिलों के बारे में शिकायत करते हैं। इसी तरह नगरपालिका द्वारा लगाए गए पानी के मीटर ठीक से काम नहीं करते। पानी की सप्लाई न भी हो तो भी मीटर चलता रहता है। विद्युत बोर्ड हर घर में मीटर लगाता है ताकि बिजली की खपत आंकी जा सके। यह कहना व्यर्थ है कि ये मीटर ठीक से नहीं चलते। इन सब बातों को मद्देनजर रखकर मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या वह अपने विभागों में कड़े मानकों को कार्यान्वित कर रही है। अतः अधिनियम का रूप लेने वाला यह विधेयक सभी सरकारी विभागों पर लागू होना चाहिए। अक्सर हम बिजली के बिलों के बारे में शिकायतें सुनते हैं। लोग शिकायत करते हैं कि बिजली के बिल में जो खपत दिखाई जाती है वह उनके द्वारा की गई बिजली की खपत से कहीं ज्यादा होती है। इस बारे में बार-बार शिकायत किए जाने के बावजूद कोई भी इस मामले पर गौर नहीं करता। सदस्यों ने यहां सदन में बहुत बार गलत टेलिफोन बिलों का मामला उठाया है। टेलिफोन के मीटरों में बहुत बार बिल एकाएक बढ़ जाता है। कोई भी इस पर विचार नहीं करता। अतः सर्वप्रथम विद्युत जल, निर्माण कार्य तथा टेलिफोन विभागों को दुरुस्त किया जाना चाहिए। सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि ये विभाग उसके प्रत्यक्ष नियन्त्रण में आते हैं। जब तक सरकार अपने विभागों को ही दुरुस्त नहीं करती तब तक वह इस अधिनियम को अन्य लोगों पर लागू करने की बात कैसे सोच सकती है। अतः इस विधेयक के अधिनियम का रूप ले लेने के बाद सबसे पहले इसे सरकारी एजेंसियों और अन्य सेवाओं पर लागू किया जाए।

किसान जब बाजार जाते हैं तो उन्हें कोई भी वस्तु खरीदते या बेचते समय बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी-अभी कर्नाटक की एक माननीय महिला सदस्य कह रही थीं कि किसी भी वस्तु के क्रय-विक्रय में कम-से-कम 5 किलो का अन्तर होता है। कृषि विपणन समिति है। बाजार में इन बातों पर निगरानी रखने के लिए विशेष रूप से अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। लेकिन मानक बाटों को कार्यान्वित करने में इनकी कोई रुचि नहीं है। वे इस बात की चिन्ता नहीं करते कि व्यापारी मानक स्तर के बाट और माप इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। वे महीने में एक बार बाजार आते हैं और वहां व्यापारियों और एजेंटों से पैसा वसूल कर लेते हैं। इन सबके शिकार गांव वाले और खासकर किसान होते हैं।

[हिन्दी]

उससे किसान का नुकसान होता है। जब वह मार्केट में पर्चेज करने के लिए जाता है तो नमक की थैली, शुगर की थैली या कपड़ा खरीदता है तो उसे नुकसान होता है। इस तरह से उसका माल बेचते वक्त भी शोषण होता है और उसके माल खरीदते वक्त भी उसका शोषण किया जाता है। इसके बारे में कड़ी निगाह से इन्तजाम करना चाहिए।

मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि केन्द्रीय सरकार की ओर से इसको लागू कीजिए। राज्य सरकार की ओर से इसका इन्तजाम हो सकता है, मगर मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की ओर से

हर जिले में एक इन्स्पैक्टर लगाकर उस पर निगाह करनी चाहिए और इस शोषण को बन्द करना चाहिए।

आप पब्लिक सैक्टर में देखते हैं कि फर्टिलाइजर भी बोरी में डालते हैं, सीमेंट भी बोरी में डालते हैं, 50 किलो में 5 किलो कम।

श्री शान्ति धारीवाल : ज्यादातर व्यापारी करते हैं जो ज्यादातर बी० जे० पी० के हैं।

श्री सी० जंगा रेड्डी : अगर ज्यादा व्यापारी बी० जे० पी० में हैं तो उन्हीं से पैसा लेकर आप जीतते हैं।

मेरा कहना यह है कि रासायनिक फर्टिलाइजर को आप पोलीथीन में पैक करायें। सीमेंट को भी इसी तरह पोलीथीन में पैक करायें और इसे कंपलसरी करें, नहीं तो होता यह है कि 5 किलो ट्रांसपोर्ट में गया, किलो यहां डाला गया और किलो वहां डाला गया।

इसी तरह आइन्टमैंट की ट्यूब में होता है, टूथ-पेस्ट की ट्यूब देखने में बड़ी होती है, लेकिन माल जितना उस पर लिखा होता है वह पूरा नहीं होता है।

5.58 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

आप जानते हैं कि हमारे यहां जो लेबर है वह 15 रुपये कमाती है। उसमें से पांच रुपये वह शराब पर लगा देते हैं। उसके बदले में उसे जो शराब मिलती है वह भी तोल में कम होती है। आपको ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि जो तोल में हेरा-फेरी करते हैं, उनके खिलाफ कड़े दंड की व्यवस्था होनी चाहिए।

एक सुझाव मैं यह देना चाहूंगा कि जहां पर भी जो वस्तु तैयार हो वहां पर आपका एजेंट होना चाहिए जो कि यह देखे कि जब कोई वस्तु डिब्बों आदि में डाली जाती है तो वह पूरी माप-तोल कर डाली जा रही है या नहीं।

इसी प्रकार पब्लिक सेक्टर में जितनी मेडिकल कम्पनियां हैं और फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज है, वहां पर भी नाप की ठीक व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा हो कि वह वस्तु प्लास्टिक बैग में दी जाये। जैसे सीमेंट है, उसे बोरी में देने की बजाय प्लास्टिक बैग में दिया जाये। उससे आपका खर्चा भी कम आयेगा और नाप-तोल में भी गड़बड़ी नहीं होगी।

हमने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी देखा है कि जब गेहूं या चावल मिलता है तो वह भी कम मिलता है। वहां पर भी आपका नियंत्रण होना चाहिए। इसके लिये मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि आप 5-10 आदि के अलग-अलग प्लास्टिक बैग की व्यवस्था कर दें। इसमें खर्चा भी कम आयेगा और उपभोक्ताओं को भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी।

आज आप रेलवे स्टेशन में जाकर देखिए। वहां पर जो वेट मशीन लगी होती है, उसमें भी हमने देखा है कि चार आने डाल दो, फिर भी वेट वाली पर्ची नहीं आती। अगर कभी आ भी जाती है तो उसमें वेट सही नहीं आता है। इन सबको आपको देखना होगा और कड़ी व्यवस्था करनी होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कड़ा कानून बनाने का आपसे अनुरोध करता हूं।

श्री मानकू राम सोढ़ी (बस्तर) : महोदय, मैं उस जंगली पहाड़ी क्षेत्र के शोषण के बारे में बोलना चाहता हूं जिस को रोकने के लिये माननीय मंत्री जी यह बिल लाये हैं। मैं इस बिल का तहेदिल से समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि मंत्री जी, उनके साथ जो शोषण हो रहा है, उसके बारे में सोचें। वैसे आपने यह जो बिल बनाया है, उसमें यह बिल उनकी अवश्य मदद करेगा।

हमने देखा है कि हमारे यहां गांवों में वस्तुओं को बेचने वाले बाजारों में न बैठकर एक मील की दूरी में बैठते हैं या अपने सिर पर सामान उठाकर उसको जबरन खींचते हैं। उनके लिए आपको कोई सुचारू व्यवस्था करनी होगी। अगर उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई तो हमारे गांव में जो लंगोटी लोग रह रहे हैं, उनकी लंगोटी कभी नहीं सुधरेगी।

इसी कारण यह जो बिल लाया गया है, उसका समर्थन करते हुए आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इन पहाड़ी क्षेत्र के गरीब आदिवासियों के लिए ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि उनको ऊपर उठने का अवसर मिले।

[अनुवाद]

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : इस विधेयक का भारी समर्थन करने के लिए मैं सदन को धन्यवाद देता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : हम विधेयक से संतुष्ट हैं।

अध्यक्ष महोदय : तो उन्हें और संतुष्ट करने की जरूरत नहीं है।

राव बीरेन्द्र सिंह : विधेयक पर बोलने वाले माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया है और जिन्होंने नहीं बोला है उन्होंने भी इसे पूर्ण समर्थन दिया है और यह बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता हूं।

महोदय, बाट और माप के प्रवर्तन के बारे में भारत बहुत पीछे है। माननीय सदस्यों की यह आम शिकायत है कि हमारी टैक्सियों के मीटर भी ठीक नहीं होते। थर्मोमीटर ब्लड प्रेशर नापने आदि के उपकरण भी ठीक नहीं होते। देश में विभिन्न प्रकार के बाट और माप इस्तेमाल किए जाते हैं। 1956 में मीट्रिक प्रणाली अपना लिए जाने के बावजूद सेर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसाकि राजेश्वरी बहन ने बताया गज का इस्तेमाल किया जाता है। श्रीमती शांति ने भी

इसी तरह की शिकायत की है। मैं उनसे सहमत हू कि यह सब हो रहा है। इसीलिए हम सदन के समक्ष इस विधेयक को लाए हैं। इस विधेयक के उपबंधों को कड़ाई से लागू करने की जरूरत हमने महसूस की है।

लेकिन इनके प्रवर्तन और कार्यान्वयन से पूर्व कानून की जरूरत है और इसीलिए हमने संसद से इस विधेयक को पारित करने का अनुरोध किया है। इसके बनने के बाद हम ईमानदारी पूर्वक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि राज्य सरकारें भी इन कानूनों को लागू करें।

भारत जैसे विशाल देश में इस कानून के उपबंधों को पारित करने में पेश आने वाली कठिनाइयों को हम समझते हैं।

इससे राज्यों और केन्द्र को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हमने यह बात राज्यों पर छोड़ दी है कि किस उपबंध को किस क्षेत्र में किस सीमा तक और बाद में उसे अन्य क्षेत्रों, उद्योगों आदि पर लागू किया जा सकता है। हमें राज्यों को यह विकल्प देना ही पड़ेगा क्योंकि उन्हें ही इस बात का निर्णय तथा मूल्यांकन करना है कि इसे किस तरह लागू किया जाए। महज कानून बनाने और निरीक्षकों की नियुक्ति करने लेकिन उन्हें इसे लागू करने के पर्याप्त संसाधन नहीं देने से इस कानून को सफलता नहीं मिल सकती।

कुछ माननीय सदस्य जैसे श्री राव और कुछ अन्य मित्रगण भी जैसे श्री वेंकटेश भी चाहते हैं कि इन कानूनों में कड़ी सजा की व्यवस्था की जाए। आप महसूस करेंगे कि देश में इस तरह का प्रयास पहली बार किया जा रहा है इसलिए हमें धीमी गति से चलना होगा। हम नहीं चाहते कि इस कानून से लोगों को अनावश्यक परेशान होना पड़े। इसीलिए पहली बार संसद द्वारा बनाए जा रहे किसी कानून में यह व्यवस्था की गई है। कि प्रवर्तन अधिकारी अगर अपनी अधिकार सीमा से आगे बढ़ेगा अपनी कार्यवाही से लोगो को तंग तथा किसी ऐसे परिसर में जाएगा जिसके बारे में उसके पास कोई निश्चित सूचना नहीं होगी तो उसे भी दंडित किया जा सकता है।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह ने अपने भाषण के दौरान एक उपबंध पर आपत्ति की है जिसमें व्यवस्था है कि अगर किसी उपक्रम के निदेशक या प्रबन्धक को यह जानकारी नहीं है कि उसके प्रतिष्ठान में ऐसा कोई अपराध किया गया है तो उसे सजा नहीं दी जाएगी। ऐसा केवल न्याय की दृष्टि से किया गया है। श्री वीरेन्द्र सिंह जी उपबंध को ध्यानपूर्वक पढ़ें तो स्पष्ट हो जाएगा कि अपने को निरपराध प्रमाणित करने की जिम्मेदारी व्यक्ति पर है और एक बार अगर प्रमाणित हो जाए कि उसे इसकी जानकारी नहीं थी तो उसे सजा नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अन्य कर्मचारियों को सजा दी जाए तो उसे भी दंडित किया जाए। धारा 61 में उकसाने वाले के लिए भी दंड की व्यवस्था है। अगर कोई निदेशक या प्रबंधक किसी अपराध में उकसाने वाले की भूमिका निभाता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। सजा और वह भी बहुत सख्त किस्म की सजा दी जा सकती है। हमने अपराध-अपराध के मध्य अन्तर किया है। सजा की एक अवधि से लेकर सजा की अधिकतम अवधि तक के लिए कोई व्यापक प्रावधान नहीं है कुछ अपराध बहुत छुट-पुट किस्म के होते हैं। पहली बार उन्हें हलकी सजा देकर भी समाप्त किया जा सकता है। लेकिन उस अपराध को अगर

दोहराया जाता है तो उसके लिए अधिक सजा की व्यवस्था है और जैसा कि मैंने पहले कहा इस मामले में हम इतने विस्तार में गए हैं कि इस विधेयक में अलग से 31 धाराएं विभिन्न किस्म के अपराधों के बारे में हैं। ताकि किसी के साथ सख्ती नहीं की जाए तथा किसी को भी अनावश्यक परेशान नहीं किया जाए। मैं मानता हूं कि माप-तोल के झूठे पैमाने इस्तेमाल करने के कारण बहुत सा काला धन उत्पन्न हो गया है। इस विधेयक में ग्राहकों की सुरक्षा की व्यवस्था है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद ब्लड प्रेशर नापने के उपकरण या थर्मोमीटर जैसी चीजों का परीक्षण भी उनकी बिक्री से पूर्व किया जा सकेगा ताकि लोगों से साथ धोखा नहीं हो।

डोगरा जी ने पूछा है कि इसे देश भर में लागू कैसे किया जाएगा। इसे सभी क्षेत्रों में— शहरी तथा ग्रामीण —लागू किया जाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानदार भी मानक स्तर के बाट और माप इस्तेमाल करेंगे। केवल उन्हें अपना पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाट और माप मानक स्तर के होने चाहिए तथा उनकी समय-समय पर जांच करानी होगा। सभी व्यापारियों किसानों निर्माताओं, उद्योगपतियों को मानक स्तर के बाट और माप इस्तेमाल करने होंगे और समय-समय पर उनकी जांच करवाते रहनी होगी। निरीक्षकों की नियुक्ति राज्यों द्वारा की जाएगी।

प्रो० मधु दंडवते : सभी मुद्दे वापस लिए जाते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : प्रो० दण्डवते चाहते हैं कि अब मैं बोलना बन्द कर दूं अतः मैं इस विधेयक को सदन द्वारा पारित किए जाने के लिए रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 द्वारा या उसके अधीन स्थापित बाटों और मापों के मानकों के प्रवर्तन का और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड-2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 3, पाटिल जी, क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री डी० बी० पाटिल : जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 4 से 14 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 15, पाटिल जी क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री डी० बी० पाटिल : जी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 15 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 16—(संव्यवहारों तथा औद्योगिक उत्पादन के लिए या संरक्षा के लिए बाटों या मापों का उपयोग करने वाले व्यक्ति अपना रजिस्ट्रीकरण कराएंगे)

श्री डी० बी० पाटिल (कोलाबा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7, पंक्ति 15 ।

"जो फेरी लगाकर बेचने वाला नहीं है । का लोप किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं पाटिल जी का संशोधन मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 3 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : पाटिल जी, क्या आप खण्ड 18 से संबंधित अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ।

श्री डी० बी० पाटिल : जी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 18 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : पाटिल जी क्या आप खण्ड 19 से संबन्धित अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री डी० बी० पाटिल : जी नहीं, महोदय मैं इसे नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 19 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 20 श्री पाटिल, क्या आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं ?

श्री डी० बी० पाटिल : जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 20 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 21 और 22 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : अब खण्ड 23, श्री पाटिल क्या आप आपना संशोधन पेश कर रहे हैं ?

श्री डी० बी० पाटिल : जी नहीं, मैं पेश नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 23 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 23 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री पाटिल, क्या आप खण्ड 24 में अपना संशोधन पेश कर रहे हैं ?

श्री डी० बी० पाटिल : जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 24 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 24 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 25 से 36 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

अध्यक्ष महोदय : श्री पाटिल, क्या आप खंड 37 में अपने संशोधन पेश कर रहे हैं ?

श्री डी० बी० पाटिल : जी, नहीं ।

"कि खण्ड 37 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 37 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 38 से 59 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

अध्यक्ष महोदय : श्री पाटिल, क्या आप खण्ड 60 में अपना संशोधन पेश कर रहे हैं ?

श्री डी० बी० पाटिल : मैं पेश नहीं कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 60 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 60 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 61 से 69 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

अध्यक्ष महोदय : श्री पाटिल, क्या आप खण्ड 70 में अपने संशोधन पेश कर रहे हैं ।

श्री डी० बी० पाटिल : जी, नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 70 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 70 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 71 से 75 विधेयक में जोड़ दिए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए ।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : आपका भाषण बहुत लम्बा था ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मैंने बहुत योगदान किया ।

———

6.13 म० प०

राज्य सभा से सन्देश

[अनुवाद]

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सन्देशों की सूचना सभा को देनी है :

(i) मुझे लोकसभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने गुरुवार, 29 अगस्त 1985 को हुई अपनी बैठक में संलग्न प्रस्ताव को पारित किया जिसमें राज्य सभा लोकपाल विधेयक 1985 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित होने की लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई है । उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए राज्य सभा द्वारा जो सदस्य नामनिर्दिष्ट किए गए हैं उनके नाम प्रस्ताव में दिए गए हैं ।

प्रस्ताव

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा भारत संघ के मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए एक लोकपाल की नियुक्ति करने और उससे सम्बद्ध विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार करने हेतु गठित दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और यह संकल्प करती है कि

राज्य सभा के लिए निम्नलिखित 15 सदस्य उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए नामनिर्दिष्ट किए जायें" :

(1) श्री पी० शिवशंकर

(2) श्री हंसराज भारद्वाज

(3) श्री एन० के० पी० साल्वे

(4) श्री सुल्तान सिंह

(5) श्री आनन्द शर्मा

(6) श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल

(7) श्री पी० एन० सुकुल

(8) श्री बहरूल इस्लाम

(9) श्री दरबारा सिंह

(10) श्री लाल कृष्ण आडवाणी

(11) श्री वीरेन्द्र वर्मा

(12) श्री पर्वतनेनी उपेन्द्र

(13) श्री दीपेन घोष

(14) श्री आर० मोहन रंगम

(15) श्री मुरासोली मारन"

(ii) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 29 अगस्त, 1985 को हुई अपनी बैठक में, लोकसभा द्वारा 28 अगस्त, 1985 को पारित किए गए स्वापक औषधि तथा मन: प्रभावी पदार्थ विधेयक, 1985 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है"

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, चूंकि सत्र समाप्त होने जा रहा है इसलिए कुछ शब्द कहने से पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। श्री अशोक सेन द्वारा सदन में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में कल पेश किए गए प्रस्ताव के बारे में कुछ भ्रांति हुई है। प्रस्ताव में उल्लिखित तारीख अगले सत्र का पहला दिन नहीं था बल्कि यह 15 मार्च, 1986 था। अत: संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन 15 मार्च 1986 तक सदन में प्रस्तुत किया जायेगा। मैं उसे स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ समाचार पत्रों में यह देखा गया है कि इसे अगले सत्र के पहले दिन प्रस्तुत किया जाना है।

दूसरे, कल सुबह हमने कुछ नामों की स्वीकृति दी थी और शाम को हमने इसमें संशोधन किया था तथा श्री भारद्वाज के स्थान पर श्री उन्नीकृष्णनन् का नाम रखा गया है।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, इस समिति में कोई महिला सदस्य नहीं है।

श्री एच० के० एल० भगत : सदन के सभी वर्गों को एक साथ ले करके आपने जिस ढंग से इस सभा का संचालन किया है उसके लिए मैं इन दो स्पष्टीकरणों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं। विभिन्न समितियां की कार्यवाही को आपने जिस ढंग से संचालित किया है उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं विरोधी दल के सभी नेताओं को भी धन्यवाद देता हूं जिनका दृष्टिकोण रचनात्मक और सकारात्मक था। मैं सभी सदस्यों के योगदान की प्रशंसा करता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत दिलचस्पी दिखाई है। मैं उपाध्यक्ष महोदय को भी उनके महान योगदान के लिए धन्यवाद देता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : आप सत्तारूढ़ दल के उप-नेता को भी धन्यवाद दें।

श्री एच० के० एल० भगत : सत्तारूढ़ दल के उपनेता हम मन्त्रियों से ऊपर हैं।

अब, मैं लोकसभा सचिवालय को इसके द्वारा किए गए अच्छे कार्य के लिए धन्यवाद देता हूं।

हम खुश हैं और हमें आपकी योग्यता पर गर्व है। आपकी योग्यता के कारण यह सत्र सार्थक रहा है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गण, मैं समझता हूं कि हमें नवम्बर तक सदन को स्थगित करना होगा और हमारे पास एक लम्बा अवकाश है। मैं आशा करता हूं कि अगली बैठक में आप लोग नई स्फूर्ति से आएंगे। इस सत्र में आपकी उल्लेखनीय उपलब्धि रही है। 24 विधेयकों को पारित किया गया तथा हमने नियम 193 के अन्तर्गत सात······चर्चायें की हैं। मैं समझता हूं कि सत्तारूढ़ और विरोधी दल दोनों के माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिए गए विषय पर बोलने के लिए समय देने की हमने कोशिश की है। जो कुछ भी बचा है वह केवल समय की कमी के कारण, अन्यथा कोई रोक नहीं थी। मुझे यह भी कहना चाहिए कि जो योगदान आपने दिया और विशेष रूप से पूरे सदन ने जिस तरह से मिलकर काम किया वह उल्लेखनीय रहा है। यह विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण सत्र रहा है जिसमें दो महत्वपूर्ण समझौते पंजाब और असम के बारे में किए गए हैं। मैं समझता हूं कि हमें दलों और सदन तथा विशेष रूप से प्रधानमन्त्री जी को बधाई देनी चाहिए जिन्होंने स्थिति को सामान्य बनाने और सभी तरह से नियन्त्रण रखने के लिए इस प्रकार के बहुत ठोस कदम उठाए हैं।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, हम पंजाब चुनावों के लिए चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं। कृपया हमारी दीर्घायु की कामना करें।

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं होने जा रहा है। हमें दृढ़ रहना है। हमें इस तरह की हिंसा का मुकाबला करना है क्योंकि हिंसा और लोकतंत्र साथ-साथ नहीं चल सकते। हमें बैलट की ताकत से जनता का शासन स्थापित करना है। यह हमारी विरासत है, यह हमारा अधिकार है और यह

हमें अपनी जान से ज्यादा प्यारी है, क्योंकि यह उन महान शहीदों की विरासत कायम रहना सुनिश्चित करती है जो बलिदान हो गए हैं।

मैं आपको सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं अपने उपाध्यक्ष महोदय और अपने सभापति गण को भी धन्यवाद देता हूं।

आप जानते हैं कि पिछली रात को मेरे सचिवालय के कर्मचारियों को उन संशोधनों को तैयार करने के लिए देर रात तक बैठना पड़ा। मैं समझता हूं कि उनको भी उसके लिए बधाई देनी चाहिए। मेरे विचार में यह बहुत उपयोगी साबित हुआ है।

आपका बहुत धन्यवाद। हम नवम्बर में फिर मिलेंगे। मैं, आप सभी का, प्रधानमन्त्री जी तथा विरोधी दल के नेताओं और आप सभी का धन्यवाद करता हूं। भगवान आप पर कृपा करें। आपको खुश और स्वस्थ रखे, ताकि आप फिर आएं और हमारा सत्र हो, क्योंकि जब सत्र नहीं होता है तब मैं बेचैन हो जाता हूं। मैं इसका आनन्द लेता हूं। जब आप यहां आते हैं तो मैं खुशी महसूस करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, अगली बार जब हम मिलेंगे, तो इस परिवार में पंजाब से 13 सदस्य और आ जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : उससे अगले सैशन में मिलेंगे तो कुछ और आ जाएंगे।

[अनुवाद]

अतः यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रहेगी।

आपको धन्यवाद।

अब सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

6.20 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : स्टील स्लोड मैन्यु० (प्रेस विभाग), दिल्ली-6